झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

परिपत्र संग्रह

खण्ड 2 (उप खण्ड - क)

झारखण्ड सरकार

सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF JHARKHAND

हेमन्त सोरेन
मुख्यमंत्री

संदेश

लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को अक्षुण्ण रखने एवं सुशासन की सुदृढ़ व्यवस्था हेतु नियमों/परिनियमों का संग्रहण करने की परम्परा रही है। यह अत्यन्त प्रसन्नता का विषय है कि झारखण्ड गठन के पश्चात् पहली बार कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा कार्मिक प्रबंधन संबंधी झारखण्ड राज्य में अद्यतन प्रभावी नियमों/आदेशों का विषयवार संकलन किया गया है।

उक्त संकलन में राजकीय कार्यों के लिए प्रतिदिन प्रयुक्त होने वाले विभिन्न नियमों/आदेशों का संकलन न केवल राज्यकर्मियों के लिए उपयोगी होगा वरन् यह सामान्य जनमानस के लिए भी उतना ही उपयोगी साबित होगा तथा ये आवश्यकतानुसार इसका लाभ उठा सकेंगे।

मैं विभाग के इस प्रयास के लिए कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के सभी पदाधिकारियों/कर्मियों की सराहना करता हूँ।

शुभकामनाओं सहित।

(हेमन्त सोरेन)

कांकें रोड, रांची - 834008 (झारखंड)
दूरभाष : 0651-2280886, 2280996, 2400233 फैक्स : 2280717, 2400232
ई-मेल : chiefminister.jharkhand19@gmail.com

सुखदेव सिंह, भा.प्र.से.
Sukhdev Singh, I.A.S.

सरकार के मुख्य सचिव
झारखण्ड सरकार
Chief Secretary to Government
Government of Jharkhand

संदेश

मुझे यह जानकर खुशी हो रही है कि झारखंड राज्य के गठन के पश्चात् पहली बार कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के द्वारा विभागीय नियमों/परिपत्रों/संकल्पों का एक विषयवार संकलन तैयार कर चार खण्डों में प्रकाशित किया जा रहा है। इस संकलन से विभागीय नियमों/परिपत्रों/संकल्पों की उपलब्धता सुलभ हो सकेगी तथा विभागीय निर्णय लेने में सुविधा होगी। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के द्वारा अन्य विभागों को भी परामर्श दिया जाता है, इसलिए इस विभाग के द्वारा इस तरह का संकलन करना और भी जरूरी हो जाता है, ताकि परामर्श देने में कोई त्रुटि नहीं हो। इस कार्य के लिए मैं कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के प्रधान सचिव, श्रीमती वंदना दादेल तथा अन्य सभी पदाधिकारियों/कर्मियों को बधाई देना चाहूँगा।

मुझे आशा है कि इस संकलन को नियमित अंतराल के पश्चात् अद्यतन भी किया जाएगा। झारखंड राज्य के अन्य विभागों के द्वारा भी इस तरह का प्रकाशन कराया जाना श्रेयस्कर होगा।

(सुखदेव सिंह)

1st Floor, Project Building, Dhurwa, Ranchi, Jharkhand (INDIA), Pin-834004
• Phone : +91-651-2400240/250 (O)/ 2361334(R) • Fax: +91-651-2400255 (O)/ 2361336 (R) • E-mail: cs-jharkhand@nic.in

वंदना दादेल, भा.प्र.से.
प्रधान सचिव

VANDANA DADEL, IAS
Principal Secretary

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची
Personnel, Administrative Reforms
& Rajbhasha Department
Government of Jharkhand
Project Bhawan, Dhurwa, Ranchi-834004
Phone : 0651-2400221
Fax : 0651-2400253
e-mail : dopjharkhand@gmail.com

प्रस्तावना

मानव संसाधनों के प्रबंधन यथा, कर्मियों की नियुक्ति, प्रोन्नति, आरक्षण, विभागीय कार्यवाही, अनुशासनात्मक कार्रवाई, आचार, सेवानिवृति आदि से संबंधित नीतियों के निर्माण एवं उसके कार्यान्वयन के संदर्भ में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण विभाग है। यह विभाग प्रखण्ड स्तरीय कार्यालयों से लेकर राज्यस्तरीय कार्यालयों के संदर्भ में प्रशासनिक सुधारों के साथ–साथ राजभाषा हिन्दी को बढ़ावा देने तथा सरकारी कार्यों में इसके उपयोग के निमित्त भी महत्वपूर्ण कार्य करता है।

इस विभाग के द्वारा राज्य के विभिन्न विभागों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के सुचारू रूप से संचालन एवं राज्य के सरकारी सेवकों के निमित्त सेवाशर्त, आचार, अनुशासन आदि से संबंधित नीति विषयक पत्र/परिपत्र निर्गत किये जाते हैं, जिनका कार्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण योगदान रहता है।

राज्य गठन के उपरांत से अबतक कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के द्वारा निर्गत पत्र/परिपत्रों का संग्रहण नहीं किया जा सका है, जिसके कारण निरंतर विभागों, कार्यालयों से परामर्श एवं मंतव्य हेतु बड़ी संख्या में पत्र प्राप्त होते रहते हैं। उक्त के मद्देनजर विभाग के द्वारा निर्गत नीति विषयक पत्र/परिपत्रों आदि के संग्रहण निर्माण की आवश्यकता महसूस की गई ताकि राज्य के सभी विभागों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों तथा जन मानस के लिए पत्र/परिपत्र सुलभ हो सके ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के द्वारा नीति विषयक पत्र/परिपत्रों को संग्रह कर परिपत्र संग्रह का रूप देने के लिए श्री मोती जॉर्ज लकड़ा, भा०प्र०से०, विशेष सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। समिति द्वारा राज्य गठन के बाद से वर्तमान समय तक कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड द्वारा निर्गत नीति विषयक पत्र/परिपत्रों का संग्रह चार खंडों (खंड – 2 दो भागों में) कुल पाँच पुस्तिकाओं में तैयार किया गया है।

इस परिपत्र संग्रह के निर्माण में योगदान देने वाले कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारी बधाई के पात्र है। आशा करती हूँ कि यह परिपत्र संग्रह राज्य के विभिन्न विभागों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा।

(वंदना दादेल)
प्रधान सचिव।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

परिपत्र–संग्रह

खण्ड–2

(भाग–'क')

खण्डवार अध्यायों की सूची

खण्ड – 1

क्र0	अध्याय सं0	विषय	पृष्ठ सं0
1	अध्याय – 1	सेवा नियमावली आदि	01–167
2	अध्याय – 2	प्रोन्नति / कालावधि निर्धारण आदि	168–228
3	अध्याय – 3	अनुशासनिक मामले आदि	229–326
4	अध्याय – 4	कैडर विभाजन	327–359
5	अध्याय – 5	भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग	360–379
6	अध्याय – 6	चारित्री लेखन	380–417
7	अध्याय – 7	अन्यान्य	418–525

खण्ड – 2

(भाग–'क')

क्र0	अध्याय सं0	विषय	पृष्ठ सं0
1	अध्याय – 1	पदों एवं सेवाओं में आरक्षण	01–206
2	अध्याय – 2	नियोजन एवं शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की सुविधा	207–257
3	अध्याय – 3	आरक्षण रोस्टर	258–379

खण्ड – 2

(भाग–'ख')

क्र0	अध्याय सं0	विषय	पृष्ठ सं0
4	अध्याय – 4	प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में	380–596
5	अध्याय – 5	क्रीमी लेयर	597–629
6	अध्याय – 6	बैकलॉग रिक्ति	630–639
7	अध्याय – 7	स्थानीयता	640–686
8	अध्याय – 8	अन्यान्य	687–700

खण्ड – 3

क्र0	अध्याय सं0	विषय	पृष्ठ सं0
1	अध्याय – 1	भर्ती नियमावली आदि	1–152
2	अध्याय – 2	परीक्षा संचालन संबंधी मार्गदर्शन	153–183
3	अध्याय – 3	सीमित प्रतियोगिता परीक्षा	184–211
4	अध्याय – 4	नियुक्ति प्रक्रिया	212–218
5	अध्याय – 5	झारखण्ड लोक सेवा आयोग	219–262
6	अध्याय – 6	झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग	263–404
7	अध्याय – 7	अनुकम्पा मामले	405–472
8	अध्याय – 8	राजभाषा	473–485

खण्ड – 4

क्र0	अध्याय सं0	विषय	पृष्ठ सं0
1	अध्याय – 1	लोकायुक्त	1–43
2	अध्याय – 2	सूचना का अधिकार	44–122
3	अध्याय – 3	पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग	123–140
4	अध्याय – 4	राज्य/ जिला पुनर्गठन	141–178
5	अध्याय – 5	सेवा देने की गारंटी	179–275
6	अध्याय – 6	बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली	276–298
7	अध्याय – 7	कोविड–19	299–325
8	अध्याय – 8	अन्यान्य	326–378

खण्ड–2 – (भाग–'क')
विषय सूची
अध्याय – 1
(पदों एवं सेवाओं में आरक्षण)

क्र0	विषय	ज्ञापांक / पत्रांक	दिनांक	पृष्ठ सं0
1	"घुनिया (कैबर्त्त)" जाति को राज्य के अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–1) के क्रमांक–11 पर दर्ज "केवर्त्त, माहिस्य" के बाद दर्ज करने के संबंध में।	3626	14.06.2022	1–2
2	"कुरमी" जाति को झारखण्ड राज्य के अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची 1) के क्रमांक 06 पर दर्ज "कुड़मी / कुर्मी (महतो)" के साथ शामिल करने के संबंध में।	2198	06.04.2022	3–4
3	झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 के अन्तर्गत सीधी भर्ती हेतु सभी नियुक्तियों में झारखण्ड राज्य के अनारक्षित एवं अनारक्षित कोटि के महिला उम्मीदवारों को देय क्षैतिज आरक्षण के सम्बन्ध में।	8281	03.12.2021	5–7
4	झारखण्ड राज्य के अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–1) के क्रमांक–11 पर दर्ज केवर्त्त, माहिस्य के बाद घुनिया (कैबर्त्त) को समावेशित करने के संबंध में।	93	06.01.2021	8–9
5	"सुमंडल / मंडल" जाति को राज्य के अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–1) के क्रमांक–122 पर "सूढ़ी" जाति के प्रकोष्ठ में शामिल करने के संबंध में।	8137	09.10.2019	10–11
6	झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) (संशोधन) अधिनियम, 2019 (झारखण्ड अधिनिमय–13, 2019)	गजट सं0 770	04.10.2019	12–15
7	झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2019 (झारखण्ड अध्यादेश–02, 2019)	गजट सं0 523	08.07.2019	16–19
8	केन्द्र एवं झारखण्ड सरकार की सिविल सेवाओं एवं पदों पर सीधी नियुक्तियों तथा शैक्षणिक संस्थानों मे नामाकन में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण संबंधी आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण–पत्र जारी करने के संबंध में।	3763	16.05.2019	20–21
9	झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (झारखण्ड अध्यादेश–01, 2019)	147	25.02.2019	22–24
10	सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण हेतु झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियो में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 में संशोधन	384A	15.01.2019	25
11	ग्वाला (मुस्लिम) जाति को झारखण्ड राज्य के पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–2) के क्रमांक–06 पर दर्ज "गद्दी" के साथ शामिल करने के सम्बन्ध में।	6789	28.08.2019	26–28
12	झारखण्ड राज्य की अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–1) के क्रमांक–11 पर दर्ज "केवर्त्त" के साथ "माहिस्य (Mahisya)" जाति को सम्मिलित करने के संबंध में।	5249	03.07.2019	29–30
13	झारखण्ड राज्य के पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–2) के क्रमांक–29 पर दर्ज "सोनार (सुवर्ण वनिक), अष्टलोहि कर्मकार" के साथ "स्वर्णकार" को सम्मिलित करने के सम्बन्ध में।	4857	20.06.2019	31–32
14	"अष्टलोहि कर्मकार" जाति को झारखण्ड राज्य के पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–II) के क्रमांक–29 पर अंकित "सोनार (सुवर्ण वनिक)" के साथ शामिल करने के सम्बन्ध में।	2162	07.03.2019	33–34

15	आरक्षित कोटियों में जाति का समावेशन, विलोपन, परिवर्द्धन आदि से संबंधित अद्यतन गजट के आलोक में कार्रवाई करने के संबंध में	8737	30.11.2018	35
16	''अष्टलोहि कर्मकार'' जाति को झारखण्ड राज्य के पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–II) के क्रमांक–29 पर अंकित ''सोनार (सुवर्ण वनिक)'' के साथ शामिल करने के सम्बन्ध में।	7088	19.09.2018	36–37
17	झारखण्ड राज्य की अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–1) के क्रमांक– 97 पर दर्ज ''प्रजापति (कुम्हार)'' के साथ ''कुम्हार / कुम्भकार'' जाति को सम्मिलित करने के संबंध में।	6992	11.09.2018	38–39
18	झारखण्ड राज्य की पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–2) के क्रमांक– 20 पर बनिया के कोष्टक में अंकित ''वैश बनिया एवं एकादश बनिया'' जाति को पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–2) से विलोपित करते हुए झारखण्ड राज्य की अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–1) में सम्मिलित करने के संबंध में।	1041	08.02.2018	40–42
19	''चन्द्रवंशी (कहार)''जाति की समजाति ''रवानी'' को राज्य के अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–1) के क्रमांक–30 पर दर्ज ''चन्द्रवंशी (कहार)''के साथ शामिल करने के संबंध में।	11460	17.11.2017	43–44
20	सूंडी जाति के खतियान में विसंगति होने एवं इनका जाति चासा सो / चासा सु / सो चासा / सो, जो एक अलग जाति है, दर्ज होने के कारण सूंडी जाति के लोगो को जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।	7204	16.06.2017	45
21	''सूढ़ी (सूड़ी / सूंडी)'' जाति की समजातियों सूंडी चासा / शुन्डीक वैश / शौन्डीक को राज्य के अत्यन्त पिछड़े वर्गो की सूची (अनुसूची–1) के क्रमांक–122 पर दर्ज '' सूढ़ी (सूडी / सूडी)'' के साथ कोष्टक में शामिल करने के सम्बन्ध में।	6972	12.06.2017	46–47
22	जोगी (जुगी, गोसाई) की उप जाति गिरि–सन्यासी, अतित, अतिथ / अतीथ को झारखण्ड राज्य के पिछडे वर्गों की सूची (अनुसूची II) के क्रमांक 11 पर जोगी (जुगी, गोसाई) के साथ शामिल करने के संबंध में।	5709	25.04.2017	48–49
23	''बियार'' जाति कोझारखण्ड राज्य की अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–1) में सम्मिलित करने के संबंध में।	1951	06.03.2017	50–51
24	झारखण्ड राज्य की पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–2) के क्रमांक– 20 पर बनिया वर्ग के प्रकोष्ट में अंकित ''हलवाई'' जाति को पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–2) से विलोपित करते हुए झारखण्ड राज्य की पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–1) में सम्मिलित करने के संबंध में।	876	27.01.2017	52–53
25	झारखण्ड राज्य की पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–2) के क्रमशः क्रमांक– 19 एवं 12 पर अंकित ''बरई'' एवं ''तमोली'' जाति को पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–2) से विलोपित करते हुए झारखण्ड राज्य की पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–1) में सम्मिलित करने के संबंध में।	11082	27.12.2016	54–56
26	''बागाल / खण्डवाल'' जाति की समजातियों यथा खन्डवाल / खन्डुआल / खुन्डवाड / खण्डईत / खण्डाईत / खन्डाईत / खन्डाइत / खंडाईत / खन-डइत / खडयत / खन्डायत / खण्डाएत / खण्डाईयत / खन्डेत / खन्डैत / खन्डैयत / खैन्डेयत / खैन्डायत / खंडवत / खंडाल को राज्य के अत्यन्त पिछड़े वर्गो की सूची (अनुसूची–1) के क्रमांक–113 पर दर्ज ''बागाल / खण्डवाल'' के साथ कोष्टक में शामिल करने के सम्बन्ध में।	10564	13.12.2016	57–58
27	झारखण्ड में निवासरत आदिम जनजाति समुदाय के सदस्यों को आरक्षण की विशेष सुविधा।	5555	28.06.2016	59–61
28	बारी (Bari) जाति को झारखण्ड राज्य के अत्यन्त पिछड़े वर्गो की सूची (अनुसूची–1) के क्रमांक–51 पर वारी (Wari)के साथ वारी / बारी (Wari/Bari) के रूप में सम्मिलित करने के संबंध में।	4997	15.06.2016	62–63
29	झारखण्ड राज्य की राजभाट / ब्रहमभाट(ब्रहमभट) जाति को भाट (हिन्दू) के साथ झारखण्ड राज्य के पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–।।) के क्रमांक–36 पर समावेशित करने के संबंध में।	4675	03.06.2016	64–65
30	मलिक (मुस्लिम) को झारखण्ड राज्य के पिछडे वर्गों की सूची (अनुसूची II) के रिक्त	2574	28.03.2016	66–67

	क्रमांक–45 पर शामिल करने के संबंध में।			
31	परगहा (परिगाह)/पलीआर/पलीयार को झारखण्ड राज्य के पिछडे वर्गों की सूची अनूसूची–I में क्रमांक–117 पर सम्मिलित परघा/परिघा/पैरघा जाति के कोष्ठक में शामिल करने के संबंध में।	10759	18.12.2015	68–69
32	सूढ़ी (सूडी/सूंडी) जाति को झारखण्ड राज्य की पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–II) के क्रमांक–20 पर दर्ज बनिया की उपजाति "सूढ़ी" को विलोपित करते हुए झारखण्ड राज्य की पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची– I) में सम्मिलित करने के संबंध में।	10760	18.12.2015	70–71
33	झारखण्ड पदो एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियिम, 2001 के अनुसूची – I तथा अनुसूची – II में कतिपय सशोधन।	6548	23.07.2015	72–73
34	झारखण्ड पदो एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनूसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों एव पिछडे वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 के अनुसूची– I तथा अनुसूची– II में कतिपय सशोधन।	5422	18.06.2015	74–75
35	झारखण्ड पदो एवं सेवाओ की रिक्तियो में आरक्षण (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियिम, 2001 के अनुसूची– I तथा अनुसूची– II में कतिपय सशोधन।	3556	20.04.2015	76–77
36	झारखण्ड पदो एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 के अनुसूची–1 तथा अनुसूची–2 में कतिपय सशोधन।	2361	12.03.2015	78–79
37	झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियिम, 2001 के अनुसूची– I तथा अनुसूची– II में कतिपय संशोधन।	7681	01.08.2014	80–81
38	झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 के अन्तर्गत अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची– I) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची– II) की समेकित अद्यतन सूची।	12817	17.11.2012	82–90
39	झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा पिछडे वर्गो के लिए) अधिनियम, 2001 के अनुसूची– I तथा अनुसूची– II में कतिपय संशोधन।	2855	27.03.2012	91–92
40	झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 के अनुसूची– I तथा अनुसूची– II में कतिपय संशोधन।	144	06.01.2012	93–94
41	झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 के अनुसूची– I तथा अनुसूची– II मे कतिपय संशोधन।	8060	17.12.2011	95–96
42	झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 के अनुसूची– I तथा अनुसूची– II एवं संकल्प संख्या–3885 दिनांक–05.11.2001 की समेकित सूची।	4276	29.11.2001	97–102
43	झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 के अनुसूची– I तथा अनुसूची– II में कतिपय संशोधन।	6580	20.10.2011	103–104
44	झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 के अनुसूची– I तथा अनुसूची– II में कतिपय संशोधन।	6097	26.09.2011	105–106
45	झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियो तथा पिछडे वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 के अनुसूची– I तथा अनुसूची– II में कतिपय संशोधन।	5826	19.09.2011	107–108
46	झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा पिछडे वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 के अनुसूची– I तथा अनुसूची– II	4450	01.08.2011	109–111

	में कतिपय संशोधन।			
47	झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियो में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछडे वर्गों के लिए) (संशोधन) अधिनियम, 2011	66/67	09.05.2011	112–115
48	झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 के अन्तर्गत अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची– I) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची– II) की समेकित अद्यतन सूची।	1816	31.03.2010	116–123
49	राज्य के अत्यंत पिछड़े वर्ग (अनुसूची–I) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–II) की जातियों को अलग–अलग आरक्षण की सुविधा प्रदान करने के संबंध में।	5162	25.09.2008	124–126
50	झारखण्ड राज्य के सेवाओं एवं पदों की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 2001 के अनुसूची– I एवं अनुसूची– II में कतिपय संशोधन।	5108	23.09.2008	127–128
51	झारखण्ड राज्य के सेवाओं एवं पदों की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 2001 के अनुसूची– I एवं अनुसूची– II में कतिपय संशोधन।	243	11.01.2008	129–130
52	निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर), अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी अधिनियम,1995 के तहत सरकारी सेवाओं में नियुक्ति/प्रोन्नति एवं शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में विकलांगों को आरक्षण के संबंध में।	7281	07.11.2007	131–142
53	झारखण्ड राज्य के सेवाओं एवं पदों की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम–2001 के अनुसूची– I एवं अनुसूची– II में कतिपय संशोधन।	1604	28.03.2007	143
54	झारखण्ड राज्य के सेवाओं एवं पदों की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 2001 के अनुसूची– I एवं अनुसूची– II में कतिपय संशोधन।	5182	26.09.2006	144–145
55	झारखण्ड राज्य के सेवाओं एवं पदों तथा सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 के अनुसूची– I तथा अनुसूची– II में कतिपय संशोधन।	4447	24.08.2006	146–147
56	झारखण्ड राज्य के सेवाओं एवं पदों की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 2001 के अनुसूची– I एवं अनुसूची– II में कतिपय संशोधन।	3706	15.07.2006	148
57	झारखण्ड राज्य के सेवाओं एवं पदों की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 2001 के अनुसूची– I एवं अनुसूची– II में कतिपय संशोधन।	2759	01.06.2006	149–150
58	झारखण्ड राज्य के सेवाओं एवं पदों की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 के अनुसूची– I एवं अनुसूची– II में कतिपय संशोधन।	368	19.01.2006	151–152
59	राज्य सरकार के अधीन सभी विभागों/कार्यालयों/निगमों/निकायों की सेवा एवं पदों पर नियुक्ति हेतु विकलांगों के लिये पद कर्णांकित करने के सबंध में।	2289	18.07.2005	153–154
60	झारखण्ड राज्य के सेवाओं एवं पदों की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 2001 के अनुसूची– II में संशोधन।	6374	11.12.2004	155–156
61	झारखण्ड राज्य के सेवाओं एवं पदों तथा सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 के अनुसूची– I तथा अनुसूची– II में कतिपय संशोधन।	6337	08.12.2004	157–158
62	मयरा (मैरा) मोदक जाति को झारखंड राज्य के पिछडे वर्गों की सूची (अनुसूची– II) में समावेि ात करने के संबंध में।	3436	28.06.2004	159–160

63	झारखण्ड पदो एव सेवाओ की रिक्तियों मे आरक्षण अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए अधिनियम, 2001 के अनुसूची– II के क्रमांक–32 को विलोपित करने के संबंध में।	4196	22.07.2003	161
64	मोमिन (मुस्लिम) जाति के साथ शेख, जुलहा, अंसारी को सम्बद्ध करने के संबंध में।	801	11.02.2003	162–163
65	झाारखण्ड में राज्यस्तरीय पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण।	5776	10.10.2002	164–167
66	झारखण्ड पदो एव सेवाओं मे जिलास्तरीय सीधी नियुक्ति में आरक्षण।	5795	10.10.2002	168–173
67	सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति द्वारा भरे जानेवाले पदों पर अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये आरक्षण।	994	08.02.2002	174–177
68	झारखण्ड पदो एव सेवाओ की रिक्तियों मे आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिये) अधिनियम, 2001 के अनुसार जिलास्तरीय पदों पर सीधी नियुक्ति मे जिलावार आरक्षण।	572	24.01.2002	178–179
69	झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001	गजट संख्या 296	29.11.2001	180–192
70	झारखण्ड पदों एव सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 के अनुसूची– I तथा अनुसूची– II में कतिपय संशोधन।	3885	05.11.2001	193–195
71	"बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991" (बिहार अधिनियम 3, 1992) में संशोधन।	3465	03.10.2001	196–199
72	झारखण्ड पदों एव सेवाओ की रिक्तियों में आरक्षण।	3464	03.10.2001	200–206

अध्याय – 2
(नियोजन एवं शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की सुविधा)

क्र0	विषय	ज्ञापांक/पत्रांक	दिनांक	पृष्ठ सं0
73	राज्य के विनिर्दिष्ट शिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु आरक्षण का प्रावधान।	1434	15.02.2019	207–210
74	दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत सरकारी सेवाओं में सीधी नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा का निर्धारण।	7636	12.10.2018	211–212
75	निःशक्त व्यक्ति (दिव्यांग–जन) अधिकार अधिनियम, 2016 (वर्ष 2016 का संख्यांक) के तहत तहत झारखण्ड सरकार के अधीन पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों एवं शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में निःशक्त जनों के लिए आरक्षण।	2249	03.04.2018	213–220
76	झारखण्ड न्यायिक सेवान्तर्गत सिविल जज (जूनियर डिविजन) के 75 पदों पर नियुक्ति हेतु महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत कोटिवार आरक्षण दिये जाने के सम्बनध में।	1182	13.02.2018	221–222
77	निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार सुरक्षण एवं पूर्णभागीदारी) अधिनियम–1995के तहत झारखण्ड सरकार के अधीन पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों एवं शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में निःशक्त जनों के लिए आरक्षण।	5671	04.07.2016	223–234
78	नियोजन एवं शिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु आरक्षण की सुविधा।	9948	20.11.2015	235
79	शिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु आरक्षण का प्रावधान।	5886	21.09.2011	236–237
80	नियुक्ति तथा शिक्षण संस्थानों में नामांकन में आरक्षण की सुविधा।	5448	12.09.2011	238–239
81	जिलास्तरीय औद्योगिक/तकनीकी संस्थानों में नामांकन हेतु आरक्षण।	6782	14.12.2002	240–243
82	राज्यस्तरीय विनिर्दिष्ट शिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु आरक्षण का प्रावधान।	5800	10.10.2002	244–249
83	जिलास्तरीय औद्योगिक/तकनीकी संस्थानों में नामांकन हेतु आरक्षण का प्रावधान।	905	04.02.2002	250–252
84	राज्यस्तरीय शिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु आरक्षण का प्रावधान।	3884	05.11.2001	253–257

अध्याय – 3
(आरक्षण रोस्टर)

क्र0	विषय	ज्ञापांक / पत्रांक	दिनांक	पृष्ठ सं0
85	आरक्षण रोस्टर क्लीयरेंस के सम्बन्ध में।	5498	03.11.2020	258
86	झारखण्ड सरकार की सिविल सेवाओं एवं पदों पर सीधी नियुक्तियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण।	1433	15.02.2019	259–269
87	आरक्षण रोस्टर क्लीयरेंस के सम्बन्ध में।	9226	19.12.2018	270
88	जिला स्तरीय संवर्ग के पदो पर प्रोन्नति के मामले में आरक्षण का निर्धारण एवं उसके विनियमन की प्रक्रिया।	10266	06.12.2016	271–272
89	झारखण्ड पदों एवं सेवाओं में जिलास्तरीय पदो पर सीधी नियुक्ति हेतु जिलावार आरक्षण रोस्टर में संशोधन।	2020	09.04.2010	273–312
90	झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत राज्यस्तरीय पदो पर सीधी भर्त्ती/प्रोन्नति एवं भौक्षणिक संस्थानो में नामांकन में आरक्षण के संबंध मे आदर्श रोस्टर।	1206	26.02.2009	313
91	झारखण्ड राज्य के अंतर्गत राज्यस्तरीय पदों पर सीधी भर्त्ती/प्रोन्नति एवं भौक्षणिक संस्थानों में नामांकन में आरक्षण के संबघ मे आदर्श रोस्टर।	1072	17.02.2009	314–322
92	आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस के संबध में।	4553	23.07.2008	323–325
93	एक छोटे संवर्ग अर्थात 5 पदों के लिये नियुक्ति एवं प्रोन्नति में आरक्षण रोस्टर।	986	31.03.2005	326–329
94	सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति द्वारा भरे जानेवाले पदों पर अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये आरक्षण रोस्टर।	2650	19.05.2004	330–333
95	झारखण्ड राज्य अंतर्गत राज्यस्तरीय पदो पर सीधी भर्त्ती हेतु आदर्श रोस्टर।	6329	20.11.2003	334–340
96	झारखण्ड पदों एवं सेवाओं में जिलास्तरीय पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु जिलावार आरक्षण रोस्टर में संशोधन।	6704	10.12.2003	341–356
97	एक छोटे संवर्ग अर्थात् 9 पदों के लिये नियुक्ति एवं प्रोन्नति में आरक्षण रोस्टर।	6770	13.12.2002	357–361
98	सँरकारी सेवाओं में प्रोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण रोस्टर।	6192	09.11.2002	362–364
99	झारखण्ड पदों एवं सेवाओं में जिलास्तरीय पदो पर सीधी नियुक्ति हेतु जिलावार आरक्षण रोस्टर।	6193	09.11.2002	365–366
100	राज्यस्तरीय पदों पर सीधी भर्त्ती हेतु आदर्श रोस्टर।	6191	09.11.2002	367–369
101	सरकारी सेवाओं में नियुक्ति अथवा प्रोन्नति द्वारा भरे जाने वाले संवर्गीय एकल पदों पर आरक्षण रोस्टर के संबंध में।	4423	05.08.2002	370
102	सेवाओं में नियुक्ति/प्रोन्नति के मामले में रोस्टर क्लीयरेन्स कराने के संबंध में जाँच–पत्र।	378	27.06.2002	371–374
103	राज्य स्तर पर की जानेवाली सीधी नियुक्तियों के लिये आदर्श रोस्टर।	4206	27.11.2001	375–379

खण्ड–2 (भाग–'ख')
विषय सूची
अध्याय – 4
(प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में)

क्र0	विषय	ज्ञापांक / पत्रांक	दिनांक	पृष्ठ सं0
104	झारखण्ड राज्य की ऐसी जातियां, जो राज्य के पिछडे वर्गों की सूची में सूचीबद्ध हैं, परन्तु केन्द्रीय ओ०बी०सी० की सूची में सूचीबद्ध नहीं हैं, को केन्द्र सरकार की सेवाओं में आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के रुप मे आरक्षण का लाभ प्रदान करने हेतु भारत सरकार द्वारा निर्गत आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र अंगीकृत करने के संबंध में।	4645	27.07.2022	380–382
105	राज्य गठन के पूर्व एवं संवर्ग विभाजन के आधार पर आरक्षित श्रेणी के झारखण्ड राज्य में पदस्थापित हुए कर्मी जो बिहार के निवासी रहें हो, उनकी आरक्षण श्रेणी की मान्यता झारखण्ड में प्रदान करने के संबंध में	4080	07.07.2022	383–385
106	अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति के जाति प्रमाण पत्र के मानक प्रपत्रों में संशोधन करने के संबंध में	1361	03.03.2022	386–392
107	जाति प्रमाण पत्र ऑनलाईन के साथ साथ ऑफलाईन निर्गत करने के संबंध में	1015	22.02.2022	393
108	जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में	2448	18.05.2020	394–397
109	स्थानीय जॉंच के माध्यम से जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध मे	6878	30.08.2019	398–399
110	केन्द्रीय संस्थानों/प्राधिकारों द्वारा वांछित प्रपत्र में ऑफलाईन जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध मे अनुदेश	6267	02.08.2019	400
111	जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में	5319	05.07.2019	401
112	जाति प्रमाण पत्र के संबंध मे	4258	30.05.2019	402–403
113	आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने के संबध में।	3980	22.05.2019	404–408
114	जाति छानबीन समिति के संबंध में।	3198	22.04.2019	409–410
115	जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में	1754	25.02.2019	411—465
116	जाति छानबीन समिति संबंधी का गठन	1436	18.02.2019	466–468
117	अन्य राज्य से विवाह के आधार पर झारखण्ड में आव्रजित महिलाओं को राज्य में आरक्षण की सुविधा के संबंध में।	235	10.01.2019	469–473
118	जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में	7829	25.10.2018	474
119	जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में	8453	28.09.2016	475–477
120	जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध मे	6763	05.08.2016	478–480
121	जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु दिशा–निर्देश।	9963	20.11.2015	481–503
122	स्थानीय निवासी एवं जाति प्रमाण–पत्र के संबंध मे।	6353	16.07.2015	504
123	जाति प्रमाण–पत्र निर्गत करने के संदर्भ में स्थानीय जॉंच की प्रक्रिया।	1853	26.02.2015	505–506
124	केन्द्रीय सेवाओं मे नियोजन के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को आरक्षण की सुविधा प्राप्त करने हेतु (OBC) का जाति प्रमाण पत्र का प्रपत्र।	7549	25.07.2014	507–510
125	राज्य के +2 एवं माध्यमिक विद्यालयों में पढने वाले कक्षा 12वीं, 11वीं, 10वीं, 9वीं एवं 8वीं कक्षा के छात्रों को जाति एवं आवासीय प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराने के संबंध में।	7384	22.07.2014	511–512
126	अन्य पिछड़े वर्गों को भारत सरकार के सिविल (असैनिक) पदों एवं सेवाओं में आरक्षण के लिए प्रमाण पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में।	2632	13.03.2014	513
127	जाति प्रमाण पत्र/स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में।	10555	30.10.2013	514
128	जाति प्रमाण–पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।	6689	24.07.2013	515
129	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–I) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची– II) के अभ्यर्थियों को निर्गत किये जाने वाले जाति प्रमाण पत्र का प्रपत्र।	732	23.01.2013	516–517
130	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–I) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची– II) के अभ्यर्थियों को निर्गत	10007	29.08.2012	518–521

	किये जाने वाले जाति प्रमाण पत्र का प्रपत्र।			
131	अन्य पिछडे वर्गों को भारत सरकार के सिविल (असैनिक) पदों एव सेवाओं में आरक्षण के लिए प्रमाण पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में।	732	25.01.2012	522
132	अन्य पिछडे वर्गों को भारत सरकार के सिविल (असैनिक) पदो एवं सेवाओं में आरक्षण के लिये प्रमाण–पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध मे।	7906	10.12.2011	523–549
133	जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।	5682	22.10.2008	550–553
134	जाति प्रमाण–पत्र निर्गत करने के संबंध में दिशा–निर्देश।	3376	05.06.2008	554–555
135	जाति प्रमाण निर्गत करने हेतु मानक प्रपत्र में अंकित धर्म के कॉलम को हटाने के संबंध में।	6594	11.12.2006	556–557
136	जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु दिये गये अभ्यावेदनों को समय–सीमा के अंदर निष्पादित करने के संबंध में।	5615	17.10.2006	558
137	लोहरा जाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।	355	19.01.2006	559–560
138	जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में दिशा निर्देश।	3557	18.10.2005	561–562
139	जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध मे दिशा निर्देश।	2216	12.07.2005	563–565
140	लोहरा जाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण–पत्र निर्गत करने के संबंध में।	125	15.01.2005	566–567
141	छान–बीन समिति का गठन।	3630	08.07.2004	568–570
142	जति प्रमाण–पत्र निर्गत करने के संबंध मे दिशा निर्देश।	3540	03.07.2004	571–572
143	जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु मानक प्रपत्र का प्रेषण।	2820	28.05.2004	573–574
144	झारखण्ड के स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र धारक आवेदकों द्वारा दूसरे राज्य से लेकर जाति प्रमाण पत्र के मान्यता के सबंध में।	7072	30.12.2003	575–576
145	भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के पत्र संख्या–12016/62/2000(टी0ए0आर0आई0), दिनांक–18.06.2003 के द्वारा प्राप्त अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 को परिचारित करने के संबंध में।	4177	22.07.2003	577–588
146	"स्थानीय निवासी" प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।	4156	17.07.2002	589–591
147	सेवा में भर्ती से संबधित संकल्प संख्या 2989 दिनांक 21.03.1990 को झारखण्ड में अंगीकृत करने के संबंध मे।	3388	22.09.2001	592–596

अध्याय – 5
(क्रीमी लेयर)

क्र0	विषय	ज्ञापांक / पत्रांक	दिनांक	पृष्ठ सं0
148	क्रीमीलेयर हेतु आय का मापदंड।	11305	10.11.2017	597–600
149	केन्द्रीय सेवाओं तथा केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) का जाति प्रमाण पत्र तथा राज्य की सेवाओं राज्य अन्तर्गत शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन के लिए अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 1) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 2) के लिए जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के निमित्त क्रीमीलेयर के निर्धारण हेतु मार्गदर्शन।	8192	18.07.2017	601–602
150	अन्य पिछडे वर्ग (ओ०बी०सी०) के आरक्षण दायरे से सामाजिक रूप से उन्नत व्यक्तियों/वर्गों (सम्पन्न वर्गों) को बाहर रखने के लिए आय के मानदंडों में संशोधन।	5102	13.06.2013	603–605
151	समूह (ग) के सरकारी कर्मी के नन–क्रीमी लेयर स्टेटस के संबंध में स्पष्टीकरण।	2576	20.03.2013	606–611
152	अन्य पिछड़े वर्गों (ओ०बी०सी०) के आरक्षण के दायरे से सामाजिक रूप से उन्नत व्यक्तियों/वर्गों (सम्पन्न वर्गों) को बाहर रखने के लिए आय के मानदण्डों में संशोधन।	7097	30.10.2009	612–614
153	अन्य पिछड़े (ओ०बी०सी०) के आरक्षण दायरे से सामाजिक रूप से उन्नत व्यक्तियों/वर्गों (सम्पन्न वर्गों) को बाहर रखने के लिए आय के मानदण्डों में संशोधन।	701	30.01.2009	615–617
154	पिछड़े वर्गों में क्रीमी लेयर की पहचान के संबंध में।	2818	28.05.2004	618–621
155	पिछड़े वर्गों में क्रीमी लेयर की पहचान के संबंध में।	3482	10.06.2002	622–629

अध्याय – 6
(बैकलॉग रिक्ति)

क्र0	विषय	ज्ञापांक / पत्रांक	दिनांक	पृष्ठ सं0
156	आरक्षित पदों पर नियमित रिक्ति एवं बैकलॉग रिक्ति के अनुसार भर्त्ती की प्रक्रिया के संबंध में।	918	01.02.2012	630–632
157	झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े कोटि के लिए) अधिनियम 2001 की धारा–4 की उपधारा–6 (घ) में निहित प्रावधानों के तहत मुफसिल स्थापना में जिला/प्रमण्डल स्तरीय वर्ग–3 एवं वर्ग–4 के बैकलॉग के पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया	5680	08.10.2003	633–639

अध्याय – 7
(स्थानीयता)

क्र0	विषय	ज्ञापांक / पत्रांक	दिनांक	पृष्ठ सं0
158	राज्य के अनुसूचित जिलों के जिलास्तर के समूह 'ख' के अराजपत्रित तथा समूह 'ग' एवं समूह 'घ' पदों पर नियुक्तियों में संबंधित जिले के स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता देने संबंधी अधिसूचना सं0–5938, दिनांक–14.07.2016 (संकल्प सं0–8468, दिनांक–20.11.2018 द्वारा यथा संशोधित) एवं आदेश सं0–5939, दिनांक–14.07.2016 के आहरण के संबंध में	229	19.01.2022	640–642
159	राज्य के गैर अनुसूचित जिलों के जिला स्तर के समूह 'ख' के अराजपत्रित तथा समूह 'ग' एवं समूह 'घ' के पदों पर नियुक्तियों में संबंधित जिले के स्थानीय निवासियों को एवं राजस्तरीय समूह 'ख' के अराजपत्रित तथा समूह 'ग' एवं समूह 'घ' के पदों पर नियुक्तियों झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता देने संबंधी संकल्प सं0–3854, दिनांक–01.06.2018 (संकल्प सं0–8468, दिनांक–20.11.2018 द्वारा यथासंशोधित) के आहरण के संबंध में	821	05.02.2021	643–645
160	झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में	5752	19.07.2019	646
161	राज्य के अनुसूचित/गैर अनुसूचित जिलों के जिला स्तर के पदों पर नियुक्तियों में संबंधित जिले के स्थानीय निवासियों को एवं राज्य स्तरीय वर्ग 3 एवं वर्ग 4 के पदों पर नियुक्तियों में झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता देने संबंधी अधिसूचना सं0 5938, दिनांक–14.07.2016 एवं संकल्प सं0–3854, दिनांक–01.06.2018 में संशोधन	8468	20.11.2018	647–648
162	राज्य के गैर अनुसूचित जिलों के जिला स्तर के पदों पर नियुक्तियों में संबंधित जिले के स्थानीय निवासियों को एवं राज्य स्तरीय वर्ग 3 एवं वर्ग 4 के पदों पर नियुक्तियों में झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता देने के संबंध में	3854	01.06.2018	649–650
163	झारखण्ड के स्थानीय निवासियों को नियोजन में प्राथमिकता	9567	11.11.2016	651–653
164	अनुसूचित जिलों में स्थानीय निवासी को नियोजन में प्राथमिकता के संबंध में।	5938/ 5939	14.07.2016	654–658
165	झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में	4650	02.06.2016	659–664
166	"झारखण्ड के स्थानीय निवासी" की परिभाषा एवं पहचान	3198	18.04.2016	665–666
167	'स्थानीय व्यक्ति' को परिभाषित करने के संबंध में।	622	21.01.2014	667–669
168	'स्थानीय व्यक्ति' को परिभाषित करने के संबंध में।	1885	09.04.2011	670–671
169	झारखण्ड सरकार के अधीन जिलास्तरीय तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के पदों के विरूद्ध नियोजन	3928	27.06.2008	674

	के संबंध मे नीति निर्धारित करने हेतु एक समिति गठित करने के संबंध मे।			
170	झारखण्ड सरकार के अधीन जिलास्तरीय तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के पदो के विरूद्ध नियोजन के संबंध मे नीति निर्धारित करने हेतु एक समिति गठित करने के संबंध में।	7132	30.12.2002	675–677
171	शिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु "स्थानीय निवासी" प्रमाण–पत्र जारी करने के संबंध में नीति निर्धारण।	2691	29.04.2002	678–681
172	स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा से संबंधित पत्रांक 806 दिनांक 03.03.1982 को अंगीकृत करने के संबंध में।	3389	22.09.2001	682–686

अध्याय – 8

(अन्यान्य)

क्र0	विषय	ज्ञापांक / पत्रांक	दिनांक	पृष्ठ सं0
173	श्री प्रेमचंद मुर्मू, पिता स्व. सुखदेव मांझी (मुर्मू), राँची को छानबीन समिति के सदस्य के रूप मे मनोनीत करने के संबंध में।	9100	09.09.2014	687
174	सीधी भर्त्ती के दौरान अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची– I) / पिछड़ा वर्ग (अनुसूची– II) के अभ्यर्थियों को प्राप्त छूट एवं रियायत के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।	12165	31.10.2012	688–699
175	सवर्ण हिन्दु पिता और अनुसूचित जनजाति / अनुसूचित जाति की माता से उत्पन्न संतान को अनुसूचित जनजाति / अनुसूचित जाति का निर्धारण करने के संबंध मे।	40	03.01.2007	692–693
176	राज्य के नियंत्रणाधीन सेवाओं में पिछड़े वर्ग के रूप में किसी जाति को शामिल करने के लिए राज्य सरकार को परामर्श प्रदान करने हेतु राँची स्थित झारखंड जनजाति कल्याण शोध संस्थान रांची को अधिकृत करने के संबंध में।	4268	29.11.2001	694–700

खण्ड–2

(भाग–'क')

अध्याय–1

(पदों एवं सेवाओं में आरक्षण)

3626
14/06/2022

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

विषय : "घुनिया (कैबर्त्त)" जाति को राज्य के अत्यन्त पिछड़े वर्गो की सूची (अनुसूची–1) के क्रमांक–11 पर दर्ज "केवर्त्त, माहिस्य" के बाद दर्ज करने के संबंध में।

झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गो के लिए) अधिनियम 2001 में संधारित तथा समय–समय पर यथासंशोधित अत्यन्त पिछड़े वर्गो के सूची (अनुसूची–1) के क्रमांक–11 पर "केवर्त्त, माहिस्य (Mahisya)" समाविष्ट है।

2. झारखण्ड पिछड़े वर्गो के लिए राज्य आयोग अधिनियम 2002 की धारा–9 (1) के अधीन पिछड़े वर्गो के लिए राज्य आयोग, झारखण्ड, राँची से प्राप्त प्रतिवेदन में "घुनिया (कैबर्त्त)" जाति को राज्य के अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–1) के क्रमांक–11 पर दर्ज "केवर्त्त, माहिस्य" के बाद शामिल किये जाने की सलाह निम्नवत् दी गयी है :–

"आयोग की खण्डपीठ, प्रश्नावली तथा जाँच प्रतिवेदन के आधार पर संग्रहीत, सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक स्थिति की सूचनाओं, तथ्यों एवं गवाहों के बयानों तथा स्थानीय पदाधिकारियों के बयानों को देखते हुए आयोग राज्य सरकार को यह सलाह/परामर्श देती है कि घुनिया (कैबर्त्त) जाति को झारखण्ड राज्य के पिछड़े वर्गो की सूची (अनुसूची–I) के क्रमांक–11 पर दर्ज केवर्त्त, माहिस्य जाति के बाद जाति घुनिया (कैबर्त्त) को समावेशित किया जाय।"

3. सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार को इस बात का समाधान हो गया है कि "घुनिया (कैबर्त्त)" जाति अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–1) में सम्मिलित करने के योग्य है। अतः "घुनिया (कैबर्त्त)" जाति को राज्य के अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–1) के क्रमांक–11 पर दर्ज "केवर्त्त, माहिस्य (Mahisya)" के बाद निम्नवत् सम्मिलित किया जाता हैः–

क्रमांक	वर्तमान प्रविष्टि	संशोधित प्रविष्टि
11	केवर्त्त, माहिस्य (Mahisya)	केवर्त्त, माहिस्य, घुनिया (कैबर्त्त)

आदेश : आदेश दिया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में झारखण्ड पदों एंव सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की अनुसूची–1 का सुसंगत अंश इस हद तक संशोधित माना जायेगा।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति को झारखण्ड राजपत्र में जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

10.6.22
(वंदना दादेल)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–14 / जा0नि0–03–19 / 2018 का०– 3626 / रांची, दिनांक 14/06/2022

प्रतिलिपि :– महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव / मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, राँची / निबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची / महाधिवक्ता, झारखण्ड / मुख्य सचिव के सचिव / सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्य‍क्ष / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी उपायुक्त / सदस्य सचिव, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों / राज्य के सभी लोक उपक्रमों / निगमों / निकायों / परिषदों / विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों / विद्यालयों को इस निर्णय से अवगत कराने की कृपा की जाय।

10.6.22

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–14 / जा0नि0–03–19 / 2018 का०– 3626 / रांची, दिनांक 14/06/2022

प्रतिलिपि :– सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची / सचिव, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची / सचिव, झारखण्ड संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, राँची / निदेशक, डॉ0 रामदयाल मुण्डा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10.6.22

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–14 / जा0नि0–03–19 / 2018 का०– 3626 / रांची, दिनांक 14/06/2022

प्रतिलिपि :– सदस्य सचिव, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, त्रिकुट–1, भिखाजी कामा पैलेस, नई दिल्ली–110066 / निदेशक (एस0 सी0 डी0), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि झारखण्ड राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग की केन्द्रीय सूची में सम्मिलित करने के संबंध में यथा स्थिति कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

10.6.22

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–14 / जा0नि0–03–19 / 2018 का०– 3626 / रांची, दिनांक 14/06/2022

प्रतिलिपि :– सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई–गवर्नेन्स विभाग, झारखण्ड, राँची / राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, झारखण्ड, राँची को तदनुसार ऑन–लाईन जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने सम्बन्धी राज्य के पिछड़े वर्गों की सूची में वांछित परिवर्द्धन करने हेतु अग्रसारित।

10.6.22

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–14 / जा0नि0–03–19 / 2018 का०– 3626 / रांची, दिनांक 14/06/2022

प्रतिलिपि :– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

10.6.22

सरकार के प्रधान सचिव।

2198 (ग)
06/04/2022

झारख्रण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

विषय : **''कुरमी'' जाति को झारखण्ड राज्य के अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची 1) के क्रमांक 06 पर दर्ज ''कुड़मी/कुर्मी (महतो)'' के साथ शामिल करने के संबंध में।**

झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गो के लिए) अधिनियम, 2001 (यथासंशोधित) की धारा–2 में अत्यन्त पिछड़े वर्गों एवं पिछड़े वर्गों को परिभाषित किया गया है तथा इसमें सम्मिलित वर्ग को इस अधिनियम की अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 में क्रमशः विनिर्दिष्ट किया गया है।

2. उक्त अधिनियम की धारा–14 (अ) में अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 में उल्लेखित किसी जाति/वर्ग को जोड़ने या हटाने की शक्ति राज्य सरकार को प्रदत है।

3. पिछड़े वर्गो के लिए राज्य आयोग द्वारा राज्य सरकार को दी गई सलाह/परामर्श कि ''कुरमी'' को झारखण्ड राज्य के अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–1) के क्रमांक–06 में दर्ज जाति ''कुड़मी/कुर्मी (महतो) के साथ ''कुड़मी/कुर्मी (महतो)/कुरमी'' Kudmi/Kurmi(Mahto)/ Kurmi के रुप में दर्ज किया जाय, के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि झारखण्ड राज्य के अत्यन्त पिछड़े वर्गो की सूची (अनुसूची–1) का क्रमांक 06 निम्नरूपेण परिवर्द्धित की जायः–

परिवर्द्धित स्वरुप निम्न प्रकार है :–

क्रमांक–06 – कुड़मी/कुर्मी (महतो)/कुरमी

Kudmi/Kurmi(Mahto)/ Kurmi

आदेश : आदेश दिया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में झारखण्ड पदों एंव सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गो के लिए) अधिनियम, 2001 की अनुसूची–1 का सुसंगत अंश इस हद तक संशोधित माना जायेगा।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति झारखण्ड राजपत्र में जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

6.4.22
(वंदना द..ल)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–14 / जा0नि0–03–02 / 2020 (खण्ड) का०– 2198 / रांची, दिनांक 06/04/2022

प्रतिलिपि :– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

6.4.22

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–14 / जा0नि0–03–02 / 2020 (खण्ड) का०– 2198 / रांची, दिनांक 06/04/2022

प्रतिलिपि :– महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव / मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, राँची / निबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची / सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची / सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / मुख्य सचिव के सचिव / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी उपायुक्त / सदस्य सचिव, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों / राज्य के सभी लोक उपक्रमों / निगमों / निकायों / परिषदों / विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों / विद्यालयों को इस निर्णय से अवगत कराने की कृपा की जाय।

6.4.22

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–14 / जा0नि0–03–02 / 2020 (खण्ड) का०– 2198 / रांची, दिनांक 06/04/2022

प्रतिलिपि :– सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग / सचिव, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6.4.22

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–14 / जा0नि0–03–02 / 2020 (खण्ड) का०– 2198 / रांची, दिनांक 06/04/2022

प्रतिलिपि :– सदस्य सचिव, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, त्रिकुट–1, भिखाजी कामा पैलेस, नई दिल्ली–110066 / निदेशक (एस0 सी0 डी0), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि झारखण्ड राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग की केन्द्रीय सूची में सम्मिलित करने के संबंध में यथा स्थिति कार्रवाई की जाय।

6.4.22

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–14 / जा0नि0–03–02 / 2020 (खण्ड) का०– 2198 / रांची, दिनांक 06/04/2022

प्रतिलिपि :– सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई–गवर्नेन्स विभाग, झारखण्ड, राँची / राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, राँची को तद्नुसार ऑन–लाईन जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने सम्बन्धी पिछड़े वर्गों की सूची परिवर्द्धित करने हेतु अग्रसारित।

6.4.22

सरकार के प्रधान सचिव।

(221)

पत्रांक : 14/आ0नी0–04–08/2021 का0 8281 /

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

वंदना दादेल,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सचिव,
झारखण्ड लोक सेवा आयोग/झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग,
परीक्षा नियंत्रक,
झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, राँची।

राँची, दिनांक– 03.12.2021

विषयः– झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 के अन्तर्गत सीधी भर्ती हेतु सभी नियुक्तियों में झारखण्ड राज्य के अनारक्षित एवं आरक्षित कोटि के महिला उम्मीदवारों को देय क्षैतिज आरक्षण के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की धारा 4(2)(क)(ii) के अन्तर्गत सीधी भर्ती हेतु सभी नियुक्तियों में झारखण्ड राज्य के अनारक्षित एवं आरक्षित कोटि के महिला उम्मीदवारों को 5% क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य है। इस क्षैतिज आरक्षण की गणना में प्रत्येक कार्यालय द्वारा एकरूपता बरतने के उद्देश्य से विभाग के स्तर से एक स्पष्टीकरण निर्गत किया जाना विचाराधीन था।

सम्यक् विचारोपरान्त Miscellenious Application no 2641/2019 in SLP (C) No.-23223/2018, सौरभ यादव एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य में दिनांक–18.12.2020 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्याय निर्णय के अनुरूप झारखण्ड राज्य में भी महिलाओं को देय क्षैतिज आरक्षण के प्रावधान को लागू करने का निर्णय लिया गया है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्याय निर्णय के संबंधित अंश का उद्धरण सुलभ प्रसंग हेतु निम्न रूपेण अंकित किया जा रहा है–

"36. Finally, we must say that the steps indicated by the High Court of Gujarat in para 56 of its judgment in ***Tamannaben Ashokbhai Desai*** contemplate the correct and appropriate procedure for considering and giving effect to both *vertical* and *horizontal reservations.* The illustration given by us deals with only one possible dimension. There could be multiple such possibilities. Even going by the present illustration, the first female candidate allocated in the vertical column for Scheduled Tribes may have secured higher position than the candidate at Serial No.64. In that event said candidate must be shifted from the category of Scheduled Tribes to Open / General category causing a resultant vacancy in the vertical column of Scheduled Tribes. Such vacancy must then enure to the benefit of the candidate in the Waiting List for Scheduled Tribes – Female. The steps indicated by Gujarat High Court will take care of every such possibility. It is true that the exercise of laying down a procedure must necessarily be left to the concerned authorities but we may observe that one set out in said judgment will certainly satisfy all claims and will not lead to any incongruity as highlighted by us in the preceding paragraphs."

Tamannaben Ashokbhai Desai vs. Shital Amrutlal Nishar मामले में पारित पैरा 56 का उद्धरण–

"**56.** For the future guidance of the State Government, we would like to explain the proper and correct method of implementing horizontal reservation for women in a more lucid manner.

"PROPER AND CORRECT METHOD OF IMPLEMETING HORIZONTAL RESERVATION FOR WOMEN.

No. of posts available for recruitment.	 100
Social Reservation quota (49%)	
Open Competition (OC)	 51
Scheduled Caste (SC)	 12
Scheduled Tribe (ST)	17
Socially and Educationally Backward Classes (SEBC)	20
Horizontal Reservation for Women (33% in each of the above categories)	
OC	17
SC	04
ST	06
SEBC	07

Step 1: Draw up a list of at least 100 candidates (usually a list of more than 100 candidates is prepared so that there is no shortfall of appointees when some candidates don't join after offer) qualified to be selected in the order of merit. This list will contain the candidates belonging to all the aforesaid categories.

Step 2: From the aforesaid Step 1 List, draw up a list of the first 51 candidates to fill up the OC quota (51) on the basis of merit. This list of 51 candidates may include the candidates belonging to SC, ST and SEBC.

Step 3: Do a check for horizontal reservation in OC quota. In the Step 2 List of OC category, if there are 17 women (category does not matter), women's quota of 33% is fulfilled. Nothing more is to be done. If there is a shortfall of women (say, only 10 women are available in the Step 2 List of OC category), 7 more women have to be added. The way to do this is to, first, delete the last 7 male candidates of the Step 2 List. Thereafter, go down the Step 1 List after item no. 51, and pick the first 7 women (category does not matter). As soon as 7 such women from Step 1 List are found, they are to be brought up and added to the Step 2 List to make up for the shortfall of 7 women. Now, the 33% quota for OC women is fulfilled. List of OC category is to be locked. Step 2 List list becomes final.

Step 4: Move over to SCs. From the Step 1 List, after item no. 51, draw up a list of 12 SC candidates (male or female). These 12 would also include all male SC candidates who got deleted from the Step 2 List to make up for the shortfall of women.

Step 5: Do a check for horizontal reservation in the Step 4 List of SCs. If there are 4 SC women, the quota of 33% is complete. Nothing more is to be done. If there is a shortfall of SC women (say, only 2 women are available), 2 more women have to be added. The way to do this is to, first, delete the last 2 male SC candidates of the Step 4 List and then to go down the Step 1 List after item no. 51, and pick the first 2 SC women. As soon as 2 such SC women in Step 1 List are found, they are to be brought up and added to the Step 4 List of SCs to make up for the shortfall of SC women. Now, the 33% quota for SC women is fulfilled. List of SCs is to be locked. Step 4 List becomes final. If 2 SC women cannot be found till the last number in the Step 1 List, these 2 vacancies are to be filled up by SC men. If in case, SC men are also wanting, the social reservation quota of SC is to be carried

(219)

forward to the next recruitment unless there is a rule which permits conversion of SC quota to OC.
Step 6: Repeat steps 4 and 5 for preparing list of STs.
Step 7: Repeat steps 4 and 5 for preparing list of SEBCs."

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्याय निर्णय के अनुरूप महिलाओं को राज्य में अनुमान्य 5% का क्षैतिज आरक्षण का लाभ दिया जाना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

3.12.21
(वंदना दादेल)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांकः–14/आ0नी0–04–08/2021 का0 8281 / राँची, दिनांक– 03.12.2021

प्रतिलिपिः– सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/प्रमण्डलीय आयुक्त/उपायुक्त को सूचना एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

3.12.21
सरकार के प्रधान सचिव।

पत्रांक : 14 / जा0नि0–03–19 / 2018 का0.....93.......

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

निदेशक,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय,
भारत सरकार,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली–110011

राँची, दिनांक....06/01/2021

विषय :– झारखण्ड राज्य के अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची 1) के क्रमांक 11 पर दर्ज केवर्त्त, माहिस्य के बाद घुनिया (कैबर्त्त) को समावेशित करने के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 2001 में संधारित तथा समय–समय पर यथासंशोधित अत्यन्त पिछड़े वर्गों के सूची (अनुसूची–1) के क्रमांक–11 पर "केवर्त्त, माहिस्य (Mahisya)" समाविष्ट है।

2. उक्त अधिनियम की धारा–14 (अ) में अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 में उल्लेखित किसी जाति / वर्ग को जोड़ने या हटाने की शक्ति राज्य सरकार को प्रदत्त है।

3. कतिपय स्त्रोतों से प्राप्त मांग के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, झारखण्ड, राँची से "घुनिया (कैबर्त्त)" जाति को राज्य के पिछड़े वर्गों की सूची मे शामिल करने के सम्बन्ध में प्रतिवेदन की मांग की गयी।

4. झारखण्ड पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग अधिनियम 2002 की धारा–9 (1) के अधीन पिछडे वर्गों के लिए राज्य आयोग, झारखण्ड, राँची से एक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें "घुनिया (कैबर्त्त)" जाति को राज्य के अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–1) के क्रमांक–11 पर दर्ज "केवर्त्त, माहिस्य" के बाद शामिल किये जाने की सलाह दी गयी है।

5. आयोग की सलाह निम्नवत् है:–

"08. **आयोग की सलाह :–**

आयोग की खण्डपीठ, प्रश्नावली तथा जाँच प्रतिवेदन के आधार पर सग्रहीत, सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक स्थिति की सूचनाओं, तथ्यों एवं गवाहों के बयानों तथा स्थानीय पदाधिकारियों के बयानों को देखते हुए आयोग राज्य सरकार को यह सलाह / परामर्श देती है कि धुनिया (कैबर्त्त) जाति को झारखण्ड राज्य के पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–I) के क्रमांक–11 पर दर्ज केवर्त्त, माहिस्य जाति के बाद जाति घुनिया (कैबर्त्त) को समावेशित किया जाय।"

6. संविधान (102वे सशोधन) अधिनियम, 2018 के आलोक मे झारखण्ड पदों एव सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की धारा 14(अ) द्वारा किसी जाति को अनुसूची–1 अथवा 2 मे जोड़ने संबंधी राज्य सरकार की शक्ति में संबंध मे विद्वान महाधिवक्ता के मंतव्य का प्रासंगिक अंश निम्नवत है:–

"After coming into effect of One Hundred and Second amendment and Article 342A, the State Govt now cannot enact a law by specifying any backward classes in relation to the State of

Jharkhand and Parliament alone is empowered under Article 342 A to specify the list of the cast which may be considered as socially and educationally backward classes.

However, it appears that under the provisions of Article 342A(1) no such notification has been issued by the Central Govt. specifying socially and educationally backward classes in relation to the State of Jharkhand.

Thus a moment notification is issued under Article 342A(1), then that will for all purposes supersede any other notification under any state enactment existing in the State of Jharkhand. However, a gap in law cannot be left to perpetuate a vaccum and therefore till such time notification under Article 342A(1) is issued, the State may continue to consider the list of backward class/most backward classes in Schedule 1 of the Jharkhand Pado avam Sevao main riktiyo mein aaraskhan (Anusuchit Jation, Anusuchit Janjatiyon avom Pichre Wargon) Adhiniyam, 2001 for public employment.

The State is not empowered under Section 14(a) to include/exclude any caste from the list so enacted earlier prior to coming into effect of the One Hundred and Second amendment in the Constitution."

7. उपर्युक्त तथ्यों के संदर्भ में पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, झारखण्ड से प्राप्त सलाह/परामर्श के आलोक में झारखण्ड राज्य के अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची 1) के क्रमांक 11 पर दर्ज केवर्त, माहिस्य के बाद घुनिया (कैबर्त्त) को समावेशित करने की अनुशंसा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार से किए जाने का निर्णय राज्य मंत्रिपरिषद् द्वारा लिया गया है।

अतः अनुरोध है कि झारखण्ड राज्य के अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची 1) के क्रमांक 11 पर दर्ज केवर्त, माहिस्य के बाद घुनिया (कैबर्त्त) को समावेशित करने के संबंध में यथास्थिति कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

(अजय कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव।

(67)

संचिका सं0–14 / जा0नि0–03–08 / 2015 का.– 8137 9.10.19

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

विषय : "सुमंडल / मंडल" जाति को राज्य के अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–1) के क्रमांक–122 पर "सूढ़ी" जाति के प्रकोष्ठ में शामिल करने के संबंध में।

झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की धारा–2 में अत्यन्त पिछड़े वर्गों एवं पिछड़े वर्गों को परिभाषित किया गया है तथा इसमें सम्मिलित वर्ग को इस अधिनियम की अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 में क्रमशः विनिर्दिष्ट किया गया है।

2. उक्त अधिनियम की धारा–14 (अ) में अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 में उल्लिखित किसी जाति / वर्ग को जोड़ने या हटाने की शक्ति राज्य सरकार को प्रदत है।

3. पिछड़े वर्गो के लिए राज्य आयोग द्वारा राज्य सरकार को दी गई सलाह / परामर्श कि "सुमंडल एवं मंडल जाति को झारखण्ड राज्य के अत्यन्त पिछड़े वर्गो की सूची (अनुसूची–1) के क्रमांक–122 पर दर्ज सुढ़ी जाति के प्रकोष्ठ में शौन्डीक के बाद सुमंडल / मंडल दर्ज किया जाय " के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राज्य के "सुमंडल / मंडल" जाति को राज्य के अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–1) के क्रमांक–122 पर दर्ज " सूढ़ी (सूड़ी, सूंडी / सूंडी चासा / शुन्डीक वैश / शौन्डीक)" के साथ कोष्टक में निम्नवत सम्मिलित किया जायः–

परिवर्द्धित स्वरुप निम्न प्रकार है :–

क्रमांक	वर्तमान प्रविष्टि	संशोधित प्रविष्टि
122	सूढ़ी (सूड़ी, सूंडी / सूंडी चासा / शुन्डीक वैश / शौन्डीक)	सूढ़ी (सूड़ी,सूंडी / सूंडी चासा / शुन्डीक वैश / शौन्डीक / सुमंडल / मंडल)

आदेश : आदेश दिया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में झारखण्ड पदों एंव सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गो के लिए) अधिनियम, 2001 की अनुसूची–1 का सुसंगत अंश इस हद तक संशोधित माना जायेगा।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति झारखण्ड राजपत्र में जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

09/10/2019

(चन्द्र भूषण प्रसाद)

सरकार के उप सचिव।

कृ0पृ0उ0

66

ज्ञापांक–14 / जा0नि0–03–08 / 2015 का॰– 8137 / रांची, दिनांक 9.10.19

प्रतिलिपि :– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

09/10/2019

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–14 / जा0नि0–03–08 / 2015 का॰– 8137 / रांची, दिनांक 9.10.19

प्रतिलिपि :– महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव / मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, राँची / सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची / रजिस्ट्रार, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची / महाधिवक्ता, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची / सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / मुख्य सचिव के सचिव / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी उपायुक्त / सदस्य सचिव, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों / राज्य के सभी लोक उपक्रमों / निगमों / निकायों / परिषदों / विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों / विद्यालयों को इस निर्णय से अवगत कराने की कृपा की जाय।

09/10/2019

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–14 / जा0नि0–03–08 / 2015 का॰– 8137 / रांची, दिनांक 9.10.19

प्रतिलिपि :– सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग / सचिव, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग / परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

09/10/2019

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–14 / जा0नि0–03–08 / 2015 का॰– 8137 / रांची, दिनांक 9.10.19

प्रतिलिपि :– सदस्य सचिव, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, त्रिकुट–1, भिखाजी कामा पैलेस, नई दिल्ली–110066 / निदेशक (एस0 सी0 डी0), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि झारखण्ड राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग की केन्द्रीय सूची में सम्मिलित करने के संबंध में यथा स्थिति कार्रवाई की जाय।

09/10/2019

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–14 / जा0नि0–03–08 / 2015 का॰– 8137 / रांची, दिनांक 9.10.19

प्रतिलिपि :– राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, राँची को तद्नुसार ऑन–लाईन जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने सम्बन्धी पिछड़े वर्गों की सूची प्रविर्द्धित करने हेतु प्रेषित।

09/10/2019

सरकार के उप सचिव।

सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

12 आश्विन, 1941 (श०)

संख्या- 770 राँची, शुक्रवार, 4 अक्टूबर, 2019 (ई०)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

26 सितम्बर, 2019

संख्या-एल०जी०-24/2018-285/लेज०--झारखंड विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर माननीया राज्यपाल दिनांक-19/09/2019 को अनुमति दे चूँकि है, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण
(अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) (संशोधन) अधिनियम, 2019
(झारखण्ड अधिनियम-13, 2019)

विषय सूची

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ

2. झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछडे वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 में संशोधन करते हुए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यन्त पिछडा वर्ग (अनुसूची 1)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 2) को छोड़कर अन्य वर्गों के आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग हेतु आरक्षण प्रावधानित करने के संबंध में ।

झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 में संशोधन हेतु अधिनियम, 2019

झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 में संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के 70वें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा यह निम्नलिखित रुप में अधिनियमित हो:-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।**

(1) यह अधिनियम "झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गो के लिए) संशोधन अधिनियम, 2019" कहलाएगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण राज्य मे होगा।

(3) राज्य स्तरीय पदों पर नियुक्ति के मामले में यह अधिनियम तत्काल प्रभावी होगा किन्तु जिला स्तरीय पदों पर नियुक्ति के मामले में यह उस तिथि से प्रवृत्त होगा, जो तिथि राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशन के द्वारा नियत करे।

2. "झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की धारा 1 (1) अब निम्नवत् प्रतिस्थापित होगी:-

(1) यह अधिनियम झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अधिनियम, 2001 कहलायेगा।

3. झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 के मूल अधिनियम की धारा 2(च) अब निम्नवत् प्रतिस्थापित की जायेगी:-

2(च) "आरक्षण" से अभिप्रेत है अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 1)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 2) एवं आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के लिए पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण।

4. झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 के मूल अधिनियम की धारा 2(झ) अब निम्नवत् प्रतिस्थापित की जायेगी:-

(1778)

2(झ) "आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग" से अभिप्रेत है; राज्य सरकार द्वारा पारिवारिक आय एवं आर्थिक प्रतिकूलता के अन्य संकेतकों के आधार पर समय-समय पर यथा अधिसूचित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 1)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 2) को छोड़कर अन्य वर्गों के आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग।

5. झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 के मूल अधिनियम की धारा 4(1) एवं 4(2) के प्रावधान को विलोपित करते हुए उसे निम्न् रूप से प्रतिस्थापित किया जाएगाः-

4(1) किसी स्थापना में सेवाओं और पदों की सभी नियुक्तियाँ, जो सीधी भर्ती के द्वारा भरी जाने वाली हो, निम्नलिखित रूप से विनियमित की जाएगी, यथा-

(क)	खुली गुणागुण (मेरिट) कोटि से	-	40 प्रतिशत
(ख)	आरक्षित कोटि से	-	60 प्रतिशत

4(2) आरक्षित कोटि की 60 प्रतिशत में से आरक्षित उम्मीदवारों की विभिन्न कोटियों की रिक्तियाँ निम्न रूपेण होंगी:-

(क)	अनुसूचित जाति	-	10 प्रतिशत
(ख)	अनुसूचित जनजाति	-	26 प्रतिशत
(ग)	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 1)	-	08 प्रतिशत
(घ)	पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 2)	-	06 प्रतिशत
(ङ)	आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग (उपर्युक्त कंडिका (क), (ख), (ग) एवं (घ) में अंकित वर्गों को छोड़कर)	-	10 प्रतिशत
	कुल	-	**60 प्रतिशत**

4(2)(क) सीधी भर्ती हेतु सभी नियुक्तियों में झारखण्ड राज्य के अनारक्षित एवं आरक्षित कोटि के उम्मीदवारों के लिए निम्न प्रकार से क्षैतिज आरक्षण विनियमित होगा:-

(i) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (वर्ष 2016 का अधिनियम संख्यांक-49) की धारा-34(1) के तहत राज्य की सभी स्थापनाओं में नियुक्ति के मामले में दिव्यांग-जनों के लिए राज्य सरकार द्वारा समय समय पर यथानिर्धारित आरक्षण।

(ii) महिलाओं के लिए - 5 प्रतिशत

परन्तु, यह कि राज्य सरकार झारखण्ड राजपत्र में अधिसूचना जारी कर जिलों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार विभिन्न जिलों के लिए विभिन्न प्रतिशत नियत कर सकेगी;

परन्तु, यह और कि प्रोन्नति के मामले में केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए इस धारा के अधीन यथा उपबंधित अनुपात में आरक्षण किया जाएगा।

6. झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2019 एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है, परन्तु ऐसे निरसन के बावजूद उक्त अध्यादेश के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गयी कार्रवाई इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गयी समझी जाएगी, मानों यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गयी थी।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

प्रदीप कुमार श्रीवास्तव
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 770 -- 50

सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

17 आषाढ़, 1941 (श०)

संख्या- 523 राँची, सोमवार, 08 जुलाई, 2019 (ई०)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

8 जुलाई, 2019

संख्या-एल0०जी०-24/2018-259/लेज०-- झारखंड सरकार का निम्नलिखित अध्यादेश जिस पर माननीया राज्यपाल दिनांक-08/07/2019 को अनुमति दे चुकीं है, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2019

(झारखण्ड अध्यादेश, 02, 2019)

<u>प्रस्तावना</u>

चूँकि झारखण्ड विधान सभा सत्र में नहीं है;

और चूँकि, झारखण्ड राज्यपाल को समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (झारखण्ड अध्यादेश-

01, 2019), जिसके द्वारा झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 में संशोधन किया गया था, को प्रत्याहरित कर नया अध्यादेश प्रख्यापित करना आवश्यक हो गया है;

इसलिए अब भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ-

(1) यह अध्यादेश "झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2019" कहलाएगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण राज्य में होगा।

(3) राज्य स्तरीय पदों पर नियुक्ति के मामले में यह अध्यादेश तुरंत प्रभावी होगा किन्तु जिला स्तरीय पदों पर नियुक्ति के मामले में यह उस तिथि को प्रवृत्त होगा, जो तिथि राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशन के द्वारा नियत करे।

2. "झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की धारा 1 (1) अब निम्नवत् प्रतिस्थापित होगी:-

(1) यह अधिनियम झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अधिनियम, 2001 कहलायेगा।

3. झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 के मूल अधिनियम की धारा 2(च) अब निम्नवत् प्रतिस्थापित की जायेगी:-

2(च) "आरक्षण" से अभिप्रेत है अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 1)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 2) एवं आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के लिए पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण।

4. झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 के मूल अधिनियम की धारा 2(झ) अब निम्नवत् प्रतिस्थापित की जायेगी:-

2(झ) "आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग" से अभिप्रेत है; राज्य सरकार द्वारा पारिवारिक आय एवं आर्थिक प्रतिकूलता के अन्य संकेतकों के आधार पर समय-समय पर यथा अधिसूचित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 1)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 2) को छोड़कर अन्य वर्गों के आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग।

5. झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 के मूल अधिनियम की धारा 4(1) एवं 4(2) के प्रावधान को विलोपित करते हुए उसे निम्न रूप से प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

4(1) किसी स्थापना में सेवाओं और पदों की सभी नियुक्तियाँ, जो सीधी भर्ती के द्वारा भरी जाने वाली हो, निम्नलिखित रूप से विनियमित की जाएगी, यथा-

(क)	खुली गुणागुण (मेरिट) कोटि से	-	40 प्रतिशत
(ख)	आरक्षित कोटि से	-	60 प्रतिशत

4(2) आरक्षित कोटि की 60 प्रतिशत में से आरक्षित उम्मीदवारों की विभिन्न कोटियों की रिक्तियाँ निम्न रूपेण होंगी:-

(क)	अनुसूचित जाति	-	10 प्रतिशत
(ख)	अनुसूचित जनजाति	-	26 प्रतिशत
(ग)	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 1)	-	08 प्रतिशत
(घ)	पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 2)	-	06 प्रतिशत
(ङ)	आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग (उपर्युक्त कंडिका (क), (ख), (ग) एवं (घ) में अंकित वर्गों को छोड़कर)	-	10 प्रतिशत
		कुल	60 प्रतिशत

4(2)(क) सीधी भर्ती हेतु सभी नियुक्तियों में झारखण्ड राज्य के अनारक्षित एवं आरक्षित कोटि के उम्मीदवारों के लिए निम्न प्रकार से क्षैतिज आरक्षण विनियमित होगा:-

(i) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (वर्ष 2016 का अधिनियम संख्यांक-49) की धारा-34(1) के तहत राज्य की सभी स्थापनाओं में नियुक्ति के मामले में दिव्यांग-जनों के लिए राज्य सरकार द्वारा समय समय पर यथानिर्धारित आरक्षण।

(ii) महिलाओं के लिए - 5 प्रतिशत

परन्तु, यह कि राज्य सरकार झारखण्ड राजपत्र में अधिसूचना जारी कर जिलों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार विभिन्न जिलों के लिए विभिन्न प्रतिशत नियत कर सकेगी;

परन्तु, यह और कि प्रोन्नति के मामले में केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए इस धारा के अधीन यथा उपबंधित अनुपात में आरक्षण किया जाएगा।

6. झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) (संशोधन) अध्यादेश, 2019 एतद् द्वारा प्रत्याहरित किया जाता है, परन्तु ऐसे प्रत्याहरण के बावजूद उक्त अध्यादेश के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गयी कार्रवाई इस अध्यादेश के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गयी समझी जाएगी, मानों यह अध्यादेश उस दिन प्रवृत्त था जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गयी थी।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

प्रदीप कुमार श्रीवास्तव,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 523 -- 50

(185)

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

विषय : **केन्द्र एवं झारखण्ड सरकार की सिविल सेवाओं एवं पदों पर सीधी नियुक्तियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण संबंधी आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण–पत्र जारी करने के सम्बन्ध में।**

भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के ज्ञापन संख्या–36039/1/2019–स्था.(आ0) दिनांक 19.01.2019 के द्वारा सिविल पदों एवं सेवाओं में सीधी भर्ती हेतु आरक्षण स्कीम अन्तर्गत एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0 के लिए आरक्षण में अनाच्छादित आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग को आरक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में कतिपय निदेश जारी किए गए हैं। पुनः भारत सरकार के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन दिनांक 31.01.2019 के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के लिए आरक्षण लागू करने हेतु विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं।

2. राज्य सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के लिए आरक्षण के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों को आवश्यक अनुकूलनोपरान्त कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या–1433 दिनांक 15.02.2019 द्वारा अंगीकृत किया गया है। साथ ही विभागीय संकल्प सं0–1434, दिनांक–15.02.2019 द्वारा राज्य स्तरीय विनिर्दिष्ट शिक्षण संस्थानों में नामांकन में भी आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग हेतु 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

3. उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार के कतिपय संस्थानों यथा–रेलवे, एन0टी0पी0सी0 आदि द्वारा नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित किए गए हैं। राज्य में भी झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा चिकित्सा महाविद्यालयों में चिकित्सकों की नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। साथ ही विभिन्न केन्द्रीय एवं राज्य स्तर के शैक्षणिक संस्थानों में नए सत्र में नामांकन कार्य प्रारम्भ हो रहा है। उक्त सभी विज्ञापनों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। झारखण्ड राज्य में निवासित आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के संस्थानों में नियोजन एवं नामांकन में आरक्षण के अवसर का लाभ मिल सके, इसके लिए आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करना आवश्यक है।

4. उक्त के प्रसंग में कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के पत्रांक– 36039/2/2019-Estt (Res) दिनांक 27.03.2019 द्वारा यह निदेशित किया गया है कि भारत सरकार के दिनांक 31.01.2019 के कार्यालय ज्ञापन के कडिका–5.2 के आलोक में प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले पदाधिकारी सम्बन्धित दस्तावेज

की भली–भाँति राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार जाँच कर प्रमाण पत्र निर्गत कर सकेंगे। इस तरह भारत सरकार से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार कार्रवाई करने का निदेश प्राप्त है।

5. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार कार्रवाई कर प्रमाण पत्र निर्गत करने के भारत सरकार के निदेश के आलोक में जहाँ तक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण प्राप्त करने हेतु आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण–पत्र के प्रपत्र में निवास के बिन्दु का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में विभागीय संकल्प संख्या–3198 दिनांक 18.04.2016 में निर्धारित "झारखण्ड के स्थानीय निवासी" की परिभाषा एवं पहचान से सम्बन्धित मानदण्डों/शर्तों को अंगीकृत कर यह प्रमाण पत्र अगले आदेश तक के लिए निर्गत किए जाने का निर्णय लिया गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण प्राप्त करने हेतु आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए सक्षम प्राधिकार तद्नुसार आय एवं परिसम्पति प्रमाण पत्र निर्गत करेंगे।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति झारखण्ड राजपत्र में जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

Mahate 16/05/19

(एस० के० जी० रहाटे)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–14/आ०नी०–04–03/2019 का॰– 3763 /रांची, दिनांक 16.05.19

प्रतिलिपि :– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

Mahate 16/05/19

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–14/आ०नी०–04–03/2019 का॰– 3763 / रांची, दिनांक 16.05.19

प्रतिलिपि :– महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, राँची/सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची/महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/मुख्य सचिव के सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/निःशक्तता आयुक्त, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों/राज्य के सभी लोक उपक्रमों/निगमों/निकायों/परिषदों/विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/विद्यालयों को इस निर्णय से अवगत कराने की कृपा की जाय।

Mahate 16/05/19

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–14/आ०नी०–04–03/2019 का॰– 3763 / रांची, दिनांक 16.05.19

प्रतिलिपि :– सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची / सचिव, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Mahate 16/05/19

सरकार के प्रधान सचिव।

(122)

सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

6 फाल्गुन, 1940 (श०)

संख्या- 147 राँची, सोमवार, 25 फरवरी, 2019 (ई०)

विधि विभाग

अधिसूचना

25 फरवरी, 2019

संख्या-एल० जी०-24/2018-248 /लेज०,-- झारखंड सरकार का निम्नलिखित अध्यादेश, जिस पर माननीया राज्यपाल दिनांक-22.02.2019 को अनुमति दे चुकी है, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सुचना के लिए प्रकाशित किया जाता है |

झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछडे वर्गों के लिए) (संशोधन) अध्यादेश, 2019

(झारखंड अध्यादेश-01, 2019)

झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 में संशोधन करने हेतु अध्यादेश

प्रस्तावना

चूँकि झारखण्ड विधान सभा सत्र में नहीं है;

और चूँकि, झारखण्ड राज्यपाल को समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 में संशोधन आवश्यक हो गया है;

इसलिए अब भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।

(1) यह अध्यादेश "झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) (संशोधन) अध्यादेश, 2019" कहलाएगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. "झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की धारा 1 (1) अब निम्नवत् प्रतिस्थापित होगी:-

1(1) यह अधिनियम झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अधिनियम, 2001 कहलायेगा।

3. झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 के मूल अधिनियम की धारा 2(च) अब निम्नवत् प्रतिस्थापित की जायेगी:-

2(च) "आरक्षण" से अभिप्रेत है अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 1)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 2) को छोड़कर अन्य वर्गों के आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के लिए पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण।

4. झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 के मूल अधिनियम की धारा 2(झ) अब निम्नवत् प्रतिस्थापित की जायेगी:-

2(झ) "आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग" से अभिप्रेत है; राज्य सरकार द्वारा पारिवारिक आय एवं आर्थिक प्रतिकूलता के अन्य संकेतकों के आधार पर समय-समय पर यथा अधिसूचित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 1)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 2) को छोड़कर अन्य वर्गों के आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग।

5. झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 के मूल अधिनियम की धारा 4(1) एवं 4(2) के प्रावधान को विलोपित करते हुए उसे निम्न रूप से प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

4(1) किसी स्थापना में सेवाओं और पदों की सभी नियुक्तियाँ, जो सीधी भर्ती के द्वारा भरी जाने वाली हो, निम्नलिखित रूप से विनियमित की जाएगी, यथा-

(क) खुली गुणागुण (मेरिट) कोटि से - 40 प्रतिशत

(ख) आरक्षित कोटि से - 60 प्रतिशत

4(2) आरक्षित कोटि की 60 प्रतिशत में से आरक्षित उम्मीदवारों की विभिन्न कोटियों की रिक्तियाँ निम्न रूपेण होंगी:-

(क)	अनुसूचित जाति	-	10 प्रतिशत
(ख)	अनुसूचित जनजाति	-	26 प्रतिशत
(ग)	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 1)	-	08 प्रतिशत
(घ)	पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 2)	-	06 प्रतिशत
(ङ)	आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग (उपर्युक्त कंडिका (क), (ख), (ग) एवं (घ) में अंकित वर्गों को छोड़कर)	-	10 प्रतिशत
			कुल- 60 प्रतिशत

4(2)(क) सीधी भर्ती हेतु सभी नियुक्तियों में झारखण्ड राज्य के अनारक्षित एवं आरक्षित कोटि के उम्मीदवारों के लिए निम्न प्रकार से क्षैतिज आरक्षण विनियमित होगाः-

(i) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (वर्ष 2016 का अधिनियम संख्यांक-49) की धारा-34(1) के तहत राज्य की सभी स्थापनाओं में नियुक्ति के मामले में दिव्यांग-जनों के लिए राज्य सरकार द्वारा समय समय पर यथानिर्धारित आरक्षण।

(ii) महिलाओं के लिए - 5 प्रतिशत

परन्तु, यह कि राज्य सरकार झारखण्ड राजपत्र में अधिसूचना जारी कर जिलों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार विभिन्न जिलों के लिए विभिन्न प्रतिशत नियत कर सकेगी;

परन्तु, यह और कि प्रोन्नति के मामले में केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए इस धारा के अधीन यथा उपबंधित अनुपात में आरक्षण किया जाएगा।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

संजय प्रसाद,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, रांची ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 147 -- 50

(218)

पत्रांकः–14 / आ0नी0 04–01 / 2019 का0 384 A /

महत्वपूर्ण

झारखण्ड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

ए0 के0 सत्यजीत
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सचिव,
झारखण्ड लोक सेवा आयोग,
सचिव,
झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक– **15.01.2019**

विषयः– सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण हेतु झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 में संशोधन।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक भारतीय संविधान के 103वें संशोधन के सापेक्ष झारखण्ड राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ शैक्षणिक संस्थानों एवं सरकारी पदों पर नियुक्ति के संदर्भ में राज्य सरकार की सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गयी है।

यह 10 प्रतिशत आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग को मिलने वाले 50 प्रतिशत आरक्षण के अतिरिक्त होगा। इस सम्बन्ध में उक्त आरक्षण के प्रावधान हेतु प्रवृत्त अधिनियम में संशोधन की प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है।

अतः अनुरोध है कि राज्य सरकार की नौकरियों जिनमें बहाली के लिए प्रक्रिया शुरू नहीं हुई हो, उन सभी मामलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ देने के सम्बन्ध में उक्त अधिनियम में संशोधन की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ही अग्रतर कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है।

विश्वासभाजन,

15/1/2019

(ए0 के0 सत्यजीत)
सरकार के संयुक्त सचिव।

6789
28/08/2019 (63)

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

विषय : ग्वाला (मुस्लिम) जाति को झारखण्ड राज्य के पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–2) के क्रमांक–06 पर दर्ज "गद्दी" के साथ शामिल करने के सम्बन्ध में।

झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 2001 की धारा–2 में अत्यन्त पिछड़े वर्गो एवं पिछड़े वर्गो को परिभाषित किया गया है तथा इसमें सम्मिलित वर्ग को इस अधिनियम की अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 में क्रमशः विनिर्दिष्ट किया गया है।

2. उक्त अधिनियम की धारा–14 (अ) में अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 में उल्लेखित किसी जाति/वर्ग को जोड़ने या हटाने की शक्ति राज्य सरकार को प्रदत्त है।

3. झारखण्ड पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग द्वारा राज्य सरकार को दी गई सलाह/परामर्श कि "ग्वाला (मुस्लिम) जाति को झारखण्ड राज्य के पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची 2) के क्रमांक–6 पर दर्ज "गद्दी" के साथ "गद्दी", ग्वाला (मुस्लिम) के रुप में दर्ज किया जाय," के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राज्य के पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची 2) के क्रमांक–06 पर दर्ज "गद्दी" के साथ "ग्वाला (मुस्लिम)" को निम्नवत् सम्मिलित की जायः–

परिवर्द्धित स्वरुप निम्न प्रकार है :–

क्रमांक	वर्तमान प्रविष्टि	संशोधित प्रविष्टि
06	गद्दी	"गद्दी", ग्वाला (मुस्लिम)

आदेश : आदेश दिया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक मे झारखण्ड पदों एंव सेवाओं की रिक्तियों मे आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की अनुसूची–2 का सुसंगत अंश इस हद तक संशोधित माना जायेगा।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति झारखण्ड राजपत्र में जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
28.8.19
(दीपक कुमार सिन्हा)
सरकार के अवर सचिव।

62

ज्ञापांक–14/जा0नि0–03–03/2019 का॰– 6789 /रांची, दिनांक 28/08/2019

प्रतिलिपि :– सदस्य सचिव, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, त्रिकुट–1, भिखाजी कामा पैलेस, नई दिल्ली–110066/निदेशक (एस0 सी0 डी0), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि झारखण्ड राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग की केन्द्रीय सूची में सम्मिलित करने के संबंध में यथा स्थिति कार्रवाई की जाय।

28.8.19

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–14/जा0नि0–03–03/2019 का॰– 6789 /रांची, दिनांक 28/08/2019

प्रतिलिपि :– सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची / सचिव, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची / सचिव, झारखण्ड संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, राँची / निदेशक, डॉ0 रामदयाल मुण्डा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28.8.19

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–14/जा0नि0–03–03/2019 का॰– 6789 /रांची, दिनांक 28/08/2019

प्रतिलिपि :– महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, राँची/सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची/महाधिवक्ता, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/मुख्य सचिव के सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सदस्य सचिव, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों/राज्य के सभी लोक उपक्रमों/ निगमों/ निकायों/परिषदों/विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/विद्यालयों को इस निर्णय से अवगत कराने की कृपा की जाय।

28.8.19

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–14/जा0नि0–03–03/2019 का॰– 6789 /रांची, दिनांक 28/08/2019

प्रतिलिपि :– राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, झारखण्ड, राँची को तदनुसार ऑन–लाईन जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने सम्बन्धी पिछड़े वर्गों की सूची परिवर्द्धित करने हेतु अग्रसारित।

28.8.19

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–14 / जा0नि0–03–03 / 2019 का॰– 6789 / रांची, दिनांक 28/08/2019

प्रतिलिपि :– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

28.8.19

सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

<u>संकल्प</u>

विषय : **झारखण्ड राज्य की अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–1) के क्रमांक– 11 पर दर्ज ''केवर्त्त'' के साथ ''माहिस्य (Mahisya)'' जाति को सम्मिलित करने के संबंध में।**

झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गो के लिए) अधिनियम 2001 की धारा–2 में अत्यन्त पिछड़े वर्गो एवं पिछड़े वर्गो को परिभाषित किया गया है तथा इसमें सम्मिलित वर्ग को इस अधिनियम की क्रमशः अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 में विनिर्दिष्ट किया गया है।

2. उक्त अधिनियम की धारा–14 (अ) में अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 में उल्लेखित किसी जाति/वर्ग को जोड़ने या हटाने की शक्ति राज्य सरकार को प्रदत्त है।

3. झारखण्ड पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग द्वारा राज्य सरकार को दी गई सलाह/परामर्श कि '' माहिस्य जाति को झारखण्ड राज्य के अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची 1) के क्रमांक–11 पर दर्ज ''केवर्त्त'' जाति के साथ जाति 'माहिस्य (Mahisya)' को समावेशित किया जाय'' के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि ''माहिस्य'' को राज्य के अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–1) के क्रमांक–11 पर दर्ज ''केवर्त्त'' के साथ निम्नवत् सम्मिलित की जायः–

परिवर्द्धित स्वरुप निम्न प्रकार है :–

<u>क्रमांक</u>	<u>वर्तमान प्रविष्टि</u>	<u>संशोधित प्रविष्टि</u>
11	केवर्त्त	केवर्त्त, माहिस्य (Mahisya)

आदेश : आदेश दिया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में झारखण्ड पदों एंव सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की अनुसूची–1 का सुसंगत अंश इस हद तक संशोधित माना जायेगा।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति झारखण्ड राजपत्र में जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(के0 के0 खण्डेलवाल)
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

कृ0पृ0उ0

ज्ञापांक–14 / जा0नि0–03–06 / 2016 का.– 5249 / रांची, दिनांक 03/07/19

प्रतिलिपि :– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक–14 / जा0नि0–03–06 / 2016 का.– 5249 / रांची, दिनांक 03/07/19

प्रतिलिपि :– महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव / मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, राँची / सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / मुख्य सचिव के सचिव / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी उपायुक्त / सदस्य सचिव, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों / राज्य के सभी लोक उपक्रमों / निगमों / निकायों / परिषदों / विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों / विद्यालयों को इस निर्णय से अवगत कराने की कृपा की जाय।

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक–14 / जा0नि0–03–06 / 2016 का.– 5249 / रांची, दिनांक 03/07/19

प्रतिलिपि :– सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची / सचिव, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची / सचिव, झारखण्ड संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, राँची / निदेशक, डॉ0 रामदयाल मुण्डा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक–14 / जा0नि0–03–06 / 2016 का.– 5249 / रांची, दिनांक 03/07/19

प्रतिलिपि :– सदस्य सचिव, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, त्रिकुट–1, भिखाजी कामा पैलेस, नई दिल्ली–110066 / निदेशक (एस0 सी0 डी0), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि झारखण्ड राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग की केन्द्रीय सूची में सम्मिलित करने के संबंध में यथा स्थिति कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक–14 / जा0नि0–03–06 / 2016 का.– 5249 / रांची, दिनांक 03/07/19

प्रतिलिपि :– सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई–गवर्नेन्स विभाग, झारखण्ड, राँची / राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, झारखण्ड, राँची को तद्नुसार ऑन–लाईन जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने सम्बन्धी पिछड़े वर्गों की सूची परिवर्द्धित करने हेतु अग्रसारित।

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

4857 / 6.6.19 (69)

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

विषय : झारखण्ड राज्य के पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–2) के क्रमांक–29 पर दर्ज "सोनार (सुवर्ण वनिक), अष्टलोहि कर्मकार" के साथ "स्वर्णकार" को सम्मिलित करने के सम्बन्ध में।

झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 2001 की धारा–2 में अत्यन्त पिछड़े वर्गो एवं पिछड़े वर्गो को परिभाषित किया गया है तथा इसमें सम्मिलित वर्ग को इस अधिनियम की अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 में क्रमशः विनिर्दिष्ट किया गया है।

2. उक्त अधिनियम की धारा–14 (अ) में अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 में उल्लेखित किसी जाति/वर्ग को जोड़ने या हटाने की शक्ति राज्य सरकार को प्रदत्त है।

3. झारखण्ड पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग द्वारा राज्य सरकार को दी गई सलाह/परामर्श कि "झारखण्ड राज्य के पिछड़ी जाति की सूची (अनुसूची 2) के क्रमांक–29 पर दर्ज "सोनार (सुवर्ण वनिक), अष्टलोहि कर्मकार" के साथ 'स्वर्णकार' को जोड़ा जाय," के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राज्य के "सोनार (सुवर्ण वनिक), अष्टलोहि कर्मकार" जाति के साथ 'स्वर्णकार' राज्य के पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची 2) के क्रमांक–29 पर दर्ज "सोनार (सुवर्ण वनिक), अष्टलोही कर्मकार" के साथ निम्नवत् सम्मिलित की जायः–

परिवर्द्धित स्वरुप निम्न प्रकार है :–

क्रमांक	प्रविष्टि	संशोधित प्रविष्टि
29	सोनार (सुवर्ण वनिक), अष्टलोहि कर्मकार	सोनार (सुवर्ण वनिक), अष्टलोहि कर्मकार, स्वर्णकार

आदेश : आदेश दिया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में झारखण्ड पदों एंव सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की अनुसूची–2 का सुसंगत अंश इस हद तक संशोधित माना जायेगा।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति झारखण्ड राजपत्र में जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(के० के० खण्डेलवाल)
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

कृ०पृ०३०

ज्ञापांक–14 / जा0नि0–03–05 / 2019 का0– 4857 / रांची, दिनांक 20.6.19

प्रतिलिपि :– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक–14 / जा0नि0–03–05 / 2019 का0– 4857 / रांची, दिनांक 20.6.19

प्रतिलिपि :– महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव / मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, राँची / सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / मुख्य सचिव के सचिव / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी उपायुक्त / सदस्य सचिव, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों / राज्य के सभी लोक उपक्रमों / निगमों / निकायों / परिषदों / विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों / विद्यालयों को इस निर्णय से अवगत कराने की कृपा की जाय।

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक–14 / जा0नि0–03–05 / 2019 का0– 4857 / रांची, दिनांक 20.6.19

प्रतिलिपि :– सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची / सचिव, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची / सचिव, झारखण्ड संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, राँची / निदेशक, डॉ0 रामदयाल मुण्डा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक–14 / जा0नि0–03–05 / 2019 का0– 4857 / रांची, दिनांक 20.6.19

प्रतिलिपि :– सदस्य सचिव, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, त्रिकुट–1, भिखाजी कामा पैलेस, नई दिल्ली–110066 / निदेशक (एस0 सी0 डी0), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि झारखण्ड राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग की केन्द्रीय सूची में सम्मिलित करने के संबंध में यथा स्थिति कार्रवाई की जाय।

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक–14 / जा0नि0–03–05 / 2019 का0– 4857 / रांची, दिनांक 20.6.19.

प्रतिलिपि :– सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई–गवर्नेन्स विभाग, झारखण्ड, राँची / राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, झारखण्ड, राँची को तदनुसार ऑन–लाईन जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने सम्बन्धी पिछड़े वर्गों की सूची परिवर्द्धित करने हेतु अग्रसारित।

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

60

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

राँची, दिनांक– 07/03/19

संख्या–14 / जा0नि0–03–08 / 2016 का0 2162 / कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के विभाग के पत्रांक–12817, दिनांक–17.11.2012 द्वारा झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 के अन्तर्गत अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2) की समेकित सूची परिचारित की गई है, जिसमें पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2) के क्रमांक–29 पर सोनार (सुवर्ण वनिक) अंकित है।

संकल्प सं0–7088, दिनांक–19.09.2018 द्वारा अष्टलोहि कर्मकार को राज्य के पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची 2) के क्रमांक 29 पर "सोनार (सुवर्ण वनिक) के साथ समावेशित किया गया है।

पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, झारखण्ड, राँची ने अपने पत्रांक–पि0व0आ0–107 / 2016–58 / पि0, दिनांक–05.02.2019 द्वारा झारखण्ड राज्य के पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची 2) के क्रमांक 29 पर दर्ज "अष्टलोहि कर्मकार" के रोमन लिपि के रूप में "Astalohi Karmakar" अंकित किया जाना प्रतिवेदित किया है। अतः पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–2) के क्रमांक–29 में दर्ज अष्टलोहि कर्मकार जाति का अंग्रेजी रुप "Astalohi Karmakar" के रुप में स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

7/3/19
(दीपक कुमार सिन्हा)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–14 / जा0नि0–03–08 / 2016 का0– 2162 / रांची, दिनांक 07/03/19

प्रतिलिपि :– महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव / मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, राँची / सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / मुख्य सचिव के सचिव / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी उपायुक्त / सदस्य सचिव, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों / राज्य के सभी लोक उपक्रमों / निगमों / निकायों / परिषदों / विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों / विद्यालयों को इस निर्णय से अवगत कराने की कृपा की जाय।

7/3/19
सरकार के अवर सचिव।

E:\chandan\Adhisuchna.docx

ज्ञापांक–14 / जा0नि0–03–08 / 2016 का॰– 2162 / रांची, दिनांक 07/03/19

प्रतिलिपि :– सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग / सचिव, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7/3/19

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–14 / जा0नि0–03–08 / 2016 का॰– 2162 / रांची, दिनांक 07/03/19

प्रतिलिपि :– सदस्य सचिव, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, त्रिकुट–1, भिखाजी कामा पैलेस, नई दिल्ली–110066 / निदेशक (एस0 सी0 डी0), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि झारखण्ड राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग की केन्द्रीय सूची में सम्मिलित करने के संबंध में यथा स्थिति कार्रवाई की जाय।

7/3/19

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–14 / जा0नि0–03–08 / 2016 का॰– 2162 / रांची, दिनांक 07/03/19

प्रतिलिपि :– सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई–गवर्नेन्स विभाग, झारखण्ड, राँची को तदनुसार ऑन–लाईन जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने सम्बन्धी पिछड़े वर्गों की सूची में संशोधन करने हेतु प्रेषित।

7/3/19

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–14 / जा0नि0–03–08 / 2016 का॰– 2162 / रांची, दिनांक 07/03/19

प्रतिलिपिः– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को झारखण्ड ई–गजट के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

7/3/19

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–14 / जा0नि0–03–08 / 2016 का॰– 2162 / रांची, दिनांक 07/03/19

प्रतिलिपि :– राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, राँची को तदनुसार ऑन–लाईन जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने सम्बन्धी पिछड़े वर्गों की सूची में संशोधन करने हेतु प्रेषित।

7/3/19

सरकार के अवर सचिव।

E:\chandan\Adhisuchna.docx

(154)

पत्रांक :– 14/विविध–15–16/2017 का0 8737/

झारखण्ड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

E-mail & Fax

ए0 के0 सत्यजीत,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी उपायुक्त,
झारखण्ड।

राँची, दिनांक 30.11.2018

विषय :– आरक्षित कोटियों में जाति का समावेशन, विलोपन, परिवर्द्धन आदि से संबंधित अद्यतन गजट के आलोक में कार्रवाई करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कतिपय मामलों में राज्य सरकार द्वारा आरक्षित कोटियों में जाति विशेष के समावेशन, विलोपन, परिवर्द्धन आदि से संबंधित संशोधन किये जाने के उपरान्त भी जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले सक्षम प्राधिकार द्वारा एतद् संबंधी अद्यतन गजट का अध्ययन किये बिना कई बार पूर्व की जाति श्रेणी के आधार पर ही जाति प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया जाता है। इस कारण कई मामले विवादित हो जाते हैं और आवेदक के द्वारा माननीय न्यायालय का शरण लिया जाता है। इस प्रकार की गलती के कारण माननीय न्यायालय में अप्रिय स्थिति बन जाती है।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में पुनः निदेश दिया जाता है कि :–

(i) आवेदक की जाति/श्रेणी के संबंध में अद्यतन गजट प्रकाशन में समावेशन, विलोपन, परिवर्द्धन आदि के सत्यापन करने के पश्चात ही अद्यतन जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना सुनिश्चित किया जाय। एतद् संबंधी निर्देश सभी संबंधित अधीनस्थ पदाधिकारी को अनिवार्य रूप से दिया जाय।

(ii) जहाँ उपर्युक्त निर्देश का उल्लंघन हुआ हो और त्रुटिपूर्ण जाति प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया गया है, वैसे मामले में सम्यक् जाँचोपरान्त त्रुटिपूर्ण जाति प्रमाण पत्र को निरस्त करने संबंधी कार्रवाई हेतु छानबीन समिति को अनुशंसा भेजी जाय।

(iii) त्रुटिपूर्ण जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के मामले में दोषी पदाधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई का प्रस्ताव गठित किया जाय तथा त्रुटिपूर्ण जाति प्रमाण पत्र के मामलो से संबंधित एक प्रतिवेदन दिनांक–01.12.2018 के अपराह्न तक विभागीय मेल आई–डी dopjharkhand@gmail.com पर अनिवार्य रूप से भेजा जाय।

विश्वासभाजन,

30/11/2018

(ए0 के0 सत्यजीत)
सरकार के संयुक्त सचिव।

E:\chandan\letter 2018.docx

7088
29.9.18
(58)

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

विषय : "अष्टलोहि कर्मकार" जाति को झारखण्ड राज्य के पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–II) के क्रमांक–29 पर अंकित "सोनार (सुवर्ण वनिक)" के साथ शामिल करने के सम्बन्ध में।

झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 2001 की धारा–2 में अत्यन्त पिछड़े वर्गो एवं पिछड़े वर्गो को परिभाषित किया गया है तथा इसमें सम्मिलित वर्ग को इस अधिनियम की अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 में क्रमशः विनिर्दिष्ट किया गया है।

2. उक्त अधिनियम की धारा–14 (अ) में अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 में उल्लेखित किसी जाति/वर्ग को जोड़ने या हटाने की शक्ति राज्य सरकार को प्रदत्त है।

3. झारखण्ड पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग द्वारा राज्य सरकार को दी गई सलाह/परामर्श कि "झारखण्ड राज्य के पिछड़ी जाति की सूची (अनुसूची II) के क्रमांक–29 पर दर्ज "सोनार (सुवर्ण वनिक)" के साथ 'अष्टलोहि कर्मकार' को जोड़ा जाय" के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राज्य के "सोनार (सुवर्ण वनिक)" जाति के साथ 'अष्टलोहि कर्मकार' राज्य के पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–2) के क्रमांक–29 पर दर्ज "सोनार (सुवर्ण वनिक)" के साथ निम्नवत् सम्मिलित की जायः–

परिवर्द्धित स्वरुप निम्न प्रकार है :–

क्रमांक	प्रविष्टि	संशोधित प्रविष्टि
29	सोनार (सुवर्ण वनिक)	सोनार (सुवर्ण वनिक), अष्टलोहि कर्मकार

आदेश : आदेश दिया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में झारखण्ड पदों एंव सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की अनुसूची–2 का सुसंगत अंश इस हद तक संशोधित माना जायेगा।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति झारखण्ड राजपत्र में जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

11.9.18

(के० के० खण्डेलवाल)
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

कृ०पृ०उ०

ज्ञापांक–14 / जा0नि0–03–08 / 2016 का0– 7088 / रांची, दिनांक 19.9.18

प्रतिलिपि :– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक–14 / जा0नि0–03–08 / 2016 का0– 7088 / रांची, दिनांक 19.9.18

प्रतिलिपि :– महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव / मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, राँची / सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / मुख्य सचिव के सचिव / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी उपायुक्त / सदस्य सचिव, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों / राज्य के सभी लोक उपक्रमों / निगमों / निकायों / परिषदों / विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों / विद्यालयों को इस निर्णय से अवगत कराने की कृपा की जाय।

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक–14 / जा0नि0–03–08 / 2016 का0– 7088 / रांची, दिनांक 19.9.18

प्रतिलिपि :– सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची / सचिव, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची / सचिव, झारखण्ड संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, राँची / निदेशक, डॉ0 रामदयाल मुण्डा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक–14 / जा0नि0–03–08 / 2016 का0– 7088 / रांची, दिनांक 19.9.18

प्रतिलिपि :– सदस्य सचिव, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, त्रिकुट–1, भिखाजी कामा पैलेस, नई दिल्ली–110066 / निदेशक (एस0 सी0 डी0), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि झारखण्ड राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग की केन्द्रीय सूची में सम्मिलित करने के संबंध में यथा स्थिति कार्रवाई की जाय।

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक–14 / जा0नि0–03–08 / 2016 का0– 7088 / रांची, दिनांक 19.9.18

प्रतिलिपि :– सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई–गवर्नेन्स विभाग, झारखण्ड, राँची को तदनुसार ऑन लाईन जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने सम्बन्धी पिछड़े वर्गों की सूची परिवर्द्धित करने हेतु अग्रसारित।

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

6992
11/9/18

56

संकल्प

विषय : झारखण्ड राज्य की अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–1) के क्रमांक– 97 पर दर्ज ''प्रजापति (कुम्हार)'' के साथ ''कुम्हार/कुम्भकार'' जाति को सम्मिलित करने के संबंध में।

झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गो के लिए) अधिनियम 2001 की धारा–2 में अत्यन्त पिछड़े वर्गो एवं पिछड़े वर्गो को परिभाषित किया गया है तथा इसमें सम्मिलित वर्ग को इस अधिनियम की अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 में क्रमशः विनिर्दिष्ट किया गया है।

2. उक्त अधिनियम की धारा–14 (अ) में अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 में उल्लेखित किसी जाति/वर्ग को जोड़ने या हटाने की शक्ति राज्य सरकार को प्रदत है।

3. झारखण्ड पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग द्वारा राज्य सरकार को दी गई सलाह/परामर्श कि ''झारखण्ड राज्य के पिछड़ी जाति की सूची (अनुसूची I) के क्रमांक–97 पर दर्ज ''प्रजापति (कुम्हार)'' के साथ 'कुम्हार/कुम्भकार' को शामिल किया जाय'' के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि ''कुम्हार/कुम्भकार'' को राज्य के अत्यन्त पिछड़े वर्गो की सूची (अनुसूची–1) के क्रमांक–97 पर दर्ज ''प्रजापति (कुम्हार)'' के साथ निम्नवत सम्मिलित की जायः–

परिवर्द्धित स्वरुप निम्न प्रकार है :–

क्रमांक	वर्तमान प्रविष्टि	संशोधित प्रविष्टि
97	प्रजापति (कुम्हार)	प्रजापति (कुम्हार) एवं कुम्हार/कुम्भकार

आदेश : आदेश दिया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में झारखण्ड पदों एंव सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गो के लिए) अधिनियम, 2001 की अनुसूची–1 का सुसंगत अंश इस हद तक संशोधित माना जायेगा।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति झारखण्ड राजपत्र में जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

Kailash
11/9/18

(के० के० खण्डेलवाल)
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

कृ०पृ०उ०

ज्ञापांक–14 / जा0नि0–03–02 / 2018 का॰– 6992 / रांची, दिनांक 11/9/18

प्रतिलिपि :– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक–14 / जा0नि0–03–02 / 2018 का॰– 6992 / रांची, दिनांक 11/9/18

प्रतिलिपि :– महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव / मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, राँची / सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / मुख्य सचिव के सचिव / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी उपायुक्त / सदस्य सचिव, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों / राज्य के सभी लोक उपक्रमों / निगमों / निकायों / परिषदों / विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों / विद्यालयों को इस निर्णय से अवगत कराने की कृपा की जाय।

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक–14 / जा0नि0–03–02 / 2018 का॰– 6992 / रांची, दिनांक 11/9/18

प्रतिलिपि :– सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची / सचिव, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची / सचिव, झारखण्ड संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, राँची / निदेशक, डॉ0 रामदयाल मुण्डा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक–14 / जा0नि0–03–02 / 2018 का॰– 6992 / रांची, दिनांक 11/9/18

प्रतिलिपि :– सदस्य सचिव, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, त्रिकुट–1, भिखाजी कामा पैलेस, नई दिल्ली–110066 / निदेशक (एस0 सी0 डी0), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि झारखण्ड राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग की केन्द्रीय सूची में सम्मिलित करने के संबंध में यथा स्थिति कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक–14 / जा0नि0–03–02 / 2018 का॰– 6992 / रांची, दिनांक 11/9/18

प्रतिलिपि :– सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई–गवर्नेन्स विभाग, झारखण्ड, राँची को तदनुसार ऑन–लाईन जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने सम्बन्धी पिछड़े वर्गों की सूची परिवर्द्धित करने हेतु अग्रसारित।

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

(54)

1041
8/2/18

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

विषय : **झारखण्ड राज्य की पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–2) के क्रमांक–20 पर बनिया के कोष्टक में अंकित "वैश बनिया एवं एकादश बनिया" जाति को पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–2) से विलोपित करते हुए झारखण्ड राज्य की अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–1) में सम्मिलित करने के संबंध में।**

झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गो के लिए) अधिनियम 2001 की धारा–2 में अत्यन्त पिछड़े वर्गो एवं पिछड़े वर्गो को परिभाषित किया गया है तथा इसमें सम्मिलित वर्ग को इस अधिनियम की अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 में क्रमशः विनिर्दिष्ट किया गया है।

2. उक्त अधिनियम की धारा–14 (अ) में अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 में उल्लेखित किसी जाति/वर्ग को जोड़ने या हटाने की शक्ति राज्य सरकार को प्रदत है।

3. पिछड़े वर्गो के लिए राज्य आयोग द्वारा राज्य सरकार को दी गई सलाह/परामर्श कि "वैश बनिया और एकादश बनिया को झारखण्ड राज्य के पिछड़े वर्गो की सूची (अनुसूची–II) से विलोपित कर अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–I) के अंत में शामिल किया जाय" के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि झारखण्ड पिछड़े वर्गो की सूची (अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2) में निम्नरूपेण परिवर्द्धन की जायः–

समावेशन(अनुसूची–1)

(i) वैश बनिया एवं एकादश बनिया जाति को क्रमांक–126 के बाद रिक्त क्रमांक–127 पर दर्ज किया जाय।

विलोपन(अनुसूची–2)

(i) चूँकि वैश बनिया एवं एकादश बनिया जाति अत्यन्त पिछड़े वर्गो की सूची (अनुसूची–1) के क्रमांक– 127 पर समावेशित किया गया है, अतएव वैश बनिया एवं एकादश बनिया जाति को पिछड़े वर्गो की सूची (अनुसूची–2) के क्रमांक– 20 में बनिया के कोष्टक से विलोपित किया जाय।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में झारखण्ड पदों एंव सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गो के लिए) अधिनियम, 2001 की अनुसूची–1 का सुसंगत अंश इस हद तक संशोधित माना जायेगा।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति झारखण्ड राजपत्र में जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(निधि खरे) 6/2/18

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–14 / जाति–03–10 / 2010(i) का॰– 1041 / रांची, दिनांक 8/2/18

प्रतिलिपि :– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

6/2/18

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–14 / जाति–03–10 / 2010(i) का॰– 1041 / रांची, दिनांक 8/2/18

प्रतिलिपि :– महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव / मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, राँची / सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / मुख्य सचिव के सचिव / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी उपायुक्त / सदस्य सचिव, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों / राज्य के सभी लोक उपक्रमों / निगमों / निकायों / परिषदों / विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों / विद्यालयों को इस निर्णय से अवगत कराने की कृपा की जाय।

6/2/18

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–14 / जाति–03–10 / 2010(i) का॰– 1041 / रांची, दिनांक 8/2/18

प्रतिलिपि :– सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग / सचिव, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/2/18

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–14 / जाति–03–10 / 2010(i) का॰– 1041 / रांची, दिनांक 8/2/18

प्रतिलिपि :– सदस्य सचिव, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, त्रिकुट–1, भिखाजी कामा पैलेस, नई दिल्ली–110066 / निदेशक (एस0 सी0 डी0), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि झारखण्ड राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग की केन्द्रीय सूची में सम्मिलित करने के संबंध में यथा स्थिति कार्रवाई की जाय।

6/2/18

सरकार के प्रधान सचिव।

(52)

ज्ञापांक–14 / जाति–03–10 / 2010(i) का०– ......1041.../ रांची, दिनांक 8.2.18

प्रतिलिपि :– सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई–गवर्नेन्स विभाग, झारखण्ड, राँची को तद्नुसार ऑन–लाईन जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने सम्बन्धी पिछड़े वर्गों की सूची परिवर्द्धित करने हेतु अग्रसारित।

6/2/18

सरकार के प्रधान सचिव।

संचिका सं0–14/जा0नि0–03–01/2016 का॰– ....11460.. / 17/11/17
झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

विषय : ''चन्द्रवंशी (कहार)'' जाति की समजाति ''रवानी'' को राज्य के अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–1) के क्रमांक–30 पर दर्ज ''चन्द्रवंशी (कहार)'' के साथ शामिल करने के संबंध में।

झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की धारा–2 में अत्यन्त पिछड़े वर्गों एवं पिछड़े वर्गों को परिभाषित किया गया है तथा इसमें सम्मिलित वर्ग को इस अधिनियम की अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 में क्रमशः विनिर्दिष्ट किया गया है।

2. उक्त अधिनियम की धारा–14 (अ) में अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 में उल्लेखित किसी जाति/वर्ग को जोड़ने या हटाने की शक्ति राज्य सरकार को प्रदत है।

3. पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग द्वारा राज्य सरकार को दी गई सलाह/परामर्श कि ''चन्द्रवंशी (कहार) जाति की समजाति रवानी को झारखण्ड राज्य के पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–I) के क्रमांक–30 पर स्थित चन्द्रवंशी (कहार) के साथ 'चन्द्रवंशी/रवानी (कहार)' के रूप में शामिल की जाय'' के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि झारखण्ड राज्य के अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची 1) के क्रमांक 30 को निम्नरूपेण परिवर्द्धित की जाय;

परिवर्द्धित स्वरुप निम्न प्रकार है :–

क्रमांक–30 :– चन्द्रवंशी (कहार), चन्द्रवंशी/रवानी (कहार)

आदेश : आदेश दिया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में झारखण्ड पंदों एंव सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गो के लिए) अधिनियम, 2001 की अनुसूची–1 का सुसंगत अंश इस हद तक संशोधित माना जायेगा।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति झारखण्ड राजपत्र में जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

13/11/17
(निधि खरे)
सरकार के प्रधान सचिव।

(283-)

ज्ञापांक–14 / जा0नि0–03–01 / 2016 का॰– 11460 / रांची, दिनांक 17/11/17

प्रतिलिपि :– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव। 13/xi/17

ज्ञापांक–14 / जा0नि0–03–01 / 2016 का॰– 11460 / रांची, दिनांक ....

प्रतिलिपि :– महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव / मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, राँची / सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / मुख्य सचिव के सचिव / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी उपायुक्त / सदस्य सचिव, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों / राज्य के सभी लोक उपक्रमों / निगमों / निकायों / परिषदों / विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों / विद्यालयों को इस निर्णय से अवगत कराने की कृपा की जाय।

13/xi/17
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–14 / जा0नि0–03–01 / 2016 का॰– 11460 / रांची, दिनांक ....

प्रतिलिपि :– सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग / सचिव, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/xi/17
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–14 / जा0नि0–03–01 / 2016 का॰– 11460 / रांची, दिनांक 17/11/17

प्रतिलिपि :– सदस्य सचिव, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, त्रिकुट–1, भिखाजी कामा पैलेस, नई दिल्ली–110066 / निदेशक (एस0 सी0 डी0), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि झारखण्ड राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग की केन्द्रीय सूची में सम्मिलित करने के संबंध मे यथा स्थिति कार्रवाई की जाय।

13/xi/17
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–14 / जा0नि0–03–01 / 2016 का॰– 11460 / रांची, दिनांक 17/11/17

प्रतिलिपि :– सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई–गवर्नेन्स विभाग, झारखण्ड, राँची को तद्नुसार ऑन लाईन जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने सम्बन्धी पिछडे वर्गो की सूची परिवर्द्धित करने हेतु अग्रसारित।

13/xi/17
सरकार के प्रधान सचिव।

(49)

पत्रांक : 14 / जा0नि0–03–08 / 2015 का0 7204

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

दिवाकर प्रसाद सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

उपायुक्त,
जामताड़ा।

राँची, दिनांक 16.6.17

विषय :– सूंडी जाति के खतियान में विसंगति होने एवं इनका जाति चासा सो / चासा सु / सो चासा / सो, जो एक अलग जाति है, दर्ज होने के कारण सूंडी जाति के लोगो को जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अनुरोध करना है कि जामताड़ा जिले में सूंडी जाति के खतियान में विसंगति होने एवं इनकी जाति के स्थान पर 'चासा सो / चासा सु / सो चासा / सो,' जो एक अलग जाति है, दर्ज होने के कारण इन्हें सूंडी जाति का जाति प्रमाण पत्र स्थानीय पदाधिकारियों द्वारा सत्यापित कराये जाने के बाद कि आवेदक वास्तव में सूंडी जाति के सदस्य है, आवेदक को क्रमांक 122 पर दर्ज जाति का जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने की व्यवस्था की जाय।

विश्वासभाजन

16/6/2017

(दिवाकर प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव।

F:\chandan\letter 2017.docx

o/c

संचिका सं0–14 / जा0नि0–03–08 / 2015 का.– ....6972.... / दि0 – 12.6.17

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

विषय : "सूढ़ी (सूड़ी / सूंडी)" जाति की समजातियों सूंडी चासा / शुन्डीक वैश / शौन्डीक को राज्य के अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–1) के क्रमांक–122 पर दर्ज " सूढ़ी (सूड़ी / सूंडी)" के साथ कोष्टक में शामिल करने के सम्बन्ध में।

झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की धारा–2 में अत्यन्त पिछड़े वर्गों एवं पिछड़े वर्गों को परिभाषित किया गया है तथा इसमें सम्मिलित वर्ग को इस अधिनियम की अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 में क्रमशः विनिर्दिष्ट किया गया है।

2. उक्त अधिनियम की धारा–14 (अ) में अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 में उल्लेखित किसी जाति / वर्ग को जोड़ने या हटाने की शक्ति राज्य सरकार को प्रदत है।

3. पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग द्वारा राज्य सरकार को दी गई सलाह / परामर्श कि "झारखण्ड राज्य के पिछड़ी जाति की सूची (अनुसूची 1) के क्रमांक–122 पर दर्ज 'सूढ़ी (सूड़ी / सूंडी)' के साथ इस जाति की समजाति 'सूंडी चासा / शुन्डीक वैश / शौन्डीक' को कोष्टक में शामिल किया जाय" के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राज्य के "सूढ़ी (सूड़ी / सूंडी)" जाति की समजातियों–सूंडी चासा / शुन्डीक वैश / शौन्डीक को राज्य के अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–1) के क्रमांक–122 पर दर्ज "सूढ़ी (सूड़ी / सूंडी)" के साथ कोष्टक में निम्नवत सम्मिलित की जाय:–

परिवर्द्धित स्वरुप निम्न प्रकार है :–

क्रमांक	प्रविष्टि	संशोधित प्रविष्टि
122	सूढ़ी (सूड़ी / सूंडी)	सूढ़ी (सूड़ी, सूंडी / सूंडी चासा / शुन्डीक वैश / शौन्डीक)

आदेश : आदेश दिया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की अनुसूची–1 का सुसंगत अंश इस हद तक संशोधित माना जायेगा।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति झारखण्ड राजपत्र में जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(निधि खरे)

सरकार के प्रधान सचिव।

कृ0पृ0उ0

ज्ञापांक–14/जा0नि0–03–08/2015 का0– 6972/रांची, दिनांक 12.6.17

प्रतिलिपि :– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–14/जा0नि0–03–08/2015 का0– 6972/रांची, दिनांक 12.6.17

प्रतिलिपि :– महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, राँची/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/मुख्य सचिव के सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सदस्य सचिव, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों/राज्य के सभी लोक उपक्रमों/ निगमों/ निकायों/परिषदों/विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/विद्यालयों को इस निर्णय से अवगत कराने की कृपा की जाय।

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–14/जा0नि0–03–08/2015 का0– 6972/रांची, दिनांक 12.6.17

प्रतिलिपि :– सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग/सचिव, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–14/जा0नि0–03–08/2015 का0– 6972/रांची, दिनांक 12.6.17

प्रतिलिपि :– सदस्य सचिव, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, त्रिकुट–1, भिखाजी कामा पैलेस, नई दिल्ली–110066/निदेशक (एस0 सी0 डी0), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि झारखण्ड राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग की केन्द्रीय सूची में सम्मिलित करने के संबंध में यथा स्थिति कार्रवाई की जाय।

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–14/जा0नि0–03–08/2015 का0– 6972/रांची, दिनांक 12.6.17

प्रतिलिपि :– सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई–गवर्नेन्स विभाग, झारखण्ड, राँची को तदनुसार ऑन–लाईन जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने सम्बन्धी पिछड़े वर्गों की सूची परिवर्द्धित करने हेतु अग्रसारित।

सरकार के प्रधान सचिव।

(42)

संचिका सं0–14/जाति–03-06/2011 का.– 5709/ 25/4/17

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

विषय : **जोगी (जुगी, गोसाई) की उप जाति गिरि–सन्यासी, अतित, अतिथ/अतीथ को झारखण्ड राज्य के पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची II) के क्रमांक 11 पर जोगी (जुगी, गोसाई) के साथ शामिल करने के संबंध में।**

झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गो के लिए) अधिनियम, 2001 की धारा–2 में अत्यन्त पिछड़े वर्गों एवं पिछड़े वर्गों को परिभाषित किया गया है तथा इसमें सम्मिलित वर्ग को इस अधिनियम की अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 में क्रमशः विनिर्दिष्ट किया गया है।

2. उक्त अधिनियम की धारा–14 (अ) में अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 में उल्लेखित किसी जाति/वर्ग को जोड़ने या हटाने की शक्ति राज्य सरकार को प्रदत है।

3. पिछड़े वर्गो के लिए राज्य आयोग द्वारा राज्य सरकार को दी गई सलाह/परामर्श कि "जोगी (जुगी, गोसाई)" जाति के समजाति गिरि–सन्यासी, अतित, अतिथ/अतीथ को झारखण्ड राज्य के पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची II) के क्रमांक 11 पर "जोगी (जुगी, गोसाई)" के साथ शामिल किया जाय" के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि झारखण्ड राज्य के अत्यन्त पिछड़े वर्गो की सूची (अनुसूची–2) के क्रमांक 11 को निम्नरूपेण परिवर्द्धित की जायः–

परिवर्द्धित स्वरुप निम्न प्रकार है :–

क्रमांक–11– "जोगी (जुगी, गोसाई), गिरि–सन्यासी, अतित, अतिथ/अतीथ।"

आदेश : आदेश दिया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में झारखण्ड पदों एंव सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गो के लिए) अधिनियम, 2001 की अनुसूची–1 का सुसंगत अंश इस हद तक संशोधित माना जायेगा।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति झारखण्ड राजपत्र में जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(निधि खरे)

सरकार के प्रधान सचिव।

कृ0पृ0उ0

ज्ञापांक–14/जाति–03–06/2011 का॰– 5709 /रांची, दिनांक 25/4/17

प्रतिलिपि :– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

17.4.17
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–14/जाति–03–06/2011 का॰– 5709 / रांची, दिनांक 25/4/17

प्रतिलिपि :– महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, राँची/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/मुख्य सचिव के सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सदस्य सचिव, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों/राज्य के सभी लोक उपक्रमों/ निगमों/ निकायों /परिषदों/विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/विद्यालयों को इस निर्णय से अवगत कराने की कृपा की जाय।

17.4.17
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–14/जाति–03–06/2011 का॰– 5709 / रांची, दिनांक 25/4/17

प्रतिलिपि :– सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग/सचिव, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17.4.17
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–14/जाति–03–06/2011 का॰– 5709 / रांची, दिनांक 25/4/17

प्रतिलिपि :– सदस्य सचिव, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, त्रिकुट–1, भिखाजी कामा पैलेस, नई दिल्ली–110066/निदेशक (एस0 सी0 डी0), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि झारखण्ड राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग की केन्द्रीय सूची में सम्मिलित करने के संबंध में यथा स्थिति कार्रवाई की जाय।

17.4.17
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–14/जाति–03–06/2011 का॰– 5709 / रांची, दिनांक 25/4/17

प्रतिलिपि :– सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई–गवर्नेन्स विभाग, झारखण्ड, राँची को तद्नुसार ऑन–लाईन जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने सम्बन्धी पिछड़े वर्गों की सूची परिवर्द्धित करने हेतु अग्रसारित।

17.4.17
सरकार के प्रधान सचिव।

संचिका सं0–14 / जा0नि0–03–11 / 2016 का.– 1951
झारखण्ड सरकार 08/03/17
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

विषय : "बियार" जाति को झारखण्ड राज्य की अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–1) में सम्मिलित करने के संबंध में।

झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की धारा–2 में अत्यन्त पिछड़े वर्गों एवं पिछड़े वर्गों को परिभाषित किया गया है तथा इसमें सम्मिलित वर्ग को इस अधिनियम की क्रमशः अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 में विनिर्दिष्ट किया गया है।

2. उक्त अधिनियम की धारा–14 (अ) में अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 में उल्लेखित किसी जाति / वर्ग को जोड़ने या हटाने की शक्ति राज्य सरकार को प्रदत है।

3. पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग से प्राप्त सलाह के आलोक में राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि "बियार" जाति को झारखण्ड राज्य के अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची I) में सूचीबद्ध किया जाय। तद्नुसार झारखण्ड राज्य के अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–I) का संशोधित रुप निम्नवत है:–

समावेशन(अनुसूची–I)

(i) अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–1) के रिक्त क्रमांक–126 पर 'बियार' जाति को समावेशित किया जाय।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में झारखण्ड पदों एंव सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की अनुसूची–1 का सुसंगत अंश इस हद तक संशोधित माना जायेगा।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति झारखण्ड राजपत्र में जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
(निधि खरे) 3/3/17
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–14 / जा0नि0–03–11 / 2016 का॰– 1951 / रांची, दिनांक 06/03/17

प्रतिलिपि :– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

3/3/17
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–14 / जा0नि0–03–11 / 2016 का॰– 1951 / रांची, दिनांक 06/03/17

प्रतिलिपि :– महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव / मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, राँची / सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / मुख्य सचिव के सचिव / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी उपायुक्त / सदस्य सचिव, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग / झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों / राज्य के सभी लोक उपक्रमों / निगमों / निकायों / परिषदों / विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों / विद्यालयों को इस निर्णय से अवगत कराने की कृपा की जाय।

3/3/17
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–14 / जा0नि0–03–11 / 2016 का॰– 1951 / रांची, दिनांक 06/03/17

प्रतिलिपि :– सदस्य सचिव, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, त्रिकुट–1, भिखाजी कामा पैलेस, नई दिल्ली–110066 / निदेशक (एस0 सी0 डी0), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि बियार जाति को झारखण्ड राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग की केन्द्रीय सूची में सम्मिलित करने के संबंध में यथा स्थिति कार्रवाई की जाय।

3/3/17
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–14 / जा0नि0–03–11 / 2016 का॰– 1951 / रांची, दिनांक 06/03/17

प्रतिलिपि :– सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई–गवर्नेन्स विभाग, झारखण्ड, राँची को तदनुसार ऑन–लाईन जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने सम्बन्धी पिछड़े वर्गों की सूची परिवर्द्धित करने हेतु अग्रसारित।

3/3/17
सरकार के प्रधान सचिव।

संचिका सं0–14/जाति–03–10/2010 का.– ..../ 876 27.1.17

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

विषय : **झारखण्ड राज्य की पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–2) के क्रमांक–20 पर बनिया वर्ग के प्रकोष्ट में अंकित ''हलवाई'' जाति को पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–2) से विलोपित करते हुए झारखण्ड राज्य की पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–1) में सम्मिलित करने के संबंध में।**

झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की धारा–2 में अत्यन्त पिछड़े वर्गों एवं पिछड़े वर्गो को परिभाषित किया गया है तथा इसमें सम्मिलित वर्ग को इस अधिनियम की अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 में क्रमशः विनिर्दिष्ट किया गया है।

2. उक्त अधिनियम की धारा–14 (अ) में अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 में उल्लेखित किसी जाति/वर्ग को जोड़ने या हटाने की शक्ति राज्य सरकार को प्रदत है।

3. पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग से प्राप्त सलाह के आलोक में राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि झारखण्ड राज्य के पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची II) के क्रमांक 20 में वैश्य जाति के साथ दर्ज हलवाई जाति को विलोपित कर झारखण्ड राज्य के अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची I) में सूचीबद्ध किया जाय। तद्नुसार झारखण्ड राज्य के अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–1) एवं पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–2) का संशोधित रुप निम्नवत हैः–

समावेशन(अनुसूची–1)

(i) अत्यन्त पिछड़े वर्गो की सूची (अनुसूची–1) के रिक्त क्रमांक–125 पर 'हलवाई' को समावेशित किया जाय।

विलोपन(अनुसूची–2)

(i) चूँकि हलवाई जाति को अत्यन्त पिछड़े वर्गो की सूची (अनुसूची–1) के क्रमांक–125 पर समावेशित किया गया है, अतएव हलवाई जाति को पिछडे वर्गो की सूची (अनुसूची–2) के क्रमांक–20 में बनिया वर्ग के प्रकोष्ट से विलोपित किया जाय।

(43)

आदेश : आदेश दिया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में झारखण्ड पदों एंव सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की अनुसूची–1 का सुसंगत अंश इस हद तक संशोधित माना जायेगा।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति झारखण्ड राजपत्र में जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(निधि खरे) 20/1/17

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–14 / जाति–03–10 / 2010 का॰– 876 / रांची, दिनांक 27.1.17

प्रतिलिपि :– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–14 / जाति–03–10 / 2010 का॰– 876 / रांची, दिनांक 27.1.17

प्रतिलिपि :– महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव / मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, राँची / सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / मुख्य सचिव के सचिव / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी उपायुक्त / सदस्य सचिव, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग / झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों / राज्य के सभी लोक उपक्रमों / निगमों / निकायों / परिषदों / विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों / विद्यालयों को इस निर्णय से अवगत कराने की कृपा की जाय।

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–14 / जाति–03–10 / 2010 का॰– 876 / रांची, दिनांक 27.1.17

प्रतिलिपि :– सदस्य सचिव, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, त्रिकुट–1, भिखाजी कामा पैलेस, नई दिल्ली–110066 / निदेशक (एस० सी० डी०), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि झारखण्ड राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग की केन्द्रीय सूची में सम्मिलित करने के संबंध में यथा स्थिति कार्रवाई की जाय।

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–14 / जाति–03–10 / 2010 का॰– 876 / रांची, दिनांक 27.1.17

प्रतिलिपि :– सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई–गवर्नेन्स विभाग, झारखण्ड, राँची को तद्नुसार ऑन–लाईन जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने सम्बन्धी पिछड़े वर्गों की सूची परिवर्द्धित करने हेतु अग्रसारित।

सरकार के प्रधान सचिव। 20/1/17

संचिका सं0–14/जा0नि0–03–07/2016 का.– ...11082 27/11/2016

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

विषय : **झारखण्ड राज्य की पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–2) के क्रमशः क्रमांक– 19 एवं 12 पर अंकित "बरई" एवं "तमोली" जाति को पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–2) से विलोपित करते हुए झारखण्ड राज्य की पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–1) में सम्मिलित करने के संबंध में।**

झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की धारा–2 में अत्यन्त पिछड़े वर्गो एवं पिछड़े वर्गो को परिभाषित किया गया है तथा इसमें सम्मिलित वर्ग को इस अधिनियम की अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 में क्रमशः विनिर्दिष्ट किया गया है।

2. उक्त अधिनियम की धारा–14 (अ) में अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 में उल्लेखित किसी जाति/वर्ग को जोड़ने या हटाने की शक्ति राज्य सरकार को प्रदत है।

3. पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग से प्राप्त सलाह के आलोक में राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–II) के क्रमांक–12 पर दर्ज 'तमोली' जाति को अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–I) के रिक्त क्रमांक–123 पर तथा पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–II) के क्रमांक–19 पर दर्ज 'बरई' जाति को अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–I) के रिक्त क्रमांक–124" पर दर्ज किये जाने के साथ–साथ पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–II) के क्रमांक–12 पर से 'तमोली' जाति को तथा पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–II) के क्रमांक–19 पर से 'बरई' जाति को विलोपित किया जाय।

तद्नुसार झारखण्ड राज्य के अत्यन्त पिछड़े वर्गो की सूची (अनुसूची–1) एवं पिछड़े वर्गो की सूची (अनुसूची–2) का संशोधित रुप निम्नवत है:–

समावेशन(अनुसूची–I)

(i) अत्यन्त पिछड़े वर्गो की सूची (अनुसूची–1) के रिक्त क्रमांक–123 पर 'तमोली' को समावेशित किया जाय।

(ii) अत्यन्त पिछड़े वर्गो की सूची (अनुसूची–1) के रिक्त क्रमांक–124 पर 'बरई' को समानेशित किया जाय।

विलोपन(अनुसूची–2)

(i) चूँकि तमोली जाति को अत्यन्त पिछड़े वर्गो की सूची (अनुसूची–1) के क्रमांक–123 पर समावेशित किया गया है, अतएव तमोली जाति को पिछड़े वर्गो की सूची (अनुसूची–2) के क्रमांक–12 से विलोपित किया जाय।

(ii) चूँकि बरई जाति को अत्यन्त पिछड़े वर्गो की सूची (अनुसूची–1) के क्रमांक–124 पर समावेशित किया गया है, अतएव बरई जाति को पिछड़े वर्गो की सूची (अनुसूची–2) के क्रमांक–19 से विलोपित किया जाय।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में झारखण्ड पदों एंव सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गो के लिए) अधिनियम, 2001 की अनुसूची–1 का सुसंगत अंश इस हद तक संशोधित माना जायेगा।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति झारखण्ड राजपत्र में जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

26/12/16

(निधि खरे)

सरकार के प्रधान सचिव।

11082 27/12/16

ज्ञापांक–14 / जा0नि0–03–07 / 2016 का॰– .... / रांची, दिनांक ....

प्रतिलिपि :– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

26/12/16

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–14 / जा0नि0–03–07 / 2016 का॰– 11082 / रांची, दिनांक 27/12/16

प्रतिलिपि :– महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव / मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, राँची / सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / मुख्य सचिव के सचिव / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी उपायुक्त / सदस्य सचिव, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों / राज्य के सभी लोक उपक्रमों / निगमों / निकायों / परिषदों / विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों / विद्यालयों को इस निर्णय से अवगत कराने की कृपा की जाय।

26/12/16

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–14 / जा0नि0–03–07 / 2016 का॰– 11082 / रांची, दिनांक 27/12/16

प्रतिलिपि :– सदस्य सचिव, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, त्रिकुट–1, भिखाजी कामा पैलेस, नई दिल्ली–110066 / निदेशक (एस0 सी0 डी0), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि झारखण्ड राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग की केन्द्रीय सूची में सम्मिलित करने के संबंध में यथा स्थिति कार्रवाई की जाय।

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–14 / जा0नि0–03–07 / 2016 का॰– 11082 / रांची, दिनांक 27/12/16

प्रतिलिपि :– सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई–गवर्नेन्स विभाग, झारखण्ड, राँची को तद्नुसार ऑन–लाईन जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने सम्बन्धी पिछड़े वर्गों की सूची परिवर्द्धित करने हेतु अग्रसारित।

सरकार के प्रधान सचिव।

संचिका सं0–14/जा0नि0–19–09/2005 का.– 10564 13/04/2016

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

विषय : "बागाल/खण्डवाल" जाति की समजातियों यथा खन्डवाल/खन्डुआल/खुन्डवाड/खण्डईत/खण्डाईत/खन्डाईत/खन्डाइत/खंडाईत/खन्डइत/खंडयत/खन्डायत/खण्डाएत/खण्डाईयत/खन्डेत/खन्डैत/खन्डैयत/खैन्डेयत/खैन्डायत/खंडवत/खंडाल को राज्य के अत्यन्त पिछड़े वर्गो की सूची (अनुसूची–1) के क्रमांक–113 पर दर्ज "बागाल/खण्डवाल" के साथ कोष्टक में शामिल करने के सम्बन्ध में।

झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गो के लिए) अधिनियम, 2001 की धारा–2 में अत्यन्त पिछड़े वर्गों एवं पिछड़े वर्गों को परिभाषित किया गया है तथा इसमें सम्मिलित वर्ग को इस अधिनियम की अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 में क्रमशः विनिर्दिष्ट किया गया है।

2. उक्त अधिनियम की धारा–14 (अ) में अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 में उल्लेखित किसी जाति/वर्ग को जोड़ने या हटाने की शक्ति राज्य सरकार को प्रदत है।

3. पिछड़े वर्गो के लिए राज्य आयोग द्वारा राज्य सरकार को दी गई सलाह/परामर्श कि "झारखण्ड राज्य के अन्य पिछड़ी जाति की सूची (अनुसूची–1) के क्रमांक–113 में दर्ज "बागाल/खण्डवाल" जाति के साथ "बागाल/खण्डवाल" की समजातियाँ खन्डवाल/खन्डुआल/खुन्डवाड/खण्डईत/खण्डाईत/खन्डाईत/खन्डाइत/खंडाईत/खन्डइत/खंडयत/खन्डायत/खण्डाएत/ खण्डाईयत/खन्डेत/ खन्डैत/ खन्डैयत/खैन्डेयत/खैन्डायत/खंडवत/खंडाल) को कोष्टक में शामिल किया जाय" के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि झारखण्ड राज्य के अत्यन्त पिछड़े वर्गो की सूची (अनुसूची–1) के क्रमांक 113 को निम्नरूपेण परिवर्द्धित की जायः–

परिवर्द्धित स्वरुप निम्न प्रकार है :–

क्रमांक–113– "बागाल/खण्डवाल" (खन्डवाल/ खन्डुआल/ खुन्डवाड/ खण्डईत/ खण्डाईत/खन्डाईत/खन्डाइत/खंडाईत/खन्डइत/ खंडयत/ खन्डायत/ खण्डाएत/ खण्डाईयत/खन्डेत/खन्डैत/खन्डैयत/खैन्डेयत/खैन्डायत/खंडवत/खंडाल)।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में झारखण्ड पदों एंव सेवाओं की रिक्तिगों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गो के लिए) अधिनियग, 2001 की अनुसूची–1 का सुसंगत अंश इस हद तक संशोधित माना जायेगा।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति झारखण्ड राजपत्र में जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(निधि खरे) 6/4/16

सरकार के प्रधान सचिव।

कृ0पृ0उ0

ज्ञापांक–14 / जा0नि0–19–09 / 2005 का0– 10564 / रांची, दिनांक 13.12.16

प्रतिलिपि :– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

6.12.16

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–14 / जा0नि0–19–09 / 2005 का0– 10564 / रांची, दिनांक 13.12.16

प्रतिलिपि :– महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव / मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, राँची / सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / मुख्य सचिव के सचिव / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी उपायुक्त / सदस्य सचिव, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों / राज्य के सभी लोक उपक्रमों / निगमों / निकायों / परिषदों / विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों / विद्यालयों को इस निर्णय से अवगत कराने की कृपा की जाय।

6.12.16

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–14 / जा0नि0–19–09 / 2005 का0– 10564 / रांची, दिनांक 13.12.16

प्रतिलिपि :– सदस्य सचिव, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, त्रिकुट–1, भिखाजी कामा पैलेस, नई दिल्ली–110066 / निदेशक (एस0 सी0 डी0), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि झारखण्ड राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग की केन्द्रीय सूची में सम्मिलित करने के संबंध में यथा स्थिति कार्रवाई की जाय।

6.12.16

सरकार के प्रधान सचिव।

(215)
5555
28.06.2016

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

विषय :– झारखण्ड राज्य में निवासरत आदिम जनजाति समुदायों के सदस्यों को आरक्षण की विशेष सुविधा।

झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 एवं अन्य अनुषंगी संकल्पों के अनुसार राज्य के सभी प्रकार के राज्यस्तरीय स्थापनाओं में आरक्षण की व्यवस्था निम्नवत की गई है :–

(क)	अनुसूचित जाति	–	10 प्रतिशत
(ख)	अनुसूचित जनजाति	–	26 प्रतिशत
(ग)	अन्य पिछड़ा वर्ग(अनु–01)	–	8 प्रतिशत
(घ)	पिछड़ा वर्ग(अनु–02)	–	6 प्रतिशत

2. संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 (अद्यतन संशोधन) के अनुसार झारखण्ड राज्य के लिए अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध 32 जनजातीय समुदायों में से असुर, बिरहोर, बिरजिया, कोरवा, सावर (हिल खड़िया सहित), माल पहाड़िया, परहैया एवं सौरिया पहाड़िया की पहचान आदिम जनजाति (Primitive Tribal Group) के रूप में की गई है। ये जनजातियाँ अन्य अनुसूचित जनजातियों की तुलना में सुदूर ग्रामों, घने जंगलों, उँचे पहाड़ इत्यादि दुर्गम स्थानों पर निवास करते हैं। ये अपनी जीविका के लिए वनाखेट, झूमकृषि एवं खाद्य संग्रहण इत्यादि पर निर्भर है। वनों पर बढ़ते हुए दबाव एवं उनके संरक्षण की आवश्यकता तथा न्यून साक्षरता दर के कारण इनकी स्थिति में विशेष परिवर्तन नहीं दीख रहा है।

3. वर्ष 2011 की जनगणना प्रतियेदन के अनुसार झारखण्ड राज्य में आदिम जनजातियों की संख्या 2,92,359 है जो राज्य में अनुसूचित जनजाति की कुल आबादी का 3.38 प्रतिशत रही है। उस वर्ष अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर 47.44 प्रतिशत की तुलना में इनकी साक्षरता मात्र 30.94 प्रतिशत रही है।

आदिम जनजातियों के शिक्षित बेरोजगार युवक/युवतियों को सामान्य प्रक्रिया में छूट देकर तृतीय/चतुर्थ वर्गीय पदों पर सीधी नियुक्ति की व्यवस्था करने सम्बन्धी कल्याण विभाग द्वारा लिये गये निर्णय के बावजूद इनकी स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं पाया गया।

4. सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है, कि :–

(I) संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत आदिम जनजातियों को न्यूनतम 2 प्रतिशत पद उपलब्ध कराया जाय, जो अनुसूचित जनजाति के लिए चिन्हित पद में से विनियमित होगा। यह आरक्षण क्षैतिज रूप से उपलब्ध होगा।

(II) ये पद आदिम जनजातियों के वैसे अभ्यर्थियों से भरे जायेंगे, जो न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करते हों। मेधा सूची में यदि अनुमान्य आदिम जनजाति के सदस्य स्वतः आ जाते हैं तो आदिम जनजाति के लिए अलग से अभ्यर्थी के चयन की अपेक्षा नहीं होगी, किन्तु यदि आदिम जनजाति के सदस्य अनुसूचित जनजाति की मेधा सूची में नहीं आते, तो उन्हें मेधा क्रमानुसार 2 प्रतिशत पद उपलब्ध करा दिये जाएँगे। न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करनेवाले आदिम जनजाति के अभ्यर्थियों के अभाव में से ये पद रिक्त नहीं रहेंगे अपितु अनुसूचित जनजाति के अन्य योग्य उम्मीदवारों से भरे जायेंगे अर्थात् कोई बैकलॉग नहीं होगा।

(III) यह व्यवस्था राज्य स्तरीय/जिला स्तरीय सभी पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में रहेगी।

(IV) यह व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 15(4) के अधीन राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय विनिर्दिष्ट शिक्षण संस्थानों में नामांकन में भी उपलब्ध होगी।

(V) इन आदिम जनजातियों के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के अवसरों की संख्या तथा प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो अनुसूचित जनजाति को अनुमान्य है।

आदेशः– आदेश है कि सर्व साधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति महालेखाकार, झारखण्ड/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(एन0एन0 पाण्डेय) 28.6.16

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

(213)

ज्ञापांक–14/जा0नि0–03–04/2016 का0 5555 /राँची, दिनांक 28.06.2016

प्रतिलिपि– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रांची को ई–गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर मुख्य सचिव। 28.6.16

ज्ञापांक–14/जा0नि0–03–04/2016 का0 5555 /राँची, दिनांक 28.06.2016

प्रतिलिपि– महालेखाकार, झारखण्ड, रांची/सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग,रांची/झारखण्ड संयुक्त प्रवेश परीक्षा पर्षद, रांची/सदस्य सचिव, पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, रांची/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, रांची/सचिव, झारखण्ड विधानसभा/सभी विश्वविद्यालय के कुलपति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रत्येक विभाग/विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि उनके अधीनस्थ सभी स्थानीय निकायों/निगमों/लोक सेवा उपक्रमों/पर्षदों को अविलम्ब सूचना करा दें।

सरकार के अपर मुख्य सचिव। 28.6.16

(37)

4997
15/6/16

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

राँची, दिनांक– जून, 2016

विषयः– **बारी (Bari) जाति को झारखण्ड राज्य के अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–1) के क्रमांक–51 पर वारी (Wari) के साथ वारी/बारी (Wari/ Bari) के रूप में सम्मिलित करने के संबंध में।**

झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की धारा–2 में अत्यंत पिछड़े वर्गों एवं पिछड़े वर्गों की परिभाषित किया गया है तथा इसमें सम्मिलत वर्ग को इस अधिनियम की अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 में क्रमशः विनिर्दिष्ट किया गया है।

2. उक्त अधिनियम की धारा–14 (अ) में अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 में उल्लेखित किसी जाति/वर्ग को जोड़ने या हटाने की शक्ति राज्य सरकार को प्रदत्त है।

3. पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग द्वारा राज्य सरकार को दी गई सलाह/परामर्श कि "झारखण्ड राज्य के पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–1) के क्रमांक–51 पर अंकित वारी (Wari) के साथ बारी (Bari) जाति को वारी/बारी (Wari/ Bari) के रूप में समावेशित किया जाय" के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि झारखण्ड पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–1) में निम्नरूपेन परिवर्द्धन की जाय;

परिवर्द्धित स्वरूप निम्न प्रकार हैः–

क्रमांक–51 : वारी/बारी (Wari/ Bari)

आदेशः आदेश दिया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की अनुसूची–1 का सुसंगत अंश इस हद तक संशोधित माना जायेगा।

2. आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति झारखण्ड राजपत्र में जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
9.6.16
(निधि खरे)
सरकार के प्रधान सचिव।
कृ0पृ0उ0/–

ज्ञापांक–14 / जा0नि0–03–02 / 2016 का0 4997 / राँची, दिनांक– 15/6/16

प्रतिलिपिः– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को ई–गजट के असाधाण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

9/6/16

(निधि खरे)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–14 / जा0नि0–03–02 / 2016 का0 4997 / राँची, दिनांक– 15/6/16

प्रतिलिपिः– महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव / मख्यमंत्री के प्रधान सचिव / सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / मुख्य सचिव के सचिव / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी उपायुक्त / सदस्य सचिव, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों / राज्य के सभी लोक उपक्रमों / निगमों / निकायों / परिषदों / विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों / विद्यालयों को इस निर्णय से अवगत कराने की कृपा की जाय।

9/6/16

(निधि खरे)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–14 / जा0नि0–03–02 / 2016 का0 4997 / राँची, दिनांक– 15/6/16

प्रतिलिपिः– सदस्य सचिव, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, त्रिकूट–1, भिखाजी कामा पैलेस, नई दिल्ली–110066 / निदेशक (एस0सी0डी0), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि झारखण्ड राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग की केन्द्रीय सूची में उक्त जाति को सम्मिलत करने के संबंध में यथा–स्थिति कार्रवाई की जाय।

9/6/16

(निधि खरे)
सरकार के प्रधान सचिव।

(35)

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

4675
3/6/16

राँची, दिनांक–

विषयः– **झारखण्ड राज्य की राजभाट/ब्रहमभाट (ब्रहमभट) जाति को भाट (हिन्दू) के साथ झारखण्ड राज्य के पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–II) के क्रमांक–36 पर समावेशित करने के संबंध में।**

झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की धारा–2 में अत्यंत पिछड़े वर्गों एवं पिछड़े वर्गों की परिभाषित किया गया है तथा इसमें सम्मिलत वर्ग को इस अधिनियम की अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 में क्रमशः विनिर्दिष्ट किया गया है।

2. उक्त अधिनियम की धारा–14 (अ) में अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 में उल्लेखित किसी जाति/वर्ग को जोड़ने या हटाने की शक्ति राज्य सरकार को प्रदत्त है।

3. पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग द्वारा राज्य सरकार को दी गई सलाह/परामर्श कि "झारखण्ड राज्य के पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–2) के क्रमांक–36 पर अंकित भाट (हिन्दू) के साथ "राजभाट/ब्रहमभाट (ब्रहमभट) को समावेशित किया जाय" के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि झारखण्ड पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–II) में निम्नरूपेन परिवर्द्धन **की जाय;**

परिवर्द्धित स्वरूप निम्न प्रकार है:–

क्रमांक–36 : भाट, राजभाट/ब्रहमभाट (ब्रहमभट) (हिन्दू)

आदेशः आदेश दिया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की अनुसूची–2 का सुसंगत अंश इस हद तक संशोधित माना जायेगा।

2. आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति झारखण्ड राजपत्र में जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(निधि खरे)
सरकार के प्रधान सचिव।
कृ0पृ0उ0/–

-

ज्ञापांक–14 / जाति–03–08 / 2012 का0 4675 / राँची, दिनांक– 3/6/15

प्रतिलिपिः– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को ई–गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

(निधि खरे) 30/5/16
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–14 / जाति–03–08 / 2012 का0 4675 / राँची, दिनांक– 3/6/15

प्रतिलिपिः– महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव / मख्यमंत्री के प्रधान सचिव / सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / मुख्य सचिव के सचिव / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी उपायुक्त / सदस्य सचिव, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों / राज्य के सभी लोक उपक्रमों / निगमों / निकायों / परिषदों / विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों / विद्यालयों को इस निर्णय से अवगत कराने की कृपा की जाय।

(निधि खरे) 30/5/16.
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–14 / जाति–03–08 / 2012 का0 4675 / राँची, दिनांक– 3/6/15

प्रतिलिपिः– सदस्य सचिव, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, त्रिकूट–1, भिखाजी कामा पैलेस, नई दिल्ली–110066 / निदेशक (एस0सी0डी0), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि झारखण्ड राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग की केन्द्रीय सूची में उक्त जाति को सम्मिलत करने के संबंध में यथा–स्थिति कार्रवाई की जाय।

(निधि खरे) 30/5/16.
सरकार के प्रधान सचिव।

सं.–14 / जा0नि0–03–03 / 2016 का0..........2574

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग। 28/3/16

संकल्प

राँची, दिनांक– ...... / 03 / 2016

विषय : "मलिक (मुस्लिम)" को झारखण्ड राज्य के पिछड़े वर्गों की सूची (अनूसूची–II) के रिक्त क्रमांक–45 पर शामिल करने के संबंध में।

झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गो के लिए) अधिनियम 2001 की धारा–2 में अत्यन्त पिछड़े वर्गो एवं पिछड़े वर्गो को परिभाषित किया गया है तथा इसमें सम्मिलित वर्ग को इस अधिनियम की अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 में क्रमशः विनिर्दिष्ट किया गया है।

2. उक्त अधिनियम की धारा–14 (अ) में अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 में उल्लेखित किसी जाति / वर्ग को जोड़ने या हटाने की शक्ति राज्य सरकार को प्रदत है।

3. पिछड़े वर्गो के लिए राज्य आयोग द्वारा राज्य सरकार को दी गई सलाह कि "आयोग, पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग अधिनियम–2002 की धारा–9(1) के अधीन "मलिक (मुस्लिम)" जाति को राज्य के पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–II) में अन्तिम प्रवृष्टि में "मलिक (मुस्लिम)" जाति को शामिल करने का सलाह देती है" के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि झारखण्ड पिछडे वर्गो की सूची (अनुसूची–II) में निम्नरूपेण परिवर्द्धन की जाय :–

समावेशन(अनुसूची–II)

(i) मलिक (मुस्लिम) जाति को क्रमांक–44 के बाद रिक्त क्रमांक–45 पर दर्ज किया जाय।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में झारखण्ड पदों एंव सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गो के लिए) अधिनियम, 2001 की अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 उपरोक्त अंश तक संशोधित माना जायेगा।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति झारखण्ड राजपत्र में जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

17/03/16

(रतन कुमार)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–14/जा0नि0–03–03/2016 का॰– 2574 / रांची, दिनांक 28/03/16

प्रतिलिपि :– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–14/जा0नि0–03–03/2016 का॰– 2574 / रांची, दिनांक 28/03/16

प्रतिलिपि :– महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, राँची/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/मुख्य सचिव के सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सदस्य सचिव, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों/राज्य के सभी लोक उपकमों/निगमों/ निकायों /परिषदों/विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/विद्यालयों को इस निर्णय से अवगत कराने की कृपा की जाय।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–14/जा0नि0–03–03/2016 का॰– 2574 / रांची, दिनांक 28/03/16

प्रतिलिपि :– सदस्य सचिव, राष्ट्रीय पिछडा वर्ग आयोग, त्रिकुट–1, भिखाजी कामा पैलेस, नई दिल्ली–110066/निदेशक (एस0 सी0 डी0), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि झारखण्ड राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग की केन्द्रीय सूची में सम्मिलित करने के संबंध में यथा स्थिति कार्रवाई की जाय।

सरकार के सचिव।

सं.–14 / जा0नि0–19–04 / 2007 का0...10759

(114)

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

राँची, दिनांक– 18/12/2015

विषय :परगहा (परिगाह) / पलीआर / पलीयार को झारखण्ड राज्य के पिछड़े वर्गो की सूची (अनूसूची–I) में क्रमांक–117 पर सम्मिलित परघा / परिघा / पैरघा जाति के कोष्ठक में शामिल करने के संबंध में।

झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गो के लिए) अधिनियम 2001 की धारा–2 में अत्यन्त पिछड़े वर्गो एवं पिछड़े वर्गो को परिभाषित किया गया है तथा इसमें सम्मिलित वर्ग को इस अधिनियम की अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 में क्रमशः विनिर्दिष्ट किया गया है।

2. उक्त अधिनियम की धारा–14 (अ) में अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 में उल्लेखित किसी जाति / वर्ग को जोड़ने या हटाने की शक्ति राज्य सरकार को प्रदत है।

3. पिछड़े वर्गो के लिए राज्य आयोग द्वारा राज्य सरकार को दी गई सलाह / परामर्श कि परगहा (परिगाह) / पलीआर / पलीयार जो परघा / परिघा / पैरघा की उपजाति है, को झारखण्ड राज्य के पिछड़े वर्गो की सूची (अनूसूची–I) के क्रमांक–117 पर अंकित परघा / परिघा / पैरघा जाति के साथ कोष्ठक में सम्मिलित करने की परामर्श / सलाह देती है" के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि झारखण्ड पिछडे वर्गो की सूची (अनुसूची–2) में निम्नरूपेण परिवर्द्धित की जाय।

परिवर्द्धित स्वरुप निम्न प्रकार है :–

क्रमांक–117 :– परघा / परिघा / पैरघा **(परगहा (परिगाह) / पलीआर / पलीयार)।**

आदेश : आदेश दिया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में झारखण्ड पदों एंव सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गो के लिए) अधिनियम, 2001 की अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 उपरोक्त अंश तक संशोधित माना जायेगा।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति झारखण्ड राजपत्र में जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(रतन कुमार) 18/12/15

सरकार के सचिव।

(113)

ज्ञापांक–14 / जा0नि0–19–04 / 2007 का.– 10759 / रांची, दिनांक 18/12/2015

प्रतिलिपि :– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

ह. 18/12/15
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–14 / जा0नि0–19–04 / 2007 का.– 10759 / रांची, दिनांक 18/12/2015

प्रतिलिपि :– महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव / मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, राँची / सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / मुख्य सचिव के सचिव / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी उपायुक्त / सदस्य सचिव, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों / राज्य के सभी लोक उपकमों / निगमों / निकायों / परिषदों / विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों / विद्यालयों को इस निर्णय से अवगत कराने की कृपा की जाय।

ह. 18/12/15
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–14 / जा0नि0–19–04 / 2007 का.– 10759 / रांची, दिनांक 18/12/2015

प्रतिलिपि :– सदस्य सचिव, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, त्रिकुट–1, भिखाजी कामा पैलेस, नई दिल्ली–110066 / निदेशक (एस0 सी0 डी0), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि झारखण्ड राज्य के अन्य पिछडा वर्ग की केन्द्रीय सूची में सम्मिलित करने के संबंध में यथा स्थिति कार्रवाई की जाय।

ह. 18/12/15
सरकार के सचिव।

संचिका सं0–14 / जा0नि0–03–08 / 2015 का0– ..10760....... /

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

राँची दिनांक ..18. / 12 / 2015

विषय : **सूढ़ी (सूड़ी / सूंडी) जाति को झारखण्ड राज्य की पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–2) के क्रमांक– 20 पर दर्ज बनिया की उपजाति ''सूढ़ी'' को विलोपित करते हुए झारखण्ड राज्य की पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–1) में सम्मिलित करने के संबंध में।**

झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गो के लिए) अधिनियम 2001 की धारा–2 में अत्यन्त पिछड़े वर्गो एवं पिछड़े वर्गो को परिभाषित किया गया है तथा इसमें सम्मिलित वर्ग को इस अधिनियम की अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 में क्रमशः विनिर्दिष्ट किया गया है।

2. उक्त अधिनियम की धारा–14 (अ) में अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 में उल्लेखित किसी जाति / वर्ग को जोड़ने या हटाने की शक्ति राज्य सरकार को प्रदत है।

3. पिछड़े वर्गो के लिए राज्य आयोग द्वारा राज्य सरकार को दी गई सलाह / परामर्श कि '' सूढ़ी (सूड़ी / सूंडी) जाति को झारखण्ड राज्य के पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–II) के क्रमांक–20 पर दर्ज बनिया की उपजाति सूढ़ी को विलोपित करते हुए सूढी (सूड़ी / सूंड़ी) जाति को अत्यंत पिछड़े वर्गो की सूची (अनुसूची–I) में दर्ज किया जाय,'' के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि झारखण्ड पिछडे वर्गो की सूची (अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2) में निम्नरूपेण परिवर्द्धन / विलोपन की जायः–

समावेशन(अनुसूची–1)

(i) सूढ़ी (सूडी / सूंडी) जाति को क्रमांक– 121 के बाद रिक्त क्रमांक– 122 पर दर्ज किया जाय।

विलोपन(अनुसूची–2)

(i) चूँकि सूढ़ी (सूड़ी / सूंडी) जाति को अत्यन्त पिछड़े वर्गो की सूची (अनुसूची–1) के क्रमांक – 122 पर समावेशित किया गया है, अतएव सूढ़ी जाति को पिछड़े वर्गो की सूची (अनुसूची–2) के क्रमांक – 20 से विलोपित किया जाय।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में झारखण्ड पदों एंव सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गो के लिए) अधिनियम, 2001 की अनुसूची–1 का सुसंगत अंश इस हद तक संशोधित माना जायेगा।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति झारखण्ड राजपत्र में जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(रतन कुमार)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–14 / जा0नि0–03–08 / 2015 का॰– 10760 / रांची, दिनांक 18/12/2015

प्रतिलिपि :– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

ह॰ 18/12/15
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–14 / जा0नि0–03–08 / 2015 का॰– 10760 / रांची, दिनांक 18/12/2015

प्रतिलिपि :– महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव / मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, राँची / सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / मुख्य सचिव के सचिव / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी उपायुक्त / सदस्य सचिव, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों / राज्य के सभी लोक उपक्रमों / निगमों / निकायों / परिषदों / विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों / विद्यालयों को इस निर्णय से अवगत कराने की कृपा की जाय।

ह॰ 18/12/15
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–14 / जा0नि0–03–08 / 2015 का॰– 10760 / रांची, दिनांक 18/12/2015

प्रतिलिपि :– सदस्य सचिव, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, त्रिकुट–1, भिखाजी कामा पैलेस, नई दिल्ली–110066 / निदेशक (एस0 सी0 डी0), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि झारखण्ड राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग की केन्द्रीय सूची में सम्मिलित करने के संबंध में यथा स्थिति कार्रवाई की जाय।

ह॰ 18/12/15
सरकार के सचिव।

संचिका सं0—14/जा0नि0—03—06/2014 का.— ..../ (99)

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग। 6578 23/07/2015

संकल्प

विषय : झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियिम, 2001 के अनुसूची –1 तथा अनुसूची –2 में कतिपय संशोधन।

झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 2001 की धारा–2 में अत्यन्त पिछड़े वर्गो एवं पिछड़े वर्गो को परिभाषित किया गया है तथा इसमें सम्मिलित वर्ग को इस अधिनियम की अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 में क्रमशः विनिर्दिष्ट किया गया है।

2. उक्त अधिनियम की धारा–14 (अ) में अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 में उल्लेखित किसी जाति/वर्ग को जोड़ने या हटाने की शक्ति राज्य सरकार को प्रदत है।

3. पिछड़े वर्गो के लिए राज्य आयोग द्वारा राज्य सरकार को दी गई सलाह/परामर्श कि " तेली (कुलु/गोराई)" जाति को झारखण्ड राज्य के अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–I) में समावेशित/दर्ज किया जाय तथा पिछड़े घर्गो की सूची (अनुसूची–II) के क्रमांक–13 से तेली (कुलु/गोराई) जाति को विलोपित किया जाय," के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि झारखण्ड पिछड़े वर्गो की सूची (अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2) में निम्नरूपेण परिवर्द्धन की जायः–

समावेशन(अनुसूची–1)

(i) तेली (कुलु/गोराई) जाति को क्रमांक– 120 के बाद रिक्त क्रमांक– 121 पर दर्ज किया जाय।

विलोपन(अनुसूची–2)

(i) चूँकि तेली (कुलु/गोराई) जाति अत्यन्त पिछड़े वर्गो की सूची (अनुसूची–1) के क्रमांक – 121 पर समावेशित किया गया है, अतएव तेली (कुलु/गोराई) जाति को पिछड़े वर्गो की सूची (अनुसूची–2) के क्रमांक – 13 से विलोपित किया जाय।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में झारखण्ड पदों एंव सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गो के लिए) अधिनियम, 2001 की अनुसूची–1 का सुसंगत अंश इस हद तक संशोधित माना जायेगा।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति झारखण्ड राजपत्र में जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(रतन कुमार)

सरकार के सचिव।

(98)

ज्ञापांक–14/जा0नि0–03–06/2014 का॰– 6548/रांची, दिनांक 23/7/15

प्रतिलिपि :– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–14/जा0नि0–03–06/2014 का॰– 6548/ रांची, दिनांक 23/7/15

प्रतिलिपि :– महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, राँची/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/मुख्य सचिव के सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सदस्य सचिव, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों/राज्य के सभी लोक उपक्रमों/ निगमों/ निकायों /परिषदों/विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/विद्यालयों को इस निर्णय से अवगत कराने की कृपा की जाय।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–14/जा0नि0–03–06/2014 का॰– 6548 / रांची, दिनांक 23/7/15

प्रतिलिपि :– सदस्य सचिव, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, त्रिकुट–1, भिखाजी कामा पैलेस, नई दिल्ली–110066/निदेशक (एस0 सी0 डी0), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि झारखण्ड राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग की केन्द्रीय सूची में सम्मिलित करने के संबंध में यथा स्थिति कार्रवाई की जाय।

सरकार के सचिव।

संचिका सं0–14/जा0नि0–03–07/2014 का0........
झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

विषय : झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 के अनुसूची – 1 तथा अनुसूची – 2 में कतिपय संशोधन।

झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 2001 की धारा–2 में अत्यन्त पिछड़े वर्गों एवं पिछड़े वर्गों को परिभाषित किया गया है [illegible] इसमें सम्मिलित वर्गों को इस अधिनियम की अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 में क्रमशः विनिर्दिष्ट किया गया है।

2. उक्त अधिनियम की धारा–14 (अ) में अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 में उल्लिखित किसी जाति [illegible] [illegible] की शक्ति राज्य सरकार को प्रदत्त है।

3. पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग द्वारा राज्य सरकार को दी गई सलाह/परामर्श कि [illegible] को झारखण्ड के पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–2) के क्रमांक–20 में दर्ज बनिया के प्रकोष्ठ में [illegible] गंधबनिक के साथ "गंधबनिक/गंधबनिया" के रुप में समावेशित किया जाय," के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि झारखण्ड पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–2) में निम्नरूपेण परिवर्द्धन की जाय।

[illegible]

क्रमांक 20 बनिया [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] रौनियार/सावजी/साहु एवं विवाहित कलवार, जायसवाल/जैशवार, पटवा, कमलापुरी, वैश्य, बनिया [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] वैश्य (बंगाली बनिया), बर्नवाल, अग्रहरी वैश्य, [illegible] [illegible] गंधबनिक/*गंधबनिया*/ओमर/उमर वैश्य/वैश बनिया एवं एकादश बनिया, बनिया(बनवार)।

[illegible] है कि राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 उपरोक्त अंश तक संशोधित माना जायेगा।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति झारखण्ड राजपत्र में जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(एस0के0 शतपथी)

सरकार के प्रधान सचिव,

[illegible] दिनांक [illegible].07.2014 [illegible]

[illegible]

प्रतिलिपि :- [illegible] सम्बन्धित [illegible] हेतु प्रेषित।

[illegible]

[illegible] दिनांक 05.07.2014 [illegible]

प्रतिलिपि :- महालेखाकार राजस्थान [illegible] राज्य सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्षों/मुख्य सचिव के सचिव/सभी [illegible] सत्य निष्ठा की शपथ की सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों [illegible] सभी [illegible] विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/विद्यालयों को इस निर्णय से [illegible]

सरकार के संयुक्त सचिव

[illegible]

[illegible] दिनांक 08.07.2014 [illegible]

[illegible] अनुरोध के साथ प्रेषित है [illegible] करने के संबंध में यथा स्थिति कार्यवाही की जाय।

सरकार के प्रमुख सचिव

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

3556
20/01/2015

विषय : झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियिम, 2001 के अनुसूची –1 तथा अनुसूची –2 में कतिपय संशोधन।

झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियो मे आरक्षण (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियो एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 2001 की धारा–2 मे अत्यन्त पिछड़े वर्गों एवं पिछड़े वर्गों को परिभाषित किया गया है तथा इसमें सम्मिलित वर्ग को इस अधिनियम की अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 में क्रमशः विनिर्दिष्ट किया गया है।

2. उक्त अधिनियम की धारा 14 (अ) मे अनुसूची –1 एवं अनुसूची–2 में उल्लेखित किसी जाति/वर्ग को जोड़ने या हटाने की शक्ति राज्य सरकार को प्रदत है।

3. पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग द्वारा राज्य सरकार को दी गई सलाह/परामर्श कि "राजभट (मुस्लिम) जाति को झारखण्ड के पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–1) के क्रमांक–88 में दर्ज भाट (मुस्लिम) जाति के साथ भाट/राजभट (मुस्लिम) के रूप में दर्ज किया जाय," के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि झारखण्ड पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–1) में निम्नरूपेण परिवर्द्धित की जाय;

परिवर्द्धित स्वरुप निम्न प्रकार है :–

क्रमांक–88– भाट/राजभट (मुस्लिम)।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक मे झारखण्ड पदो एव सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एव पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की अनुसूची–1 का सुसंगत अंश इस हद तक संशोधित माना जायेगा।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति झारखण्ड राजपत्र मे जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(एस0 के0 शतपथी)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–14 / जा0नि0–03–06 / 2014 का.– 3556 / रांची, दिनांक 20/04/2015

प्रतिलिपि :– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–14 / जा0नि0–03–06 / 2014 का.– 3556 / रांची, दिनांक 20/04/2015

प्रतिलिपि :– महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव / मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, राँची / सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / मुख्य सचिव के सचिव / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी उपायुक्त / सदस्य सचिव, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों / राज्य के सभी लोक उपक्रमों / निगमों / निकायों / परिषदों / विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों / विद्यालयों को इस निर्णय से अवगत कराने की कृपा की जाय।

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–14 / जा0नि0–03–06 / 2014. का.– 3556 / रांची, दिनांक 20/04/2015

प्रतिलिपि :– सदस्य सचिव, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, त्रिकुट–1, भिखाजी कामा पैलेस, नई दिल्ली–110066 / निदेशक (एस0 सी0 डी0), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि झारखण्ड राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग की केन्द्रीय सूची में सम्मिलित करने के संबंध में यथा स्थिति कार्रवाई की जाय।

सरकार के प्रधान सचिव।

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

विषय: झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 के अनुसूची–1 तथा अनुसूची –2 में कतिपय संशोधन।

झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों मे आरक्षण (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 2001 की धारा 2 मे अत्यन्त पिछड़े वर्गों एवं पिछड़े वर्गो को परिभाषित किया गया है तथा इसमें सम्मिलित वर्ग को इस अधिनियम की अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 में क्रमशः विनिर्दिष्ट किया गया है।

2. उक्त अधिनियम की धारा–14 (अ) में अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 में सम्मिलित किसी जाति [illegible] को जोड़ने या हटाने की शक्ति राज्य सरकार को प्रदत्त है।

3. पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग द्वारा राज्य सरकार को दी गई सलाह/परामर्श [illegible] (बनवार) जाति को झारखण्ड के पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–2) के क्रमांक–20 में दर्ज बनिया के [illegible] उपजाति वैश बनिया एवं एकादश बनिया के बाद बनिया (बनवार) को समावेशित किया जाए [illegible] में सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि झारखण्ड पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची 2) में निम्नरूपेण परिवर्द्धित की जाय।

परिवर्द्धित स्वरूप निम्न प्रकार है:-

क्रमांक 20:– बनिया (सूढ़ी, हलवाई, रौनियार, पनसारी, मोदी, कसेरा, केशरवानी, [illegible], कलाल/एराकी/राकी एवं वियाहुत कलवार, जायसवाल/जैशवार, पटवा, कमलापुरी वैश्य, बनिया, [illegible] वैश्य, [illegible] बनिया, बर्णी वैश्य (बंगाली बनिया), बर्नवाल, अग्रहरी वैश्य, (पोद्दार [illegible]), गंधबनिक/ओमर/उमर वैश्य/वैश बनिया एवं एकादश बनिया, **बनिया (बनवार)**।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 2001 की अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 उपरोक्त अंश तक संशोधित माना जायेगा।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति झारखण्ड राजपत्र में जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-
(एन० एन० पाण्डेय)
अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक 14/[illegible]-03-09/2014 का०..................../ राँची, दिनांक [illegible]

प्रतिलिपि — नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

ह०/-
(एन० एन० पाण्डेय)
अपर मुख्य सचिव
[illegible]

ज्ञापांक- 14 / जा0नि0-03-09 / 2014 का0........................./ राँची, दिनांक- [illegible]

प्रतिलिपि :- महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/ [illegible] सचिवों/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/मुख्य सचिव के सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सदस्य सचिव, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों/राज्य के सभी लोक उपक्रमों/ [illegible] परिषदों/ विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों/ विद्यालयों को इस निर्णय से अवगत कराने की कृपा की जाय।

(एस0 एन0 तिवारी)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक-14 / जा0नि0-03-09 / 2014 का0........................./ राँची, दिनांक- [illegible]

प्रतिलिपि :- सदस्य सचिव, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, त्रिकुट-1, भिखाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066 / निदेशक (एस0 सी0 डी0), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आरक्षण राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग को केन्द्रीय सूची में सम्मिलित करने के संबंध में यथा स्थिति कार्रवाई की जाय।

(एस0 एन0 तिवारी)
अपर मुख्य सचिव

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

झारखण्ड के राज्यपाल के आदेश से,

(एस०के० सतपथी)
सरकार के प्रधान सचिव

[illegible] रॉंची, दिनांक [illegible]

प्रतिलिपि – [illegible] [illegible] रॉंची [illegible] झारखण्ड, रॉंची को [illegible]

[illegible]

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक [illegible] / रॉंची, दिनांक [illegible]

प्रतिलिपि [illegible] रॉंची, सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष [illegible] हेतु प्रेषित।

[illegible] निगम, निकायों [illegible] की कृपा की जाय।

सरकार के प्रधान सचिव

पत्रांक–7/झा0पि0व0आ0–20/01/07 का०– 12817 (31-5)
झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

फिदेलिस टोप्पो, भा.प्र.से.
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग/सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी अनुमण्डल पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं सभी अंचल अधिकारी।

रांची, दिनांक 17.11.12

विषय : झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 के अन्तर्गत अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2) की समेकित अद्यतन सूची।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्र संख्या–1816, दिनांक 31.03.2010 द्वारा झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की अनुसूची–1 (अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची) एवं अनुसूची–2 (पिछड़े वर्गों की सूची) में अंकित जातियों की सूची भेजी गयी थी।

झारखण्ड पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग अधिनियम, 2002 की धारा–9 की उपधारा (1) के अधीन आयोग द्वारा दी गयी सलाह के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा विभिन्न जातियों को अनुसूची–1 (अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची) एवं अनुसूची–2 (पिछड़े वर्गों की सूची) में सम्मिलित किया गया है।

अतः झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 के अन्तर्गत घोषित अनुसूची–1 (अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची) एवं अनुसूची–2 (पिछड़े वर्गों की सूची) की परिवर्धित सूची एतद् द्वारा सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है।

विश्वासभाजन,

अनुलग्नक–8 पेज

17.11.12
सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड राज्य
अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची
(अनुसूची–1)

क्र0	जाति / समुदाय	Entry No.	Caste/Communities
1.	कपरिया	1.	Kapadiya
2.	कानू	2.	Kanu
3.	XXX	3.	XXX
4.	कलन्दर	4.	Kalandar
5.	कोछ	5.	Kochh
6.	कुड़मी / कुर्मी (महतो)	6.	Kudmi/Kurmi (Mahto)
7.	केवट (कउट)	7.	Kewat (Kaut)
8.	कादर	8.	Kadar
9.	XXX	9.	XXX
10.	कोरक	10.	Korak
11.	केवर्त	11.	Kewart
12.	XXX	12.	XXX
13.	खटवा	13.	Khatwa
14.	XXX	14.	XXX
15.	खतौरी	15.	Khatauri
16.	खंगर	16.	Khangar
17.	खटिक	17.	Khatik
18.	खेलटा	18.	Khelta
19.	खतवे	19.	Khatwe
20.	XXX	20.	XXX
21.	गोड़ी (छावी)	21.	Godi (Chhavi)
22.	गंगाई (नगेश)	22.	Gangai (Nagesh)
23.	गंगोता	23.	Gangota
24.	XXX	24.	XXX

25.	गंधर्व	25.	Gandharb
26.	गुलगुलिया	26.	Gulguliya
27.	गौड़ (मगदा गौड़/महाकुड़/ गोप, ग्वाला (पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम एवं सरायकेला–खरसावां जिलों के लिए)	27.	Gour (Magda Gour/Mahakur/ Gope, Guwala (For Districts East Singhbhum, West Singhbhum & Saraikela-Kharsawan only)
28.	चांय	28.	Chain
29	चपौता	29	Chapota
30.	चन्द्रवंशी (कहार)	30.	Chandrabansi (Kahar)
31.	टिकुलहार	31.	Tikulhar
32.	ढेकारू	32.	Dhekaru
33.	तांती (ततवा)	33.	Tanti (Tatwa)
34.	तमरिया	34.	Tamaria
35.	तुरहा	35.	Turha
36.	तियर	36.	Tiar
37.	थारू	37.	Tharu
38.	धानुक	38.	Dhanuk
39.	धामिन	39.	Dhamin
40.	धीमर	40.	Dhimar
41.	धनवार	41.	Dhanwar
42.	नोनिया	42.	Nonia
43.	नइया	43.	Naiya
44.	नाई (हजाम)	44.	Nai (Hajam)
45.	नामशूद्र	45.	Namshudra
46.	पाण्डी	46.	Pandi
47.	पाल (भेड़िहार गड़ेरी)	47.	Pal (Bherihar Gareri)
48.	प्रधान	48.	Pradhan
49.	पिनगनिया	49.	Pingania

10

50.	पहिरा	50.	Pahira
51.	वारी	51.	Wari
52.	बेलदार	52.	Beldar
53.	बिन्द	53.	Bind
54.	XXX	54.	XXX
55.	सेखड़ा	55.	Shekhara
56.	बागदी – बागती (बागची)	56.	Bagdi-Bagth (Bagchi)
57.	भुईयार	57.	Bhuiyar
58.	भार	58.	Bhar
59.	XXX	59.	XXX
60.	भास्कर	60.	Bhaskar
61.	माली	61.	Mali
62.	मंगर	62.	Mangar
63.	मदार	63.	Madar
64.	मल्लाह (सुरहिया)	64.	Mallah (Surhia)
-65.	मझवार	65.	Majhwar
66.	मारकन्डे	66.	Markandey
67.	मौरियारी	67.	Moriyari
68.	मलार (मालहोर)	68.	Malar (Malhor)
69.	मोलिक	69.	Molik
70.	राजधोबी	70.	Rajdhobi
71.	राजभर	71.	Rajbhar
72.	रंगवा	72.	Rangwa
73.	वनपर	73.	Banpar
74.	XXX	74.	XXX
75.	सौटा (सोता)	75.	Souta (Sota)
76.	XXX	76.	XXX

77.	XXX	77.	XXX
78.	अघोरी	78.	Aghouri
79.	अबदल	79.	Abdal
80.	कसाव (कसाई) (मुस्लिम)	80.	Kasab (Kasai) (Muslim)
81.	चीक (मुस्लिम)	81.	Chik (Muslim)
82.	डफाली (मुस्लिम)	82.	Dafali (Muslim)
83.	धुनिया (मुस्लिम)	83.	Dhunia (Muslim)
84.	धोबी (मुस्लिम)	84.	Dhobi (Muslim)
85.	नट (मुस्लिम)	85.	Nut (Muslim)
86.	पमरिया (मुस्लिम)	86.	Pamaria (Muslim)
87.	भठियारा (मुस्लिम)	87.	Bhathiyara (Muslim)
88.	भाट (मुस्लिम)	88.	Bhat (Muslim)
89.	मेहतर, लाल बेगिया, हलालखोर, भंगी (मुस्लिम)	89.	Mehtar, Lalbegia, Halalkhor, Bhangi (Muslim)
90.	मिरियासीन (मुस्लिम)	90.	Miriasin (Muslim)
91.	मदारी (मुस्लिम)	91.	Madari (Muslim)
92.	मोरशिकार (मुस्लिम)	92.	Morshikar (Muslim)
93.	साई (मुस्लिम) (शाह, फकीर, मदार, देवान)	93.	Saien (Muslim) (Shah, Fakir, Madar, Dewan)
94.	मोमिन (मुस्लिम) (शेख, जुलहा, अंसारी)	94.	Momin (Muslim) (Shekh, Julaha, Ansari)
95.	अमात	95.	Amat
96.	चुड़ीहार (मुस्लिम)	96.	Churihar (Muslim)
97.	प्रजापति (कुम्हार)	97.	Parjapati (Kumhar)
98.	राईन या कुजरा (मुस्लिम)	98.	Raeen or Kunjara (Muslim)
99.	सोय	99.	Soy
100.	ठकुराई (मुस्लिम)	100.	Thakurai (Muslim)
101.	नागर	101.	Nagar

(68)

102.	शेरशहवादी	102.	Shershawadi
103.	बलखो (मुस्लिम)	103.	Balkkho (Muslim)
104.	अदरखी	104.	Adarakhi
105	छिपी	105	Chhipy
106.	तिलि / एकादश तिलि / द्वादस तिलि / एकादश तेली / द्वारश तेली	106.	Tili/Ekadash Tili/Dwadesh Tili/Ekadash Teli/Dwadesh Teli
107.	इदरीसी / दर्जी (मुस्लिम)	107.	Idirisi/Darzi (Muslim)
108.	सेकलगर (सिकलगर) (मुस्लिम)	108.	Saikalgar (Sikalgar) (Muslim)
109.	लेट	109.	Lait
110.	कुनाई	110.	Kunai
111.	पुष्पनामित	111.	Pushpanamit
112.	झोरा	112.	Jhora
113.	बागाल / खण्डवाल	113.	Bagal/Khandwal
114.	सिन्दुरिया	114.	Sinduria
115.	खैरा	115.	Khaira
116.	दाँगी	116.	Dangi
117.	परघा / परिघा / पैरघा	117.	Pargha/Parigha/Pairgha
118.	मयरा (मैरा) मोदक	118.	Mayra (Maira) Modak
119.	बढ़ई	119.	Barhi
120.	कमार (लोहार / कर्मकार / मड़ैया)	120.	Kamar (Lohar/Karmkar/ Maraiya

नोट :– उन जाति तथा वर्गो को जिन्हें मुस्लिम नही लिखा गया है, उन्हें हिन्दू तथा मुसलमान दोनो जाति को समझना चाहिए।

पिछड़े वर्गों की सूची

(अनुसूची–2)

क्र0	जाति / समुदाय	Entry No.	Caste/Communities
1	XXX	1	XXX
2	कागजी	2	Kagji
3	XXX	3	XXX
4	कुशवाहा (कोईरी)	4	Kuswaha (Koiri)
5	कोस्ता	5	Kosta
6	गद्दी	6	Gaddi
7	घटवार	7	Ghatwar
8	XXX	8	XXX
9	चनउ	9	Chanau
10	जदुपतिया	10	Jadupatia
11	जोगी (जुगी, गोसाई)	11	Jogi (Jugi, Gosai)
12	तमोली	12	Tamoli
13	तेली / कुलू / गोराई	13	Teli/Kulu/Gorai
14	देवहार	14	Dewhar
15	नालबंद (मुस्लिम)	15	Nalband (Muslim)
16	XXX	16	XXX
17	परथा	17	Partha
18	XXX	18	XXX
19	बरई	19	Barai
20	बनिया (सूढ़ी, हलवाई, XXX, XXX, XXX रोनियार, पनसारी, मोदी, कसेरा, केशरवानी, ठठेरा, कलवार, कलाल / एराकी / राकी एवं वियाहुत कलवार, जायसवाल / जैशवार, पटवा,	20	Bania (Sundi, Halwai, XXX, XXX, XXX, Roniar, Pansari, Modi, Kasera, Kesarwani, Thathera, Kalwar, Kalal, Araqu/Raki and Bihayut, Kalwar, Jaiswal/Jaishwar, Patwa, Kamlapuri, Vaishya, Bania, Mahauri, Vaishya, Awadh Bania, Bangi Vaishya (Bangali Baniya) Barnwal, Agrhari

(07)

	कमलापुरी, वैश्व, बनिया, माहुरी, वैश्य, अवध बनिया, बगी वैश्य (बंगाली बनिया), बर्नवाल, अग्रहरी वैश्य (पोद्दार, कसोधन), गंधवनिक / ओमर / उमर वैश्य / वैश बनिया एवं एकादश बनिया		Vaishya (Poddar, Kasodhan). Gandhbanik/Omar/Umar Vaishya Vaish Bania and Ekadash Bania
21	मुकरी (मुकेरी) (मुस्लिम)	21	Mukri (Mukeri) (Muslim)
22	यादव (ग्वाला, अहिर, गोप, घासी, मेहर) (सदगोप / महाकुल / महकुर)	22	Yadav (Gwala, Ahir, Gope, Ghasi. Mehar) (Sadgop/Mahakul/Mahkur)
23	राजवंशी (रिसिया या पोलिया)	23	Rajbansi (Risia or Polia)
24	रंगरेज (मुस्लिम)	24	Rangrej (Muslim)
25	रौतिया	25	Rautiya
26	XXX	26	XXX
27	लहेड़ी	27	Lahari
28	शिवहरी	28	Shivhari
29	सोनार (सुवर्ण वनिक)	29	Sonar (Suwarnabanik)
30	सूत्रधार	30	Sutradhar
31	सुकियार	31	Sukiyar
32	XXX	32	XXX
33	ईसाई धर्मावलम्बी (हरिजन)	33	Ishai Dharmawalambi (Harijan)
34	ईसाई धर्मावलम्बी (अन्य पिछड़ी जाति)	34	Ishai Dharmawalambi (Anya Pichhri Jati)
35	कुर्मी, जसवार कुर्मी एवं चन्देल / चन्दऊ कुर्मी (जिनके पूर्वज बिहार से आकर बसे हैं)	35	Kurmi, Jaswar Kurmi and Chandel/Chandou (Ancestor of whom settled from Bihar)
36	भाट (हिन्दू)	36	Bhat (Hindu)
37	XXX	37	XXX
38	कुल्हैया	38	Kulhaiya

(06.)

39	वैरागी / वैश्णव (विष्टम / वैष्टम)	39	Bairagi (Baishnav/Bishtam/Baishtam)
40	पाईक	40	Paik
41	लक्ष्मी नारायण गोला	41	Laxmi Narayan Gola
42	चासा	42	Chasa
43	XXX	43	XXX
44	कयाली	44	Kayali

नोट :- उन जाति तथा वर्गों को जिन्हें मुस्लिम नहीं लिखा गया है, हिन्दू तथा मुसलमान दोनों जाति का समझना चाहिए।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

विषय : झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 के अनुसूची–1 तथा अनुसूची–2 में कतिपय संशोधन।

झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की धारा–2 में अत्यन्त पिछड़े वर्गों एवं पिछड़े वर्गों को परिभाषित किया गया है तथा इसमें सम्मिलित वर्ग को इस अधिनियम की अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 में क्रमशः विनिर्दिष्ट किया गया है।

2. उक्त अधिनियम की धारा–14(अ) में अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 में उल्लेखित किसी जाति/वर्ग को जोड़ने या हटाने की शक्ति राज्य सरकार को प्रदत्त है।

3. सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि झारखण्ड पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2) में निम्नरूपेण परिवर्द्धन की जाय :–

समावेशन (अनुसूची–1)

(क) "कमार (लोहार/कर्मकार/मड़ैया)" जाति को रिक्त क्रमांक–120 पर समावेशित किया जाय।

विलोपन (अनुसूची–2)

(क) चूंकि "कमार (लोहार/कर्मकार/मड़ैया)" जाति को अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–1) के क्रमांक–120 पर समावेशित किया गया है, अतएव पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–2) के क्रमांक–03 पर अंकित "कमार (लोहार/कर्मकार/मड़ैया) जाति को पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–2) से विलोपित की जाय।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा लिये गए निर्णय के आलोक में झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 उपरोक्त अंश तक संशोधित माना जायेगा।

2. आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति झारखण्ड राजपत्र में जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

27.3.12

(फिदेलिस टोप्पो)
सरकार के संयुक्त सचिव।

D:\anu\Sec-7\sankalp-reservation amendment.doc

ज्ञापांक–7 / जाति–03–16 / 2011 का॰–2855 / राँची, दिनांक 27/3/12

प्रतिलिपि–अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि गजट की 200 प्रतियाँ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रांची को भेजे।

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–7 / जाति–03–16 / 2011 का॰–2855 / राँची, दिनांक 27/3/12

प्रतिलिपि–महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव / मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रांची / सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / मुख्य सचिव के सचिव / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी उपायुक्त / सदस्य सचिव, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों / सभी राज्य पब्लिक अंडरटेकिंग / निगमों / निकायों / परिषदों / विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों / विद्यालयों को इस निर्णय से अवगत कराने की कृपा की जाय।

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–7 / जाति–03–16 / 2011 का॰–2855 / राँची, दिनांक 27/3/12

प्रतिलिपि–महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची / विधान सभा सचिवालय / झारखण्ड लोक सेवा आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–7 / जाति–03–16 / 2011 का॰–2855 / राँची, दिनांक 27/3/12

प्रतिलिपि– सदस्य सचिव, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, त्रिकुट–1, भिखा जी कामा पैलेस, नई दिल्ली / निदेशक (एस0सी0डी0),सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि झारखण्ड राज्य के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग की केन्द्रीय सूची में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में यथा स्थिति कार्रवाई की जाय।

सरकार के संयुक्त सचिव।

(389) 387

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

विषय : झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 के अनुसूची–1 में संशोधन।

झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की धारा–2 में अत्यन्त पिछड़े वर्गों एवं पिछड़े वर्गों को परिभाषित किया गया है तथा इसमें सम्मिलित वर्ग को इस अधिनियम की अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 में क्रमशः विनिर्दिष्ट किया गया है।

2. उक्त अधिनियम की धारा–14(अ) में अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 में उल्लेखित किसी जाति/वर्ग को जोड़ने या हटाने की शक्ति राज्य सरकार को प्रदत्त है।

अतएव राज्य सरकार ने अनुसूची–1 में निम्नरूपेण संशोधन करने का निर्णय लिया है।

अनुसूची–1

(क) क्रमांक–06 में दर्ज जाति "कुर्मी (महतो)" के स्थान पर "कुड़मी/कुर्मी (महतो)" दर्ज किया जाय।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की अनुसूची–1 में तदनुसार संशोधित माना जायेगा।

2. आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति झारखण्ड सरकार के राजपत्र में जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(सरोज श्रीवास्तव)
सरकार के संयुक्त सचिव।

D:\anil\Sec-7\sankalp-amendment.doc

Scanned by CamScanner

(300)
(387)

ज्ञापांक–7 / जा0नि0–19–06 / 2003 का॰–144 / रांची, दिनांक 6/1/2012

प्रतिलिपि–अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि गजट की 200 प्रतियाँ कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रांची को उपलब्ध करायें।

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–7 / जा0नि0–19–06 / 2003 का॰–144 / रांची, दिनांक 6/1/2012

प्रतिलिपि–महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव / मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रांची / सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / मुख्य सचिव के सचिव / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी उपायुक्त / सदस्य सचिव, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों / सभी राज्य पब्लिक अण्डरटेकिंग / निगमों / निकायों / परिषदों / विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों / विद्यालयों को इस निर्णय से अवगत कराने की कृपा की जाय।

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–7 / जा0नि0–19–06 / 2003 का॰–144 / रांची, दिनांक 6/1/2012

प्रतिलिपि–महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची / विधान सभा सचिवालय / झारखण्ड लोक सेवा आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–7 / जा0नि0–19–06 / 2003 का॰–144 / रांची, दिनांक 6/1/2012

प्रतिलिपि–सदस्य सचिव, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, त्रिकुट–1, भिखाजी कामा पैलेस, नई दिल्ली / निदेशक (एस0सी0डी0), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की झारखण्ड राज्य के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग की केन्द्रीय सूची में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में यथास्थिति कार्रवाई की जाय।

सरकार के संयुक्त सचिव।

D:\amit\Sec-7\sankalp-amendment.doc

Scanned by CamScanner

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

विषय : झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 के अनुसूची–2 में संशोधन।

झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की धारा–2 में अत्यन्त पिछड़े वर्गों एवं पिछड़े वर्गों को परिभाषित किया गया है तथा इसमें सम्मिलित वर्ग को इस अधिनियम की अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 में क्रमशः विनिर्दिष्ट किया गया है।

2. उक्त अधिनियम की धारा–14(अ) में अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 में उल्लेखित किसी जाति/वर्ग को जोड़ने या हटाने की शक्ति राज्य सरकार को प्रदत्त है।

अतएव राज्य सरकार ने अनुसूची–2 में निम्नरूपेण संशोधन करने का निर्णय लिया है।

अनुसूची–2

(क) क्रमांक–22 पर यादव जाति के कोष्ठक में सदगोप के बाद "महाकुल/महकुर" जाति को जोड़ा जाय।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की अनुसूची–2 में तदनुसार संशोधित माना जायेगा।

2. आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति झारखण्ड सरकार के राजपत्र में जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
15.12.2011
(फिदेलिस टोप्पो)
सरकार के संयुक्त सचिव।

D:\amit\Sec-7\sankalp-amendment.doc

ज्ञापांक–7 / जा0नि0–19–04 / 2008 का॰–8060 / रांची, दिनांक 17/12/11

प्रतिलिपि–अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि गजट की 200 प्रतियाँ कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रांची को उपलब्ध करायें।

15.12.2011

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–7 / जा0नि0–19–04 / 2008 का॰–8060 / रांची, दिनांक 17/12/11

प्रतिलिपि–महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव / मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रांची / सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / मुख्य सचिव के सचिव / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी उपायुक्त / सदस्य सचिव, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों / सभी राज्य पब्लिक अण्डरटेकिंग / निगमों / निकायों / परिषदों / विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों / विद्यालयों को इस निर्णय से अवगत कराने की कृपा की जाय।

15.12.2011

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–7 / जा0नि0–19–04 / 2008 का॰–8060 / रांची, दिनांक 17/12/11

प्रतिलिपि–महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची / विधान सभा सचिवालय / झारखण्ड लोक सेवा आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15.12.2011

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–7 / जा0नि0–19–04 / 2008 का॰–8060 / रांची, दिनांक 17/12/11

प्रतिलिपि–सदस्य सचिव, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, त्रिकुट–1, भिखाजी कामा पैलेस, नई दिल्ली / निदेशक (एस0सी0डी0), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की झारखण्ड राज्य के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग की केन्द्रीय सूची में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में यथास्थिति कार्रवाई की जाय।

15.12.2011

सरकार के संयुक्त सचिव।

पत्र संख्या-5/आ०(जाति)-03/2001का०.4276..../

झारखंड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

प्रेषक,

श्री एस० के० चौधरी,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/
सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी आयुक्त/
सभी जिला पदाधिकारी ।

रांची, दिनांक 29 नवम्बर,2001ई०

विषय :– झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 के अनुसूची-1 तथा अनुसूची-2 एवं संकल्प संख्या-3885 दिनांक-05/11/2001 की समेकित सूची ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आरक्षण अधिनियम-2001 की अनुसूची-1, अनुसूची-2 तथा संकल्प संख्या-3885 दिनांक-05/11/2001 के द्वारा निर्गत अनुसूची-1, अनुसूची-2 में अत्यन्त पिछड़े वर्ग एवं पिछड़े वर्ग का खंडों में उल्लेख है । सुविधा हेतु दोनों खंडों को समेकित कर दिया गया है । अत्यन्त पिछड़े वर्ग की कोटि में क्रमांक-108 तक तथा पिछड़े वर्ग की कोटि में 38 जातियों का उल्लेख है । इसके अनुरुप जाति प्रमाण पत्र मान्य होंगे ।

विश्वासभाजन,

(एस० के० चौधरी)
सरकार के सचिव ।

ज्ञाप संख्या-5/आ०(जाति)-03/2001का०..4276../रांची,दिनांक 29 नवम्बर,2001ई०

प्रतिलिपिः—राज्यपाल सचिवालय/मुख्यमंत्री सचिवालय/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/मुख्य सचिव के सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों/सभी राज्य पब्लिक अंडरटेकिंग/परिषदों/निगमों/निकायों/विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/विद्यालयों को इस निर्णय से अवगत करायें ।

(एस० के० चौधरी)
सरकार के सचिव ।

अनुसूची-1
(अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची)

1) कपरिया
2) कानू
3) कवार
4) कलन्दर
5) कोछ
6) कुर्मी (महतो)
7) केवट (कउट)
8) कादर
9) कौरा
10) कोरक
11) केवर्त
12) कुमारभाग पहाड़िया
13) खटवा
14) XXX
15) खतौरी
16) खंगर
17) खंटिक
18) खेलटा
19) खतवे
20) XXX
21) गोड़ी (छावी)
22) गंगाई (नगेश)
23) गंगोता
24) XXX
25) गंधर्व
26) गुलगुलिया
27) गौड़
28) चांय
29) चपौता
30) चन्द्रवंशी (कहार)
31) टिकुलहार
32) ढेकारू
33) तांती (ततवा)

34) तमरिया
35) तुरहा
36) तियर
37) धारू
38) धानुक
39) धामिन
40) धीमर
41) धनवार
42) नोनिया
43) नइया
44) नाई
45) नामशूद्र
46) पाण्डी
47) पाल (भेड़िहार गड़ेरी)
48) प्रधान
49) पिनगनिया
50) पहिरा
51) वारी
52) बेलदार
53) बिन्द
54) XXX
55) सेखड़ा
56) बागदी
57) भुईयार
58) भार
59) XXX
60) भास्कर
61) मली
62) मंगर
63) मदार
64) मल्लाह (सुरहिया)
65) मझवार
66) मारकन्डे
67) मौरियारी
68) मलार (मालहोर)
69) मौलिक

70) राजधोबी
71) राजभर
72) रंगवा
73) वनपर
74) XXX
75) सौटा (सोता)
76) XXX
77) अगरिया
78) अघोरी
79) अबदल
80) कसाव (कसाई) (मुस्लिम)
81) चोक (मुस्लिम)
82) डफाली (मुस्लिम)
83) धुनिया (मुस्लिम)
84) धोबी (मुस्लिम)
85) नट (मुस्लिम)
86) पमरिया (मुस्लिम)
87) भठियारा (मुस्लिम)
88) भाट (मुस्लिम)
89) मेहतर, लाल बेगिया, हलालखोर, भंगी (मुस्लिम)
90) मिरियासीन (मुस्लिम)
91) मदारी (मुस्लिम)
92) मोरशिकार (मुस्लिम)
93) साई (मुस्लिम)
94) मोमिन (मुस्लिम)
95) अमात
96) चुड़ीहार (मुस्लिम)
97) प्रजापति (कुम्हार)
98) राईन या कुजरा (मुस्लिम)
99) सोय
100) ठकुराई (मुस्लिम)
101) नागर
102) शेरशाहवादी
103) बलखो (मुस्लिम)
104) अदरखी
105) छिपी

106) तिली
107) इदरीसी/दर्जी (मुस्लिम)
108) सेकलगर (सिकलगर) (मुस्लिम)

नोट :– उन जाति तथा वर्गों को जिन्हें मुस्लिम नहीं लिखा गया है, उन्हें हिन्दू तथा मुसलमान दोनों जाति को समझना चाहिए ।

अनुसूची-2

पिछड़े वर्गों की सूची

1) XXX
2) कागजी
3) कमार (लोहार और कर्मकार)
4) कुशवाहा (कोईरी)
5) कोस्ता
6) गद्दी
7) घटवार
8) XXX
9) चनउ
10) जदुपतिया
11) जोगी (जुगी)
12) तमोली
13) तेली
14) देवहार
15) नालबंद (मुस्लिम)
16) XXX
17) परथा
18) बढ़ई
19) बढ़ई
20) बनिया–(सूढ़ी, हलवाई, रौनियार, पनसारी, मोदी, कसेरा, केशरवानी, ठठेरा, कलवार, कलाल/एराकी एवं वियाहुत कलवार, पटवा, कमलापुरी, वैश्य, सिन्दुरिया, बनिया, माहुरी वैश्य, अवध बनिया, बगी वैश्य (बंगाली बनिया), बर्नवाल, अग्रहरी वैश्य (पोद्दार, कसोधन), गंधवनिक ।
21) मुकरी (मुकेरी) (मुस्लिम)
22) यादव (ग्वाला, अहिर, गोरा, घासी, मेहर)

5

23) राजवंशी (रिसिया या पोलिया)
24) रंगरेज (मुस्लिम)
25) रौतिया
26) XXX
27) लहेड़ी
28) शिवहरी
29) सोनार
30) सूत्रधार
31) सुकियार
32) इदरीसी या दर्जी (मुस्लिम)
33) ईसाई धर्मावलम्बी (हरिजन)
34) ईसाई धर्मावलम्बी (अन्य पिछड़ी जाति)
35) XXX
36) भाट (हिन्दू)
37) छांगी
38) कुल्हैया

नोट :- उन जाति तथा वर्गों को जिन्हें मुस्लिम नहीं लिखा गया है, हिन्दू तथा मुसलमान दोनों जाति का समझना चाहिए ।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

विषय : झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 के अनुसूची–1 तथा अनुसूची–2 में कतिपय संशोधन।

झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की धारा–2 में अत्यन्त पिछड़े वर्गों एवं पिछड़े वर्गों को परिभाषित किया गया है तथा इसमें सम्मिलित वर्ग को इस अधिनियम की अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 में क्रमशः विनिर्दिष्ट किया गया है।

2. उक्त अधिनियम की धारा–14(अ) में अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 में उल्लेखित किसी जाति/वर्ग को जोड़ने या हटाने की शक्ति राज्य सरकार को प्रदत्त है।

3. सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि झारखण्ड पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2) में निम्नरूपेण परिवर्द्धन की जाय :–

समावेशन (अनुसूची–1)

(क) 'बढ़ई' जाति को क्रमांक–118 के बाद क्रमांक–119 पर दर्ज किया जाय।

विलोपन (अनुसूची–2)

(क) चूंकि ''बढ़ई'' जाति को अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–1) के क्रमांक–119 पर समावेशित किया गया है, अतएव ''बढ़ई'' जाति को पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–2) के क्रमांक–18 से विलोपित की जाय।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा लिये गए निर्णय के आलोक में झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 उपरोक्त अंश तक संशोधित माना जायेगा।

2. आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति झारखण्ड राजपत्र में जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

20.10.11

(फिदेलिस टोप्पो)
सरकार के संयुक्त सचिव।

D:\amit\Sec-7\sankalp-reservation amendment doc

ज्ञापांक–7/जाति–03–11/2011 का॰–6580/राँची, दिनांक 20/10/2011

प्रतिलिपि–अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि गजट की 200 प्रतियाँ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रांची को भेजे।

20.10.11

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–7/जाति–03–11/2011 का॰–6580/राँची, दिनांक 20/10/2011

प्रतिलिपि–महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रांची/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/मुख्य सचिव के सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सदस्य सचिव, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों/सभी राज्य पब्लिक अंडरटेकिंग/निगमों/निकायों/परिषदों/विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/विद्यालयों को इस निर्णय से अवगत कराने की कृपा की जाय।

20.10.11

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–7/जाति–03–11/2011 का॰–6580/राँची, दिनांक 20/10/2011

प्रतिलिपि–महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची/विधान सभा सचिवालय/झारखण्ड लोक सेवा आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20.10.11

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–7/जाति–03–11/2011 का॰–6580/राँची, दिनांक 20/10/2011

प्रतिलिपि– सदस्य सचिव, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, त्रिकुट–1, भिखा जी कामा पैलेस, नई दिल्ली/ निदेशक (एस0सी0डी0),सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि झारखण्ड राज्य के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग की केन्द्रीय सूची में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में यथा स्थिति कार्रवाई की जाय।

20.10.11

सरकार के संयुक्त सचिव।

(333)

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

विषय : झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 के अनुसूची–1 तथा अनुसूची–2 में कतिपय संशोधन।

झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की धारा–2 में अत्यन्त पिछड़े वर्गों एवं पिछड़े वर्गों को परिभाषित किया गया है तथा इसमें सम्मिलित वर्ग को इस अधिनियम की अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 में क्रमशः विनिर्दिष्ट किया गया है।

2. उक्त अधिनियम की धारा–14(अ) में अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 में उल्लेखित किसी जाति/वर्ग को जोड़ने या हटाने की शक्ति राज्य सरकार को प्रदत्त है।

3. सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि झारखण्ड पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2) में निम्नरूपेण परिवर्द्धन की जाय :–

समावेशन (अनुसूची–1)

(क) "मयरा (मैरा) मोदक" जाति को रिक्त क्रमांक–118 पर समावेशित किया जाय।

विलोपन (अनुसूची–2)

(क) चूंकि "मयरा (मैरा) मोदक" जाति को अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–1) के क्रमांक–118 पर समावेशित किया गया है, अतएव पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–2) के क्रमांक–20 पर बनिया वर्ग में हलवाई के बाद एवं रौनियार से पहले दर्ज "मयरा (मैरा) मोदक" जाति को बनिया वर्ग से विलोपित की जाय।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा लिये गए निर्णय के आलोक में झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 उपरोक्त अंश तक संशोधित माना जायेगा।

2. आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति झारखण्ड राजपत्र में जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

26.9.11

(फिडेलिस टोप्पो)
सरकार के संयुक्त सचिव।

D:\amit\Sec-7\sankalp-reservation amendment.doc

(332)

ज्ञापांक–7 / जा0नि0–02–110 / 01 का॰–6097/ राँची, दिनांक 26 सितम्बर, 2011

प्रतिलिपि–अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि गजट की 200 प्रतियाँ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रांची को भेजे।

ह० 26.9.11
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–7 / जा0नि0–02–110 / 01 का॰–6097/ राँची, दिनांक 26 सितम्बर, 2011

प्रतिलिपि–महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव / मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रांची / सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / मुख्य सचिव के सचिव / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी उपायुक्त / सदस्य सचिव, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों / सभी राज्य पब्लिक अंडरटेकिंग / निगमों / निकायों / परिषदों / विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों / विद्यालयों को इस निर्णय से अवगत कराने की कृपा की जाय।

ह० 26.9.11
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–7 / जा0नि0–02–110 / 01 का॰–6097/ राँची, दिनांक 26 सितम्बर, 2011

प्रतिलिपि–महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची / विधान सभा सचिवालय / झारखण्ड लोक सेवा आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह० 26.9.11
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–7 / जा0नि0–02–110 / 01 का॰–6097/ राँची, दिनांक 26 सितम्बर, 2011

प्रतिलिपि– सदस्य सचिव, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, त्रिकुट–1, भिखा जी कामा पैलेस, नई दिल्ली / निदेशक (एस0सी0डी0), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि झारखण्ड राज्य के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग की केन्द्रीय सूची में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में यथा स्थिति कार्रवाई की जाय।

ह० 26.9.11
सरकार के संयुक्त सचिव।

D:\anil\Sec-7\sankalp-reservation amendment.doc

(121)

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

विषय : झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 के अनुसूची–1 तथा अनुसूची–2 में कतिपय संशोधन।

झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की धारा–2 में अत्यन्त पिछड़े वर्गों एवं पिछड़े वर्गों को परिभाषित किया गया है तथा इसमें सम्मिलित वर्गों को इस अधिनियम की अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 में क्रमशः विनिर्दिष्ट किया गया है।

2. उक्त अधिनियम की धारा–14(अ) में अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 में उल्लेखित किसी जाति/वर्ग को जोड़ने या हटाने की शक्ति राज्य सरकार को प्रदत्त है।

3. उक्त अधिनियम एवं अनुसूची में जिन जातियों/वर्गों का समावेश अबतक नहीं हो पाया है उन जातियों/वर्गों के सन्दर्भ में पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग झारखण्ड की सलाह पर यह निर्णय लिया गया है, कि झारखण्ड पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2) में निम्नरूपेण परिवर्द्धन की जाय :–

अनुसूची–1

(क) क्रमांक–44 पर दर्ज जाति "नाई" के प्रकोष्ठ में "नाई (हजाम)" के रूप में दर्ज किया जाय।

अनुसूची–2

(क) क्रमांक–11 पर दर्ज जाति "जोगी (जुगी)" के प्रकोष्ठ में "जोगी (जुगी, गोसाई)" के रूप में समावेशित किया जाय।

(ख) क्रमांक–19 पर दर्ज जाति "बड़ई" के स्थान पर "बरई" दर्ज किया जाय।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा लिये गए निर्णय के आलोक में झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 उपरोक्त अंश तक संशोधित माना जायेगा।

2. आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति झारखण्ड राजपत्र में जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(फिदेलिस टोप्पो)
सरकार के संयुक्त सचिव।

D:\amit\Sec-7\sankalp-reservation amendment-14-09-2011.doc

(15)

ज्ञापांक–7 / जाति–03–01 / 2010 5826[2] का.– / राँची, दिनांक 19 सितम्बर 2011

प्रतिलिपि–अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि गजट की 200 प्रतियां कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रांची को भेजे।

19.9.11

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–7 / जाति–03–01 / 2010 का.–5826 / राँची, दिनांक 19 सितम्बर, 2011

प्रतिलिपि–महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव / मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रांची / सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / मुख्य सचिव के सचिव / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी उपायुक्त / सदस्य सचिव, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों / सभी राज्य पब्लिक अंडरटेकिंग / निगमों / निकायों / परिषदों / विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों / विद्यालयों को इस निर्णय से अवगत कराने की कृपा की जाय।

19.9.11

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–7 / जाति–03–01 / 2010 का.–5826 / राँची, दिनांक 19 सितम्बर, 2011

प्रतिलिपि–महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची / विधान सभा सचिवालय / झारखण्ड लोक सेवा आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19.9.11

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–7 / जाति–03–01 / 2010 का.–5826 / राँची, दिनांक 19 सितम्बर, 2011

प्रतिलिपि– सदस्य सचिव, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, त्रिकुट–1, भिखा जी कामा पैलेस, नई दिल्ली / निदेशक (एस0सी0डी0), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि झारखण्ड राज्य के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग की केन्द्रीय सूची में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में यथा स्थिति कार्रवाई की जाय।

19.9.11

सरकार के संयुक्त सचिव।

16

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

विषय : झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 के अनुसूची–1 तथा अनुसूची–2 में कतिपय संशोधन।

झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की धारा–2 में अत्यन्त पिछड़े वर्गों एवं पिछड़े वर्गों को परिभाषित किया गया है तथा इसमें सम्मिलित वर्ग को इस अधिनियम की अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 में क्रमशः विनिर्दिष्ट किया गया है।

2. उक्त अधिनियम की धारा–14(अ) में अनुसूची–1 एवं अनुसूवी–2 में उल्लेखित किसी जाति/वर्ग को जोड़ने या हटाने की शक्ति राज्य सरकार को प्रदत्त है।

3. उक्त अधिनियम एवं अनुसूची में जिन जातियों/वर्गों का समावेश अबतक नहीं हो पाया है उन जातियों/वर्गों के सन्दर्भ में पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग झारखण्ड की सलाह पर यह निर्णय लिया गया है, कि झारखण्ड पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2) में निम्नरूपेण परिवर्द्धन की जाय :–

अनुसूची–1

(क) क्रमांक–93 पर अंकित "सांई" जाति के साथ "(शाह, फकीर, मदार, देवान)" को समावेशित की जाय।

(ख) "दाँगी" जाति को क्रमांक–115 के बाद क्रमांक–116 पर समावेशित की जाय।

(ग) "परघा/परिघा/पैरघा" जाति को क्रमांक–117 पर समावेशित की जाय।

अनुसूची–2

(क) क्रमांक–3 में अंकित कमार (लोहार/कर्मकार) जाति के कोष्ठक में "कमार (लोहार/कर्मकार/मड़ैया)" जाति के रूप में दर्ज की जाय।

(ख) क्रमांक–13 पर अंकित "तेली" के बगल में "कुलू/गोराई" जाति को समावेशित की जाय।

(ग) क्रमांक–20 में अंकित बनिया जाति में नामित "कलाल/एराकी" जाति के साथ "कलाल/एराकी/राकी" के रूप में अंकित की जाय।

(घ) क्रमांक–20 पर अंकित "बनिया जाति के प्रकोष्ठ में दर्ज ओमर/उमर वैश्य जाति" के बाद "वैश बनिया एवं एकादश बनिया" जाति का नाम समाविष्ट की जाय।

(ड़) क्रमांक–35 में विलोपित के स्थान पर "कुर्मी, जसवार कुर्मी एवं चन्देल/चन्दऊ कुर्मी" जाति (जिनके पूर्वज बिहार से आकर बसे हैं) कहकर दर्ज की जाय।

(च) क्रमांक–39 पर दर्ज "बैरागी/वैष्णव" की उपजाति मानकर "बैरागी/वैष्णव" के प्रकोष्ठ में अर्थात "बैरागी/वैष्णव (विष्टम/वैष्टम)" जाति के रूप में "विष्टम/वैष्टम" जाति को पिछड़े वर्गों के रूप में समावेशित की जाय।

विलोपन

(छ) चूंकि दाँगी जाति को पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–1) के क्रमांक–116 पर समावेशित किया गया है, अतएव दाँगी जाति को पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–2) के क्रमांक–37 से विलोपित की जाय।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा लिये गए निर्णय के आलोक में झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 उपरोक्त अंश तक संशोधित माना जायेगा।

2. आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति झारखण्ड राजपत्र में जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(फिदेलिस टोप्पो)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–7/जा0नि0–19–9/06 का॰–4450/राँची, दिनांक 01/8/2011

प्रतिलिपि–अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि गजट की 200 प्रतियाँ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रांची को भेजे।

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–7/जा0नि0–19–9/06 का॰–4450/राँची, दिनांक 01/8/2011

प्रतिलिपि–महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रांची/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/मुख्य सचिव के सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सदस्य सचिव, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों/सभी राज्य पब्लिक अंडरटेकिंग/निगमों/निकायों/परिषदों/विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/विद्यालयों को इस निर्णय से अवगत कराने की कृपा की जाय।

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–7 / जा0नि0–19–9 / 06 का॰–4450 / राँची, दिनांक 01/8/2011

प्रतिलिपि–महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची / विधान सभा सचिवालय / झारखण्ड लोक सेवा आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

1.8.11

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–7 / जा0नि0–19–9 / 06 का॰–4450 / राँची, दिनांक 01/8/2011

प्रतिलिपि– सदस्य सचिव, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, त्रिकुट–1, भिखा जी कामा पैलेस, नई दिल्ली / निदेशक (एस0सी0डी0), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि झारखण्ड राज्य के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग की केन्द्रीय सूची में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में यथा स्थिति कार्रवाई की जाय।

1.8.11

सरकार के संयुक्त सचिव।

सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

20 ज्येष्ठ, 1933 शकाब्द

संख्या 435

राँची, शुक्रवार 10 जून, 2011

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

9 मई, 2011

संख्या एल०जी०–06/2011–66/लेज०,–झारखण्ड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर राज्यपाल दिनांक 5 मई, 2011 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

[झारखण्ड अधिनियम संख्या– 08, 2011]

झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 में संशोधन हेतु अधिनियम, 2011

झारखण्ड पदों एव सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम–2001 में संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के 62वें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान मंडल (सभा) द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :–

1) संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ :–

(i) यह अधिनियम झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्गों के लिए) [संशोधन] अधिनियम, 2011 कहलाएगा।

(ii) यह सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में लागू होगा।

(iii) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2) झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम–2001 की धारा 4(6) (क, ख, ग एव घ) को विलोपित करते हुए उसके स्थान पर 4(6) के रूप में निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाती है :–

"राज्य की सेवाओं/संवर्गों/पदों पर नियुक्ति अथवा प्रोन्नति के लिए आरक्षित पदों को भरने हेतु आरक्षित वर्ग के सुयोग्य उम्मीदवारों की अनुपलब्धता की स्थिति में रिक्त पदों को तीन भर्त्ती वर्ष तक अग्रणीत किया जा सकेगा, जबकि दो भर्त्ती वर्षों तक सुयोग्य उम्मीदवारों की अनुपलब्धता की स्थिति में रिक्त पदों पर भर्त्ती (नियुक्ति/प्रोन्नति) के लिए राज्य सरकार द्वारा तीसरे भर्त्ती वर्ष में ही एक विशेष भर्त्ती प्रक्रिया अपनाकर रिक्त पदों को भरने की कार्रवाई की जायेगी। आरक्षित पदों पर विशेष भर्त्ती प्रक्रिया के तहत जिस आरक्षित वर्ग के लिए रिक्त पद कर्णांकित होंगे उन्हें उसी आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों से भरा जायेगा।"

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

पंकज श्रीवास्तव,
सरकार के सचिव–सह–विधि परामर्शी
विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची ।

अधिसूचना

9 मई, 2011

संख्या एल०जी०–06/2011–67/लेज०–झारखण्ड विधान मंडल द्वारा यथा पारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक 5 मई, 2011 को अनुमत झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण [अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए (संशोधन) अधिनियम], 2011 (झारखण्ड अधिनियम संख्या–08, 2011) का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा ।

[JHARKHAND ACT, 08, 2011]

Jharkhand Pado Evum Sewaon Ki Riktion Mein Arakshan (Anusuchit Jation, Anusuchit Janjation Evum Pichchre Vergon Ke Liye) Adhinium-2001 Amendment Act, 2011

AN

ACT

for amendment in reservation in vacancies of posts and services (Scheduled Caste/Scheduled Tribe and Backward Classes) Act-2001 in Jharkhand.

Be it enacted in the Jharkhand State legislature (Assembly) in the 62nd year of Republic of Indian in following manners:-

(1) Short title, extent and commencement :-

(i) This Act may be called Jharkhand Pado Evum Sewaon Ki Riktion Mein Arakshan (Anusuchit Jation, Anusuchit Janjation Evum Pichchre Vergon Ke Liye) (Amendment) Act-2011.

(ii) It extends to the whole state of the Jharkhand.

(iii) It will come into force with immediate effect.

(2) Subsection 4(6) (Ka, Kha, Ga and Gha) of the Jharkhand Pado Evum Sewaon Ki Riktion Mein Arakshan (Anusuchit Jation, Anusuchit Janjation Evum Pichchre Vergon Ke Liye) Adhinium-2001 be deleted and the following be substituted as 4(6) in lieu of that :-

"During appointment or promotion, in case of unavailability of suitable candidates of reserved category, the reserved posts of services/cadres/posts of Services under the State, the vacancies of posts be carry forwarded for three years, as such, the vacant posts, in case of unavailability of suitable candidates (Appointment/promotion) during two appointment years, the State Government is empowered to be fill up the post by adopting special recruitment procedure during the third year by adopting special recruitment procedure for reserved posts. The posts earmarked for a reserved category will be filled up by the same category."

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

पंकज श्रीवास्तव,

सरकार के सचिव–सह–विधि परामर्शी
विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 435--150+400 ।

(23)

पत्रांक–7/झा0पि0व0आ0–20–01/07 का.– 1816

झारखण्ड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

विनय प्रकाश वर्मा
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी अनुमंडल पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं सभी अंचल अधिकारी।

रांची, दिनांक 31 मार्च, 2010

विषय : झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 के अन्तर्गत अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2) की समेकित अद्यतन सूची।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 के अन्तर्गत घोषित अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2) की समेकित सूची आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है।

कृपया प्राप्ति सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन,

(विनय प्रकाश वर्मा)
सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड राज्य
अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची
(अनुसूची–1)

1. कपरिया	1. Kapadiya
2. कानू	2. Kanu
3. XXX	3. XXX
4. कलन्दर	4. Kalandar
5. कोछ	5. Kochh
6. कुर्मी (महतो)	6. Kurmi (Mahto)
7. केवट (कउट)	7. Kewat (Kaut)
8. कादर	8. Kadar
9. XXX	9. XXX
10. कोरक	10. Korak
11. केवर्त	11. Kewart
12. XXX	12. XXX
13. खटवा	13. Khatwa
14. XXX	14. XXX
15. खतौरी	15. Khatauri
16. खंगर	16. Khangar
17. खटिक	17. Khatik
18. खेलटा	18. Khelta
19. खतवे	19. Khatwe
20. XXX	20. XXX
21. गोड़ी (छावी)	21. Godi (Chhavi)
22. गंगाई (नगेश)	22. Gangai (Nagesh)
23. गंगोता	23. Gangota
24. XXX	24. XXX

25.	गंधर्व	[illegible]	[illegible]
26.	गुलगुलिया	26.	Gulguliya
27.	गौड़ (मगदा गौड़/महाकुड़/ गोप, ग्वाला (पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम एवं सरायकेला–खरसावां जिलों के लिए)	27.	Gour (Magda Gour/Mahakur/ Gope, Guwala (For Districts East Singhbhum, West Singhbhum & Saraikela Kharsawan only)
28.	चांय	28.	Chain
29	चपौता	29	Chapota
30.	चन्द्रवंशी (कहार)	30.	Chandrabansi (Kahar)
31	टिकुलहार	31.	Tikulhar
32.	ढेकारू	32.	Dhekaru
33.	तांती (ततवा)	33.	Tanti (Tatwa)
34.	तमरिया	34.	Tamaria
35	तुरहा	35.	Turha
36.	तियर	36.	Tiar
37.	थारू	37.	Tharu
38.	धानुक	38.	Dhanuk
39	धामिन	39.	Dhamin
40.	धीमर	40.	Dhimar
41.	धनवार	41.	Dhanwar
42.	नोनिया	42.	Nonia
43.	नइया	43.	Naiya
44.	नाई	44.	Nai
45.	नामशूद्र	45.	Namshudra
46.	पाण्डी	46.	Pandi
47.	पाल (भेड़िहार गड़ेरी)	47.	Pal (Bherihar Gareri)
48.	प्रधान	48.	Pradhan
49.	पिनगनिया	49.	Pingania

50.	पहिरा	50.	Pahira
51.	वारी	51.	Wari
52.	बेलदार	52.	Beldar
53.	बिन्द	53.	Bind
54.	XXX	54.	XXX
55.	सेखड़ा	55.	Shekhara
56.	बागदी – बागती (बागची)	56.	Bagdi-Bagth (Bagchi)
57.	भुईयार	57.	Bhuiyar
58.	भार	58.	Bhar
59.	XXX	59.	XXX
60.	भास्कर	60.	Bhaskar
61.	माली	61.	Mali
62.	मंगर	62.	Mangar
63.	मदार	63.	Madar
64.	मल्लाह (सुरहिया)	64.	Mallah (Surhia)
65.	मझवार	65.	Majhwar
66.	मारकन्डे	66.	Markandey
67.	मौरियारी	67.	Moriyari
68.	मलार (मालहोर)	68.	Malar (Malhor)
69.	मोलिक	69.	Molik
70.	राजधोबी	70.	Rajdhobi
71.	राजभर	71.	Rajbhar
72.	रंगवा	72.	Rangwa
73.	वनपर	73.	Banpar
74.	XXX	74.	XXX
75.	सौटा (सोता)	75.	Souta (Sota)
76.	XXX	76.	XXX

77. XXX	77. XXX
78. अघोरी	78. Aghouri
79. अबदल	79 Abdal
80. कसाब (कसाई) (मुस्लिम)	80. Kasab (Kasai) (Muslim)
81. चीक (मुस्लिम)	81. Chik (Muslim)
82. डफाली (मुस्लिम)	82. Dafali (Muslim)
83. धुनिया (मुस्लिम)	83. Dhunia (Muslim)
84. धोबी (मुस्लिम)	84. Dhobi (Muslim)
85. नट (मुस्लिम)	85. Nut (Muslim)
86. पमरिया (मुस्लिम)	86. Pamaria (Muslim)
87. भठियारा (मुस्लिम)	87. Bhathiyara (Muslim)
88. भाट (मुस्लिम)	88. Bhat (Muslim)
89. मेहतर, लाल बेगिया, हलालखोर, भंगी (मुस्लिम)	89. Mehtar, Lalbegia, Halalkhor, Bhangi (Muslim)
90. मिरियासीन (मुस्लिम)	90. Miriasin (Muslim)
91. मदारी (मुस्लिम)	91. Madari (Muslim)
92 मोरशिकार (मुस्लिम)	92. Morshikar (Muslim)
93. साईं (मुस्लिम)	93. Saien (Muslim)
94. मोमिन (मुस्लिम) (शेख, जुलहा, अंसारी)	94. Momin (Muslim) (Shekh, Julaha, Ansari)
95. अमात	95. Amat
96. चुड़ीहार (मुस्लिम)	96. Churihar (Muslim)
97. प्रजापति (कुम्हार)	97. Parjapati (Kumhar)
98. राईन या कुजरा (मुस्लिम)	98 Raeen or Kunjara (Muslim)
99 सोय	99. Soy
100 ठकुराई (मुस्लिम)	100. Thakurai (Muslim)
101. नागर	101. Nagar

102.	शेरशहवादी	102.	Shershawadi
103.	बलखो (मुस्लिम)	103.	Balkkho (Muslim)
104.	अदरखी	104.	Adarakhi
105	छिपी	105	Chhipy
106	तिलि / एकादश तिलि / द्वादस तिलि / एकादश तेली / द्वारश तेली	106.	Tili/Ekadash Tili/Dwadesh Tili/Ekadash Teli/Dwadesh Teli
107.	इदरीसी / दर्जी (मुस्लिम)	107.	Idirisi/Darzi (Muslim)
108.	सेकलगर (सिकलगर) (मुस्लिम)	108.	Saikalgar (Sikalgar) (Muslim)
109.	लेट	109.	Lait
110.	कुनाई	110.	Kunai
111.	पुष्पनामित	111.	Pushpanamit
112.	झोरा	112.	Jhora
113.	बागाल / खण्डवाल	113.	Bagal/Khandwal
114.	सिन्दूरिया	114.	Sinduria
115.	खैरा	115.	Khaira

नोट :– उन जाति तथा वर्गो को जिन्हें मुस्लिम नही लिखा गया है, उन्हें हिन्दू तथा मुसलमान दोनो जाति को समझना चाहिए।

पिछड़े वर्गों की सूची

(अनुसूची–2)

1	XXX	1	XXX
2	कागजी	2	Kagji
3	कमार (लोहार और कर्मकार)	3	Kamar (Lohar & Karmkar)
4	कुशवाहा (कोईरी)	4	Kuswaha (Koiri)
5	कोस्ता	5	Kosta
6	गद्दी	6	Gaddi

7	घटवार	7	Ghatwar
8	XXX	8	XXX
9	चनउ	9	Chanau
10	जदुपतिया	10	Jadupatia
11	जोगी (जुगी)	11	Jogi (Jugi)
12	तमोली	12	Tamoli
13	तेली	13	Teli
14	देवहार	14	Dewhar
15	नालबंद (मुस्लिम)	15	Nalband (Muslim)
16	XXX	16	XXX
17	परथा	17	Partha
18	बढ़ई	18	Barhi
19	बड़ई	19	Barai
20	बनिया (सूढ़ी, हलवाई, मयरा (मैरा) मोदक रोनियार, पनसारी, मोदी, कसेरा, केशरवानी, ठठेरा, कलवार, कलाल, एराकी एवं वियाहुत कलवार, जायसवाल / जैशवार, पटवा, कमलापुरी, वैश्य, बनिया, माहुरी, वैश्य, अवध बनिया, बगी वैश्य (बंगाली बनिया), बर्नवाल, अग्रहरी वैश्य (पोद्दार, कसोधन), गंधवनिक / ओमर / उमर वैश्य	20	Bania (Sundi, Halwai, Mayra (Maira) Modak, Roniar, Pansari, Modi, Kasera, Kesarwani, Thathera, Kalwar Kalal, Araqu and Bihayut, Kalwar, Jaiswal/Jaishwar, Patwa, Kamlapuri, Vaishya, Bania Mahauri, Vaishya, Awadh Bania, Bangi Vaishya (Bangali Baniya) Barnwal, Agrhari Vaishya (Poddar, Kasodhan), Gandhbanik/Omar/Umar Vaishya
21	मुकरी (मुकेरी) (मुस्लिम)	21	Mukri (Mukeri) (Muslim)
22	यादव (ग्वाला, अहिर, गोप, घासी, मेहर) (सदगोप)	22	Yadav (Gwala, Ahir, Gope, Ghasi, Mehar) (Sadgop)
23	राजवंशी (रिसिया या पोलिया)	23	Rajbansi (Risia or Polia)

24	रंगरेज (मुस्लिम)	24	Rangrej (Muslim)
25	रौतिया	25	Rautiya
26	XXX	26	XXX
27	लहेडी	27	Lahari
28	शिवहरी	28	Shivhari
29	सोनार (सुवर्ण वनिक)	29	Sonar (Suwarnabanik)
30	सूत्रधार	30	Sutradhar
31	सुकियार	31	Sukiyar
32	XXX	32	XXX
33	ईसाई धर्मावलम्बी (हरिजन)	33	Ishai Dharmawalambi (Harijan)
34	ईसाई धर्मावलम्बी (अन्य पिछड़ी जाति)	34	Ishai Dharmawalambi (Anya Pichhri Jati)
35	XXX	35	XXX
36	भाट (हिन्दू)	36	Bhat (Hindu)
37	दांगी	37	Dangi
38	कुल्हैया	38	Kulhaiya
39	बैरागी (वैश्णव)	39	Bairagi (Baishnav)
40	पाईक	40	Paik
41	लक्ष्मी नारायण गोला	41	Laxmi Narayan Gola
42	चासा	42	Chasa
43	XXX	43	XXX
44	कयाली	44	Kayali

उन जाति तथा वर्गों को जिन्हें मुस्लिम नहीं लिखा गया है, हिन्दू तथा मुसलमान दोनों जाति का समझना चाहिए।

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

विषयः— **राज्य के अत्यन्त पिछड़े वर्ग (अनुसूची–I) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–II) के जातियों को अलग–अलग आरक्षण की सुविधा प्रदान करने के संबंध में ।**

झारखण्ड राज्य में राज्य स्तरीय पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों तथा राज्य स्तरीय विनिर्दिष्ट शिक्षण संस्थाओं में नामांकन हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 14 प्रतिशत (अत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग समेकित रूप में) आरक्षण की व्यवस्था वर्त्तमान में है। झारखण्ड राज्य के गठन के पूर्व पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिए अलग–अलग आरक्षण की व्यवस्था थी । अत्यन्त पिछड़ा वर्ग छात्र संघ द्वारा पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिए अलग–अलग आरक्षण की व्यवस्था लागू किये जाने के विषय पर माननीय उच्च न्यायालय में रिट दाखिल किया गया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समेकित रूप से अन्य पिछड़े वर्ग को दी गई आरक्षण व्यवस्था के विपरित आदेश दिया गया । इस आदेश के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में एल0पी0ए0 सं0–176/2003 एवं 2371/2003 दायर किया गया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने झारखण्ड सरकार के उस निर्णय को सही ठहराया जिसके अनुसार अत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग समेकित रूप से 14 प्रतिशत आरक्षण अनुमान्य किया गया था। एल0पी0ए0 में पारित न्यायादेश के बिरूद्ध अत्यन्त पिछड़ा वर्ग छात्र संघ द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सिविल अपील सं0–3430/2006 दायर किया, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा निम्न आदेश पारित किया गया :—

"we hold that the order dated 16.08.2003 passed by the Division Bench in L.P.A No. 176 of 2003 is set aside and the matter is remitted to the State Government for undertaking a deep study and research by a special committee of Experts consitituted for the purpose or by appointing an expert Commission headed by a Retired High Court Judge or body as has been provided for in the Mandal Commission,s case to enquire into the recommendation/complaints made over under-inclusion and over-inclusion and make binding recommendation. The State government is directed to constitute an Expert Commission of a Body within three months from the date of the receipt of the order"

2. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में इस विषय पर झारखण्ड राज्य के पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग से प्रतिवेदन की मांग की गई । आयोग ने अपने पत्रांक–289/पी. दिनांक–26.02.2007 द्वारा राज्य सरकार को प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें आयोग द्वारा अनुशंसा की गई कि राज्य सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए प्रावधानित 14 प्रतिशत आरक्षण को विभाजित कर अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–I) के लिए 8 प्रतिशत आरक्षण एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–II) के लिए 6 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था किया जा सकता है । आयोग की अनुशंसा पर विधि विभाग की राय प्राप्त की गई और विधि विभाग द्वारा आयोग की अनुशंसा पर अपनी सहमति देते हुए यह परामर्श दिया गया कि आयोग की अनुशंसा को स्वीकार करते हुए तदनुसार कार्रवाई की जा सकती है ।

3. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये न्याय निर्देश, पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग की अनुशंसा एवं इस विषय पर विधि विभाग से प्राप्त परामर्श के आलोक में झारखण्ड राज्य में राज्य स्तरीय पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों तथा राज्य स्तरीय विनिर्दिष्ट शिक्षण संस्थाओं में नामांकन हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित 14 प्रतिशत (अत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग समेकित रूप में) आरक्षण को विभाजीत कर अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–I) तथा पिछड़ वर्ग (अनुसूची–II) के लिए आरक्षण का प्रतिशत निम्नरूप में निर्धारित किया जाता है :–

(I) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–I) – 08 प्रतिशत

(II) पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–II) – 06 प्रतिशत

4. एतदविषयक पूर्व निर्गत संकल्प इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे ।

5. यह संकल्प तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति झारखंड राजपत्र में जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जाए तथा इसकी प्रति महालेखाकार, झारखंड एवं बिहार/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जाए ।

23.9.08

(जे0 बी0 तुबिद)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–7/सी0–07–25/2005 का. 5162/रांची, दिनांक 25 सितम्बर,2008

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को राजकीय गजट के असाधरण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित । उनसे अनुरोध है कि गजट की 200 प्रतियाँ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को भेजें ।

23.9.08

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक–7/सी0–07–25/2005 का. 5162/रांची, दिनांक–25 सितम्बर, 2008

प्रतिलिपि :– महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय, राँची/ महानिबंधक, झारखंड उच्च न्यायालय, राँची/प्रभारी सचिव, झारखंड विधान सभा सचिवालय/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/मुख्य सचिव के सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी उपायुक्त/ संयुक्त सचिव, झारखंड लोक सेवा आयोग/सभी विश्वविधालय/सभी संबंधित संस्थानों के प्राचार्य को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

23.9.08

सरकार के सचिव ।

Niranjan- 18-09-08.

96

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

विषय : झारखण्ड राज्य के सेवाओं एवं पदों की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम–2001 के अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 में कतिपय संशोधन।

झारखण्ड राज्य के पदों एवं सेवाओं में रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम–2001 की धारा–2 में अत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग को परिभाषित किया गया है तथा इसमें सम्मिलित वर्ग को इस नियम की अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 में विनिर्दिष्ट किया गया है।

2. उक्त अधिनियम की धारा–14 (अ) के द्वारा अंकित अनुसूची–1 एवं अनुसची–2 में उल्लेखित किसी जाति/वर्ग को जोड़ने या हटाने की शक्ति राज्य सरकार को प्रदत्त है।

अतएव राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि अनुसूची–1 में निम्नरूपेण समावेशन किया जायः–

अनुसूची–1

क्रमांक–27 पर गौड़ जाति के प्रकोष्ठ में (मगदा–गौड़/महाकुड़ जाति के बाद "गोप, ग्वाला (पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम एवं सरायकेला–खरसावाँ जिलों के लिए)" अंकित की जाय।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में सर्व साधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रतियां सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को भेजी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

22.9.08
(जे0बी0 तुबिद)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–7/जाति निर्धारण–19–03/06 का० 5108 /रांची, दिनांक 23.09.08

प्रतिलिपि–अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची को राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

कृपया इसकी इसकी 500 (पांच सौ) प्रतियाँ कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विाग, झारखण्ड, रांची को भी उपलब्ध करा दी जाय।

22.9.08
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–7/जाति निर्धारण–19–03/06 का॰ 5108 /रांची, दिनांक 23.09.08

प्रतिलिपि–राज्यपाल सचिवालय/मुख्यमंत्री सचिवालय/लोकायुक्त के सचिव, झारखण्ड, रांची/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/मुख्य सचिव के सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सदस्य सचिव, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों/सभी राज्य पब्लिक अंडरटेकिंग/ निगमों/निकायों/परिषदों/विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/विद्यालयों को इस निर्णय से अवगत करायें।

22.9.08

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–7/जाति निर्धारण–19–03/06 का॰ 5108 /रांची, दिनांक 23.09.08

प्रतिलिपि–महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची/विधान सभा सचिवालय/झारखण्ड लोक सेवा आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22.9.08

सरकार के सचिव।

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प – 243 11/01/2008

विषय : झारखण्ड राज्य के सेवाओं एवं पदों की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम–2001 के अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 में कतिपय संशोधन।

झारखण्ड राज्य के पदों एवं सेवाओं में रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनंजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम–2001 की धारा–2 में अत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग को परिभाषित किया गया है तथा इसमें सम्मिलित वर्ग को इस नियम की अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 में विनिर्दिष्ट किया गया है।

2. उक्त अधिनियम की धारा–14 (अ) के द्वारा अंकित अनुसूची–1 एवं अनुसची–2 में उल्लेखित किसी जाति/वर्ग को जोड़ने या हटाने की शक्ति राज्य सरकार को प्रदत्त है।

अतएव राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि अनुसूची–2 में निम्नरूपेण समावेशन किया जायः–

अनुसूची–2

क्रमांक–20 पर बनिया जाति में नामित "गंधबनिक" के ठीक बाद में ओमर/उमर वैश्य जाति जोड़ा जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(आर.एस. शर्मा)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–7/जाति निर्धारण–19–02/07 का॰ 243 /रांची, दिनांक 11/01/2008

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि गजट की 200 (दो सौ) प्रति कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रांची को उपलब्ध करायें।

सरकार के प्रधान सचिव।

ok

C:\Amit Kumar\A.K R.S.S Section-7 sankalp-7-19-02-07.doc

ज्ञापांक–7 / जाति निर्धारण–19–02 / 07 का॰ 243 / रांची, दिनांक 11/01/2008

प्रतिलिपि–राज्यपाल सचिवालय / मुख्यमंत्री सचिवालय / लोकायुक्त के सचिव, झारखण्ड, रांची / सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / मुख्य सचिव के सचिव / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी उपायुक्त / सदस्य सचिव, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों / सभी राज्य पब्लिक अंडरटेकिंग / निगमों / निकायों / परिषदों / विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों / विद्यालयों को इस निर्णय से अवगत करायें।

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–7 / जाति निर्धारण–19–02 / 07 का॰ 243 / रांची, दिनांक 11/01/2008

प्रतिलिपि–महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची / विधान सभा सचिवालय / झारखण्ड लोक सेवा आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प — 7281 / 07/11/2007

विषय : निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर), अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी अधिनियम–1995 के तहत सरकारी सेवाओं में नियुक्ति/प्रोन्नति एवं शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में विकलांगों को आरक्षण के संबंध में।

निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 के विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत राज्य सरकार के सभी पदों एवं सेवाओं में विकलांगों को उचित भागीदारी एवं अन्य सुविधायें सुनिश्चित कराने हेतु राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विभिन्न संकल्पों/अधिनियम/परिपत्रों द्वारा दिशा निदेश दिये गये है।

भारत सरकार लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन 36035/3/2004–इस्ट (रेस०) दिनांक 29.12.2005 द्वारा पूर्व में निर्गत सभी अनुदेशों को समेकित करते हुए निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 के अनुरूप लाने और प्रक्रियात्मक मसलों सहित कुछ मुद्दों को स्पष्ट करने की दृष्टि से एक समेकित अनुदेश निर्गत किये गये हैं, जिसके आलोक में राज्य सरकार द्वारा भी पूर्व के निर्गत सभी निदेशों को एकीकृत करते हुए एक समेकित अनुदेश निर्गत किये जाते हैं, जो निम्नवत है :–

1. विकलांग सुरक्षा अधिनियम, 1995 की धारा–33 के तहत राज्य सरकार के सभी विभागों/कार्यालयों/राजकीय लोक उपक्रमों/निगमों/निकायों/बोर्डों के सभी प्रकार के पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में विकलांगों के लिए 3 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यह आरक्षण अलग से नहीं बल्कि चयनित विकलांग जिस कोटा के होंगे, उनका सामंजन उसी कोटा के विरूद्ध होगा। अर्थात् आरक्षित कोटि (अनु० जाति, अनु० जनजाति, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़े वर्ग की महिला) के विकलांग आरक्षित कोटा से और सामान्य वर्ग के विकलांग सामान्य वर्ग के कोटा के विरूद्ध सामंजित किये जायेगें।

2. गुणा गुण (Merit) के आधार पर विकलांगों की गणना गैर आरक्षित कोटा (सामान्य वर्ग) के अन्तर्गत की जायेगी।

3. विकलांगों के लिए आरक्षण का प्रावधान यद्यपि कंडिका (1) में उल्लिखित सेवाओं एवं संगठनों के सभी प्रकार के पदों एवं सेवाओं में किया गया है, फिर भी यदि उसमें विकलांगों के लिए आरक्षण उपयुक्त नहीं समझा जाता हो तो संबंधित नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा उसे निःशक्त व्यक्ति अधिनियम–1995 से मुक्त रखने संबंधी प्रस्ताव के साथ यह भी प्रस्ताव दिया जायेगा कि हस्तगत नियुक्ति में निःशक्त व्यक्तियों को आरक्षण नहीं देने की स्थिति में होने वाली क्षति के उक्त पद के समकक्ष पद पर होने वाली अन्य नियुक्ति (जिसमें विकलांगों को आरक्षण देय हो) से पूरा कर लिया जायेगा। उक्त प्रस्ताव को सरकार द्वारा इस उद्देश्य हेतु गठित निम्न समिति के समक्ष रखा जायेगा।

(i) मुख्य सचिव
(ii) सचिव, कल्याण विभाग
(iii) सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग
(iv) निःशक्तता आयुक्त

(v) निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं

(vi) संबंधित विभाग के सचिव / विभागाध्यक्ष

4. निःशक्तताओं के परिभाषाएं :–

(i) (क) अंधापन :– "अंधापन" का अभिप्राय जब कोई व्यक्ति निम्नलिखित परिस्थिति से ग्रसित हो।

(ख) दृष्टि का पूर्ण अभाव, अथवा

(ii) बेहतर आंख में दृष्टि सुधारने वाले लेंसों के साथ दृष्टि विमलता 6/60 अथवा 20/200 (स्नेलैन) से अनधिक, अथवा

(iii) (क) दृष्टि क्षेत्र की सीमा जिससे 20 डिग्री का कोण व्याप्त हो अथवा इससे बदतर,

(ख) कम दृष्टि :–"कम दृष्टि वाले व्यक्ति" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसकी दृष्टिक क्रिया उपचार के अथवा मानक परावर्तित सुधार करवाने के बाद भी खराब हो परन्तु जो समुचित सहायक यंत्र से किसी काम की योजना बनाने अथवा उसे निष्पादित करने में दृष्टि का प्रयोग करता हो अथवा उसका प्रयोग करने में संभावनीय रूप से समर्थ हो।

(iv) कम सुनाई देने की निःशक्तता :– "कम सुनवाई देने की निःशक्तता" से बेहतर कान में बातचीत स्वरूप की श्रेणी की आवृत्तियों में साठ डेसिबल अथवा उससे अधिक का लोप अभिप्रेत है।

(v) (क) चलने फिरने की निःशक्तता :– "चलने फिरने की निःशक्तता" से हड्डियों, जोड़ों अथवा मांसपेशियों की निःशक्ता अथवा किसी भी तरह का प्रमस्तिष्कीय पक्षघात (फालिज) अभिप्रत है, जिससे अंगों के हिलने डुलने में अत्यधिक बाधा हो।

(ख) <u>प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (फालिज)</u>

"प्रमस्तिष्कीय पक्षाघार (फालिज)" से किसी व्यक्ति की गैर विकासोन्मुख स्थितियों का समूह अभिप्रेत है, जो जन्म से पूर्व, जन्म के आसपास अथवा विकास की आरंभिक अवधि में घटित मस्तिष्क आघात अथवा चोटों के परिणाम स्वरूप चलने–फिरने की असामान्य नियंत्रण भंगिता के रूप में परिलक्षित होता है।

(ग) शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के सभी मामले, "चलने फिरने की निःशक्तता अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (फालिज)" की श्रेणी के अन्तर्गत आएंगे।

5. आरक्षण के लिए निःशक्तता की मात्रा :– केवल ऐसे व्यक्ति सेवाओं / पदों में आरक्षण के लिए पात्र होंगे जो, कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता से ग्रस्त हो जो व्यक्ति आरक्षण का लाभ उठाना चाहता हो उसे, अनुबंध–1 में दिए गए प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया निःशक्तता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6. निःशक्तता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी निःशक्तता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए, केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा विधिवत रूप से गठित मेडिकल बोर्ड, सक्षम प्राधिकारी होगा। केन्द्र / राज्य सरकार मेडिकल बोर्ड का गठन कर सकती है, जिसमें कम से कम तीन सदस्य होंगे। इन सदस्यों में कम से कम

मूल सदस्य, चलने फिरने की निःशक्तता/कम सुनाई देने की निःशक्तता, जैसे भी मामला हो, का मूल्यांकन करने के लिए क्षेत्र विशेष का विशेषज्ञ होना चाहिए। (निःशक्तता प्रमाण पत्र का प्रपत्र संलग्न)।

7. मेडिकल बोर्ड, समुचित जांच पड़ताल के पश्चात् स्थायी निःशक्तता के ऐसे मामलों में स्थायी निःशक्तता प्रमाण पत्र जारी करे, जहां निःशक्तता की मात्रा में परिवर्तन होने की कोई गुंजाईश न हो। मेडिकल बोर्ड, ऐसे मामलों में प्रमाण पत्र की वैधता की अवधि इंगित करे जिनमें निःशक्तता की मात्रा में परिवर्तन होने की गुंजाईश हो। निःशक्तता प्रमाण पत्र के जारी किए जाने से तब तक इन्कार नहीं किया जायेगा जब तक आवेदक को, उसका पक्ष सुनने का अवसर न दे दिया जाय। आवेदक द्वारा अभ्यावेदन देने के पश्चात, मेडिकल बोर्ड मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अपने निर्णय की समीक्षा कर सकता है और उस मामले में अपने विवेकानुसार आदेश दे सकता है।

8. उक्त प्रसंग में झारखण्ड सरकार के पत्रांक 2289 दिनांक 18.07.2005 द्वारा राज्य सरकार के अधीन सभी विभागों/कार्यालयों/निगमों/निकायों की सेवा एवं पदों पर नियुक्ति हेतु विकलांगों के लिए पद कर्णांकित करने के संबंध में भी निदेश दिया गया है । झारखण्ड सरकार द्वारा पूर्व में विकलांगों के लिए 3 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की सुविधा दी गयी है । जिनमें अंधापन एवं कम दृष्टि के फलस्वरूप विकलांग को 1 प्रतिशत, बहरापन के फलस्वरूप विकलांग को 1 प्रतिशत एवं लोकोमोटिव विकलांगता अथवा सेरिब्रल पाल्सी से ग्रसित विकलांग को 1 प्रतिशत सम्मिलित था ।

भारत सरकार द्वारा निर्गत विकलांग सुरक्षा अधिनियम 1995 की धारा 33 में यह व्यवस्था की गई है कि किसी भी सरकार के अंतर्गत रिक्तियों के विरूद्ध 3 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था विकलांग उम्मीदवारों के लिए की जाए ।

उक्त आलोक में राज्य सरकार के सभी विभागों /कार्यालयों /निगमों/निकायों के सभी प्रकार के पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में विकलांगों के लिए 3 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया है । यह आरक्षण अलग से नहीं बल्कि चयनित विकलांग जिस कोटा के होंगे उनका सामंजन उसी कोटा के विरूद्ध होगा । अर्थात आरक्षित कोटा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग) के विकलांग आरक्षित कोटा से और सामान्य वर्ग के विकलांग सामान्य वर्ग के कोटा के विरूद्ध सामंजित किये जायेगें ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रांची द्वारा निर्गत राज्य एवं जिला स्तर पर निर्धारित रोस्टर में विकलांगों का बिन्दु निर्धारित नहीं किया गया है। अतः कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रांची द्वारा निर्गत संकल्प सं0 6329 दिनांक 20.11.2003 (राज्य स्तर का रोस्टर) एवं 6704 दिनांक 10.12. 2003 (जिला स्तर का रोस्टर) द्वारा निर्गत रोस्टर के आलोक में उक्त विकलांगों को निम्नांकित श्रृंखला के अंतर्गत आरक्षण देय होगा :-

(क) दृष्टि निःशक्तता – रोस्टर बिन्दु 01 से 33 तक = 01 पद

(ख) मूक बधिर निःशक्तता – रोस्टर बिन्दु 34 से 67 तक = 01 पद

(ग) चलन निःशक्तता – रोस्टर बिन्दु 68 से 100 तक = 01 पद

9. निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 36 जो निम्नवत है, के अनुरूप न भरी गई रिक्तियों को अग्रणित किए जाने के संबंध में कार्रवई की जा सकेगी।

जहाँ किसी भर्त्ती वर्ष में धारा 33 के अधीन किसी रिक्ति के किसी उपर्युक्त निःशक्त व्यक्ति की अनुपलब्धतता के कारण या किन्हीं अन्य पर्याप्त कारण से भरा नहीं जा सकता है, वहाँ ऐसी रिक्ति अगली वर्ष में अग्रगणित की जायेगी और यदि अगले भर्त्ती वर्ष में भी उपयुक्त निःशक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं है, तो इसे पहले तीनों प्रवर्गों के बीच परस्पर परिवर्तन द्वारा भरा जा सकेगा और केवल तभी जब उस वर्ष में पद के लिए कोई निःशक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं है, नियोजक निःशक्त व्यक्ति से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति करके रिक्ति को भरेगा।

परन्तु यदि किसी स्थापना में रिक्तियों की प्रकृति ऐसी हो कि किसी निश्चित प्रवर्ग के व्यक्ति को नियोजित नहीं किया जा सकता है, तो रिक्तियां सरकार के पूर्वानुमोदन से तीनों प्रवर्गों के बीच परस्पर परिवर्तित की जा सकेगी।

10. निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1955 की धारा 39 में निहित प्रावधानों के अनुरूप यह निदेश दिया जाता है कि राज्य सरकार के अधीन शैक्षणिक संस्थानों में तथा ऐसे सभी शैक्षणिक संस्थानों में जिन्हें राज्य सरकार से सहायता मिली हो, नामांकन में विकलांगों के लिए 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे। यह आरक्षण भी विकलांगता आधारित होगा, जातिगत आधारित नहीं होगा। नामांकन हेतु चयनित विकलांग उम्मीदवार जिस आरक्षित/गैर आरक्षित वर्ग का होगा, उसकी गणना उसी आरक्षित/गैर आरक्षित वर्ग के विरूद्ध होगी। शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन हेतु विकलांग किसे कहा जायेगा तथा विभिन्न प्रकार के विकलांगों के लिए आरक्षण की क्या व्यवस्था होगी, इस संबंध में भारत सरकार द्वारा निर्गत निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 के प्रावधानों का अनुपालन किया जायेगा।

11. निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 की धारा 47 का मूल उद्देश्य सरकारी नियोजन में अविभेद (Non discrimination in Govt. employment) है, जिसके अनुसार अपंगता किसी व्यक्ति की सेवा में नियुक्ति/प्रोन्नति में बाधक नहीं होगी तथा अपंगता के आधार पर किसी को मूल अधिकारी से वंचित नहीं किया जा सकता है। अपंगता के कारण किसी व्यक्ति विशेष के धारित पद के योग्य नहीं रहने पर उन्हें अतिरिक्त पद पर तब समायोजित रखा जा सकता है, जब तक कि उनके लिए उपयुक्त पद प्राप्त न हो जाय अथवा वे सेवानिवृति की उम्र को प्राप्त नहीं कर लें।

12. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय–समय पर यथासंशोधित आयु सीमा के निर्धारण किये जाने संबंधित आदेश लागू होगा।

13. निःशक्त व्यक्तियों के लिए होरिजेन्टल आरक्षण (Horizontal Reservation) :– पिछड़े वर्ग के लिए नागरिकों (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अत्यन्त पिछड़े वर्गों, पिछड़े वर्गों एवं पिछड़े वर्गों की महिलाओं) के लिए आरक्षण को वर्टिकल आरक्षण (Vertical Reservation) कहा जाता है और निःशक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण को होरिजेन्टल आरक्षण कहा जाता है। होरिजेन्टल आरक्षण और वर्टिकल आरक्षण आपस में मिल जाते हैं (जिसे इंटर लौकिंग आरक्षण कहा जाता है) और निःशक्त व्यक्तियों के लिए निर्धारित कोटे में चुने गये व्यक्तियों को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अत्यन्त पिछड़े वर्गों/पिछड़े वर्गों की महिलाओं/सामान्य श्रेणी की उपयुक्त श्रेणी में रखा जाता है। उदाहरणतः यदि किसी दिये गये वर्ष में निःशक्त व्यक्तियों के लिए दो रिक्तियाँ आरक्षित हैं और नियुक्त किए गए दो निःशक्त व्यक्तियों में से एक व्यक्ति अनुसूचित जाति का है और दूसरा सामान्य श्रेणी का है तो अनुसूचित जाति के निःशक्त उम्मीदवार का आरक्षण रोस्टर में अनुसूचित जाति के बिन्दु पर समायोजित किया जायेगा और सामान्य उम्मीदवार को संगत आरक्षण रोस्टर में अनारक्षित बिन्दु पर रखा

मूल सदस्य, चलने फिरने की निःशक्तता/कम सुनाई देने की निःशक्तता, जैसे भी मामला हो, का मूल्यांकन करने के लिए क्षेत्र विशेष का विशेषज्ञ होना चाहिए। (निःशक्तता प्रमाण पत्र का प्रपत्र संलग्न)।

7. मेडिकल बोर्ड, समुचित जांच पड़ताल के पश्चात् स्थायी निःशक्तता के ऐसे मामलों में स्थायी निःशक्तता प्रमाण पत्र जारी करे, जहां निःशक्तता की मात्रा में परिवर्तन होने की कोई गुंजाईश न हो। मेडिकल बोर्ड, ऐसे मामलों में प्रमाण पत्र की वैधता की अवधि इंगित करे जिनमें निःशक्तता की मात्रा में परिवर्तन होने की गुंजाईश हो। निःशक्तता प्रमाण पत्र के जारी किए जाने से तब तक इन्कार नहीं किया जायेगा जब तक आवेदक को, उसका पक्ष सुनने का अवसर न दे दिया जाय। आवेदक द्वारा अभ्यावेदन देने के पश्चात, मेडिकल बोर्ड मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अपने निर्णय की समीक्षा कर सकता है और उस मामले में अपने विवेकानुसार आदेश दे सकता है।

8. उक्त प्रसंग में झारखण्ड सरकार के पत्रांक 2289 दिनांक 18.07.2005 द्वारा राज्य सरकार के अधीन सभी विभागों/कार्यालयों/निगमों/निकायों की सेवा एवं पदों पर नियुक्ति हेतु विकलांगों के लिए पद कर्णांकित करने के संबंध में भी निदेश दिया गया है । झारखण्ड सरकार द्वारा पूर्व में विकलांगों के लिए 3 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की सुविधा दी गयी है । जिनमें अंधापन एवं कम दृष्टि के फलस्वरूप विकलांग को 1 प्रतिशत, बहरापन के फलस्वरूप विकलांग को 1 प्रतिशत एवं लोकोमोटिव विकलांगता अथवा सेरिब्रल पाल्सी से ग्रसित विकलांग को 1 प्रतिशत सम्मिलित था ।

भारत सरकार द्वारा निर्गत विकलांग सुरक्षा अधिनियम 1995 की धारा 33 में यह व्यवस्था की गई है कि किसी भी सरकार के अंतर्गत रिक्तियों के विरूद्ध 3 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था विकलांग उम्मीदवारों के लिए की जाए ।

उक्त आलोक में राज्य सरकार के सभी विभागों /कार्यालयों /निगमों/निकायों के सभी प्रकार के पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में विकलांगों के लिए 3 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया है । यह आरक्षण अलग से नहीं बल्कि चयनित विकलांग जिस कोटा के होंगे उनका सामंजन उसी कोटा के विरूद्ध होगा । अर्थात आरक्षित कोटा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग) के विकलांग आरक्षित कोटा से और सामान्य वर्ग के विकलांग सामान्य वर्ग के कोटा के विरूद्ध सामंजित किये जायेगें ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रांची द्वारा निर्गत राज्य एवं जिला स्तर पर निर्धारित रोस्टर में विकलांगों का बिन्दु निर्धारित नहीं किया गया है। अतः कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रांची द्वारा निर्गत संकल्प सं0 6329 दिनांक 20.11.2003 (राज्य स्तर का रोस्टर) एवं 6704 दिनांक 10.12. 2003 (जिला स्तर का रोस्टर) द्वारा निर्गत रोस्टर के आलोक में उक्त विकलांगों को निम्नांकित श्रृंखला के अंतर्गत आरक्षण देय होगा :–

(क) दृष्टि निःशक्तता – रोस्टर बिन्दु 01 से 33 तक = 01 पद
(ख) मूक बधिर निःशक्तता – रोस्टर बिन्दु 34 से 67 तक = 01 पद
(ग) चलन निःशक्तता – रोस्टर बिन्दु 68 से 100 तक = 01 पद

9. निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 36 जो निम्नवत है, के अनुरूप न भरी गई रिक्तियों को अग्रणित किए जाने के संबंध में कार्रवई की जा सकेगी।

जायेगा। यदि अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित बिन्दु पर कोई भी रिक्ति नहीं होती है तो अनुसूचित जाति का निःशक्त उम्मीदवार भविष्य में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित अगली उपलब्ध रिक्ति पर समायोजित किया जायेगा।

14. उपयुक्तता मानदण्डों में छूट :– यदि निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित सभी रिक्तियों को भरने के लिए सामान्य मानदण्डों के आधार पर इस श्रेणी के उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होते तो इनके लिए आरक्षित शेष रिक्तियों को भरने के लिए मानदण्डों में ढील देकर इस श्रेणी के उम्मीदवारों का चयन किया जाए बशर्ते कि वे ऐसे पद अथवा पदों के लिए अनुपयुक्त न हो। इस प्रकार यदि निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित सभी रिक्तियों को सामान्य मानदण्डों के आधार पर नहीं भरा जा सके तो आरक्षित कोटा में कमी को पूरा करने के लिए इन श्रेणियों के उम्मीदवारों का मानदण्डों को शिथिल कर के चयन कर लिया जाए बशर्ते कि विचाराधीन पद/पदों पर नियुक्ति हेतु एक उम्मीदवार उपयुक्त पाए जाए।

15. इस संकल्प के निर्गत होने के पश्चात् किसी भी बिन्दु को स्पष्ट करने/शिथिल करने की शक्ति कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को होगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

6.11.07
(एस0के0 शतपथी)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 7/आ॰ 03/2001 7281 /रांची, दिनांक 07/11/2007

प्रतिलिपि–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची को राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इस संकल्प की 200 प्रतियाँ इस विभाग को भेजने की कृपा करें।

6.11.07
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 7/आ॰ 03/2001 7281 /रांची, दिनांक 07/11/2007

प्रतिलिपि–महालेखाकार, झारखण्ड, रांची/सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, रांची/झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, रांची/सदस्य सचिव, पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, रांची/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, रांची/सचिव, झारखण्ड विधान सभा/सभी विश्वविद्यालय के कुलपति को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रत्येक विभाग/विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि उनके अधीनस्थ सभी स्थानीय निकायों/निगमों/लोक सेवा उपक्रमों/पर्षदों को अविलम्ब सूचना करा दें।

6.11.07
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 7/आ॰ 03/2001 7281 /रांची, दिनांक 07/11/2007

प्रतिलिपि–प्रधान सचिव, सूचना, प्रौद्योगिकी विभाग, झारखण्ड, रांची को इन्टरनेट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

6.11.07
सरकार के सचिव।

C: Amit Kumar\A K S K S\Section-7 sanlekh.doc

अनुबन्ध–1

संस्थान/अस्पताल का नाम और पता

प्रमाण पत्र सं. .... तारीख ....

निःशक्तता प्रमाण पत्र

चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा विधिवत प्रमाणित उम्मीदवार का हाल का फोटो जो उम्मीदवार की निःशक्तता दर्शाता हो।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री .... आयुक्त .... लिंग .... पहचान चिन्ह .... निम्नलिखित श्रेणी की स्थायी निःशक्तता से ग्रस्त –

क. गति विषयक (लोकोमीटर) अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (फॉलिज)

(i) दोनों टांगे (बी एल) – दोनों पैर प्रभावित किन्तु हाथ प्रभावित नहीं

(ii) दोनों बाहें (बी ए) – दोनों बाहें प्रभावित (क) दुर्बल पहुँच
(ख) कमजोर पकड़

(iii) दोनों टांगे और बाहें (बी एल ए) – दोनों टांगे और दोनों बाहें प्रभावित

(iv) एक टांक (ओ एल) – एक टांग प्रभावित (दायां या बायां)
(क) दुर्बल पहुँच
(ख) कमजोर पकड़
(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

(v) एक बांह (ओ ए) – एक बांह प्रभावित
(क) दुर्बल पहुँच
(ख) कमजोर पकड़
(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

(vi) पीठ और नितम्ब (बी एच) – पीठ और नितम्ब में कड़ापन (बैठ और झुक नहीं सकते)

(vii) कमजोर मास पेशियां (एम डब्ल्यू) – मांस पेशियों में कमजोरी और सीमित शारीरिक सहनशक्ति।

ख. अंधापन अथवा अल्प दृष्टि

(i) बी – अंधापन

(ii) पी बी – आंशिक रूप से अधता

ग. कम सुनाई देना

(i) डी – बधिर

(ii) पी डी – आंशिक रूप से बधिर

(उस श्रेणी को हटा दें तो लागू न हो)

2. यह स्थिति में प्रगामी है/गैर प्रगामी है/इसमें सुधार होने की संभावना है/सुधार होने की संभावना नहीं है। इस मामले का पुनर्निधारण किए जाने की अनुशंसा नहीं की जाती। .... वर्षों .... महीनों की अवधि के पश्चात् पुनर्निधारण किए जाने की अनुशंसा की जाती है।
3. उनके मामले में निःशक्तता का प्रतिशत .... है।
4. श्री/श्रीमती/कुमारी.. अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन के लिए निम्नलिखित शारीरिक अपेक्षाओं को पूरा करते/करती है :-

(i) एफ – अंगुलियों को चलाकर कार्य कर सकते/सकती है। हाँ/नहीं
(ii) पी पी – धकेलने और खींचने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं/ हाँ/नहीं
(iii) एल – उठाने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। हाँ/नहीं
(iv) के सी – घुटनों के बल झुकने और दबक कर कार्य कर सकते/सकती हैं। हाँ/नहीं
(v) बी – झुक कर कार्य कर सकते/सकती हैं। हाँ/नहीं
(vi) एस – बैठकर कार्य कर सकते/सकती हैं। हाँ/नहीं
(vii) एस टी – खड़े होकर कार्य कर सकते/सकती हैं। हाँ/नहीं
(viii) डब्ल्यू – चलते हुए कार्य कर सकते/सकती हैं। हाँ/नहीं
(ix) एस ई – देख कर कार्य सकते/सकती हैं। हाँ/नहीं
(x) एच – सुनने/बोलने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। हाँ/नहीं
(xi) आर.डब्ल्यू – पढ़ने और लिखने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। हाँ/नहीं

(डॉ ....)	(डॉ ....)	(डॉ ....)
सदस्य	सदस्य	अध्यक्ष
चिकित्सा बोर्ड	चिकित्सा बोर्ड	चिकित्सा बोर्ड

चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/
अस्पताल के मुखिया द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित,
(मुहर सहित)

' जो लागू न हो काट दें।

ANNEXURE-I

NAME & ADDRESS OF THE INSTITUTE/HOSPITAL

Certificate No. ____________________ Date ____________

DISABILITY CERTIFICATE

This is certified that Shri/Smt/Kum ______________________ son/wife/daughter of Shri ______________________ age ____________ permanent disability of following category:

A. Locomotor or cerebral palsy:

(i) BL - Both legs affected but not arms.

(ii) BA - Both arms affected (a) Impaired reach

(b) Weakness of grip

(iii) BLA - Both legs and both arms affected

(iv) OL - One leg affected (right or left) (a) Impaired reach

(b) Weakness of grip

(c) Ataxic

(v) OA - One arm affected (a) Impaired reach

(b) Weakness of grip

(c) Ataxic

(vi) BH - Stiff back and hips (cannot sit or stoop)

(vii) MW - Muscular weakness and limited physical endurance.

B. Blindness or Low Vision :

(i) B- Blind

(ii) PB - Partially Blind

C. Hearing Impairment

(i) D-Deaf

(ii) PD - Partially Deal

(Delete the category whichever is not applicable)

2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve. Re-assessment of this case is not recommended/is recommended after a priod of ______________ years ______________ months.

3. Percentage of disability in his/her case is .... percent.

4. Sh./Smt./Kum .... meets the following physical requirements for discharge of his/her duties :-

(i)	F-can perform work by manipulating with fingers.	Yes/No
(ii)	PP-can perform work by pulling and pushing.	Yes/No
(iii)	L-can perform work by lifting	Yes/No
(iv)	KC- can perform work by kneeling and crouching	Yes/No
(v)	B- can perform work by bending.	Yes/No
(vi)	S- can perform work by sitting	Yes/No
(vii)	ST- can perform work by standing	Yes/No
(viii)	W- can perform work by walking	Yes/No
(ix)	SE- can perform work by seeing	Yes/No
(x)	H- can perform work by hearing/speaking	Yes/No
(xi)	RW- can perform work by reading and writing	Yes/No

(Dr ________________)	(Dr ________________)	(Dr ________________)
Member	Member	Chairperson
Medical Board	Medical Board	Medical Board

Countersigned by the
Medical Superintendent/CMO/Head of
Hospital (with se

*Strike out which is not applicable.

अनुबन्ध–II

निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण रोस्ट

भर्ती का वर्ष	साईकिल सं. और पॉइन्ट सं.	पद का नाम	क्या निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए पद उपयुक्त पाया गया			अनारक्षित अथवा आरक्षित	नियुक्त व्यक्ति का नाम और नियुक्ति की तारीख	क्या नियुक्त किया गया व्यक्ति दृ.वि. /व. /शा.वि. अथवा इनमें से कोई नहीं	अभ्युक्तियां यदि कोई हो
			दृ.वि.	व.	शा.वि.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

* यदि आरक्षित पहचाने गए हो तो लिखें दृ.वि./व./शा.वि. जैसा भी मामला हो, अन्यथा लिखें अनारक्षित।

** लिखें दृ.वि./व./शा.वि. अथवा इनमें से कोई नहीं, जैसा भी मामला हो।

*** दृ.वि./व./शा.वि. का आशय दृष्टि विकलांग, बधिर और शारीरिक विकलांग से है।

ANNEXURE-I!

RESERVATION ROSTER FOR PERSONS WITH DISABILITIES

Year of Recruitment	Cycle No. and Point No.	Name of post	Whether identified suitable for Persons with Disabilities suffering from			Unreserved or Reserved *	Name of the person appointed and date of appointment	Whether the person appointed is VH/HH/OH or None **	Re if:
			VH	HH	OH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

* If identified reserved, writ VH/HH/OH, as the case may be, otherwise writ UR

** Writ VH, HH, OH or None, as the case may be.

*** VH, HH, OH stand for visually handicapped, Hearing Handicapped and Orthopaedically Handicapped.

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

विषय : झारखण्ड राज्य के सेवाओं एवं पदों की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम–2001 के अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 में कतिपय संशोधन।

झारखण्ड राज्य के पदों एवं सेवाओं में रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम–2001 की धारा–2 में अत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग को परिभाषित किया गया है तथा इसमें सम्मिलित वर्ग को इस नियम की अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 में विनिर्दिष्ट किया गया है।

2. उक्त अधिनियम की धारा–14 (अ) के द्वारा अंकित अनुसूची–1 एवं अनुसची–2 में उल्लेखित किसी जाति/वर्ग को जोड़ने या हटाने की शक्ति राज्य सरकार को प्रदत्त है।

अतएव राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि अनुसूची–1 में निम्नरूपेण समावेशन किया जायः–

अनुसूची–1

(क) क्रमांक–115 पर खैरा जाति जोड़ा जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

(एस॰के॰ शतपथी)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–7/जा0नि0–19–04/2006 का॰........................../रांची, दिनांक ....

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि गजट की 200 (दो सौ) प्रति कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रांची को उपलब्ध करायें।

ह0/–
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–7/जा0नि0–19–04/2006 का॰........................../रांची, दिनांक ....

प्रतिलिपि–राज्यपाल सचिवालय/मुख्यमंत्री सचिवालय/लोकायुक्त के सचिव, झारखण्ड, रांची/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/मुख्य सचिव के सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सदस्य सचिव, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों/सभी राज्य पब्लिक अंडरटेकिंग/निगमों/निकायों/परिषदों/विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/विद्यालयों को इस निर्णय से अवगत करायें।

ह0/–
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–7/जा0नि0–19–04/2006 का॰ 1604 /रांची, दिनांक 28/03/2007

प्रतिलिपि–महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची/विधान सभा सचिवालय/झारखण्ड लोक सेवा आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26.3.2007
सरकार के सचिव।

121

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

विषय : झारखण्ड राज्य के सेवाओं एवं पदों की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम–2001 के अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 में कतिपय संशोधन।

झारखण्ड राज्य के पदों एवं सेवाओं में रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम–2001 की धारा–2 में अत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग को परिभाषित किया गया है तथा इसमें सम्मिलित वर्ग को इस नियम की अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 में विनिर्दिष्ट किया गया है।

2. उक्त अधिनियम की धारा–14 (अ) के द्वारा अंकित अनुसूची–1 एवं अनुसची–2 में उल्लेखित किसी जाति/वर्ग को जोड़ने या हटाने की शक्ति राज्य सरकार को प्रदत्त है।

अतएव राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि अनुसूची–1 में निम्नरूपेण समावेशन किया जायः–

अनुसूची–1

क्रमांक–27 पर गौड़ जाति के प्रकोष्ठ में (मगदा–गौड़/महाकुड़) जाति जोड़ा जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(सुखत्यार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक–7/जाति निर्धारण–19–03/06 का० 5182 /रांची, दिनांक 26/9/06

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि गजट की 200 (दो सौ) प्रति कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रांची को उपलब्ध करायें।

सरकार के प्रधान सचिव

120

ज्ञापांक–7 / जाति निर्धारण–19–03 / 06 का॰ 5182 / रांची, दिनांक 26/9/2006

प्रतिलिपि–राज्यपाल सचिवालय / मुख्यमंत्री सचिवालय / लोकायुक्त के सचिव, झारखण्ड, रांची / सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / मुख्य सचिव के सचिव / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी उपायुक्त / सदस्य सचिव, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों / सभी राज्य पब्लिक अंडरटेकिंग / निगमों / निकायों / परिषदों / विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों / विद्यालयों को इस निर्णय से अवगत करायें।

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक–7 / जाति निर्धारण–19–03 / 06 का॰ 5182 / रांची, दिनांक 26/9/06

प्रतिलिपि–महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची / विधान सभा सचिवालय / झारखण्ड लोक सेवा आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव

158

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

विषय : झारखण्ड राज्य के सेवाओं एवं पदों की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम–2001 के अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 में कतिपय संशोधन।

झारखण्ड राज्य के पदों एवं सेवाओं में रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम–2001 की धारा–2 में अत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग को परिभाषित किया गया है तथा इसमें सम्मिलित वर्ग को इस नियम की अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 में विनिर्दिष्ट किया गया है।

2. उक्त अधिनियम की धारा–14 (अ) के द्वारा अंकित अनुसूची–1 एवं अनुसची–2 में उल्लेखित किसी जाति/वर्ग को जोड़ने या हटाने की शक्ति राज्य सरकार को प्रदत्त है।

ज्ञातव्य है पूर्व में झारखण्ड आरक्षण अधिनियम 2001 की अनुसूची 2 के क्रमांक 20 पर बनिया जाति के साथ सिन्दूरिया जाति सूचीबद्ध है।

अतएव राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया कि पिछड़ा वर्ग की अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 में निम्नरूपेण संशोधन किया जाय।

अनुसूची–2

क्रमांक–20 – बनिया की सूची में अंकित सिन्दूरिया जाति को मात्र विलोपित किया जाय।

अनुसूची–1

क्रमांक– 114 – पर सिन्दूरिया जाति जोड़ा जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(मुखत्यार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक–7/जाति निर्धारण–019–02/06 का॰ 4447/रांची, दिनांक 24/08/2006

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि गजट की 200 (दो सौ) प्रति कामिक, प्र.सु. तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रांची को उपलब्ध करायें।

सरकार के प्रधान सचिव

157

ज्ञापांक–7/जाति निर्धारण–019–02/06 का॰ 4447 /रांची, दिनांक 24/08/2006

प्रतिलिपि–राज्यपाल सचिवालय/मुख्यमंत्री सचिवालय/लोकायुक्त के सचिव, झारखण्ड, रांची/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/मुख्य सचिव के सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सदस्य सचिव, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों/सभी राज्य पब्लिक अंडरटेकिंग/निगमों/निकायों/परिषदों/विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/विद्यालयों को इस निर्णय से अवगत करायें।

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक–7/जाति निर्धारण–019–02/06 का॰ 4447 /रांची, दिनांक 24/8/2006

प्रतिलिपि–महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची/विधान सभा सचिवालय/झारखण्ड लोक सेवा आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव

116

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

विषय : झारखण्ड राज्य के सेवाओं एवं पदों की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम-2001 के अनुसूची-1 एवं अनुसूची-2 में कतिपय संशोधन।

झारखण्ड राज्य के पदों एवं सेवाओं में रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम-2001 की धारा-2 में अत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग को परिभाषित किया गया है तथा इसमें सम्मिलित वर्ग को इस नियम की अनुसूची-1 एवं अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट किया गया है।

2. उक्त अधिनियम की धारा-14 (अ) के द्वारा अंकित अनुसूची-1 एवं अनुसची-2 में उल्लेखित किसी जाति/वर्ग को जोड़ने या हटाने की शक्ति राज्य सरकार को प्रदत्त है।

अतएव राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि अनुसूची-2 में निम्नरूपेण समावेशन किया जायः-

अनुसूची-2

क्रमांक-20 पर बनिया जाति के साथ अंकित कलवार के प्रकोष्ठ में (जायसवाल/जैशवार) जाति जोड़ा जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(मुखत्यार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक-7/जाति निर्धारण-19-07/05 का॰ 3706 /रांची, दिनांक 15/07/2006

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि गजट की 200 (दो सौ) प्रति कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रांची को उपलब्ध करायें।

सरकार के प्रधान सचिव

C:\Amit Kumar\New Folder (2)\Mukhtiar Singh\sankulp-7-19-07-05.doc

(86)

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

विषयः— झारखण्ड राज्य की सेवाओं एवं पदों की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा पिछड़े वर्गो के लिए) अधिनियम,2001 के अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 में कतिपय संशोधन ।

झारखण्ड राज्य के पदों एवं सेवाओं में रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं पिछड़े वर्गो के लिए) अधिनियम, 2001 की धारा–2 में अत्यन्त पिछड़े वर्गो एवं पिछड़े वर्गो को परिभाषित किया गया है तथा इसमें सम्मिलित वर्ग को इस अधिनियम की अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 में विनिर्दिष्ट किया गया है ।

2. उक्त अधिनियम की धारा–14(अ) के द्वारा अंकित अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 में उल्लेखित किसी जाति/वर्ग को जोड़ने एवं हटाने की शक्ति राज्य सरकार को प्रदत्त है ।

अतएव राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि अनुसूची–2 में निम्नरूपेण संशोधन किया जाए ।

अनुसूची–2

(क) कमांक–44 पर कयाली जाति जोड़ा जाए ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
(मुखत्यार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक–7/जा0नि0–19–10/2005 का0 2759 /राँची, दिनांक– 01/06/2008
प्रतिलिपिः– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरंडा, रांची को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित ।

2. अनुरोध है कि गजट की दो सौ (200) प्रतियाँ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, रांची को उपलब्ध करायें ।

सरकार के प्रधान सचिव

.......................2

ज्ञापांक–7/जा0नि0–19–10/2005 का0 2759/राँची, दिनांक– 01/06/2006

प्रतिलिपिः– राज्यपाल सचिवालय/मुख्यमंत्री सचिवालय/लोकायुक्त के सचिव/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/मुख्य सचिव के सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों/सभी राज्य पब्लिक अंडर टेकिंग/निगमों/निकाओं/परिषदों/विश्वविद्यालयों/विद्यालयों को इस निर्णय से अवगत करायें ।

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक–7/जा0नि0–19–10/2005 का0 2759/राँची, दिनांक– 01/06/2006

महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची/विधान सभा सचिवालय/झारखण्ड लोक सेवा आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के प्रधान सचिव

253

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

<u>संकल्प</u> – 368

रांची, दिनांक 19/01/2006

विषय : झारखण्ड राज्य के सेवाओं एवं पदों की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 के अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 में कतिपय संशोधन।

झारखण्ड राज्य के पदों एवं सेवाओं में रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की धारा–2 में अत्यंत पिछड़े वर्गों एवं पिछड़े वर्गों को परिभाषित किया गया है तथा इसमें सम्मिलत वर्ग को इस नियम की अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 में विनिर्दिष्ट किया गया है।

2. उक्त अधिनियम की धारा 14 (अ) के द्वारा अंकित अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 में उल्लेखित किसी जाति/वर्ग को जोड़ने या हटाने की शक्ति राज्य सरकार को प्रदत्त है।

अतएव, राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 में निम्नरूपेण संशोधन किया जाय।

<u>अनुसूची–1</u>

(क) क्रमांक 106 पर तिलि जाति के साथ एकादश तिलि/द्वादश तिलि/एकादश तेली/द्वादश तेली जोड़ा जाय।

(ख) क्रमांक–113 पर बागाल/खण्डवाल जोड़ा जाय।

<u>अनुसूची–2</u>

(क) क्रमांक 29 पर यथाअंकित सोनार जाति के कोष्ठक में सुवर्ण वनिक जोड़ा जाय।

(ख) क्रमांक–42 पर चासा जाति जोड़ा जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(मुखत्यार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक–7/जाति निर्धारण–02–110/01 का॰ 368 /रांची, दिनांक 19/01/2006

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि गजट की 200 (दो सौ) प्रति ~~कार्मिक, प्र.सु. तथा~~ राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रांची को उपलब्ध करायें।

सरकार के प्रधान सचिव

185 252

ज्ञापांक–7 / जाति निर्धारण–02–110 / 01 का॰ 368 / रांची, दिनांक 19/01/2006

प्रतिलिपि–राज्यपाल सचिवालय / मुख्यमंत्री सचिवालय / लोकायुक्त के सचिव, झारखण्ड, रांची / सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / मुख्य सचिव के सचिव / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों / सभी राज्य पब्लिक अंडरटेकिंग / निगमों / निकायों / परिषदों / विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों / विद्यालयों को इस निर्णय से अवगत करायें।

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक–7 / जाति निर्धारण–02–110 / 01 का॰ 368 / रांची, दिनांक 19/01/2006

प्रतिलिपि–महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची / विधान सभा सचिवालय / झारखण्ड लोक सेवा आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव

पत्र संख्या-7/वि०वि०सं०-03-15/2003 का० 2289, 3/13.410

झारखंड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

प्रेषक,

मुखत्यार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव,
सभी विभागीय सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी उपायुक्त
झारखंड ।

रांची, दिनांक-18 जुलाई, 2005 ई०

विषय :- **राज्य सरकार के अधीन सभी विभागों/कार्यालयों/निगमों/निकायों की सेवा एवं पदों पर नियुक्ति हेतु विकलांगों के लिए पद कर्णांकित करने के संबंध में ।**

महाशय,

भारत सरकार द्वारा निर्गत विकलांग सुरक्षा अधिनियम, 1995 की धारा 33 में यह व्यवस्था की गई है कि किसी भी सरकार के अंतर्गत रिक्तियों के विरुद्ध भर्ती में 3 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था विकलांग उम्मीदवारों के लिए की जाय । तद्नुसार उक्त अधिनियम के प्रावधान के अनुरूप झारखंड पदों एवं सेवाओं में आरक्षण अधिनियम 2001 में विकलांग उम्मीदवारों के लिए 3 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जिनमें अंधापन अथवा कम दृष्टि के फलस्वरूप विकलांगों को 1 प्रतिशत, बहरापन के फलस्वरूप विकलांगों को 1 प्रतिशत एवं लोकोमोटिव विकलांगता अथवा सेरिब्रल पाल्सी से ग्रसित विकलांगों के लिए 1 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है । परन्तु इन आरक्षण के विरुद्ध नियुक्ति हेतु पदों के चिन्हित नहीं हो पाने के फलस्वरूप इन्हें इस आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है । झारखंड पदों एवं सेवाओं में आरक्षण अधिनियम, 2001 की प्रति संलग्न है ।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक-11/आ०-04-आ०नि०/2000 का०-251 दिनांक-18.10.2000 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा राज्य सरकार के अधीन सरकारी विभागों/कार्यालयों/निगमों/निकायों की सेवा एवं पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु विकलांगों के लिए आरक्षित 3 प्रतिशत पदों की पहचान कर विकलांगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी । यह परिपत्र राज्य विभाजन के पूर्व का होने के फलस्वरूप

झारखंड राज्य में भी प्रभावी है । इस परिपत्र के अनुसार विकलांगों के लिए आरक्षण सभी पदों पर लागू होगा तथा किसी संगठन या सेवा में विकलांगों के लिए आरक्षण यदि उपयुक्त नहीं समझा जाता है, तो नियुक्ति पदाधिकारी अपने प्रशासी विभाग के माध्यम से विकलांगों के लिए आरक्षण से किसी सेवा/पद को अलग रखने का प्रस्ताव कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को भेजेंगे । कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग प्रस्ताव को इस हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष उपस्थापित कर समिति की अनुशंसा के साथ राज्य सरकार का आदेश प्राप्त कर राज्य सरकार का निर्णय संसूचित करेगा ।

अतः अनुरोध है कि उक्त पत्र में दिए गए दिशा–निर्देश के आलोक में अविलम्ब अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करने की कृपा की जाए ।

विश्वासभाजन,

(मुखत्यार सिंह),
सरकार के प्रधान सचिव

(100)

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

विषय : झारखण्ड राज्य के सेवाओं एवं पदों की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 2001 के अनुसूची–2 में संशोधन।

झारखण्ड राज्य के पदों एवं सेवाओं में रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 2001 की धारा–2 में अत्यंत पिछड़े वर्गों एवं पिछड़े वर्गों को परिभाषित किया गया है तथा इसमें सम्मिलित वर्ग को इस नियम की अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 में विनिर्दिष्ट किया गया है।

2. उक्त अधिनियम की धारा 14 (अ) के द्वारा अंकित अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 में उल्लेखित किसी जाति/वर्ग को जोड़ने एवं हटाने की शक्ति राज्य सरकार को प्रदत्त है।

अतएव राज्य सरकार ने अनुसूची–2 में निम्नरूपेण संशोधन करने का निर्णय लिया है :–

अनुसूची–2

(क) क्रमांक 41 पर "लक्ष्मी नारायण गोला" जोड़ा जाए।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में झारखण्ड राज्य के सेवाओं एवं पदों की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 2001 की अनुसूची–2 तदनुसार संशोधित माना जायेगा।

2. आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति झारखण्ड सरकार के राजपत्र में जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(मुखत्यार सिंह)
आयुक्त एवं सचिव।

ज्ञापांक – 7/जाति निर्धा0–19–02/03 का. 6374 /रांची, दिनांक // दिसम्बर, 2004

प्रतिलिपि – अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरंडा, रांची को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि गजट की 200 (दो सौ) प्रति कार्मिक, प्र.सु. तथा राजभाषा विभाग, रांची को उपलब्ध करायें।

आयुक्त एवं सचिव।

99

ज्ञापांक – 7/जाति निर्धा0–19–02/03 का.....6374...../रांची, दिनांक 11 दिसम्बर, 2004

प्रतिलिपि– राज्यपाल सचिवालय/मुख्यमंत्री सचिवालय/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/मुख्य सचिव के सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों/ सभी राज्य पब्लिक अंडरटेकिंग/ निगमों/निकायों/परिषदों/विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/विद्यालयों को इस निर्णय से अवगत करायें।

आयुक्त एवं सचिव।

ज्ञापांक – 7/जाति निर्धा0–19–02/03 का.....6374...../रांची, दिनांक 11 दिसम्बर, 2004

प्रतिलिपि – महानिबंधक, उच्च न्यायालय, रांची/विधान सभा सचिवालय/झारखण्ड लोक सेवा आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

आयुक्त एवं सचिव।

148

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

विषय : झारखण्ड राज्य के सेवाओं एवं पदों की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 2001 के अनुसूची 1 एवं अनुसूची 2 में कतिपय संशोधन।

झारखण्ड राज्य के पदों एवं सेवाओं में रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 2001 की धारा–2 में अत्यंत पिछड़े वर्गों एवं पिछड़े वर्गों को परिभाषित किया गया है तथा इसमें सम्मिलत वर्ग को इस नियम की अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 में विनिर्दिष्ट किया गया है।

2. उक्त अधिनियम की धारा 14 (अ) के द्वारा अंकित अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 में उल्लेखित किसी जाती/वर्ग को जोड़ने एवं हटाने की शक्ति राज्य सरकार को प्रदत्त है।

अतएव, राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 में निम्नरूपेण संशोधन किया जाए :–

अनुसूची – 1

क) क्रमांक 109 पर 'लेट'

ख) क्रमांक 56 पर अंकित बागदी के प्रकोष्ठ में बागती (बागची) अंकित किया जाए।

ग) क्रमांक 110 पर 'कुनाई'

घ) क्रमांक 111 पर 'पुष्पनामित'

ङ.) क्रमांक 112 पर 'झोरा' जाति जोड़ा जाए।

अनुसूची–2

क) क्रमांक 22 पर यथाअंकित यादव जाति के उपजाति कोष्ठक में ग्वाला, अहीर, गोप, घासी, मेहर के बाद 'सदगोप' जोड़ा जाए।

ख) क्रमांक 39 पर 'वैरागी (वैष्णव)) जोड़ा जाए।

ग) क्रमांक 40 पर 'पाईक' जोड़ा जाए।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में झारखण्ड राज्य के सेवाओं एवं पदों की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 2001 की अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 उपरोक्त अंश तक संशोधित माना जायेगा।

2. आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति झारखण्ड सरकार के राजपत्र में जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(मुखत्यार सिंह)
आयुक्त एवं सचिव।

ज्ञापांक 7/जाति निर्धा0–19–02/03 6337/रांची, दिनांक 08 दिसम्बर, 2004

प्रतिलिपि – अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरंडा, रांची को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि गजट की 200 (दो सौ) प्रतियां कार्मिक, प्र.सु. तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रांची को उपलब्ध करायें।

आयुक्त एवं सचिव।

ज्ञापांक 7/जाति निर्धा0–19–02/03/ 6337 /रांची, दिनांक 08 दिसम्बर, 2004

प्रतिलिपि – राज्यपाल सचिवालय/मुख्यमंत्री सचिवालय/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/मुख्य सचिव के सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त /सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों/सभी राज्य पब्लिक अन्डरटेकिंग/परिषदों/निगमों/निकायों/विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/विद्यालयों को इस निर्णय से अवगत करायें।

आयुक्त एवं सचिव।

ज्ञापांक 7/जाति निर्धा0–19–02/03/ 6337 /रांची, दिनांक 08 दिसम्बर, 2004

प्रतिलिपि – महानिबंधक, उच्च न्यायालय, रांची/सचिवालय, विधानसभा सचिवालय/झारखण्ड लोक सेवा आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आयुक्त एवं सचिव।

(127

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

विषय : **मयरा (मैरा) मोदक जाति को झारखंड राज्य के पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसची–2) में समावेशित करने के संबंध में।**

झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) आरक्षण अधिनियम 2001 की धारा 14 (अ) का प्रयोग करते हुए मयरा (मैरा) मोदक जाति को पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–2) में समावेश करने हेतु राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया।

प्रतिवेदन में मयरा (मैरा) मोदक जाति सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा होने के कारण पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–2) में बनिया वर्ग में हलवाई के बाद और रौनियार से पहले समावेश करने की अनुशंसा की गई।

राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुशंसा के आधार पर राज्य सरकार ने मयरा (मैरा) मोदक जाति को पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–2) के क्रमांक 20 पर बनिया वर्ग में हलवाई के बाद और रौनियार से पहले समावेश करने का निर्णय लिया गया है।

आदेशः आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी हेतु संकल्प झारखण्ड गजट में प्रकाशित किए जाए और इसकी प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, झारखण्ड/पटना, रांची/सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग/अध्यक्ष झारखण्ड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/निदेशक, जन जातिय कल्याण शोध संस्थान, रांची, को सूचनार्थ भेजी जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(मुखत्यार सिंह)
सरकार के आयुक्त एवं सचिव।

126

ज्ञापांक – 7/02 जा.नि.–110/01 का. 3436 / रांची, दिनांक 28 जून, 2004

प्रतिलिपि – अधीक्षक, सचिवालय, मुद्राणालय, डोरण्डा, रांची को झारखण्ड गजट के असाधारण अंक में प्रकाशन के लिए अग्रसारित। अनुरोध है कि इसकी 500 प्रतियां कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रांची को उपलब्ध करायी जाए।

सरकार के आयुक्त एवं सचिव।

ज्ञापांक – 7/02 जा.नि.–110/01 का. 3436 / रांची, दिनांक 28 जून, 2004

प्रतिलिपि – सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/~~सभी उपायुक्त~~, को सूचनार्थ हेतु प्रेषित।

सरकार के आयुक्त एवं सचिव।

ज्ञापांक – 7/02 जा.नि.–110/01 का. 3436 / रांची, दिनांक 28 जून, 2004

प्रतिलिपि – महालेखाकर, झारखण्ड, रांची/बिहार, पटना, को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के आयुक्त एवं सचिव।

ज्ञापांक – 7/02 जा.नि.–110/01 का. 3436 / रांची, दिनांक 28 जून, 2004

प्रतिलिपि – महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/आरक्षी उप महानिदेशक, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के आयुक्त एवं सचिव।

388

पत्र संख्या-7/06-विविध-18/2001का0-4196/
झारखंड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

श्री स्वर्णादित्य सहाय,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सभी आयुक्त सह-सचिव
सभी विभागाध्यक्ष
सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी उपायुक्त

रांची, दिनांक- 22 जुलाई, 2003

विषय:- झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 के अनुसूची-2 के क्रमांक-32 को विलोपित करने के संबंध में।

महाशय,

निर्देशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि आरक्षण अधिनियम की अनुसूची-2 के क्रमांक-32 पर इदरीसी/दर्जी (मुस्लिम) जाति को कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प सं0-3885 दिनांक 5.11.2001 के द्वारा अनुसूची-1 (अत्यन्त पिछड़ा वर्ग) के क्रमांक-107 पर प्रविष्टि किया गया है, अतः अनुसूची-2 के क्रमांक-32 को विलोपित समझा जाय।

अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों/सभी राज्य पब्लिक अंडर-टेकिंग/ परिषदों/निगमों/निकायों/विश्वविद्यालयों/विद्यालयों को इस संबंध में अवगत करावें।

विश्वासभाजन,
ह0/22/7/03
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-7/06-विविध-18/01का0-4196/रांची, दिनांक-22 जुलाई, 2003
प्रतिलिपि:-राज्यपाल सचिवालय / मुख्यमंत्री सचिवालय/ मुख्य सचिव के सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/22/7/03
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-7/06-विविध-18/2001का0-4196/रांची, दिनांक-22 जुलाई, 2003
प्रतिलिपि:-महानिबंधक, उच्च न्यायालय, रांची/सचिव, विधान सभा सचिवालय/ झारखंड लोक सेवा आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/22/7/03
सरकार के उप सचिव।

उदय/

1386

87

झारखंड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

विषय:- मोमिन (मुस्लिम)जाति के साथ शेख, जुलहा, अंसारी को सम्बद्ध करने के संबंध में ।

मोमिन (मुस्लिम)जाति का उल्लेख बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्गो के लिये) अधिनियम, 1991 (झारखंड सरकार की अधिसूचना संख्या-3389 दिनांक 22.9.2001 से अंगीकृत) की अनुसूची-1, अत्यंत पिछड़े वर्गो की सूची में कमांक-94 पर मोमिन (मुस्लिम) जाति का उल्लेख है ।

2- मोमिन (मुस्लिम) जाति के साथ शेख, जुलहा एवं अंसारी को सम्बद्ध करने हेतु जनजातीय कल्याण शोध संस्थान से आवश्यक जांच एवं मंतव्य प्राप्त किया गया । उल्लेखित संस्थान ने अनुशंसा की है कि शेख, जुलहा एवं अंसारी उपाधि धारक मोमिन (मुस्लिम) जाति के सदस्य जिनका खतियानों में जाति के रूप में शेख, जुलहा या अंसारी दर्ज हो गया है, मोमिन (मुस्लिम) समुदाय के ही सदस्य हैं ।

3- उपरोक्त कंडिका-2 में संस्थान की अनुशंसा पर कल्याण विभाग की सहमति प्राप्त है ।

4- अतः बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गो के लिए) अधिनियम, 1991 (झारखंड सरकार द्वारा अंगीकृत) की धारा 14-अ के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की अनुसूची-1 के कमांक-94 को निम्न प्रकार गठित करने का निर्णय लिया गया है:-

<u>अनुसूची-1</u> कमांक-94- मोमिन (मुस्लिम) (शेख, जुलहा, अंसारी) ।

आदेश :- (i) आदेश है कि राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गो के लिए) अधिनियम, 1991 (झारखंड सरकार द्वारा अंगीकृत) की अनुसूची-1 उपरोक्त अंश तक संशोधित माना जाये ।

(ii) आदेश है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय ।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,
(सुशील कुमार चौधरी)
सरकार के सचिव ।

ज्ञाप संख्या-7/झा0वि0स0-26/2002का0-801/ राँची, दिनांक-11 फरवरी, 2003 ई0 ।

प्रतिलिपि-अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित । उनसे अनुरोध है कि गजट की 200 प्रतियाँ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को उपलब्ध करायें ।

सरकार के सचिव ।

ज्ञाप संख्या-7/झा0वि0स0-26/2002का0-801/ राँची, दिनांक-11 फरवरी, 2003 ई0 ।

प्रतिलिपि :- महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय, राँची/महानिबंधक, झारखंड उच्च न्यायालय, राँची/ प्रभारी सचिव, झारखंड विधान सभा सचिवालय/झारखंड लोक सेवा आयोग/सरकार के सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/ मुख्य सचिव के सचिव/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के सचिव ।

झारखंड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

:- संकल्प :-

विषय :- झारखंड में राज्य स्तरीय पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों मे आरक्षण ।

भारतीय संविधान की धारा 16(4) के अनुसार सरकारी पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गो को सम्यक् रूप से प्रतिनिधित्व उपलब्ध कराने हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार को शक्तियां प्रदत्त है । राज्य सरकार द्वारा संविधान के उपरोक्त प्रावधानों के आलोक में राज्य स्तरीय पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण की व्यवस्था संकल्प संख्या- 3464, दिनांक- 03.10. 2001 ,पठित अधिसूचना संख्या-3465 दिनांक-03.10.2001 द्वारा की गयी ।

2. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सेवाओं एवं पदों की रिक्तियों में आरक्षण एवं विनिर्दिष्ट शिक्षण संस्थानों में नामांकन में आरक्षण को माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में याचिका संख्या-WP(PIL) 3696/2002 रजनीश मिश्रा बनाम राज्य सरकार एवं WP(PIL) 4706/2001 दिनेश नीरज शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य के द्वारा चुनौती दी गयी और इस संबंध में माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के 5 माननीय न्यायाधीशों के बेंच द्वारा सभी पक्षों की सुनवाई करने के पश्चात् दिनांक-22.8. 2002 को एक अंतरिम आदेश पारित किया गया एवं पुनः दिनांक-30.9.2002 को उक्त अंतरिम आदेश को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए एक और आदेश पारित किया गया ।

3. माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के उक्त अंतरिम आदेश एवं संशोधित आदेश के अनुसार झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण 50 प्रतिशत तक सीमित रखी जायेगी और इसका निर्धारण करने के लिए राज्य सरकार स्वतंत्र होगा ।

उक्त आदेश में यह भी कहा गया है कि उक्त याचिकाओं के अंतिम निर्णय होने तक, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर एस0एल0पी0 13526/1993 Voice (Consumer Council) vrs. State of Tamil Nadu के फैसले पर आधारित होगा, 23 प्रतिशत पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में गुणानुगुण (Merit) कोटि से तदर्थ/औपबंधिक रूप से नियुक्ति की जायेगी ।

शेष 27 प्रतिशत सेवाओं एवं पदों की रिक्तियों में नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा नियमित रूप से गुणानुगण (Merit) कोटि से की जायेगी ।

4. माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के उपरोक्त अंतरिम आदेश के आलोक में राज्य सरकार ने राज्य स्तरीय पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण की अंतरिम व्यवस्था निम्नलिखित रूप से करने का निर्णय लिया है :-

(1) किसी स्थापना में सेवाओं और पदों की सभी नियुक्तियाँ, जो सीधी भर्त्ती के द्वारा भरी जाने वाली हो, निम्नलिखित रूप से विनियमित की जायेगी, यथा :-

(क) खुली गुणानुगुण (मेरिट) कोटि से:-	प्रथम 27 प्रतिशत (नियमित रूप से)
	शेष 23 प्रतिशत (तदर्थ/औपबंधिक रूप से)
	कुल-50 प्रतिशत
(ख) आरक्षित कोटि से :-	50 प्रतिशत

(2) आरक्षित कोटि की 50 प्रतिशत में से आरक्षित उम्मीदवारों की विभिन्न कोटियों की रिक्तियाँ निम्न रूपेण होगी :-

(क) अनुसूचित जाति	-	10 प्रतिशत
(ख) अनुसूचित जनजाति	-	26 प्रतिशत
(ग) अन्य पिछड़ा वर्ग	-	14 प्रतिशत
(अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग को एक समेकित कोटि मानकर)	कुल-	50 प्रतिशत

(3) उपर्युक्त में निम्न प्रकार से क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था होगी :-

(i) शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए :-

(क) अंधापन अथवा कम दृष्टि	-	1 प्रतिशत
(ख) बहरापन	-	1 प्रतिशत
(ग) लोकोमोटिव विकलांगता अथवा सेरिब्रल पाल्सी	-	1 प्रतिशत
	कुल-	3 प्रतिशत
(ii) महिलाओं के लिए :-		5 प्रतिशत
(iii) खेल-कूद कोटा :-		2 प्रतिशत

टिप्पणी :- (1) खुली गुणानुगुण (मेरिट) कोटि में आरक्षित कोटि अर्थात् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (अत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा

वर्ग समेकित रूप से) के उम्मीदवार यदि सफल होते है तो उन्हें आरक्षित कोटि में नहीं गिना जाने का प्रावधान है । परन्तु ऐसा संभव है कि 23 प्रतिशत की खुली गुणागुण (मेरिट) कोटि के विरूद्ध जो तदर्थ/औपबंधिक नियुक्ति की जायेगी उनमें से आरक्षित कोटि के समुदाय के व्यक्ति भी शामिल हों और उन्हें आरक्षित कोटि के विरूद्ध नियमित रूप से नियुक्त होने वाले उम्मीदवारों से ज्यादा अंक प्राप्त हों । ऐसी स्थिति में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार अपेक्षाकृत अधिक अंक पाने वाले उम्मीदवारों को तदर्थ/औपबंधिक रूप से नियुक्त करना एवं कम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को नियमित रूप से नियुक्त करना न्यायोचित नहीं होगा । अतएव ऐसी परिस्थिति में अपेक्षाकृत कम अंक पाने वाले आरक्षित कोटि के सफल उम्मीदवारों को 23 प्रतिशत तदर्थ/औपबंधिक रूप से कोटि के अंतर्गत नियुक्त किया जायेगा एवं अपेक्षाकृत अधिक अंक पाने वाले ऐसे सफल उम्मीदवार को 50 प्रतिशत आरक्षित कोटि के अंतर्गत नियमित रूप से नियुक्त किया जायेगा ।

(2) तदर्थ/औपबंधिक नियुक्ति के संबंध में जो भी नियुक्ति पत्र निर्गत होगा उसमें यह स्पष्ट अंकित होगा कि वह ऊपर कंडिका-3 में वर्णित माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में दायर याचिका संख्या-WP (PIL) 3696/2002 रजनीश मिश्रा बनाम झारखंड सरकार एवं WP (PIL) 4706/2001 दिनेश नीरज शर्मा बनाम यूनियम ऑफ इन्डिया एवं अन्य में पारित होने वाले अंतिम आदेश से प्रभावित होगा ।

(3) राज्य सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या-3465 दिनांक-3.10.2001 के द्वारा बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गो के लिए) अधिनियम, 1991 को कतिपय संशोधनों के साथ अंगीकृत किया गया है । अतएव इस संकल्प द्वारा आरक्षण के संबंध में की जा रही अंतरिम व्यवस्था को छोड़कर उक्त अधिनियम के अन्य प्रावधान अप्रभावित रहेंगे और यथावत लागू रहेंगे ।

आदेश:- आदेश है कि सर्व साधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार/झारखंड/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय ।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

10.10.2002

(एस0 के0 चौधरी)
सरकार के सचिव

ज्ञाप संख्या-5/आ0-03/2001-5776 / राँची, दिनांक- 10.10.2002

प्रतिलिपि- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित । उनसे अनुरोध है कि गजट की 200 प्रतियाँ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड, राँची को भेजें ।

10.10.2002

सरकार के सचिव ।

ज्ञाप संख्या-5/आ0-03/2001-5776 / राँची, दिनांक- 10.10.2002

प्रतिलिपि- राज्यपाल सचिवालय/मुख्य मंत्री सचिवालय/ सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/मुख्य सचिव के सचिव/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों/सभी राज्य पब्लिक अन्डरटेकिंग/परिषदों/निगमों/निकायों/विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों/ विद्यालयों को इस संकल्प से अवगत करायें ।

10.10.2002

सरकार के सचिव ।

ज्ञाप संख्या-5/आ0-03/2001-5776 / राँची, दिनांक- 10.10.2002

प्रतिलिपि- महानिबन्धक, झारखंड उच्च न्यायालय, राँची/सचिव, झारखंड विधान सभा/झारखंड लोक सेवा आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

10.10.2002

सरकार के सचिव ।

झारखंड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

:- संकल्प :-

विषय : झारखंड पदों एवं सेवाओं में जिला स्तरीय सीधी नियुक्ति में आरक्षण ।

बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण(अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001, जिसे अधिसूचना संख्या [illegible], दिनांक 3.10.2001 के द्वारा कुछ संशोधनों के साथ अंगीकृत किया गया है । इस अधिनियम की धारा- 4 की उप धारा 2 के परन्तुक में विभिन्न जिलों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार सीधी नियुक्ति हेतु विभिन्न प्रतिशत निर्धारित करने का प्रावधान है और इस संबंध में झारखंड सरकार द्वारा संकल्प संख्या- 572, दिनांक- 24.01.2002 निर्गत किया गया है ।

2. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सेवाओं एवं पदों की रिक्तियों में आरक्षण एवं विनिर्दिष्ट शिक्षण संस्थानों में नामांकन में आरक्षण को माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में याचिका संख्या-WP(PIL) 3696/2002 रजनीश मिश्रा बनाम राज्य सरकार एवं WP(PIL) 4706/2001 दिनेश नीरज शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य के द्वारा चुनौती दी गयी और इस संबंध में माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के 5 माननीय न्यायाधीशों के बेंच द्वारा सभी पक्षों की सुनवाई करने के पश्चात दिनांक-22.8.2002 को एक अंतरिम आदेश पारित किया गया एवं पुनः दिनांक 30.9.2002 को उक्त अंतरिम आदेश को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए एक और आदेश पारित किया गया ।

3. माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के उक्त अंतरिम आदेश एवं संशोधित आदेश के अनुसार झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण 50 प्रतिशत तक सीमित रखी जायेगी और उसका निर्धारण करने के लिए राज्य सरकार स्वतंत्र होगा ।

उक्त आदेश में यह भी कहा गया है कि उक्त याचिकाओं के अंतिम निर्णय होने तक, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर एस0एल0पी0 13526/1993

Voice (Consumer Council) vs. State of Tamil Nadu [illegible] सीमा, 23 प्रतिशत पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में गुणानुगुण (Merit) कोटि से तदर्थ/औपबंधिक रूप से नियुक्ति की जायेगी ।

शेष 27 प्रतिशत सेवाओं एवं पदों की रिक्तियों में नियुक्ति [illegible] द्वारा नियमित रूप से गुणागुण (Merit) कोटि से की जायेगी ।

4. माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार आरक्षण का कुल प्रतिशत 50 प्रतिशत के अंदर सीमित रखा जाना है और इसी के आलोक में राज्य स्तरीय नियुक्ति में आरक्षण की सीमा निर्धारित की गयी है और संकल्प संख्या 5776 दिनांक 10.10.2002 निर्गत किया गया है ।

5. राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जिला स्तर पर सीधी नियुक्ति में आरक्षित कोटि की रिक्तियों को विभिन्न कोटियों में विभाजित करने हेतु अविभाजित बिहार में लागू व्यवस्था के अनुरूप सर्वप्रथम अनुसूचित जाति को 1991 की जनगणना के अनुसार जिलावार जनसंख्या के अनुरूप आरक्षण उपलब्ध कराया जाय । इसके पश्चात् अनुसूचित जनजाति को 1991 की जिलावार जनगणना के अनुसार आरक्षण उपलब्ध कराया जाना है । अगर दोनों को मिलाकर 50 प्रतिशत से संख्या बढ़ जाती है तो आरक्षण 50 प्रतिशत तक ही सीमित रखा जाएगा । इस प्रक्रिया के अनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को आरक्षण उपलब्ध कराने के बाद 50 प्रतिशत में से संख्या उपलब्ध होती है तो वह शेष प्रतिशत अन्य पिछड़े वर्गों (अत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग को मिलाकर एक कोटि मानकर) उपलब्ध कराया जाय ।

6. राज्य सरकार ने उक्त आदेश के आलोक में झारखंड राज्य के अन्तर्गत पड़ने वाले सभी जिलों के लिए सीधी नियुक्ति में आरक्षण का प्रतिशत निम्न रूप से निर्धारित किया है :-

(क)खुली गुणागुण(मेरिट)कोटि से :- प्रथम 27 प्रतिशत(नियमित रूप से)
शेष 23 प्रतिशत(तदर्थ/औपबंधिक रूप से)
कुल 50 प्रतिशत

(ख)आरक्षित कोटि से :- 50 प्रतिशत

7. कंडिका-5 में अंकित प्रावधानों के अनुसरण में आरक्षण कोटि की 50 प्रतिशत रिक्तियाँ उम्मीदवारों की विभिन्न कोटियों के लिए जिलावार विभाजित की गयी है जो इस संकल्प के साथ संलग्न परिशिष्ट-1 में दर्शायी गयी है ।

8. उपर्युक्त कंडिका 6 एवं 7 में निर्धारित आरक्षण व्यवस्था में क्षैतिज आरक्षण निम्न प्रकार से होगा :

(i) शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए :-

(क) अंधापन अथवा कम दृष्टि	-	1 प्रतिशत
(ख) बहरापन	-	1 प्रतिशत
(ग) लोकोमोटिव विकलांगता अथवा सेरिब्रल पाल्सी	-	1 प्रतिशत
	कुल-	3 प्रतिशत
(ii) महिलाओं के लिए :		5 प्रतिशत
(iii) खेल-कूद कोटा :		2 प्रतिशत

टिप्पणी :- (1) खुली गुणानुगुण (मेरिट) कोटि में आरक्षित कोटि अर्थात अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (अत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग समेकित रूप से) के उम्मीदवार यदि सफल होते हैं तो उन्हें आरक्षित कोटि में नहीं गिना जाय । परन्तु ऐसा संभव है कि 23 प्रतिशत के विरुद्ध जो तदर्थ/औपबंधिक नियुक्ति की जायेगी उनमें से आरक्षित कोटि के समुदाय के व्यक्ति भी शामिल हो सकते हैं और उन्हें आरक्षित कोटि के विरुद्ध नियमित रूप से नियुक्त होने वाले उम्मीदवारों से ज्यादा अंक प्राप्त हो सकते हैं । ऐसी स्थिति में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार अधिक अंक पाने वाले उम्मीदवारों का तदर्थ/औपबंधिक रूप से नियुक्त करना एवं कम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को नियमित रूप से नियुक्त करना न्यायोचित नहीं होगा । अतएव ऐसी परिस्थिति में अपेक्षाकृत कम अंक पाने वाले आरक्षित कोटि के उम्मीदवारों को 23 प्रतिशत तदर्थ/औपबंधिक रूप से कोटि के अंतर्गत नियुक्त किया जाय एवं अधिक अंक पाने वाले उम्मीदवार को 50 प्रतिशत आरक्षित कोटि के अंतर्गत नियमित रूप से नियुक्त किया जाय । आरक्षित कोटि के अंतर्गत आने वाले समुदाय से भिन्न अन्य वर्गों के उम्मीदवारों को यह सुविधा नहीं रहेगी ।

(2) तदर्थ/औपबंधिक नियुक्ति के संबंध में जो भी नियुक्ति पत्र निर्गत होगा उसमें यह स्पष्ट अंकित होगा कि वह ऊपर कंडिका-3 में वर्णित माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में दायर याचिका संख्या- WP (PIL) 3696/2002 रजनीश मिश्रा बनाम झारखंड सरकार एवं WP (PIL) 4706/2001 दिनेश नीरज शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इन्डिया एवं अन्य में पारित होने वाले अंतिम आदेश से प्रभावित होगा ।

(3) राज्य सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या-3465 दिनांक 3.10.2001 के द्वारा बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991 को कतिपय संशोधनों के साथ अंगीकृत किया गया है । अतएव इस संकल्प द्वारा आरक्षण के संबंध में की जा रही अंतरिम व्यवस्था को छोड़कर उक्त अधिनियम के अन्य प्रावधान अप्रभावित रहेंगे और यथावत लागू रहेंगे । राज्य सरकार द्वारा पूर्व में निर्गत संकल्प संख्या-572, दिनांक- 24.01.2002 अवक्रमित माना जायेगा ।

आदेश:- आदेश है कि सर्व साधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार/झारखंड, सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय ।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,
10-10-2002

(एस0 के0 चौधरी)
सरकार के सचिव

ज्ञाप संख्या-5/आ0-03/2001-5795/ राँची, दिनांक- 10/10/2002

प्रतिलिपि-- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित । उनसे अनुरोध है कि गजट की 200 प्रतियाँ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड, राँची को भेजें ।

10-10-2002

सरकार के सचिव ।

ज्ञाप संख्या-5/आ0-03/2001-5795/ राँची, दिनांक- 10/10/2002

प्रतिलिपि- राज्यपाल सचिवालय/मुख्य मंत्री सचिवालय/ सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/मुख्य सचिव के सचिव/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों/सभी राज्य पब्लिक अन्डरटेकिंग/परिषदों/निगमों/निकायों/विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/ विद्यालयों को इस संकल्प से अवगत करायें ।

10-10-2002

सरकार के सचिव ।

परिशिष्ट - 1

झारखण्ड राज्य के जिलों की रिक्तियों में सीधी नियुक्ति के लिए आरक्षण

12 दुमका	5.55	5	46.62	45	0	0	50
13 जामताड़ा	9.42	9	32.7	32	9	9	50
14 पलामू	27.41	27	8.98	8	15	15	50
15 गढ़वा	23.81	23	15.65	15	12	12	50
16 लातेहार	21.3	21	45.3	29	0	0	50
17 हजारीबाग	18.89	18	8.81	8	24	24	50
18 कोडरमा	18.89	18	8.81	8	24	24	50
19 चतरा	18.89	18	8.81	8	24	24	50
20 गिरिडीह	13.31	13	12.22	12	25	25	50
21 बोकारो	13.31	13	12.22	12	25	25	50
22 धनबाद	15.54	15	8.42	8	27	27	50

झारखण्ड राज्य के जिलों की रिक्तियों में सीधी नियुक्ति के लिए आरक्षण

क्रम सं. जिला का नाम	अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत	अनुसूचित जाति के लिए प्रस्तावित आरक्षण प्रतिशत	अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत	अनुसूचित जनजाति के लिए प्रस्तावित आरक्षण प्रतिशत	[illegible] वर्ग आवंटित क्षेत्र प्रतिशत में	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के लिए संचित आरक्षण प्रतिशत	कुल आरक्षण प्रतिशत में
1 राँची	5.57	5	43.56	43	2	2	50
2 लोहरदगा	3.78	3	56.41	47	0	0	50
3 गुमला	3.62	3	69.76	47	0	0	50
4 सिमडेगा	7.99	7	72.45	43	0	0	50
5 प० सिंहभूम	4.57	4	65.48	46	0	0	50
6 सरायकेला-खरसावां	5.87	5	38.23	38	7	7	50
7 पू० सिंहभूम	4.79	4	28.92	28	18	18	50
8 [illegible]	12.4	12	12.76	12	26	26	50
9 [illegible]	8.46	8	25.09	25	17	17	50
10 [illegible]	5.44	5	38.99	38	7	7	50
11 [illegible]	5.44	5	38.99	38	7	7	50

झारखंड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ।

संकल्प

विषयः– सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण ।

झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की धारा-4 में राज्य स्तर पर की जाने वाली सीधी नियुक्तियों के लिए निम्नवत् आरक्षण की व्यवस्था है :–

(i) अनुसूचित जाति	-	14 प्रतिशत
(ii) अनुसूचित जनजाति	-	32 प्रतिशत
(iii) अत्यंत पिछड़ा वर्ग	-	18 प्रतिशत
(iv) पिछड़ा वर्ग	-	9 प्रतिशत
कुल	-	73 प्रतिशत

2. उपर्युक्त आरक्षण अधिनियम की धारा 4(2) के द्वितीय परन्तुक में प्रोन्नति के मामले में केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए इस धारा के अधीन यथा उपबंधित अनुपात में आरक्षण किए जाने का प्रावधान है ।

3. इस प्रावधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर निम्न अनुसार आरक्षण का उपबन्ध किया जाए : –

(i) अनुसूचित जाति	-	14 प्रतिशत
(ii) अनुसूचित जनजाति	-	32 प्रतिशत
कुल	-	46 प्रतिशत

4. उपर्युक्त अधिनियम की धारा (6) उपधारा - (1) में सरकारी सेवाओं/पदों में प्रोन्नति हेतु 50 बिन्दुओं का आदर्श रोस्टर निर्धारित करने

ना भी उपबन्ध है । अतएव 50 बिन्दुओं का आदर्श रोस्टर परिशिष्ट–1 के रूप में संकल्प के साथ संलग्न है ।

आदेश :– आदेश है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाए और इसकी प्रति महालेखाकार, झारखंड, रांची/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाए ।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

Sd/- 8-2-2002

(सुशील कुमार चौधरी)
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक-5/आ०(रोस्टर)-03/2001का०..994../रांची, दिनांक- 8 फरवरी,2002

प्रतिलिपि- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरंडा, रांची को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित । उनसे अनुरोध है कि गजट की 200 प्रतियाँ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखंड, रांची को भेजे ।

Sd/- 8-2-2002

(सुशील कुमार चौधरी)
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक-5/आ०(रोस्टर)-03/2001का०..994../रांची, दिनांक- 8 फरवरी,2002

प्रतिलिपि- महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रांची/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/मुख्य सचिव के सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

Sd/- 8-2-2002

(सुशील कुमार चौधरी)
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक 5/आ०(रोस्टर)-03/2001का०....994.../रांची, दिनांक- 8 फरवरी,2002

प्रतिलिपि- महानिबंधक, झारखंड उच्च न्यायालय, रांची/सचिव, विधानसभा सचिवालय/झारखंड लोक सेवा आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

8.2.2002

(सुशील कुमार चौधरी)
सरकार के सचिव ।

परिशिष्ट – "क"

सरकारी सेवाओं में नियुक्ति/प्रोन्नति द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों में 50 बिन्दुओं का रोस्टर

1. अनारक्षित
2. अनुसूचित जनजाति
3. अनारक्षित
4. अनुसूचित जनजाति
5. अनारक्षित
6. अनुसूचित जाति
7. अनारक्षित
8. अनुसूचित जनजाति
9. अनारक्षित
10. अनुसूचित जनजाति
11. अनारक्षित
12. अनुसूचित जाति
13. अनारक्षित
14. अनुसूचित जनजाति
15. अनारक्षित
16. अनुसूचित जनजाति
17. अनारक्षित
18. अनारक्षित
19. अनारक्षित
20. अनुसूचित जाति
21. अनारक्षित
22. अनुसूचित जनजाति
23. अनारक्षित
24. अनुसूचित जनजाति
25. अनारक्षित
26. अनुसूचित जाति
27. अनारक्षित
28. अनुसूचित जनजाति
29. अनारक्षित
30. अनुसूचित जनजाति
31. अनारक्षित
32. अनुसूचित जाति
33. अनारक्षित
34. अनुसूचित जनजाति
35. अनारक्षित
36. अनुसूचित जनजाति
37. अनारक्षित
38. अनुसूचित जाति
39. अनारक्षित
40. अनारक्षित
41. अनारक्षित
42. अनुसूचित जनजाति
43. अनारक्षित
44. अनुसूचित जनजाति
45. अनारक्षित
46. अनुसूचित जाति
47. अनारक्षित
48. अनुसूचित जनजाति
49. अनारक्षित
50. अनुसूचित जनजाति

झारखंड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

विषय:- झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 के अनुसार जिला स्तरीय पदों पर सीधी नियुक्ति में जिलावार आरक्षण ।

झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की धारा 4 के द्वारा राज्य सरकार के द्वारा सीधी नियुक्तियों में 73 प्रतिशत रिक्तियों को आरक्षित किया गया है जो विभिन्न कोटियों के लिए निम्नरूपेण है :-

(i) अनुसूचित जाति	-	14 प्रतिशत
(ii) अनुसूचित जनजाति	-	32 प्रतिशत
(iii) अत्यंत पिछड़ा वर्ग	-	18 प्रतिशत
(iv) पिछड़ा वर्ग	-	9 प्रतिशत
	कुल-	73 प्रतिशत

2. अधिनियम की धारा 4 की उप धारा 2 के परन्तुक में विभिन्न जिलों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार सीधी नियुक्ति हेतु विभिन्न प्रतिशत निर्धारित करने का प्रावधान है ।

3. झारखंड राज्य के सभी जिलों के लिए राज्य सरकार के अधीन जिला स्तरीय नियुक्तियों में आरक्षण का प्रतिशत इस शर्त्त के साथ किया जाता है कि सम्प्रति विभिन्न वर्गों केलिए प्रस्तावित आरक्षण प्रतिशत के आधार पर जिला स्तरीय पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ की जायेगी और इस बीच जिलों में पिछड़े वर्गों की जनसंख्या की अद्यतन स्थिति की जानकारी हेतु सर्वे कराया जायेगा । जिलों में पिछड़े वर्गों, यथा, पिछड़े वर्ग एवं अत्यंत पिछड़े वर्ग, के लिए सर्वे से प्राप्त जनसंख्या प्रतिवेदन के आलोक में, यदि आवश्यक हुआ तो, मात्र इन वर्गों के लिए जिलावार आरक्षण की सीमा का, पुनर्निर्धारण किया जायेगा और इस पुनर्निर्धारित आरक्षण प्रतिशत के अनुसार पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़े वर्गों के लिए नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की जायेगी । जिला स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु निकाले जा रहे विज्ञापन में उपर्युक्त तथ्यों का समावेश रहना आवश्यक होगा ।

झारखंड राज्य के अन्तर्गत पड़ने वाले सभी जिलों के लिए आरक्षण का प्रतिशत जनसंख्या के आधार पर परिशिष्ट-1 के रूप में संकल्प की प्रति के साथ संलग्न है ।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

(एस० के० चौधरी)
सरकार के सचिव ।

ज्ञाप संख्या-5(आ०)जि०आ०-03/2001(पार्ट-III)-.572...दिनांक-24-01-2002

प्रतिलिपिः- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरंडा, रांची को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कराने हेतु प्रेषित । उनसे अनुरोध है कि गजट की 200 प्रतियाँ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड, रांची को भेजें ।

सरकार के सचिव ।

ज्ञाप संख्या-5(आ०)जि०आ०-03/2001(पार्ट-III)-.572...दिनांक-24-01-2002

प्रतिलिपिः- राज्यपाल सचिवालय/मुख्य मंत्री सचिवालय/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/मुख्य सचिव के सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों/सभी राज्य पब्लिक अन्डरटेकिंग/परिषदों/निगमों/निकायों/विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/विद्यालयों को इस संकल्प से अवगत करायें ।

सरकार के सचिव ।

ज्ञाप संख्या-5(आ०)जि०आ०-03/2001(पार्ट-III)-572...दिनांक-24-01-2002

प्रतिलिपिः- महानिबंधक, उच्च न्यायालय, झारखंड, राँची / सचिव, विधान सभा सचिवालय, झारखंड राँची/ झारखंड लोक सेवा आयोग को सूचनार्थ प्रेषित ।

(एस० के० चौधरी)
सरकार के सचिव ।

सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

8 अग्रहायण, 1923 शकाब्द

संख्या 296

रांची, बृहस्पतिवार 29 नवम्बर, 2001

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ।

संकल्प

विषय:—झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण ।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 (4) के अधीन सरकारी पदों एवं सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों को सम्यक् प्रतिनिधित्व उपलब्ध कराने हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार को शक्तियाँ प्रदत्त है। वर्ष 1990 के पूर्व केन्द्र सरकार द्वारा मात्र अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को, कमोवेश, जनसंख्या में प्रतिशत के आधार पर सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ दिया जाता रहा था। केन्द्र सरकार द्वारा मंडल आयोग गठित किया गया। मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह अंकित किया कि सम्पूर्ण भारत की लगभग 52 प्रतिशत जनसंख्या को सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से अन्य पिछड़ा वर्ग चिह्नित किया जा सकता है और इसलिए अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जनजातियों के अतिरिक्त अन्य पिछड़े वर्गों को भी सरकारी पदों एवं सेवाओं में आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए। मंडल आयोग की अनुशंसा को केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया और संविधान के अनुच्छेद 16 (4) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार द्वारा सेवाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को पूर्व से दिये जा रहे क्रमशः 15 प्रतिशत एवं 7.5 प्रतिशत आरक्षण के अतिरिक्त अन्य पिछड़े वर्गों को भी 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया गया।

2- अविभाजित बिहार राज्य में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को सरकारी पदों एवं सेवाओं में क्रमशः 14 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जाता रहा है। 1971 में तत्कालीन बिहार सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। इस आयोग द्वारा यह अनुशंसा की गयी कि

अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी पदों एवं सेवाओं में आरक्षण के लिए शीघ्र कदम उठाया जाना चाहिए। आयोग की रिपोर्ट की सम्यक् जांच के उपरांत सरकार ने 1978 में यह निर्णय लिया कि चूंकि सरकारी सेवाओं एवं पदों में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है इसलिए राज्य की सभी श्रेणियों की सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 20 प्रतिशत स्थान आरक्षित करने की व्यवस्था की जाए। लेकिन यह सुविधा उन्हीं परिवारों को मिले जिनकी वार्षिक आय आय-कर में छूट की सीमा से अधिक नहीं हो। राज्य सरकार द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि 20 प्रतिशत आरक्षित पदों में से अत्यंत पिछड़े वर्गों के लिए 12 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेगा और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 8 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेगा। इसी के साथ अत्यंत पिछड़े वर्गों और अन्य पिछड़े वर्गों की सूचियां भी जारी की गयी। पुनः वर्ष 1978 में बिहार सरकार द्वारा महिलाओं के लिए 3 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गयी। गैर-अनुसूचित जाति गैर-अनुसूचित जनजाति एवं गैर-अन्य पिछड़े वर्गों में आर्थिक, दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए वर्ष 1978 में ही 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित किया गया।

3- तत्कालीन बिहार सरकार द्वारा वर्ष 1992 में बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991, (बिहार अधिनियम संख्या-3, 1992) लागू किया गया। उक्त अधिनियम की धारा 4 में आरक्षण को निम्नलिखित रूप से विनियमित किया गया :-

(क) खुली गुणागुण कोटि से :-	50 प्रतिशत
(ख) आरक्षण कोटि से :-	50 प्रतिशत

आरक्षित कोटि की जो 50 प्रतिशत रिक्तियां थी उनको आरक्षित कोटि के उम्मीदवारों की विभिन्न कोटियों के लिए निम्नलिखित रूप से विभाजित की गयी :-

(क) अनुसूचित जाति :-	14 प्रतिशत
(ख) अनुसूचित जनजाति :-	10 प्रतिशत
(ग) अत्यंत पिछड़ा वर्ग :-	14 प्रतिशत
(घ) पिछड़ा वर्ग :	10 प्रतिशत
(च) पिछड़ा वर्ग की महिला :-	2 प्रतिशत
कुल :-	50 प्रतिशत

4- इन्दिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह आदेश दिया गया है कि 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण नहीं किया जाना चाहिए और अति विशेष परिस्थिति में ही 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण दिया जा सकता है। इस संबंध में विशेष परिस्थिति की विवेचना निम्न प्रकार से की गयी है :-

"While 50% shall be the rule, it is necessary not to put out of consideration certain extra-ordinary situations inherent in the great diversity of this country and the people. It might happen that in far flung and remote areas the population inhabitating those area might, on account of their being out of the main stream of national life and in view of conditions peculiar to and characteristical to them, need to be treated in a different way, some relaxation in this strict rule may become imperative. In doing so, extreme caution is to be exercised and a special case made out."

5- बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के लागू होने के फलस्वरूप दिनांक 15 नवम्बर, 2000 को झारखण्ड राज्य सृजित हुआ और राज्य सरकार के समक्ष सरकारी पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण तय किये जाने का नीतिगत मामला आया। सम्यक् रूप से विचारोपरांत्, राज्य सरकार का यह निर्णय हुआ कि "बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991" को बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की

धारा 85 के उपबंधों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आवश्यक संशोधनों के साथ अंगीकृत किया जाए।

6- राज्य सरकार को यह जानकारी भी प्राप्त हुई है कि उड़ीसा राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों को उनका सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन को ध्यान में रखकर कुल 71 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। झारखण्ड राज्य में भी क्माबेश वही स्थिति है। झारखण्ड राज्य में 1991 की भारत की जनगणना के आधार पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत क्रमश: 27.67 एवं 11.85 है। भारत की जनगणना जो केन्द्र सरकार का विषय है, में अन्य पिछड़े वर्गों की जनगणना नहीं की जाती है, परन्तु तत्कालीन बिहार सरकार द्वारा बिहार पंचायत (पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों एवं नागरिकों की संख्या का अभिनिश्चय एवं प्रकाशन) नियमावली, 1993 के नियम 10 के अन्तर्गत पिछड़े वर्गों की जिलावार संकलित संख्या संबंधी अधिसूचना 1 सितम्बर, 1994 को जारी की गयी थी जिसके अनुसार झारखण्ड राज्य में अन्य पिछड़ी जातियों की जनसंख्या का प्रतिशत लगभग 32.25 है। अत: इस राज्य में भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4) में आच्छादित जातियों की जनसंख्या कुल जनसंख्या का लगभग 72 प्रतिशत है।

7- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों का सरकारी सेवाओं में देय आरक्षण प्रतिशत निर्धारित करने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा एक मंत्रिमंडलीय उपसमिति गठित करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार, श्री अर्जुन मुंडा मंत्री कल्याण, की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडलीय उपसमिति का गठन किया गया जिसने सभी तथ्यों का सम्यक् विचारोपरान्त एक प्रतिवेदन समर्पित किया है।

8- उपरोक्त आरक्षण विषयक मंत्रिमंडलीय उपसमिति ने झारखण्ड राज्य अन्तर्गत विभिन्न जातियों, अर्थात्, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों की जनसंख्या की स्थिति, उनके सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ापन की स्थिति एवं अन्य विद्यमान कठिनाइयों, संविधान के सगत प्रावधानों और अन्य राज्यों में सेवा में आरक्षण के प्रतिशत के आंकड़ों का सम्यक् जाँच एवं विश्लेषण के उपरान्त पाया है कि नवसृजित झारखण्ड राज्य में आरक्षण की सीमा को 50 प्रतिशत तक सीमित रखने से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े उम्मीदवारों को सरकारी पदों एवं सेवाओं में सम्यक् प्रतिनिधित्व नहीं दिलाया जा सकेगा। अतएव झारखण्ड राज्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इन्दिरा साहनी बनाम भारत संघ एवं अन्य में दिये गये न्यायादेश के आलोक में वे विशेष परिस्थितियाँ बनती है जिनके आधार पर आरक्षण की कुल सीमा को 50 प्रतिशत से अधिक रखे जाने की आवश्यकता है और इसी के आलोक में मंत्रिमंडलीय उपसमिति ने कुल आरक्षण की सीमा 71 प्रतिशत रखने की अनुशंसा की है।

9. उक्त समिति द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुँचने के पूर्व निम्नलिखित तथ्यों की विवेचना अपने प्रतिवेदन में किया गया है :—

(क) वर्ष 1941 के बाद प्रत्येक जनगणना के अनुसार वर्तमान झारखण्ड राज्य के क्षेत्रान्तर्गत अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के प्रतिशत में उत्तरोत्तर ह्रास हुआ है। 1941 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 38.6 प्रतिशत थी, परन्तु वह क्रमश: 1951 में 36.03 प्रतिशत, 1961 में 33.93 प्रतिशत, 1971 में 32.12 प्रतिशत, 1981 में 30.26 प्रतिशत एवं अंत में 1991 में घटकर 27.67 प्रतिशत रह गई। अनुसूचित जाति की जनसंख्या जो 1971 में 9.93 प्रतिशत थी वह बढ़कर 1981 में 11.68 प्रतिशत एवं 1991 में 11.85 प्रतिशत हो गया।

(ख) संविधान के अनुच्छेद 330 के अनुसार भारत के लोकसभा एवं विधान सभाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए सीटों का जो आरक्षण किया गया है उसमें 1971 की जनगणना पर आधारित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनगणना को ही मान्यता रखी गयी है।

वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर झारखण्ड राज्य के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या 32.12 प्रतिशत थी तब अनुसूचित जाति की जनसंख्या 9.93 प्रतिशत था।

(ग) भारतीय संविधान की पांचवी अनुसूची (अनुच्छेद 244) के अन्तर्गत झारखण्ड राज्य का 50 प्रतिशत से अधिक भौगोलिक क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र घोषित है। अत: भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजातियों

को विशेष सुरक्षा प्रदान करने का मंशा स्पष्ट है और इस परिस्थिति में जब प्रत्येक जनगणना के बाद विभिन्न कारणों, यथा—जन्म दर, मृत्यु दर, इन-माइग्रेशन, आऊट माइग्रेशन से इस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के प्रतिशत में उत्तरोत्तर ह्रास हो रहा रहा है तो उनको सर्वैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए विशेष कोटि मानकर, उन्हें सेवा में अतिरिक्त आरक्षण देने का पूर्ण औचित्य बनता है।

(घ) भारतीय संविधान के प्रारम्भ से ही प्राप्त आरक्षण के लाभ के बावजूद अनुसूचित जाति एवं जनसूचित जनजातियों के आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़पन में विशेष कमी नहीं आई है।

(च) देश के विभिन्न राज्यों में भी बिना अपवाद के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को उनके जनसंख्या के अनुपात से कम आरक्षण की सुविधा नहीं दी गयी है, यथा—आन्ध्र प्रदेश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत 15.93 एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत 6.31 है जबकि सेवा में उन्हें क्रमशः 15 प्रतिशत एवं 6 प्रतिशत का लाभ दिया गया है, केरल में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत 9.92 एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत 1.10 है जबकि दोनों ही कोटि को मिला कर सेवा में 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया गया है, तामिलनाडू में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत 19.18 एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत 1.03 है जबकि सेवा में उन्हें क्रमशः 18 प्रतिशत एवं 1 प्रतिशत का लाभ दिया गया है, पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत 23.62 एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत 5.59 है जबकि सेवा में उन्हें क्रमशः 22 प्रतिशत एवं 6 प्रतिशत का लाभ दिया गया है, उड़ीसा में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत 16.20 एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत 22.21 है जबकि सेवा में उन्हें क्रमशः 16 प्रतिशत एवं 23 प्रतिशत का लाभ दिया गया है।

(छ) झारखण्ड राज्य में आरक्षण की सीमा कुल 50 प्रतिशत तक सीमित रखना इसलिए भी उचित प्रतीत नहीं होता। है क्योंकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों की जनसंख्या को मिला देने से लगभग 71 प्रतिशत हो जाता है और इन सभी वर्गों में आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ापन व्याप्त है।

(ज) सामान्य रूप से कुल आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए। तामिलनाडू में विभिन्न पिछड़े वर्गों को 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण देकर उसकी सीमा 69 प्रतिशत तक की हो गयी है और उसे संवैधानिक सुरक्षा प्राप्त है। इस पृष्ठभूमि में उप समिति ने यह भी अनुशंसा की है कि झारखण्ड राज्य में न केवल 71 प्रतिशत कुल आरक्षण दिया जाए बल्कि भारत सरकार से यह अनुरोध भी किया जाए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ में 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण देने की जो अनुशंसा झारखण्ड राज्य में अंगीकृत होने वाले इस अधिनियम के द्वारा की जा रही है, उसको तामिलनाडू की तरह संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कर, भारत सरकार उसे सर्वैधानिक सुरक्षा प्रदान करे।

10. आरक्षण विषयक मंत्रिमंडलीय उपसमिति के प्रतिवेदन में निहित अनुशंसाओं पर आधारित प्रस्ताव सरकार के विचारार्थ रखा गया। सम्यक् रूप से विचारोपरांत, राज्य सरकार द्वारा बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991 को आवश्यक संशोधन के साथ अंगीकृत करने का निर्णय लिया गया।

11. यह भी निर्णय लिया गया कि मंत्रिमंडलीय उपसमिति द्वारा प्रस्तावित कुल 71 प्रतिशत आरक्षण के स्थान पर राज्य के पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में कुल 73 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए जिससे कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति दोनों ही कोटियों को उनकी जनसंख्या के प्रतिशत से अधिक आरक्षण का लाभ समानुपातिक रूप से प्राप्त हो सके। तदनुसार, कुल आरक्षण प्रतिशत को विभिन्न कोटियों में निम्नलिखित रूप से विनियमित करने का निर्णय लिया गया :—

(क) खुली गुणागुण कोटि से	27 प्रतिशत
(ख) आरक्षण कोटि से	73 प्रतिशत

12. आरक्षित कोटि का जो 73 प्रतिशत निर्धारित है उसको आरक्षित कोटि के अभ्यर्थियों की विभिन्न कोटियों के लिए निम्नलिखित रूप से विभाजित किया जाए :—

(क)	अनुसूचित जाति	14 प्रतिशत
(ख)	अनुसूचित जनजाति	32 प्रतिशत
(ग)	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	18 प्रतिशत
(घ)	पिछड़ा वर्ग	9 प्रतिशत
	कुल	73 प्रतिशत

13. उपर्युक्त प्रकार से निर्धारित आरक्षण प्रतिशत के अन्तर्गत ही निम्न प्रकार से क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की जायेगी :—

(i) शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए :—

(क)	अंधापन अथवा कम दृष्टि	1 प्रतिशत
(ख)	बहरापन	1 प्रतिशत
(ग)	लोकोमोटिव विकलांगता अथवा सेरिब्रल पाल्सी	1 प्रतिशत
	कुल	3 प्रतिशत

(ii) महिलाओं के लिए— 5 प्रतिशत

14. यह भी निर्णय लिया गया कि इस अंगीकृत अधिनियम को संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित करने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया जाए।

आदेश:—(1) आदेश दिया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा लिए गये निर्णय के आलोक में बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991 को यथा राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित आवश्यक संशोधनों के साथ, अंगीकृत करने संबंधी अधिसूचना निर्गत की जाए।

(2) आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति झारखण्ड राजपत्र में जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जाए तथा इसकी प्रति महालेखाकार, झारखण्ड एवं बिहार/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
(एस० के० चौधरी),
सरकार के सचिव।

झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001

राज्य के अधीन पदों एव सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के यथोचित प्रतिनिधित्व का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ—(1) यह अधिनियम झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 कहा जा सकेगा;

(2) यह सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में लागू होगा;

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएं :—जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में:—

(क) (i) "नियुक्ति प्राधिकारी" जहां तक तक इसका संबंध किसी स्थापना में सेवा यह पद से है, से अभिप्रेत है वैसी सेवाओं या पदों पर नियुक्त करने के लिए सशक्त प्राधिकारी;

(ii) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एव अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001;

(ख) "विहित" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन बनी नियमावली जो राजकीय गजट में प्रकाशित हुई हो, द्वारा विहित;

(ग) "स्थापना" से अभिप्रेत है राज्य के कार्यकलाप से जुड़े लोक सेवाओं और पदों पर नियुक्तियों से संबंधित राज्य का कोई कार्यालय या विभाग और इसमें सम्मिलित हैं—

(i) तत्समय प्रवृत्त किसी राज्य अधिनियम के अधीन गठित कोई स्थानीय या वैधानिक प्राधिकार; या

(ii) बिहार सरकारी समिति अधिनियम, 1935 (बिहार अधिनियम 6, 1935) के अधीन निबंधित कोई सहकारी संस्थान जिसमें राज्य सरकार द्वारा शेयर पूंजी लगाई गई है और जो राज्य सरकार से ऋण, अनुदान तथा साहाय्यिकी आदि के रूप में सहायता प्राप्त करता है, और

(iii) विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध कॉलेज, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च विद्यालय तथा ऐसे अन्य शैक्षिक संस्थान, जिन्हें राज्य सरकार ने स्वाधिकृत कर लिया या सहायता प्रदान करती है;

(iv) सार्वजनिक क्षेत्र का प्रतिष्ठान;

(घ) "सार्वजनिक क्षेत्र की स्थापना" से अभिप्रेत है कोई उद्योग, वाणिज्य, व्यापार या पेशा जो निम्न द्वारा स्वाधिकृत, नियन्त्रित या प्रबंधित हो :—

(i) राज्य सरकार या राज्य सरकार का कोई विभाग;

(ii) कम्पनी अधिनियम, 1956 (अधिनियम-I; 1956) की धारा 617 में यथा परिभाषित सरकारी कम्पनी अथवा केन्द्र या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगम जिसमें राज्य सरकार द्वारा समादत्त शेयर पूंजी के एकयावन प्रतिशत से अन्यून शेयर पूंजी लगायी गयी हो;

(ङ) "भर्ती वर्ष" से अभिप्रेत है वह पचांग वर्ष जिसमें वस्तुतः भर्ती की जाती है;

(च) "आरक्षण" से अभिप्रेत है अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पदों एवं सेवाओं में रिक्तियों का आरक्षण;

(छ) " अनुसूचित जाति " का निर्देश भारत संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन किए गए तथा समय-समय पर यथा संशोधित संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियों से होगा ;

(ज) " अनुसूचित जनजाति " का निर्देश भारत-संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन बनाए तथा समय-समय पर यथा संशोधित संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में विनिर्दिष्ट जनजातियों से होगा ;

(झ) " अन्य पिछड़े वर्ग " से अभिप्रेत है—अत्यन्त पिछड़े वर्ग ;

(ञ) " अत्यन्त पिछड़े तथा पिछड़े वर्गों " से अभिप्रेत है तथा इसमें सम्मिलित हैं वे सभी वर्ग जो इस अधिनियम की अनुसूची-1 और 2 में विनिर्दिष्ट किए गए हैं ।

स्पष्टीकरण—यदि अधिनियम से उपाबद्ध अनुसूची-1 और अनुसूची-2 में प्रमाणित वर्गों में से किसी वर्ग का राष्ट्रपति के किसी आदेश के अन्तर्गत अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित किया जाता है तो ऐसे वर्ग को उक्त अनुसूची से विलोपित हुआ समझा जाएगा ।

(ट) " गुणागुण-सूची " से अभिप्रेत है अधिनियम में किए गए उपबंधों के अनुसार तैयार की गई गुणागुण-क्रम से क्रमांकित उम्मीदवारों की सूची ।

(ठ) " राज्य " में सम्मिलित है झारखण्ड राज्य की सरकार, विधान-सभा और न्यायपालिका एवं राज्य के भीतर अथवा राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकार ।

3. प्रयोज्यता—यह अधिनियम निम्नलिखित में लागू नहीं होगा :—

(क) केन्द्र सरकार के अधीन कोई नियोजन ;

(ख) निजी क्षेत्र में कोई नियोजन ;

(ग) घरेलू सेवाओं में कोई नियोजन ;

(घ) सेवारत सरकारी सेवक की मृत्यु पर अनुकम्पा के आधार पर की गई नियुक्ति ; और

(ङ) ऐसे अन्य पद जिसे राज्य सरकार, आदेश द्वारा, समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे; परन्तु यह कि इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किए जाने के बाद तुरन्त राज्य विधान-सभा के समक्ष, जब वह कुल चौदह दिनों के लिए सत्र में हो, रखा जाएगा जो एक ही सत्र में या दो लगातार सत्र में पड़ सकते हैं ।

4. सीधी भर्ती के लिए आरक्षण—(1) किसी स्थापना में सेवाओं और पदों की सभी नियुक्तियाँ, जो सीधी भर्ती के द्वारा भरी जाने वाली हों, निम्नलिखित रूप में विनियमित की जायेंगी, यथा :—

(क) खुला गुणागुण कोटि से		27 प्रतिशत
(ख) आरक्षित कोटि से	...	73 प्रतिशत

(2) आरक्षित कोटि का 73 प्रतिशत रिक्तियों में से आरक्षित उम्मीदवारों की विभिन्न कोटियों की रिक्तियां इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन निम्नलिखित रूप में होंगी :—

(i)	अनुसूचित जाति	...	14 प्रतिशत
(ii)	अनुसूचित जनजाति	...	32 प्रतिशत
(iii)	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	...	18 प्रतिशत
(vi)	पिछड़ा वर्ग	...	9 प्रतिशत
		कुल	73 प्रतिशत

(2) (क) उप-धारा (2) के अधीन निर्धारित आरक्षण प्रतिशत में प्रत्येक कोटि के लिए निम्न प्रकार से क्षैतिज आरक्षण विनियमित होगा :--

(i) शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए :—

(क)	अन्धापन अथवा कम दृष्टि	...	1 प्रतिशत
(ख)	बहरापन	..	1 प्रतिशत
(ग)	लोकोमोटिव विकलांग अथवा सेरिब्रल पाल्सी		1 प्रतिशत
		कुल	3 प्रतिशत

(ii) महिलाओं के लिए— ... 5 प्रतिशत

परन्तु, यह कि राज्य सरकार झारखण्ड राजपत्र में अधिसूचना जारी कर जिलों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार विभिन्न जिलों के लिए विभिन्न प्रतिशत नियत कर सकेगी ;

परन्तु, यह और कि प्रोन्नति के मामले में केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए इस धारा के अधीन यथा उपबंधित अनुपात में आरक्षण किया जाएगा ।

(3) आरक्षित कोटि के उम्मीदवार जो अपने गुणागुण के आधार पर चुने जाते हैं, की गणना खुली गुणागुण की कोटि की 27 प्रतिशत रिक्तियों के विरुद्ध की जाएगी न कि आरक्षण कोटि रिक्तियों के विरुद्ध ।

(4) इस अधिनियम के प्रावधानों के प्रतिकूल या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि और नियमावली या न्यायालय के किसी निर्णय या डिक्री के होते हुए भी उपधारा (3) का उपबंध ऐसे मामलों में लागू होगा जिसमें चयन की सभी औपचारिकताएँ पूर्ण कर ली गई किन्तु नियुक्ति-पत्र निर्गत नहीं किए गए हैं ।

(5) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रिक्तियां ऐसे उम्मीदवारों से नहीं भरी जायेंगी, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के न हों ।

(6) (क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों में नियुक्ति तथा प्रोन्नति के लिए उम्मीदवारों की अनुपलब्धता की स्थिति में तीन भर्त्ती वर्षों तक के लिए उन रिक्तियों को आरक्षित बनाए रखा जायगा और यदि तीसरे वर्ष में भी सुयोग्य उम्मीदवार नहीं उपलब्ध हों, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बीच रिक्तियों का विनिमय किया जायगा और विनिमय द्वारा तथा पूरित रिक्तियां उस विशेष समुदाय के उम्मीदवार जो वस्तुतः नियुक्त किए जाते हैं, के लिए आरक्षित समझी जाएंगी ।

(ख) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के सुयोग्य उम्मीदवारों की अनुपलब्धता की स्थिति में वैसी आरक्षित रिक्तियां तीन भर्त्ती वर्षों के लिए आरक्षित बनी रहेंगी और यदि तीसरे वर्ष में भी सुयोग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो तो रिक्तियां अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों से विनिमय द्वारा भरी जायेंगी और विनिमय द्वारा तथा पूरित रिक्तियां उस विशेष समुदाय के योग्य उम्मीदवारों, जो वस्तुतः नियुक्त किए जाते हैं, के लिए आरक्षित समझी जाएंगी ।

(ग) यदि किसी भर्त्ती वर्ष में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्यन्त पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों की संख्या, विनिमय फार्मूला के बाद भी, उनके लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या से कम है तो शेष पूर्वागत (बैंक लॉग) रिक्तियां, सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों से, उन्हें अनारक्षित करके भरी जा सकेंगी, किन्तु वैसी अनारक्षित रिक्तियां तीन भर्त्ती वर्षों तक अग्रणीत रहेंगी ।

(घ) यदि आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अत्यन्त पिछड़े वर्गों के उम्मीदवार, अपेक्षित संख्या में, उपलब्ध न हो, तो केवल पिछली रिक्तियों को भरने के लिए, यथास्थिति, केवल अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अत्यन्त पिछड़े एवं पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों के लिए ही नया विज्ञापन किया जा सकेगा ।

(ङ) इस अधिनियम के प्रावधानों के प्रतिकूल या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि और नियमावली या न्यायालय के किसी निर्णय या डिक्री के होते हुए भी धारा-4 के उपबंध ऐसे सभी मामलों में लागू होगा जिनमें चयन की सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई है, किन्तु नियोजन पत्र निर्गत नहीं किए गए हैं ।

5. आरक्षण नीति का पुनर्विलोकन —(1) राज्य सरकार का यह कर्त्तव्य होगा कि वह धारा-4 के अधीन विभिन्न आरक्षित कोटियों के लिए नियत अनुपात में, धारा-2 के खण्ड (ग) एवं (घ) में यथा परिभाषित राज्य की सभी स्थापनाओं की विभिन्न सेवाओं या पदों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अत्यन्त पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व की प्राप्ति हेतु प्रयास करे ।

(2) राज्य सरकार प्रत्येक 10 वर्ष के बाद अपनी आरक्षण नीति का पुनर्विलोकन करेगा;

परन्तु, यह कि इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किए जाने के बाद तुरन्त, राज्य विधान सभा के समक्ष, जब वह कुल 14 दिनों के लिए सत्र में हो, जो एक ही सत्र में या दो लगातार सत्र में पड़ सकते हैं, रखा जाएगा ।

6. आदर्श रोस्टर—(1) राज्य सरकार राज्य और जिला स्तर दोनों की रिक्तियों के लिए सीधी भर्ती के लिए 100 बिन्दुओं और प्रोन्नति के लिए 50 बिन्दुओं का आदर्श रोस्टर विहित करेगी ।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी अपने नियंत्रणाधीन प्रत्येक कोटि के पदों के लिए सीधी भर्ती और प्रोन्नति हेतु विहित फारम में पृथक चालू रोस्टर रखेंगे ।

7. रियायत—किसी भी सेवा या पद पर चयन के लिए परीक्षा हेतु विहित शुल्क, यदि कोई हो, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के मामले में घटाकर 1/4 कर दिया जाएगा ।

8. सम्पर्क पदाधिकारी—सरकार के हरेक विभाग में, स्थापना के प्रभारी पदाधिकारी को, जो संयुक्त सचिव की पंक्ति के नीचे का न हो, इस अधिनियम द्वारा उपबन्धित मामले के सम्बन्ध में सम्पर्क पदाधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए विभागीय सचिव द्वारा प्राधिकृत किया जाएगा और वह निम्नलिखित का उत्तरदायी होगा—

(क) इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करना;

(ख) अधीनस्थ पदाधिकारी द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करना;

(ग) विवरणियों का समय पर उपस्थापन सुनिश्चित करना;

(घ) रोस्टरों और यथाविहित ऐसे अन्य अभिलेखों का वार्षिक निरीक्षण सुनिश्चित करना;

(ङ) प्रशासनिक विभाग और कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के बीच सम्पर्क पदाधिकारी के रूप में कार्य करना;

(च) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के संगठन या किसी व्यक्ति से प्राप्त परिवादों के अन्वेषण में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग और आरक्षण आयुक्त को आवश्यक सहायता सुनिश्चित करना;

9. समिति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पदाधिकारियों का मनोनयन :—राज्य सरकार हरेक स्थापना/प्रोन्नति समिति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के एक पदाधिकारी का मनोनयन करेगी।

10. अभिलेख मांगने की शक्ति :—अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग का कोई सदस्य, जो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अनुपालन नहीं करने से प्रतिकूलतः प्रभावित होता है, तो वह राज्य सरकार की नोटिस में उस तथ्य को ला सकेगा और उसके द्वारा आवेदन करने पर राज्य सरकार ऐसा अभिलेख मंगा सकेगी या उस पर ऐसी कार्रवाई कर सकेगी, जिसे वह उचित समझे ।

11. सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई को सुरक्षा :—कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी ऐसी बात के लिए, किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं चलाई जाएगी जो इस अधिनियम के अधीन सद्भावनापूर्वक की गई हो या किए जाने के लिए आशयित हो ।

12. शास्ति :—यदि कोई नियुक्ति प्राधिकारी इस अधिनियम के किसी भी उपबन्ध का उल्लंघन कर नियुक्ति/प्रोन्नति करता है तो वह 1000 रुपए तक के जुर्माना या तीन महीने के कारावास या दोनों से दण्डनीय होगा।

13. अभियोजन :—(1) इस अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में किसी नियुक्ति या प्रोन्नति के सम्बन्ध में जब कोई शिकायत की जाए तब यथास्थिति जिला स्तर पर जिला के समाहर्त्ता/उपायुक्त या प्रमंडलीय स्तर पर आयुक्त या राज्य स्तर पर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग भलीभाँति जाँच के पश्चात् सरकार के अनुमोदन से नियुक्त पदाधिकारी तथा सम्बन्धित पदाधिकारी के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा कर सकेगा।

(2) वैसे मामले जिनमें नियुक्ति पदाधिकारी समाहर्त्ता/उपायुक्त हो तो प्रमंडलीय आयुक्त या प्रमंडलीय आयुक्त हो, तो कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा ऐसा मुकदमा किया जाएगा।

14. कठिनाइयों का निराकरण :—यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार ऐसी कार्रवाई कर सकेगी या ऐसे आदेश निर्गत कर सकेगी जो इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हो, जिसे वह कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक समझे।

(14) (अ) अधिनियम की अनुसूची-1 एवं 2 में जाति/वर्ग को जोड़ने या हटाने की शक्ति :—पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग की अनुशंसा पर राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अधिनियम से उपाबद्ध अनुसूची-1 अथवा अनुसूची-2 में किसी जाति, वर्ग को यथास्थिति जोड़ या हटा सकेगी।

15. नियम बनाने की शक्ति :—(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी नियमावली निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले में उपबन्ध कर सकेगी, यथा –

(क) किसी सेवा या पद पर सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु-सीमा;

(ख) किसी सेवा या पद पर सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम अर्हता प्रदायी अंक;

(ग) वह फारम, जिसमें प्रत्येक स्थापना, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को ऐसी स्थापना में भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या से सम्बन्धित वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी;

(घ) कोई अन्य विषय जो रखा जाने वाला हो या इस अधिनियम के प्रावधानों से सम्बन्धित या उसके प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए अन्य कोई विषय।

परन्तु, यह कि इस धारा के अधीन बनाए गए किसी नियम को बनाए जाने के बाद तुरन्त राज्य विधान-सभा के समक्ष, जब वह कुल 14 दिनों के सत्र में हो, रखा जाएगा, जो एक ही सत्र में या दो क्रमागत सत्रों में पड़ सकते हैं। जिस सत्र में उसे प्रस्तुत किया जाए, उस सत्र में या उसके तुरन्त बाद वाले सत्र में सदन नियम में जो उपान्तरण करने को सहमत हो अथवा यदि इस बात पर सहमत हो कि नियम बनाया ही नहीं जाना चाहिए तो उसके बाद, वह आदेश, यथास्थिति, या तो रूपांतरित रूप में प्रभावी होगा या प्रभावी नहीं होगा, किन्तु नियम के ऐसे रूपान्तरण या बातिल होने से उस नियम के अधीन पहले किए गए किसी काम की मान्यता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

16. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव :—तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि तथा नियमों तथा न्यायालयों के किए गए किसी निर्णय या डिक्री या निर्गत किसी आदेश, अधिसूचना, परिपत्र, स्कीम, नियम या संकल्प में प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के प्रावधान प्रभावी होंगे;

परन्तु, यह कि तत्समय प्रवृत्त कोई अन्य विधि, नियम, इस अधिनियम से पूर्व बने, निर्गत या जारी कोई आदेश, अधिसूचना, परिपत्र, स्कीम या संकल्प, जहां तक वे इस अधिनियम से असंगत नहीं है, प्रभावी बने रहेंगे तथा इस अधिनियम के अधीन निर्गत या पारित समझे जायेंगे।

अनुसूची १

{कृपया देखें धारा २ (ञा)}

अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची

(1) कपरिया
(2) कानू
(3) कवार
(4) कलन्दर
(5) कोछ
(6) कुर्मी (महतो) केवल छोटानागपुर डिवीजन के लिये।
(7) केवट (कउट)
(8) कादर
(9) कारा
(10) कोरक
(11) केवर्त्त
(12) कुमारभाग पहाड़िया
(13) खटवा
(14) (XXX)
(15) खतोरा
(16) खंगर
(17) खटिक
(18) खेलटा
(19) खतवे
(20) (XXX)
(21) गाड़ी (छावी)
(22) गंगाई (नग श)
(23) गगोता
(24) (XXX)
(25) गधर्व
(26) गुलगुलिया
(27) गोड़
(28) चांय
(29) चपोता
(30) चन्द्रवंशी (कहार)
(31) टिकुलहार
(32) ढेकारू
(33) तांती (ततवा)
(34) तमरिया
(35) तुरहा
(36) तियर
(37) धारु
(38) धानुक
(39) धामिन
(40) धोमर
(41) धनवार
(42) मांनिया
(43) नइया
(44) नाई
(45) नामशूद्र
(46) पाण्डी
(47) पाल (भेड़िहार गड़ेरी)
(48) प्रधान
(49) पिनगनिया
(50) पहिरा
(51) बारी
(52) बंलदार
(53) बिन्द
(54) (XXX)
(55) सेखड़ा
(56) बागदी
(57) मुड़ियार
(58) भार
(59) (XXX)
(60) भास्कर
(61) माली
(62) मांगर
(63) मदार
(64) मल्लाह (सुरहिया)
(65) मझवार
(66) मारकण्डे
(67) मोरियारी
(68) मलार (मालहोर)
(69) मौलिक
(70) राजधाबी
(71) राजभर
(72) रगवा
(73) वनपर
(74) (XXX)
(75) सोटा (सोता)
(76) (XXX)
(77) धगरिया

(78) बघारी

(79) बबदल

(80) कसाब (कसाई) मुस्लिम

(81) चाक (मुस्लिम)

(82) डफाली (मुस्लिम)

(83) धुनिया (मुस्लिम)

(84) धोबी (मुस्लिम)

(85) नट (मुस्लिम)

(86) पमरिया (मुस्लिम)

(87) भठियारा (मुस्लिम)

(88) भाट (मुस्लिम)

(89) मेहतर, लाल बेगिया, हलालखोर, भंगी (मुस्लिम)

(90) मिरियासोन (मुस्लिम)

(91) मदारा (मुस्लिम)

(92) मोरशिकार (मुस्लिम)

(93) साई (मुस्लिम)

(94) मोमिन (मुस्लिम)

(95) थमात

(96) चूड़ीहार (मुस्लिम)

(97) प्रजापति (कुम्हार)

(98) राईन या कुंजरा (मुस्लिम)

(99) सोय

नोट - उन जाति तथा वर्गों को जिन्हें मुस्लिम नहीं लिखा गया है हिंदू तथा मुसलमान दोनों जाति का समझना चाहिए जैसे- तेली में दोनों हिंदू तथा मुसलमान तेली।

अनुसूची २

[कृपया देखें धारा २ (ञ)]

पिछड़े वर्गों की सूची

(1) (XXX)

(2) कागजी

(3) कमार (लोहार और कर्मकार)

(4) कुशवाहा (कोइरी)

(5) कोस्ता

(6) गद्दी

(7) घटवार

(8) (XXX)

(9) चनउ

(10) जद्पतिया

(11) जोगी (जुगी)

(12) तमोली

(13) तेली

(14) देवहार

(15) नालबंदी (मुस्लिम)

(16) (XXX)

(17) परथा

(18) बढ़ई

(19) बढ़ई

(21) बनिया (सूढ़ी, हलवाई, रौनियार, पंसारी, मोदी, कसेरा, केसरवानी, ठठेरा, कलवार, कमलापुरी, वैश्य, सिन्दूरिया, कलाल, माहुरी वैश्य, बंगी वैश्य, गंधबनिक (...), बर्नवाल, अवध्दी वैश्य, पोद्दार, कसौधन)

(21) मुकरो (मुकेरी) मुस्लिम

(22) यादव (ग्वाला, अहिर, गोरा, घासी, मेहर)

(23) राजवंशी (रिसिया या पोलिया)

(24) रंगरेज (मुस्लिम)

(25) रौतिया

(26) (xxx)

(27) लहेड़ी

(28) शिवहरी

(29) सोनार

(30) सूत्रधार

(31) सुकियार

(32) इदरीसी या दर्जी (मुस्लिम)

(33) ईसाई धर्मावलम्बी (हरिजन)

(34) ईसाई धर्मावलम्बी (अन्य पिछड़ी जाति)

(35) कुर्मी (महतो)

(36) भाट (हिंदू)

(37) दांगी

नोट:—इन जाति तथा वर्गों को जिन्हें मुस्लिम नहीं लिखा गया है हिन्दू तथा मुसलमान दोनों जाति का समझना चाहिए जैसे तेली में दोनों हिन्दू तथा मुसलमान तेली।

अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, झारखण्ड, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
झारखण्ड गजट (असाधारण) 296—[illegible]

212

झारखंड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ।

संकल्प

विषय :- झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 के अनुसूची- 1 तथा अनुसूची- 2 में कतिपय संशोधन ।

झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की धारा-2 में अत्यंत पिछड़े वर्गों एवं पिछड़े वर्गों को परिभाषित किया गया है तथा इसमें सम्मिलित वर्ग को इस अधिनियम की अनुसूची- 1 एवं अनुसूची- 2 में क्रमशः विनिर्दिष्ट किया गया है ।

2. उक्त अधिनियम की धारा 14 (अ) में अनुसूची- 1 एवं अनुसूची- 2 में जाति/वर्ग को जोड़ने या हटाने की शक्ति राज्य सरकार को प्रदत्त है ।

3. उक्त अधिनियम एवं अनुसूची में कतिपय जाति/वर्ग का समावेश नहीं हो सका यद्यपि इन जाति/वर्ग को बिहार सरकार के द्वारा विभिन्न संकल्पों से समय-समय पर यथावश्यक संशोधन कर सम्मिलित किया गया था ।

अतएव निर्णय लिया गया है कि अनुसूची- 1 एवं अनुसूची-2 में निम्न रूपेण संशोधन किया जाए :-

अनुसूची- 1

(क) क्रमांक-6 पर अंकित "कुर्मी (महतो) केवल छोटानागपुर डीविजन के लिए" को विलोपित कर "कुर्मी (महतो)" अंकित किया जाए ।

(ख) क्रमांक 100 पर "ठकुराई (मुस्लिम)"
क्रमांक 101 पर "नागर"

(211)

क्रमांक 102 पर "शेरशाह वादी"
क्रमांक 103 पर "वक्खो (मुस्लिम)"
क्रमांक 104 पर "अदरखी"
क्रमांक 105 पर "छिपी"
क्रमांक 106 पर "तिली"
क्रमांक 107 पर "इदरीसी/दर्जी (मुस्लिम)"
एवं क्रमांक 108 पर "सेकलगर (सिकलगर)(मुस्लिम)" जाति जोड़ा जाए ।

अनुसूची-2

(क) क्रमांक 35 पर अंकित "कुर्मी (महतो)" विलोपित रहेगा ।

(ख) क्रमांक 20 पर अंकित "बनिया" के अंतर्गत "कलवार" के बाद "कलाल/एराकी" एवं "वियाहुत कलवार" जोड़ा जाये ।

(ग) क्रमांक 20 पर ही अंकित "बनिया" जाति के अंतर्गत "कशोधन" के बाद "गंधवनिक" जोड़ा जाये ।

(घ) क्रमांक 37 "दांगी" के बाद क्रमांक 38 पर "कुल्हैया" जाति को जोड़ा जाये ।

आदेशः- 1. आदेश दिया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा लिये गए निर्णय के आलोक में झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की अनुसूची- 1 एवं अनुसूची- 2 उपरोक्त अंश तक संशोधित माना जाएगा ।

2. आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति झारखंड राजपत्र में जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाये ।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

5-11-2001

(एस० के० चौधरी)
सरकार के सचिव ।

(210)

ज्ञाप संख्या-5/आ०-03/2001खंड 3885/रांची, दिनांक-05 नवम्बर,2001 ई०

प्रतिलिपि- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित । उनसे अनुरोध है कि गजट की 200 प्रतियाँ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखंड, रांची को उपलब्ध करायें ।

5.11.2001

(एस० के० चौधरी)
सरकार के सचिव ।

ज्ञाप संख्या-5/आ०-03/2001खंड 3885/रांची, दिनांक-05 नवम्बर,2001 ई०

प्रतिलिपि- राज्यपाल सचिवालय/मुख्यमंत्री सचिवालय/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/मुख्य सचिव के सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों/सभी राज्य पब्लिक अन्डरटेकिंग/परिषदों/निगमों/निकायों/विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/विद्यालयों को इस निर्णय से अवगत करायें ।

5.11.2001

(एस० के० चौधरी)
सरकार के सचिव ।

ज्ञाप संख्या-5/आ०-03/2001खंड 3885/रांची, दिनांक-05 नवम्बर,2001 ई०

प्रतिलिपि- महानिबंधक, उच्च न्यायालय, रांची/सचिव, विधानसभा सचिवालय/झारखंड लोक सेवा आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

5.11.2001

(एस० के० चौधरी)
सरकार के सचिव ।

1-27

झारखंड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ।
अधिसूचना

रांची, दिनांक- 03 अक्टूबर,2001 ई०

संख्या-5/अ०-03/2001का० 3465/ बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम-XXX, 2000) की धारा 85 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार "बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991"(बिहार अधिनियम 3, 1992) को निम्न संशोधनों के साथ अंगीकृत करती है, यथा-

(1) "बिहार अधिनियम-3,1992" में जहाँ कहीं भी शब्द "बिहार" प्रयुक्त है, उसे शब्द "झारखंड" समझा जाएगा ।

(2) बिहार अधिनियम 3, 1992 की धारा-2 में -

(i) खंड (झ) में शब्द "और पिछड़े वर्ग की महिलाएं" विलोपित समझा जायेगा ।

(ii) खंड (ट) सम्पूर्ण विलोपित समझा जायेगा ।

(3) बिहार अधिनियम-3, 1992 की धारा-4 में-

(i) उप धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया गया समझा जायेगा, यथा:-

"किसी स्थापना में सेवाओं और पदों की सभी नियुक्तियाँ, जो सीधी भर्त्ती के द्वारा भरी जायेंगी, निम्नलिखित रूप में विनियमित की जायेंगी, यथा :-

(क) खुली गुणागुंण कोटि से:-	27 प्रतिशत
(ख) आरक्षित कोटि से:-	73 प्रतिशत"

(ii) उप धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया गया समझा जायेगा, यथा :–

"आरक्षित कोटि की 73 प्रतिशत रिक्तियों में से आरक्षित उम्मीदवारों की विभिन्न कोटियों की रिक्तियाँ इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन निम्नलिखित रूप में होंगीः-

(क)	अनुसूचित जातिः-	14 प्रतिशत
(ख)	अनुसूचित जनजातिः-	32 प्रतिशत
(ग)	अत्यन्त पिछड़ा वर्गः-	18 प्रतिशत
(घ)	पिछड़ा वर्गः-	9 प्रतिशत
	कुल-	73 प्रतिशत

(iii) उप-धारा (2) और उप-धारा (3) के बीच एक नई उप-धारा अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, यथा-

(2 क)- उप-धारा (2) के अधीन निर्धारित आरक्षण प्रतिशत में प्रत्येक कोटि के लिए निम्न प्रकार से क्षैतिज आरक्षण विनियमित होगा :-

(I) <u>शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए-</u>

(क)	अंधापन अथवा कम दृष्टि :-	1 प्रतिशत
(ख)	बहरापनः-	1 प्रतिशत
(ग)	लोकोमोटर विकलांगता अथवा सेरिब्रल पाल्सीः-	1 प्रतिशत
	कुलः-	3 प्रतिशत

(II) <u>महिलाओं के लिए-</u> 5 प्रतिशत

परन्तु, यह कि "दी परसन्स विथ डिजैबलिटीज (इक्वल औपरच्यूनिटीज, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एण्ड फुल पार्टिसिपेशन) एक्ट,

1995 (अधिनियम 1, 1996) की धारा 32 के अंतर्गत उपयुक्त पदों की पहचान राज्य सरकार द्वारा की जाएगी ।

परन्तु, यह कि राज्य सरकार झारखंड राजपत्र में अधिसूचना जारी कर जिलों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार विभिन्न जिलों के लिए विभिन्न प्रतिशत नियत कर सकेगी,

परन्तु, यह और कि प्रोन्नति के मामले में केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए इस धारा के अधीन यथा उपबंधित अनुपात में आरक्षण किया जाएगा ।"

(iv) उप धारा-(6) के खंड (ग) को विलोपित समझा जाएगा ।

(v) उप धारा-(6) के खंड (ड़) में शब्द "तथा पिछड़े वर्ग की महिलाओं" को विलोपित किया गया समझा जाएगा ।

(4) बिहार अधिनियम 3, 1992 से उपाबद्ध अनुसूची-1 में-

(i) कमांक (24) के सामने अंकित शब्द "गोड़ या गोंड़ (सारण तथा रोहतास जिले में)" विलोपित किया समझा जाएगा ।

(ii) कमांक (76) के सामने अंकित शब्द "सतरांश (नवादा जिले के लिए)" को विलोपित किया गया समझा जाएगा।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,
3.10.2001
(एस० के० चौधरी)
सरकार के सचिव ।

ज्ञाप संख्या-5/आ0-03/2001का0-3465/ रांची, दिनांक 03 अक्टूबर, 2001 ।

प्रतिलिपि- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची को गजट के असाधरण अंक में प्रकाशित कराने हेतु प्रेषित । उनसे अनुरोध है कि गजट की 200 प्रतियाँ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखंड, रांची को भेजें ।

3-10-2001

सरकार के सचिव ।

ज्ञाप संख्या-5/आ0-03/2001का0-3465/ रांची, दिनांक 03 अक्टूबर, 2001 ।

प्रतिलिपि- राज्यपाल सचिवालय/मुख्य मंत्री सचिवालय/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/मुख्य सचिव के सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों/सभी राज्य पब्लिक अन्डरटेकिंग/परिषदों/निगमों/निकायों/ विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/विद्यालयों को इस अधिसूचना से अवगत करायें ।

3-10-2001

सरकार के सचिव ।

ज्ञाप संख्या-5/आ0-03/2001का0-3465/ रांची,दिनांक 03 अक्टूबर, 2001 ।

प्रतिलिपि- महानिबन्धक उच्च न्यायालय, झारखंड,रांची/सचिव, विधान सभा सचिवालय/झारखंड लोक सेवा आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

3-10-2001

(एस0 के0 चौधरी)
सरकार के सचिव

झारखंड सरकार,
कार्मिक,प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ।

संकल्प

विषयः- झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण ।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अधीन सरकारी पदों एवं सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों को सम्यक् प्रतिनिधित्व उपलब्ध कराने हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार को शक्तियाँ प्रदत्त है । वर्ष 1990 के पूर्व केन्द्र सरकार द्वारा मात्र अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को, कमोबेश, जनसंख्या में प्रतिशत के आधार पर सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ दिया जाता रहा था । केन्द्र सरकार द्वारा मंडल आयोग गठित किया यया । मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह अंकित किया कि सम्पूर्ण भारत की लगभग 52 प्रतिशत जनसंख्या को सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से अन्य पिछड़ा वर्ग चिह्नित किया जा सकता है और इसलिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के अतिरिक्त अन्य पिछड़े वर्गों को भी सरकारी पदों एवं सेवाओं में आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए । मंडल आयोग की अनुशंसा को केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया और संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार द्वारा सेवाओं में अनुसूचित्त जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को पूर्व से दिये जा रहे कमशः 15 प्रतिशत एवं 7.5 प्रतिशत आरक्षण के अतिरिक्त अन्य पिछड़े वर्गों को भी 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया गया ।

2- अविभाजित बिहार राज्य में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को सरकारी पदों एवं सेवाओं में कमशः 14 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जाता रहा है । 1971 में तत्कालीन बिहार सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया ।इस आयोग द्वारा यह अनुशंसा की गयी कि अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी पदों एवं सेवाओं में आरक्षण के लिए शीघ्र कदम उठाया जाना चाहिए । आयोग की रिपोर्ट की सम्यक् जांच के उपरांत सरकार ने 1978 में यह निर्णय लिया कि चूँकि सरकारी सेवाओं एवं पदों में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है इसलिए राज्य की सभी श्रेणियों की सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 20 प्रतिशत स्थान आरक्षित करने की व्यवस्था की जाए । लेकिन यह सुविधा उन्हीं परिवारों को मिले जिनकी वार्षिक आय आय-कर में छूट की सीमा से अधिक नहीं हो । राज्य सरकार द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि 20 प्रतिशत आरक्षित पदों में से अत्यंत पिछड़े वर्गों के लिए 12 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेगा और अन्य पिछड़े वर्गों के

लिए 8 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेगा । इसी के साथ अत्यंत पिछड़े वर्गों और अन्य पिछड़े वर्गों की सूचियाँ भी जारी की गयी । पुनः वर्ष 1978 में बिहार सरकार द्वारा महिलाओं के लिए 3 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गयी । गैर-अनुसूचित जाति, गैर-अनुसूचित जनजाति एवं गैर-अन्य पिछड़े वर्गों में आर्थिक ,दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए वर्ष 1978 में ही 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित किया गया ।

3- तत्कालीन बिहार सरकार द्वारा वर्ष 1992 में बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991, (बिहार अधिनियम संख्या-3, 1992) लागू किया गया । उक्त अधिनियम की धारा 4 में आरक्षण को निम्नलिखित रूप से विनियमित किया गया :-

(क) खुली गुणागुण कोटि से :-	50 प्रतिशत
(ख) आरक्षण कोटि से :-	50 प्रतिशत

आरक्षित कोटि की जो 50 प्रतिशत रिक्तियाँ थीं उनको आरक्षित कोटि के उम्मीदवारों की विभिन्न कोटियों के लिए निम्नलिखित रूप से विभाजित की गयी :-

(क) अनुसूचित जाति :-	14 प्रतिशत
(ख) अनुसूचित जनजाति :-	10 प्रतिशत
(ग) अत्यंत पिछड़ा वर्ग :-	14 प्रतिशत
(घ) पिछड़ा वर्ग :-	10 प्रतिशत
(च) पिछड़ा वर्ग की महिला :-	2 प्रतिशत
कुल :-	50 प्रतिशत

4- इन्दिरा साहनी बनाम युनियन ऑफ इण्डिया में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह आदेश दिया गया है कि 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए और अति विशेष परिस्थिति में ही 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण दिया जा सकता है । इस संबंध में विशेष परिस्थिति की विवेचना निम्न प्रकार से की गयी है:-

"While 50% shall be the rule, it is necessary not to put out of consideration certain extra-ordinary situations inherent in the great diversity of this country and the people. It might happen that in far flung and remote areas the population inhabitating those area might,on account of their being out of the main stream of national life and in view of conditions peculiar to and characteristical to them, need to be treated in a different way, some relaxation in this strict rule may become imperative. In doing so, extreme caution is to be exercised and a special case made out."

5- बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के लागू होने के फलस्वरूप दिनांक 15.11.2000 को झारखंड राज्य सृजित हुआ और राज्य सरकार के समक्ष सरकारी पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण तय किये जाने का नीतिगत मामला आया । सम्यक् रूप से विचारोपरांत, राज्य सरकार का यह निर्णय हुआ कि "बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991" को बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 85 के उपबंधों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आवश्यक संशोधनों के साथ अंगीकृत किया जाए ।

6- राज्य सरकार को यह जानकारी भी प्राप्त हुई है कि उड़ीसा राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों को उनकी सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन को ध्यान में रखकर कुल 71 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है । झारखंड राज्य में भी कमोबेश वही स्थिति है । झारखंड राज्य में 1991 की भारत की जनगणना के अधार पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः 27.67 एवं 11.85 है । भारत की जनगणना जो केन्द्र सरकार का विषय है, में अन्य पिछड़े वर्गों की जनगणना नहीं की जाती है, परन्तु तत्कालीन बिहार सरकार द्वारा बिहार पंचायत (पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों एवं नागरिकों की संख्या का अभिनिश्चय एवं प्रकाशन) नियमावली, 1993 के नियम 10 के अन्तर्गत पिछड़े वर्गों की जिलावार संकलित संख्या संबंधी अधिसूचना 1 सितम्बर, 1994 को जारी की गयी थी जिसके अनुसार झारखंड राज्य में अन्य पिछड़ी जातियों की जनसंख्या का प्रतिशत लगभग 32.25 है । अतः इस राज्य में भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4) में आच्छादित कोटियों की जनसंख्या कुल जनसंख्या का लगभग 72 प्रतिशत है ।

7- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों को सरकारी सेवाओं में देय आरक्षण प्रतिशत निर्धारित करने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा एक मंत्रिमंडलीय उपसमिति गठित करने का निर्णय लिया गया । तदनुसार, श्री अर्जुन मुंडा, मंत्री कल्याण, की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडलीय उपसमिति का गठन किया गया जिसने सभी पहलुओं की सम्यक् जांचोपरांत एक प्रतिवेदन समर्पित किया है ।

8- उपरोक्त आरक्षण विषयक मंत्रिमंडलीय उपसमिति ने झारखंड राज्य के अन्तर्गत विभिन्न कोटियों, अर्थात्, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों की जनसंख्या की स्थिति, उनके सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ापन की स्थिति एवं अन्य विद्यमान कठिनाइयों, संविधान के संगत प्रावधानों और अन्य राज्यों में सेवाओं में आरक्षण के प्रतिशत के आँकड़ों की सम्यक् जांच एवं विश्लेषण के उपरांत यह पाया है कि नवसृजित झारखंड राज्य में आरक्षण की सीमा को 50 प्रतिशत तक ही सीमित रखने से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े उम्मीदवारों को सरकारी पदों एवं सेवाओं में

सम्यक् प्रतिनिधित्व नहीं दिलाया जा सकेगा । अतएव झारखंड राज्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इन्दिरा साहनी बनाम भारत संघ एवं अन्य में दिये गये न्यायादेश के आलोक में वे विशेष परिस्थितियाँ बनती है जिनके आधार पर आरक्षण की कुल सीमा को 50 प्रतिशत से अधिक रखे जाने की आवश्यकता है और इसी के आलोक में मंत्रिमंडलीय उपसमिति ने कुल आरक्षण की सीमा 71 प्रतिशत रखने की अनुशंसा की है ।

9- उक्त समिति द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुँचने के पूर्व निम्नलिखित तथ्यों की विवेचना अपने प्रतिवेदन में किया गया है :-

(क) वर्ष 1941 के बाद प्रत्येक जनगणना के अनुसार वर्त्तमान झारखंड राज्य के क्षेत्रान्तर्गत अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के प्रतिशत में उत्तरोत्तर ह्रास हुआ है । 1941 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 38.6 प्रतिशत थी, परन्तु वह कमशः 1951 में 36.03 प्रतिशत, 1961 में 33.93 प्रतिशत, 1971 में 32.12 प्रतिशत, 1981 में 30.26 प्रतिशत एवं अंत में 1991 में घटकर 27.67 प्रतिशत रह गई । अनुसूचित जाति की जनसंख्या जो 1971 में 9.93 थी वह बढ़कर 1981 में 11.68 प्रतिशत एवं 1991 में 11.85 प्रतिशत हो गयी ।

(ख) संविधान के अनुच्छेद 330 के अनुसार भारत के लोकसभा एवं विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए सीटों का जो आरक्षण किया गया है उसमें 1971 की जनगणना पर आधारित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनगणना की ही मान्यता रखी गयी है ।

वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर झारखंड राज्य के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या 32.12 प्रतिशत थी तब अनुसूचित जाति की जनसंख्या 9.93 प्रतिशत थी ।

(ग) भारतीय संविधान की पाँचवी अनुसूची (अनुच्छेद 244) के अन्तर्गत झारखंड राज्य का 50 प्रतिशत से अधिक भौगोलिक क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र घोषित है । अतः भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजातियों को विशेष सुरक्षा प्रदान करने की मंशा स्पष्ट है और इस परिस्थिति में जब प्रत्येक जनगणना के बाद विभिन्न कारणों, यथा, - जन्म दर, मृत्यु दर, इन-माइग्रेशन, आऊट माइग्रेशन, से इस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के प्रतिशत में उत्तरोत्तर ह्रास हो रहा है तो उनको संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए विशेष कोटि मानकर, उन्हें सेवा में अतिरिक्त आरक्षण देने का पूर्ण औचित्य बनता है ।

(घ)- भारतीय संविधान के प्रारम्भ से ही प्राप्त आरक्षण के लाभ के बावजूद अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन में विशेष कमी नहीं आई है ।

(च)- देश के विभिन्न राज्यों में भी बिना अपवाद के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को उनके जनसंख्या के अनुपात से कम आरक्षण की

सुविधा नहीं दी गयी है, यथा - आन्ध्र प्रदेश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत 15.93 एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत 6.31 है जबकि सेवा में उन्हें कमशः 15 प्रतिशत एवं 6 प्रतिशत का लाभ दिया गया है, केरल में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत 9.92 एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत 1.10 है जबकि दोनों ही कोटि को मिला कर सेवा में 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया गया है, तामिलनाडू में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत 19.18 एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत 1.03 है जबकि सेवा में उन्हें कमशः 18 प्रतिशत एवं 1 प्रतिशत का लाभ दिया गया है, पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत 23.62 एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत 5.59 है जबकि सेवा में उन्हें कमशः 22 प्रतिशत एवं 6 प्रतिशत का लाभ दिया गया है, उड़ीसा में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत 16.20 एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत 22.21 है जबकि सेवा में उन्हें कमशः 16 प्रतिशत एवं 23 प्रतिशत का लाभ दिया गया है ।

(छ)- झारखंड राज्य में आरक्षण की सीमा कुल 50 प्रतिशत तक सीमित रखना इसलिए भी उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों की जनसंख्या को मिला देने से लगभग 71 प्रतिशत हो जाती है और इन सभी वर्गों में आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़ापन व्याप्त है ।

(ज)- सामान्य रूप से कुल आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए । तामिलनाडु में विभिन्न पिछड़े वर्गों को 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण देकर उसकी सीमा 69 प्रतिशत तक की हो गयी है और उसे संवैधानिक सुरक्षा प्राप्त है । इस पृष्ठभूमि में उप समिति ने यह भी अनुशंसा की है कि झारखंड राज्य में न केवल 71 प्रतिशत कुल आरक्षण दिया जाए बल्कि भारत सरकार से यह अनुरोध भी किया जाए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण देने की जो अनुशंसा झारखंड राज्य में अंगीकृत होने वाले इस अधिनियम के द्वारा की जा रही है, उसको तामिलनाडु की तरह संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कर, भारत सरकार उसे संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करे ।

10- आरक्षण विषयक मंत्रिमंडलीय उपसमिति के प्रतिवेदन में निहित अनुशंसाओं पर आधारित प्रस्ताव सरकार के विचारार्थ रखा गया ।सम्यक् रूप से विचारोपरांत्, राज्य सरकार द्वारा बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991 को आवश्यक संशोधनों के साथ अंगीकृत करने का निर्णय लिया गया ।

11- यह भी निर्णय लिया गया कि मंत्रिमंडलीय उपसमिति द्वारा प्रस्तावित कुल 71 प्रतिशत आरक्षण के स्थान पर राज्य के पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में कुल 73 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए जिससे कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, दोनों ही, कोटियों को उनकी जनसंख्या के प्रतिशत से अधिक आरक्षण का लाभ समानुपातिक रूप से प्राप्त हो सके । तदनुसार, कुल आरक्षण प्रतिशत को विभिन्न कोटियों में निम्नलिखित रूप से विनियमित करने का निर्णय लिया गया:-

(क) खुली गुणागुण कोटि से :-	27 प्रतिशत
(ख) आरक्षण कोटि से :-	73 प्रतिशत

12- आरक्षित कोटि की जो 73 प्रतिशत रिक्तियाँ है उनको आरक्षित कोटि के उम्मीदवारों की विभिन्न कोटियों के लिए निम्नलिखित रूप से विभाजित किया जाए:-

(क) अनुसूचित जाति :-	14 प्रतिशत
(ख) अनुसूचित जनजाति :-	32 प्रतिशत
(ग) अत्यंत पिछड़ा वर्ग :-	18 प्रतिशत
(घ) पिछड़ा वर्ग :-	9 प्रतिशत
कुल :-	73 प्रतिशत

13- उपर्युक्त प्रकार से निर्धारित आरक्षण प्रतिशत के अन्तर्गत ही निम्न प्रकार से क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की जायेगी:-

(i) शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए :-	
(क) अंधापन अथवा कम दृष्टि :-	1 प्रतिशत
(ख) बहरापन:-	1 प्रतिशत
(ग) लोकोमोटिव विकलांगता अथवा सेरिब्रल पाल्सी:-	1 प्रतिशत
कुल :-	3 प्रतिशत
(ii) महिलाओं के लिए:-	5 प्रतिशत ।

14- यह भी निर्णय लिया गया कि इस अंगीकृत अधिनियम को संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित करने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया जाए ।

आदेश:- (1) आदेश दिया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा लिए गये निर्णय के आलोक में बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991 को यथा राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित आवश्यक संशोधनों के साथ, अंगीकृत करने संबंधी अधिसूचना निर्गत की जाए ।

(2) आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति झारखंड राजपत्र में जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जाए तथा इसकी प्रति महालेखाकार,झारखंड एवं

बिहार/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जाए ।

झारखंड ,राज्यपाल के आदेश से,

3.10.2001

(एस0 के0 चौधरी)
सरकार के सचिव ।

ज्ञाप संख्या-5/आ0-03/2001का0- 3464 / रांची,दिनांक 03 अक्टूबर, 2001 ।

प्रतिलिपि- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची को गजट के असाधरण अंक में प्रकाशित कराने हेतु प्रेषित । उनसे अनुरोध है कि गजट की 200 प्रतियाँ कार्मिक,प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग,झारखंड,रांची को भेजें ।

3.10.2001

सरकार के सचिव ।

ज्ञाप संख्या-5/आ0-03/2001का0- 3464/ रांची, 03 अक्टूबर, 2001 ।

प्रतिलिपि- राज्यपाल सचिवालय/मुख्य मंत्री सचिवालय/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/मुख्य सचिव के सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों/सभी राज्य पब्लिक अन्डरटेकिंग/परिषदों/निगमों/निकायों/विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/विद्यालयों को इस संकल्प से अवगत करायें ।

3.10.2001

सरकार के सचिव ।

ज्ञाप संख्या-5/आ0-03/2001का0- 3464/ रांची,दिनांक 03 अक्टूबर, 2001 ।

प्रतिलिपि- महानिबन्धक उच्च न्यायालय, झारखंड,रांची/सचिव, विधान सभा सचिवालय/झारखंड लोक सेवा आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

3.10.2001

(एस0 के0 चौधरी)
सरकार के सचिव ।

खण्ड–2

(भाग–'क')

अध्याय–2

(नियोजन एवं शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की सुविधा)

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

विषय :– राज्य स्तरीय विनिर्दिष्ट शिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु आरक्षण का प्रावधान।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(4) की पृष्ठभूमि में राज्य सरकार ने सीधी नियुक्तियों में निहित आरक्षण अनुपात को सरकारी/अर्द्धसरकारी व्यावसायिक/तकनीकी एवं सदृश शिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु आरक्षण प्रतिशत निर्धारित करने का निश्चय किया है ताकि समाज के कमजोर वर्गों को पर्याप्त संख्या में शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु सुविधा प्राप्त हो सके और जिसके फलस्वरूप राज्य सरकार के अंतर्गत व्यावसायिक/तकनीकी एवं सदृश प्रशिक्षण से संबंधित नौकरियों में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व सम्भव हो सके।

2. इस सम्बन्ध में झारखण्ड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के द्वारा संकल्प सं0–5800, दिनांक–10.10.2002 निर्गत किया गया है, जिसके द्वारा राज्य सरकार के अधीन कार्यरत विनिर्दिष्ट व्यावसायिक/तकनीकी एवं सदृश शिक्षण संस्थानों में उपलब्ध सीटों के विरूद्ध नामांकन में अनुसूचित जाति हेतु 10 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति हेतु 26 प्रतिशत तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (अत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग को एक समेकित कोटि मानकर) हेतु 14 प्रतिशत कुल 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

3. भारत का संविधान के 103वें संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग, जो संविधान की धारा 15(4) एवं 15(5) से आच्छादित न हों, के लिए राज्य सरकार को सरकारी/अर्द्धसरकारी व्यावसायिक/तकनीकी एवं सदृश शिक्षण संस्थानों (अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को छोड़कर) के नामांकन में कुल सीटों का अधिकतम 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान प्रदत्त करने की शक्ति प्रदान की गयी है, जो वर्तमान में लागू आरक्षण के अतिरिक्त होगा।

4. "आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग" से अभिप्रेत है; राज्य सरकार द्वारा पारिवारिक आय एवं आर्थिक प्रतिकूलता के अन्य संकेतकों के आधार पर समय–समय पर यथा अधिसूचित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यन्त पिछड़ा

वर्ग (अनुसूची 1)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 2) को छोडकर अन्य वर्गों के आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग।

5. राज्य सरकार ने संविधान के उक्त संशोधन के आलोक में राज्य स्तरीय सरकारी/अर्द्धसरकारी व्यावसायिक/तकनीकी एवं सदृश शिक्षण संस्थानों (अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को छोड़कर) में नामांकन में आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग हेतु 10 प्रतिशत आरक्षण निर्धारित करने का निर्णय लिया है।

6. अतएव पूर्व में निर्गत संकल्प सं0–5800, दिनांक–10.10.2002 को संशोधित करते हुए अब राज्य सरकार के अधीन कार्यरत सरकारी/अर्द्धसरकारी व्यावसायिक/तकनीकी एवं सदृश शिक्षण संस्थानों (अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को छोड़कर) में उपलब्ध सीटों के विरूद्ध नामांकन निम्नलिखित रूप से विनियमित किया जा सकेगा; यथा :–

(क)	खुली गुणागुण (मेरिट) कोटि से	–	40 प्रतिशत
(ख)	आरक्षित कोटि से	–	60 प्रतिशत

(2) आरक्षित कोटि की 60 प्रतिशत में से आरक्षित उम्मीदवारों की विभिन्न कोटियों की रिक्तियाँ निम्न रूपेण होंगी :–

(क)	अनुसूचित जाति	–	10 प्रतिशत
(ख)	अनुसूचित जनजाति	–	26 प्रतिशत
(ग)	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 1)	–	08 प्रतिशत
(घ)	पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 2)	–	06 प्रतिशत
(ङ)	आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग (उपर्युक्त कंडिका (क), (ख), (ग) एवं (घ) में अंकित वर्गों को छोड़कर)–		10 प्रतिशत
		कुल	60 प्रतिशत

7. **नामांकन में आरक्षण का विनियमन:–**

(1) राज्य से बाहर के अभ्यर्थियो के लिए संबंधित शैक्षणिक संस्थान द्वारा अनुमान्य आरक्षण प्रतिशत एवं उनके द्वारा समय–समय पर संशोधन आरक्षण प्रतिशत के अतिरिक्त अन्य कोई आरक्षण देय नहीं होगा।

(2) यदि नामांकन हेतु किसी आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो, तो उस वर्ग के लिए आरक्षित सीटों को निम्नांकित रूप से विनियमित किया जायेगा :–

(क) यदि अनुसूचित जाति के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो तो अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार का नामांकन किया जायेगा और यदि अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो तो अनुसूचित जाति के उम्मीदवार का नामांकन किया जायेगा।

(ख) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति दोनों ही कोटि के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उन सीटों को निम्नलिखित अधिमानता क्रम से भरा जायेगा :–

(i) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों से।

(ii) पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों से।

(ग) यदि इसके बाद भी सीटें बची रह जाती हैं तो उन्हें सामान्य कोटि के उम्मीदवारों से भरा जायेगा।

(3) यदि आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के पर्याप्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो तो उन सीटों को सामान्य कोटि के उम्मीदवारों से भरा जायेगा।

8. आरक्षित कोटि के उम्मीदवार की गणना, जो अपने गुणागुण के आधार पर चुने जाते हैं, खुली गुणागुण कोटि की 40 प्रतिशत रिक्तियों के विरुद्ध की जायेगी, न कि आरक्षित कोटि के रिक्तियों के विरुद्ध।

9. इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत सभी संकल्प इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति झारखण्ड राजपत्र में जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(के0 के0 खण्डेलवाल)
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक–14 / आ0नी0–04–02 / 2019 का०– 1434 / रांची, दिनांक 15/2/19
प्रतिलिपि :– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक–14/आ0नी0–04–02/2019 का०– 1434 /रांची, दिनांक 15/2/19

प्रतिलिपि :– महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, राँची/सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची/महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/मुख्य सचिव के सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/निःशक्तता आयुक्त, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों/राज्य के सभी लोक उपक्रमों/निगमों/ निकायों/परिषदों/विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/विद्यालयों को इस निर्णय से अवगत कराने की कृपा की जाय।

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक–14/आ0नी0–04–02/2019 का०– 1434 /रांची, दिनांक 15/2/19

प्रतिलिपि :– सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची / सचिव, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग। 7636, 12/10/18

संकल्प

विषय :— **दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत सरकारी सेवाओं में सीधी नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा का निर्धारण।**

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के विभाग की अधिसूचना सं0—609, दिनांक—25.01.2016 द्वारा राज्य सरकार के अधीन दिव्यांग जनों के लिए विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा में कोटिवार पाँच (5) वर्षों की छूट प्रदान की गयी है। भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन सं0—36035/3/2004—Estt(Res), दिनांक—29.12.2005 में भी दिव्यांग जनों के लिए अधिकतम आयु सीमा में दस (10) वर्षों की छूट प्रदान की गयी थी। उक्त परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार के अधीन दिव्यांग जन के संबंध में अधिकतम आयु सीमा में दी गयी छूट में वृद्धि करने का मामला विचाराधीन था।

2. दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 34 (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार दिव्यांग जनों के लिए विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा में कोटिवार 10 (दस) वर्षों की छूट निम्नवत् प्रदान करती है :—

क्रम सं0	कोटि	सामान्य अधिकतम आयु सीमा	दिव्यांग जनों के लिए
1.	अनारक्षित	35 वर्ष	45 वर्ष
2.	पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	37 वर्ष	47 वर्ष
3.	महिला (अनारक्षित/पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग)	38 वर्ष	48 वर्ष
4.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला)	40 वर्ष	50 वर्ष

3. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में विभागीय संकल्प सं0—609, दिनांक—25.01.2016 के सुसंगत अंश इस हद तक संशोधित माना जायेगा।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति झारखण्ड राजपत्र में जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

12/10/18

(के0 के0 खण्डेलवाल)
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

F:\chandan\Adhisuchna.docx

ज्ञापाक–14/आ0नी0–04–05/2016 का०– 7636 /रांची, दिनांक 12/10/18

प्रतिलिपि :– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक–14/आ0नी0–04–05/2016 का०– 7636 /रांची, दिनांक 12/10/18

प्रतिलिपि :– महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, राँची/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/मुख्य सचिव के सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/निःशक्तता आयुक्त, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों/राज्य के सभी लोक उपक्रमों/निगमों/ निकायों/परिषदों/विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/विद्यालयों को इस निर्णय से अवगत कराने की कृपा की जाय।

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक–14/आ0नी0–04–05/2016 का०– 7636 /रांची, दिनांक 12/10/18

प्रतिलिपि :– सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची / सचिव, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग
संकल्प

विषय :— **निःशक्त व्यक्ति (दिव्यांग—जन) अधिकार अधिनियम, 2016 (वर्ष 2016 का संख्यांक—49) के तहत झारखण्ड सरकार के अधीन पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में एवं विनिर्दिष्ट शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन के लिए निःशक्त जनों का आरक्षण।**

निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार सुरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम—1995 (वर्ष—1996 का सख्यांक—1)(केन्द्रीय अधिनियम) की धारा 32 एवं 33 में अंकित प्रावधानों के सम्यक् कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा संकल्प सं0—5671, दिनांक—04.07.2016 निर्गत है, जिसके द्वारा निःशक्तता के विभिन्न प्रवर्गों के लिए अधोलिखित परिमाण में आरक्षण की व्यवस्था की गयी थी, जिसका विनियमन क्षैतिज रूप से किया जाना था।

निःशक्तता का प्रवर्ग	आरक्षण प्रतिशत
(क) अंधापन / कम दृष्टि	— 1 प्रतिशत
(ख) बहरापन / श्रवण अशक्तता	— 1 प्रतिशत
(ग) शारीरिक अशक्तता / सेरेब्रल पाल्सी	— 1 प्रतिशत

निःशक्त व्यक्ति (दिव्यांग—जन) अधिकार अधिनियम, 2016 (वर्ष 2016 का संख्यांक—49) पारित हो जाने के बाद दिव्यांग व्यक्तियों के नियोजन एवं शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश सम्बन्धी आरक्षण की व्यवस्था की समीक्षा किया जाना आवश्यक हो गया है। निःशक्त (दिव्यांग—जन) व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 (वर्ष 2016 का संख्यांक—49) की धारा 32 एवं 33 में नियोजन तथा शैक्षणिक संस्थानो में प्रवेश से सम्बन्धित प्रावधान संक्षेप में निम्नवत है :—

I. अधिनियम की धारा 32(1) के अनुसार उच्च शिक्षा के सभी सरकारी संस्थानो एवं सरकारी सहायता प्राप्त सभी उच्च शैक्षणिक संस्थानों को विनिर्दिष्ट निःशक्तता (बेंच मार्क निःशक्तता, 40 प्रतिशत से कम नहीं) से ग्रसित व्यक्तियों के लिए 5 प्रतिशत सीट आरक्षित किया जाना है।

II. उक्त अधिनियम की धारा 32(2) के अनुसार विनिर्दिष्ट निःशक्तता (बेंच मार्क निःशक्तता, 40 प्रतिशत से कम नहीं) से ग्रसित व्यक्तियों के लिए संस्थान में प्रवेश की अधिकतम आयु में 5 वर्षों की छूट दी जानी है।

III. अधिनियम की धारा 33(i) के अनुसार सभी स्थापनाओं में विनिर्दिष्ट निःशक्तता (बेंच मार्क निःशक्तता, 40 प्रतिशत से कम नहीं) से ग्रसित व्यक्ति द्वारा भरे जाने वाले पदों की पहचान किया जाना है। अधिनियम की धारा 33(ii) पदों की पहचान के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाना है और उप धारा (iii) के अनुसार इस प्रकार पहचान किये गये पदों की एक निश्चित समयावधि (3 वर्षों से अनाधिक) में समीक्षा की जानी है।

IV. कार्मिक प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन सं0—36035/02/2017-Estt(Res), दिनांक—15.01.2018 के आलोक में राज्य सरकार

को समाधान हो गया है कि निःशक्त व्यक्ति (दिव्यांग–जन) अधिकार अधिनियम, 2016 (वर्ष 2016 का संख्यांक–49) के विभिन्न प्रावधान का कार्यान्वयन अब निम्न प्रकार किया जाएगा :–

1. **निःशक्त व्यक्ति (दिव्यांग–जन) अधिकार अधिनियम, 2016 (वर्ष 2016 का संख्यांक–49) की धारा 34 के अनुसार निःशक्तता के निम्न पाँच प्रकार के हैं :–**

(क) अंधापन और कम दृष्टि

(ख) बहरापन एवं श्रवण निःशक्तता

(ग) चलन निःशक्तता जिसमें सम्मिलित है सेरेब्रल पॉल्सी, कुष्ट रोग मुक्त, बौनापन, आमलीय आक्रांत से पीड़ित, मांसपेशीय दूर्विकास (Muscular Dystrophy)

(घ) स्वलीनता (Autism), बौद्विक निःशक्तता, सीखने की विशेष अक्षमता एवं मानसिक रोगी, और, या

(ङ) बहु निःशक्तता (Multiple disablities) जो (क) से (घ) में अंकित निःशक्तता/निःशक्तताओं के मिलने से बनी स्थिति यथा अंधापन एवं बहरापन, अंधापन एवं बहरापन के साथ–साथ चलन निःशक्तता।

2. **प्रभाव एवं विस्तार :–**

दिव्यांग जन आरक्षण की निम्न व्यवस्था संकल्प के जारी होने की तिथि से लागू समझी जाएगी।

3. आरक्षण की मात्रा :–

(क) शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए :–

निःशक्त व्यक्ति (दिव्यांग–जन) अधिकार अधिनियम, 2016 (वर्ष 2016 का संख्यांक–49) की धारा 32(1) के तहत उच्च शिक्षा के सभी सरकारी संस्थानो एवं सरकारी सहायता प्राप्त सभी उच्च शैक्षणिक संस्थानों द्वारा संचालित पाठ्यचर्या में दिव्यांग–जनों के लिए निम्न प्रकार 5 प्रतिशत सीट आरक्षित किया जायेगा :–

	निःशक्तता का प्रवर्ग	आरक्षण प्रतिशत
(क)	अंधापन और कम दृष्टि	1
(ख)	बहरापन एवं श्रवण निःशक्तता	1
(ग)	चलन निःशक्तता जिसमें सम्मिलित है सेरेब्रल पॉल्सी, कुष्ट रोग मुक्त, बौनापन, आमलीय आक्रांत से पीड़ित, मांसपेशीय दूर्विकास (Muscular Dystrophy)	1
(घ)	स्वलीनता (Autism), बौद्विक निःशक्तता, सीखने की विशेष अक्षमता एवं मानसिक रोगी	1
(ड़)	बहु निःशक्तता (Multiple disablities) जो (क) से (घ) के बीच में निःशक्तता के विभिन्न से स्थितियों के मिलने से हो, यह स्थिति अंधापन एवं बहरापन के मिलने से आ सकता है	1

उक्त अधिनियम की धारा 32(2) के अनुसार विनिर्दिष्ट निःशक्तता (बेंच मार्क निःशक्तता, 40 प्रतिशत से कम नहीं) से ग्रसित व्यक्तियों के लिए संस्थान में प्रवेश की अधिकतम आयु में 5 वर्षों की छूट दिये जाने की व्यवस्था की जानी है।

(ख) सरकारी सेवाओं के नियोजन के मामले में :–

निःशक्त व्यक्ति (दिव्यांगजन) अधिकार अधिनियम, 2016 (वर्ष 2016 का संख्यांक–49) की धारा–34(i) के तहत राज्य की सभी स्थापनाओं में नियुक्ति के मामले में संवर्ग बल के अधीन रिक्त पदों की कुल संख्या का 4 प्रतिशत पद दिव्यांग–जनों के लिए निम्नांकित रूप में आरक्षित किया जायेगा :–

	निःशक्तता का प्रवर्ग	आरक्षण प्रतिशत
(क)	अंधापन और कम दृष्टि	1
(ख)	बहरापन एवं श्रवण निःशक्तता	1
(ग)	चलन निःशक्तता जिसमें सम्मिलित है सेरेब्रल पॉल्सी, कुष्ट रोग मुक्त, बौनापन, आमलीय आक्रांत से पीड़ित, मांसपेशीय दूर्विकास (Muscular dystrophy)	1
(घ)	स्वलीनता (Autism), बौद्धिक निःशक्तता, सीखने की विशेष अक्षमता एवं मानसिक रोगी , और, या	1
(ड़)	बहु निःशक्तता (Multiple disablities) जो (क) से (घ) के बीच में निःशक्तता के विभिन्न से स्थितियों के मिलने से हो, यह स्थिति अंधापन एवं बहरापन के मिलने से आ सकता है	

4. दिव्यांगता प्रमाण पत्र :–

निःशक्त व्यक्ति (दिव्यांग जन) अधिकार अधिनियम–2016 के अधीन आरक्षण का दावा सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र समर्पित करने पर उपलब्ध होगा। आरक्षित सीट के विरूद्ध चयनित होने पर सक्षम प्राधिकार द्वारा विहित रीति से सत्यापन/पुनर्सत्यापन कराया जा सकता है।

5. शिक्षण संस्थानों में नामांकन या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु आरक्षित पदों की संख्या का परिकलन :–

5.(क) शिक्षण संस्थानों में नामांकन :– प्रत्येक संस्थान में विषयवार नामांकन के लिए उपलब्ध सीटों की संख्या के आधार पर दिव्यांगता से ग्रसित छात्रों के लिए उपर्युक्त कंडिका 3(क) के अनुसार आरक्षण उपलब्ध होगा।

यदि कोई संस्थान, किसी विषय में सभी प्रकार की निःशक्तता या दिव्यांगता या किसी विशेष प्रकार की निःशक्तता या दिव्यांगता से ग्रसित छात्रों का नामांकन, शिक्षा के योग्य नहीं पाये तो वह संस्थान, दिव्यांग आरक्षण से मुक्त रखने के लिए महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग को पूर्ण औचित्य के साथ प्रस्ताव भेजेगा, जो राज्य निःशक्तता आयुक्त से समुचित परामर्श प्राप्त कर समुचित निर्णय अधिसूचित करेगा।

5.(ख)(i) ग्रुप 'ग' (Group C) के पदों के लिए किसी भी स्थापना के सम्पूर्ण संवर्ग बल को आधार बनाकर बेंचमार्क दिव्यांगता से ग्रसित व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों की संख्या परिकलित की

जाएगी, जबकि नियुक्ति उन्हीं पदों के विरूद्ध होगी जो दिव्यांग व्यक्ति के नियुक्ति के योग्य पाये जाएं, जिसकी पहचान विभाग द्वारा की गयी हो।

तात्पर्य यह है कि दिव्यांग जनों के लिए आरक्षित पदों की संख्या नियोजन के लिए विज्ञापित कुल रिक्ति के अनुसार होगी, जबकि नियुक्ति केवल उन्हीं पदों के विरूद्ध होगी, जो पद बेंचमार्क दिव्यांगता ग्रसित व्यक्तियों के नियुक्ति के योग्य पहचाने गये हों। इस प्रकार यह संभव है कि चूँकि बेंचमार्क निःशक्तता से ग्रसित व्यक्ति के लिए अचिन्हित/चिन्हित पदों की कुल रिक्त पदों के आधार पर आरक्षण निर्धारित की जाएगी, और नियुक्ति सिर्फ बेंचमार्क निःशक्तता ग्रस्त व्यक्तियों के लिए चिन्हित पदों के विरूद्ध ही किया जा सकेगा, इसलिए निःशक्तता ग्रस्त व्यक्तियों के लिए चिन्हित पदों की रिक्तियों में आरक्षण की मात्रा उपर्युक्त कंडिका 3(ख) में यथानिर्धारित 4 प्रतिशत से अधिक भी हो सकती है।

5.(ख)(ii) ग्रुप 'क' एवं ग्रुप 'ख' के मामले में बेंचमार्क निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण सीधी भर्ती के लिए संवर्गवार उपलब्ध रिक्ति के आधार पर निर्धारित होगा।

सीधी भर्ती के लिए उपलब्ध रिक्ति निःशक्तों के लिए चिन्हित या गैर चिन्हित पदों की कुल संख्या के आधार पर तय होगी।

यदि कोई विभाग, किसी संवर्ग विशेष के पदों या उसके किसी भाग को निःशक्तता ग्रस्त व्यक्तियों के नियोजन के लिए उपयुक्त नहीं पाये तो संबंधित विभाग, पूर्ण औचित्य के साथ महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग को सम्पूर्ण संवर्ग/संवर्ग के किसी भाग को दिव्यांग आरक्षण के प्रभाव से मुक्त रखने का प्रस्ताव प्रेषित करेगा। प्रस्ताव प्राप्त होने पर महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग निःशक्तता आयुक्त से समुचित परामर्श कर समुचित निर्णय अधिसूचित करेगा।

6. <u>आरक्षण रोस्टर का गठन एवं रोस्टर का संधारण</u> :–

6.1 प्रत्येक स्थापना/नियुक्ति प्राधिकार अपने नियंत्रणाधीन संवर्ग के कुल स्वीकृत बल के आधार पर दिव्यांग–जनों के अनुमान्य आरक्षण का निर्धारण 1–100 बिन्दुओं के चक्र में करेंगे। 100 बिन्दुओं के प्रत्येक चक्र में चार ब्लॉक निम्न रूप में रहेंगे :–

ब्लॉक	बिन्दु से बिन्दु तक	निःशक्तता के अनुमान्य प्रवर्ग
1.	1–25	अंधापन या कम दृष्टि/प्रवर्ग–क
2.	26–50	बहरापन या श्रवण निःशक्तता/प्रवर्ग–ख
3.	51–75	चलन निःशक्तता/प्रवर्ग–ग
4.	76–100	स्वलीनता एवं बहु निःशक्तता/प्रवर्ग घ और ङ

6.2 100 बिन्दुओं का चक्र पूरा होने के बाद, सौ बिन्दुओं का अगला चक्र आरम्भ होगा। आरक्षण रोस्टर का प्रपत्र संलग्न है।

6.3 दिव्यांग आरक्षण रोस्टर की बिन्दु सं0 1, 26, 51 एवं 76 क्रमशः उपर्युक्त कंडिका 6.1 के विभिन्न प्रवर्गों के लिए निश्चित (Earmarked) रहेंगे। प्रत्येक स्थापना के विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि क्रमांक 1, 26, 51 एवं 76वां पद संबंधित प्रवर्ग के लिए आरक्षित हों।

6.4 सभी रिक्ति, रोस्टर रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा, चाहे वह बेंचमार्क निःशक्तता के लिए आरक्षित हो या नहीं।

6.5 यदि रोस्टर रजिस्टर का बिन्दु क्रमांक 1, 26, 51 एवं 76 बेंचमार्क निःशक्त व्यक्ति से नहीं भरे जा सके तो बिन्दु 2 से 25, 27 से 50, 52 से 75 एवं 77 से 100 के बीच किसी भी बिन्दु पर चयनित बेंचमार्क निःशक्त व्यक्ति को सांमजित किया जाएगा। अर्थात प्रथम सुयोग्य रिक्त पद पर विभिन्न प्रवर्गों के व्यक्ति को रखा जाएगा।

6.6 यह संभावित है कि रोस्टर बिन्दु 1 से 25 पद सुयोग्य बेंचमार्क निःशक्त व्यक्ति से भरी न जा सके, तो 26 से 50 के लिए या क्रमशः शेष 51 से 75 या 76 से 100 में से भरी जाएगी। अर्थात रिक्तियाँ अगली ब्लॉक के लिए अग्रणित किए जा सकते हैं।

6.7 स्थापना के विभागाध्यक्ष रिक्त पदों की प्रकृति के अनुसार विशिष्ट बेंचमार्क निःशक्त के प्रतिनिधित्व के आधार पर रोस्टर बिन्दुओं में सामंजन करेंगे।

6.8 स्थापना के प्रभारी, रोस्टर क्लियरेंस की संचिका में दिव्यांग जन आरक्षण रोस्टर, विहित प्रपत्र में विहित रीति से तैयार कर क्लियरेंस हेतु प्रस्तुत करेंगे।

7. **सीधी भर्ती में दिव्यांग जन आरक्षण की अदला–बदली एवं आरक्षण का अग्रणयनः–**

7.1 बेंचमार्क निःशक्तता ग्रस्त व्यक्ति की नियुक्ति यदि सुयोग्य उम्मीदवार के अभाव में किसी नियुक्ति वर्ष में नहीं की जा सके, तो, बाद के नियुक्ति वर्ष में आरक्षण का अग्रणयन किया जाएगा। यदि अगले नियुक्ति वर्ष में सुयोग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो, तो, पहले बेंचमार्क निःशक्तता के विभिन्न चार प्रवर्गों के बीच आरक्षण का अदला–बदली किया जाएगा।

7.2 नियुक्ति वर्ष के अगले नियुक्ति वर्ष में यदि सुयोग्य बेंचमार्क निःशक्तता व्यक्ति उपलब्ध नहीं हो, तो, विभागाध्यक्ष के अनुरोध पर निःशक्तता से भिन्न व्यक्तियों से आरक्षित पद भरे जा सकते हैं।

7.3 रिक्तियों की अदला–बदली के प्रस्ताव में महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

7.4 यदि बेंचमार्क निःशक्तता के लिए आरक्षित पद नियुक्ति वर्ष या अगली नियुक्ति वर्ष में नहीं भरे जा सके तो, ऐसे रिक्ति अगली चक्र के लिए बैकलॉग रिक्ति के रूप में अग्रणीत किए जा सकेंगे।

7.5 अगली नियुक्ति वर्ष में बैकलॉग आरक्षित रिक्ति, बेंचमार्क निःशक्तता के संबंधित प्रवर्ग के लिए आरक्षित समझे जायेंगे।

बैकलॉग आरक्षित रिक्ति अगली दो नियुक्ति वर्ष तक अग्रणीत होते रहेंगे। इसके बावजूद अगर सुयोग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो, तो, बेंचमार्क निःशक्त व्यक्ति के लिए आरक्षित रिक्ति व्ययगत (Lapse) माना जाएगा।

7.6 सरकारी स्थापना, रिक्तियों की अदला–बदली तभी कर सकेंगे, जब प्रस्तावित नियुक्ति की प्रक्रिया समाप्त हो गयी हो।

7.7 बैकलॉग रिक्तियों में, जो पहले उत्पन्न हुई है, उसे पहले भरी जाएगी। बाद के बैकलॉग रिक्ति उसके बाद भरी जाएगी।

8. <u>बेंचमार्क निःशक्तता ग्रस्त व्यक्तियों के लिए क्षैतिज आरक्षण</u> :–

8.1 बेंचमार्क निःशक्तता आरक्षण क्षैतिज रूप से आरक्षण रोस्टर में सामंजित होती है। पिछड़ापन के आधार पर दिया जाने वाला आरक्षण वर्गवार होता है यथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग–1 एवं पिछड़ा वर्ग–2। इसे उदग्र आरक्षण भी कहा जाता है। किन्तु बेंचमार्क निःशक्तता समाज के सभी वर्गों में व्याप्त हो सकता है यथा अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग–1 एवं पिछड़ा वर्ग–2, इसलिए चयनित बेंचमार्क निःशक्त जन जिस वर्ग से आते हों, उन्हें उसी वर्ग में रखा जाना है।

यदि किसी पद विशेष के लिए 25 रिक्ति विज्ञापित हो, तो पिछड़ापन के आधार पर रिक्ति की अनुमान्यता निम्न प्रकार होगी :–

रिक्ति	अना0	अ0ज0जा0	अ0जा0	अ0पि0व0	पि0व0
25	13	06	03	02	01

निःशक्त जन अनुमान्य आरक्षण की रिक्ति–01(प्रवर्ग–अंधापन / कम दृष्टि)

तो आरक्षण का समायोजन निम्न प्रकार होगा–

(i) यदि बेंचमार्क निःशक्त (अंधापन / कम दृष्टि) का कोई उम्मीदवार सामान्य मेधा सूची में चयनित हो, तो उसे मेधा द्वारा चयनित माना जाएगा।

अंधापन या कम दृष्टि के लिए आरक्षित रिक्ति, सामान्य मेधा सूची के कट–ऑफ से नीचे मार्क्स वाले अंधापन / कम दृष्टि के लिए बेंचमार्क निःशक्तता ग्रस्त व्यक्ति का चयन किया जाएगा।

(ii) यदि चयनित व्यक्ति अनारक्षित वर्ग से हो, तो सामान्य मेधा सूची में अंतिम एक व्यक्ति को हटाकर निःशक्त व्यक्ति को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(iii) यदि चयनित व्यक्ति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग या पिछड़ा वर्ग का हो, तो संबंधित वर्ग के मेधा सूची में अंतिम व्यक्ति को निःशक्त व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(iv) अगर चयनित व्यक्ति, जिस वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग) का हो, और उसके लिए रिक्ति उपलब्ध नहीं हो, तो संबंधित वर्ग में प्रथम रिक्ति उपलब्ध होने पर सामंजित किया जाएगा।

9. <u>आरक्षण के लिए निःशक्तता की मात्रा</u> :– केवल ऐसे व्यक्ति सेवाओं / पदों में आरक्षण के लिए पात्र होंगे जो, कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता से ग्रस्त हो जो व्यक्ति आरक्षण का लाभ उठाना चाहता हो उसे, अनुबंध–1 में दिए गए प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया निःशक्तता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

10. <u>निःशक्तता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी</u> :– अधिनियम–2016 की धारा 57 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी से प्राप्त निःशक्तता प्रमाण पत्र के आधार पर ही आरक्षण की सुविधा अनुमान्य होगी।

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग उक्त अधिनियम की सुसंगत धारा (धारा 57) के अन्तर्गत क्षेत्रवार प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकृत पदाधिकारी की

सूची जारी करेगा जो आम लोगों के जानकारी के लिए विभागीय वेबसाइट पर प्रमुखता से प्रदर्शित रहेगा।

11. **<u>आयु सीमा में छूट</u>** :– विभिन्न प्रकार के निःशक्तता से ग्रसित व्यक्तियों के नामांकन में आयु सीमा में छूट का निर्धारण उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग द्वारा किया जायेगा, जबकि सेवा में प्रवेश की आयु में छूट का निर्धारण कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा किया जायेगा।

12. **परीक्षा शुल्क एवं आवेदन शुल्क में छूट** :– कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग दिव्यांग–जनों के लिए यथा निर्धारित परीक्षा शुल्क एवं आवेदन शुल्क में छूट देने का उपबंध कर सकती है।

13. **<u>रिक्तियों का संसूचन</u>**:– दिव्यांग–जनों का आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक नियुक्ति पदाधिकारी को निम्नलिखित बातों का विशेष ख्याल रखना होगा :–

    (क) रिक्ति के संसूचन में कुल स्वीकृत बल, कुल रिक्तियाँ, उदग्र आरक्षण यथा अनारक्षित (गैर आरक्षित), अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग–। एवं पिछड़ा वर्ग–।। की कोटिवार रिक्तियों के अतिरिक्त दिव्यांग–जनों के लिए रिक्त पदों पर आधारित अनुमान्य आरक्षण भी संसूचित किया करेंगे।

    (ख) रिक्त पद के लिए निःशक्तता के विभिन्न प्रवर्गों की उपयुक्तता को स्पष्ट किया जाना चाहिए अर्थात यह स्पष्ट करना चाहिए कि इन पदों के विरूद्ध किसी खास प्रवर्ग/विनिर्दिष्ट प्रवर्ग या सभी प्रवर्गों के लिए आरक्षण अनुमान्य है अथवा नहीं।

    (ग) निःशक्तता के लिए न्यूनतम शारीरिक क्षमता का भी स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए।

    (घ) यह भी उल्लेख रहना चाहिए कि विनिर्दिष्ट निःशक्तता (बेंच मार्क निःशक्तता, 40 प्रतिशत से कम नहीं) से ग्रसित व्यक्तियों को दिव्यांग–जन आरक्षण की सुविधा अनुमान्य नहीं होगी।

14. दिव्यांग–जन आरक्षण के लिए संवर्ग के नियुक्ति प्राधिकार, नोडल पदाधिकारी रहेंगे।

15. दिव्यांग–जन आरक्षण के लिए उपर्युक्त प्रावधानों के अनुपालन के लिए नोडल पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे। कार्यान्वयन में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए नियुक्ति प्राधिकार/नोडल पदाधिकारी अधिनियम की धारा–89 के तहत आर्थिक दण्ड के भागी होंगे।

16. जो व्यक्ति धोखाधड़ी से बैंच मार्क निःशक्त को उपलब्ध लाभों को पाने का प्रयास करेगें उनके विरूद्ध अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

02/04/18

(एरा0 के0 जी0 रहाटे)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–14/आ0नी0–04–05/2016 का0 2249 /राँची, दिनांक 3.4.18

प्रतिलिपि–नोडल पदाधिकारी, ई–गजट कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रांची को ई–गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

Mahato 02/04/18

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–14/आ0नी0–04–05/2016 का0 2249 /राँची, दिनांक 3.4.18

प्रतिलिपि–महालेखाकार, झारखण्ड, रांची/सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, रांची/झारखण्ड संयुक्त प्रवेश परीक्षा पर्षद, रांची/सदस्य सचिव, पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, रांची/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, रांची/सचिव,झारखण्ड विधानसभा/सभी विश्वविद्यालय के कुलपति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रत्येक विभाग/विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि उनके अधीनस्थ सभी स्थानीय निकायों/निगमों/लोक सेवा उपक्रमों/पर्षदों को अविलम्ब सूचना करा दें।

Mahato 02/04/18

सरकार के प्रधान सचिव।

अनुबन्ध– 1

87

पत्रांक : 14/आ0नी0 04–05/2015 का0.........1182

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

ए0 के0 सत्यजीत,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सचिव,
झारखण्ड लोक सेवा आयोग,
सर्कुलर रोड,
राँची, झारखण्ड।

राँची, दिनांक........13.12.18.

विषय :– झारखण्ड न्यायिक सेवान्तर्गत सिविल जज (जूनियर डिविजन) के 75 पदों पर नियुक्ति हेतु महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत कोटिवार आरक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–839, दिनांक–06.04.2017 में अपेक्षित परामर्श के बिन्दू पर विद्वान महाधिवक्ता द्वारा निम्नवत परामर्श दिया गया है–

"The reservation policy of the State of Jharkhand for Horizontal reservation for every category in the reservation percentage final under Sub Section (2) Section 4 of the said Act, 2001.

Since as per the aforesaid reservation policy of the State there is no Horizontal reservation to the female of unreserved category is available, female of reserved category would mean and include only the resident of the State because the resident of State are only given the benefits of social reservation.

Further opinion has been sought for concerning applicability of the upper age limit of 38 years prescribed for Women (Female) of Unreserved/BC/OBC (by the Govt resolution dated 25.04.2011, as reviewed by the Govt resolution dated 25.01.2016) to the Women (Female) of other State.

Though the reasons for fixing said relevant upper age limit is the prevalent unemployment in the State in absence of any stipulation in the concerned Govt resolution dated 25.04.2011 Govt

resolution dated 25.01.2016 that the said relevant upper age limit is for Women (female) of the State, the said upper age limit would also be applicable for Woman (female) of other State."

अनुरोध है कि उक्त परामर्श के आलोक में महिलाओं हेतु क्षैतिज आरक्षण के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाय।

विश्वासभाजन

(ए० के० सत्यजीत)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–14/आ0नी0 04–05/2015 का०...1182.../ राँची, दिनांक–...13.12.18

प्रतिलिपि–सचिव, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

E:\chandan\letter 2018.docx

5671
04/07/16

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग
संकल्प

विषय :- निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार सुरक्षण एवं पूर्णभागीदारी) अधिनियम-1995के तहत झारखण्ड सरकार के अधीन पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों एवं शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में निःशक्त जनों के लिए आरक्षण।

निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार सुरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम-1995 (वर्ष-1996-1)(केन्द्रीय अधिनियम) की विभिन्न धाराओं में किए गये प्रावधानों के सम्यक् कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पत्र/संकल्प निर्गत कर आवश्यक अनुदेश सभी विभागों को दिया गया है। यथा पत्रांक-251, दिनांक-15.10.2000, पत्रांक-2289 दिनांक-18.07.2005, संकल्प सं0-7281, दिनांक-07.11.2007 एवं पत्रांक-609, दिनांक-25.01.2016। उक्त अनुदेश मूलतः कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या-36035/3/2004 (इस्ट रेस) दिनांक-29.12.2005 पर आधारित है।

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय द्वारा दिनांक-29.12.2005 के बाद समय-समय पर निर्गत कार्यालय ज्ञापन, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील सं0- 9096/2013, (2013) 10 सुप्रीम कोर्ट केस-772 में दिनांक-08.10.2013 को पारित आदेश तथा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा वाद सं0-डब्लू0पी0(पी0आई0एल0)-7525/2013-अरूण कुमार सिंह बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक-09.03.2016 को पारित आदेश के आलोक में राज्य में निःशक्त जनों को उक्त अधिनियम-1995 के अन्तर्गत आरक्षण से सम्बन्धित विषय में स्पष्ट अनुदेश निर्गत करने की आवश्यकता थी।

राज्य सरकार को विधि विभाग से परामर्श कर यह समाधान हो गया है कि निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार सुरक्षण एवं पूर्णभागीदारी) अधिनियम-1995 के विभिन्न प्रावधानका कार्यान्वयन अब निम्न प्रकार किया जाएगा :-

1. (क) निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार सुरक्षण एवं पूर्णभागीदारी) अधिनियम-1995 की धारा 33 के अन्तर्गत राज्य सरकार के सभी

विभागों/कार्यालयों/लोक उपक्रमों/निगमों/निकायों/बोर्डो के विभिन्न प्रकार के पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में तथा राज्य सम्पोषित सभी शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में कुल-03 प्रतिशत पद निःशक्त जनों के लिए आरक्षित होगा।

(ख) यह आरक्षण क्षैतिज रूप से विनियमित होगा अर्थात् चयनित निःशक्त जन अगर अनारक्षित वर्ग का होगा तो आवश्यक सामंजन के पश्चात् उसे अनारक्षित वर्ग के रूप में तथा अगर किसी आरक्षित वर्ग का होगा तो आवश्यक सामंजन के पश्चात् उसे सम्बद्ध आरक्षित वर्ग के रूप में विनियमित किया जाएगा।

(ग) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्र सं0-12165, दिनांक-31.10.2012 के आलोक में निज-मेधा (own merit) के आधार पर चयनित निःशक्त जनों की गणना, गैर-आरक्षित वर्ग में की जायेगी तथा निःशक्त जनों के लिए आरक्षित पद/सीट के विरूद्ध चयन अलग से किया जाएगा।

(घ) निःशक्त जनों के निम्न तीन प्रवर्गों के लिए रिक्त पद/उपलब्ध सीट का एक-एक प्रतिशत आरक्षित रहेगा।

(क) अंधापन या कम दृष्टि,

(ख) श्रवण अशक्तता

(ग) चलन अशक्तता या सेरेब्रल पाल्सी।

2. (क) उपर्युक्त कंडिका 1(क) के अधीन किसी स्थापना का कोई पद/शैक्षणिक संस्थानों की कोई पाठ्य चर्चा यदि निःशक्त जनों के किसी खास प्रवर्ग या सभी प्रवर्गों के लिए उपयुक्त नहीं माना जाय तो वैसे पदों के सम्पूर्ण कोटि के लिए अनुमान्य निःशक्त जन आरक्षण की प्रतिपूर्ति उन पदों में की जाय जिन पदों के लिए सम्बन्धित निःशक्त जन उपयुक्त समझा जाय।

जिन पदो/पाठ्यचर्चा के लिए निःशक्त जन उपयुक्त नहीं पाये जायँ, उन्हें निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार सुरक्षण एवं पूर्णभागीदारी) अधिनियम-1995 के दायरे से मुक्त रखने के लिए सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकार द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष एक प्रस्ताव लाया

जायेगा और समिति की अनुशंसा प्राप्त कर उसे राजपत्र/वेबसाईट पर अधिसूचना के माध्यम से आम लोगों को संसूचित किया जायेगा। उक्त प्रस्ताव के साथजिन पदों/पाठ्यक्रमों के द्वारा निःशक्त जन आरक्षण की प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव भी रहेगा, जिसे अनुमोदित होने पर अधिसूचना के माध्यम से आम लोगों को सूचित भी किया जायेगा।

(ख) समिति का गठन :-

(I) मुख्य सचिव - अध्यक्ष

(II) सचिव,का0प्र0सु0तथा राजभाषा - सदस्य

(III) सचिव, कल्याण - सदस्य

(IV) निःशक्तता आयुक्त - सदस्य

(V) निदेशक स्वास्थ्य सेवा - सदस्य

(VI) सम्बन्धित सचिव/विभागाध्यक्ष - सदस्य सचिव

3. पदों/पाठ्यक्रमों की पहचान :- सभी विभाग/सभी नियुक्ति प्राधिकारी/शैक्षणिक संस्थानों के प्रधान वैसे पदों/पाठ्यक्रमों की घोषणा करेगा जिनमें निःशक्त जनों को आरक्षण अनुमान्य है। उसी प्रकार सभी विभाग/सभी नियुक्ति प्राधिकारी/शैक्षणिक संस्थाओं के प्रधान उन पदो/पाठ्यक्रमों की सूची घोषित करेंगे, जिनमें निःशक्त जनों के किसी खास वर्ग अथवा सभी वर्गों के लिए आरक्षण देय नहीं है।

4. आरक्षण का निर्धारण

(क) उपर्युक्त कंडिका 1(क) एवं 3 के आलोक में निःशक्त जनों के लिए अनुमान्य आरक्षण का परिकलन कुल संवर्ग बल के आधार पर की जायेगी जबकि इसका कार्यान्वयन विज्ञापित रिक्तियों के अनुसार होगी। अर्थात् यदि कुल संवर्ग बल 200 है, तो निःशक्त जनों के तीनों प्रवर्गों के लिए आरक्षण क्रमशः 2, 2 एवं 2 पद होगा, किन्तु विज्ञापित किये जाने वाले पदों की संख्या यदि 33 या 33से कम हों, तो केवल 01 पद निःशक्त जनों के लिए आरक्षित होगा और

वह पद निःशक्त जन के उस प्रवर्ग को उपलब्ध होगा, जिसका प्रतिनिधित्व उस संवर्ग में सबसे कम/या नहीं हो।

(ख) आरक्षण रोस्टर का गठन एवं रोस्टर का संधारण– प्रत्येक स्थापना/नियुक्ति प्राधिकार अपने नियंत्रणाधीन संवर्ग के कुल स्वीकृत बल के आधार पर निःशक्त जनों के अनुमान्य आरक्षण का निर्धारण 1–100 बिन्दुओं के चक्र में करेंगे। 100 बिन्दुओं के प्रत्येक चक्र में तीन ब्लॉक में निम्न रूप में रहेंगे :–

ब्लॉक	बिन्दु से बिन्दु तक	निःशक्तता के अनुमान्य प्रवर्ग
1.	1–33	अंधापन/कम दृष्टि
2.	34–67	श्रवण अशक्तता
3.	68–100	चलन अशक्तता/सेरेब्रल पाल्सी

(ग) 100 बिन्दुओं का चक्र पूरा होने के बाद, सौ बिन्दुओं का अगला चक्र आरम्भ होगा। आरक्षण रोस्टर का प्रपत्र संलग्न है।

(घ) यदि किसी वर्ष रिक्तियाँ इतनी ही हो कि केवल एक या दो ब्लॉक ही आच्छादित होता हो, तो किसी ब्लॉक में निःशक्तता के लिए आरक्षण किस प्रवर्ग उपलब्ध होगा, इसका निर्धारण किसी संवर्ग में अनुमान्य आरक्षण एवं निःशक्त जनों की उपलब्धता के आधार पर विभागाध्यक्ष द्वारा किया जा सकता है।

(ड.) झारखण्ड राज्य के गठन की तिथि अर्थात 15.11.2000 से प्रत्येक स्थापना में की गई नियुक्ति (समूह क, समूह ख, समूह ग, समूह घ) के लिए नियुक्ति वर्ष वार उपर्युक्त उप कंडिका (ख) के अनुसार निःशक्त जनों के लिए आरक्षण का परिकलन किया जायेगा। जिन नियुक्तियों में निःशक्त जनों का प्रतिनिधित्व हो पाया है उसके बाद बचे हुए आरक्षण की प्रतिपूर्ति आगामी भर्ती वर्षों में किया जाएगा। प्रतिपूर्ति के लिए अधिनियम की धारा–41 के तहत आरक्षित पदों की रिक्ति 5 प्रतिशत तक रखी जा सकती है।

5. सीधी नियुक्ति में निःशक्त जन आरक्षण की अदला-बदली एवं आरक्षण का अग्रणयन :-

(क) निःशक्त जनों के विभिन्न तीन प्रवर्गो का आरक्षण अलग-अलग किया जायेगा।

(ख) यदि निःशक्त जनों के लिए आरक्षित पद सुसंगत कोटि के निःशक्त जनों के योग्य व्यक्ति के अभाव में या अन्य कारणों से भरी नहीं जा सके तो वैसा उपर्युक्त आरक्षण अगली भर्ती के लिए अग्रणीत किये जाएँगे।

(ग) यदि अगले भर्ती वर्ष में भी संगत निःशक्तता से ग्रसित योग्य व्यक्ति उपलब्ध नहीं हो तो अगले भर्ती वर्ष में संबंधित निःशक्तता आरक्षण अन्य प्रवर्गो के बीच विभागाध्यक्ष की अनुमति प्राप्त कर परस्पर अदला-बदली द्वारा भरा जा सकता है।

(घ) केवल तभी जब तीसरे भर्ती वर्ष में भी उपयुक्त कोटिके योग्य उम्मीदवार उपलब्ध न हो, तो वैसा आरक्षण व्यपगत्(Lapse)माना जायेगा।

6. निःशक्ता (निःशक्त जन) की परिभाषा :-

(I) अंधापन :- ''अंधापन'' का अभिप्राय जब किसी व्यक्तिकी दृष्टि की स्थिति निम्नवत हो-

(क) दृष्टि का पूर्ण अभाव, अथवा

(ख) बेहतर आंख में दृष्टि सुधारने वाले लेंसों के साथ दृष्टि विमलता 6/60 अथवा 20/200 (स्नेलैन) से न्यून

अथवा

(ग) दृष्टि क्षेत्र की सीमा जिससे कम से कम 20 डिग्री का कोण व्याप्त हो

अथवा

(घ) कम दृष्टि :- ''कम दृष्टि वाले व्यक्ति'' से वह व्यक्ति अभिप्रेत होता है जिसकी दृष्टि क्रिया उपचार अथवा मानक परावर्तित सुधार करवाने के बावजूद भी दृष्टि की स्थिति सामान्य नहीं हो परन्तु समुचित सहायक यंत्र की सहायता

किसी काम की योजना बनाने अथवा उसे निष्पादित करने में दृष्टि का प्रयोग करता हो अथवा उसका प्रयोग करने में समर्थ हो।

(II) कम सुनाई देने की निःशक्तता :- जिस व्यक्ति में बातचीत स्वरूप की श्रेणी की आवृत्ति 60 डेसिबल से कम हो अथवा उससे अधिक का लोप अभिप्रेत है।

(III) (क) चलने फिरने की निःशक्तता :- "चलने फिरने की निःशक्तता" से हड्डियों, जोड़ो अथवा मांसपेशियों की निःशक्ता अथवा किसी भी तरह का प्रमस्तिष्कीय पक्षघात (फालिज) अभिप्रेत है, जिससे अंगो के हिलने डुलने में अत्यधिक बाधा हो।

(ख) प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (फालिज) :- "प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (फालिज)" से किसी व्यक्ति की गैर विकासोन्मुख स्थितियों का समूह अभिप्रेत है, जो जन्म से पूर्व, जन्म के आसपास अथवा विकास की आंरभिक अवधि में घटित मस्तिष्क आघात अथवा चोटों के परिणाम स्वरूप चलने-फिरने की असामान्य नियंत्रण भंगिता के रूप में परिलक्षित होता है।

(ग) शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के सभी मामले "चलने फिरने की निःशक्तता अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (फालिज)" की श्रेणी के अन्तर्गत आएंगे।

7. आरक्षण के लिए निःशक्तता की मात्रा :- केवल ऐसे व्यक्ति सेवाओं/पदों में आरक्षण के लिए पात्र होंगे जो, कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता से ग्रस्त हो जो व्यक्ति आरक्षण का लाभ उठाना चाहता हो उसे, अनुबंध-1 में दिए गए प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया निःशक्तता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

8. निःशक्तता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी :- निःशक्तता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए, केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा विहित रूप से गठित मेडिकल बोर्ड, सक्षम प्राधिकारी होगा। केन्द्र/राज्य सरकार मेडिकल बोर्ड का गठन कर सकती है, जिसमें कम से कम तीन सदस्य होगें। इन सदस्यों में कम से कम मूल सदस्य, चलने फिरने की निःशक्तता/कम सुनाई देने की निःशक्तता, जैसे भी मामला हों, का मूल्यांकन करने के लिए क्षेत्र विशेष का विशेषज्ञ होना चाहिए।

9. उपयुक्तता मानदण्ड में छूट :- निःशक्त जन के लिए आरक्षित पद भरने की निमित्त यदि निःशक्त जन सामान्य मानदण्डों को पूर्ण नहीं करता हो तो पर्याप्त संख्या की अनुपलब्धता में आरक्षित शेष रिक्तियों को भरने के लिए मानदण्डों में ढील देकर इस श्रेणी के उम्मीदवारों का चयन किया जाए बशर्ते कि वे ऐसे पद अथवा पदों के लिए अनुपयुक्त न हो। इस प्रकार यदि निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित सभी रिक्तियों को मानदण्डों के आधार पर नहीं भरा जा सके तो आरक्षित कोटा में कमी को पूरा करने के लिए इन श्रेणियों के उम्मीदवारों का मानदण्डों को शिथिल कर के चयन कर लिया जाए बशर्ते कि विचाराधीन पद/पदों पर नियुक्ति हेतु कोई उम्मीदवार उपयुक्त पाए जाए।

10. आयुसीमा में छूट :- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा निःशक्त जनों के लिए यथा निर्धारित आयु सीमा में छूट उपलब्ध होगी।

11. परीक्षा शुल्क एवं आवेदन शुल्क में छूट :- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा निःशक्त जनों के लिए यथा निर्धारित परीक्षा शुल्क एवं आवेदन शुल्क में छूट उपलब्ध होगी।

12. रिक्तियों का संसूचनः- निःशक्त जनों का आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक नियुक्ति पदाधिकारी को निम्नलिखित बातों का विशेष ख्याल रखना होगा :-

(क) रिक्ति के संसूचन में कुल स्वीकृत बल, कुल रिक्तियाँ, अनारक्षित (गैर आरक्षित), अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग-। एवं पिछड़ा वर्ग-।। की कोटिवार रिक्तियाँ, रिक्त पदों के विरूद्ध अनुमान्य निःशक्तता के विभिन्न प्रवर्गो के लिए अनुमान्य आरक्षण।

(ख) रिक्त पद के लिए निःशक्तता के विभिन्न प्रवर्गो की उपयुक्तता को स्पष्ट किया जाना चाहिए।

(ग) निःशक्तता के लिए न्यूनतम शारीरिक क्षमता का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए।

(घ) यह भी उल्लेख रहना चाहिए की 40 प्रतिशत से कम अशक्तता से ग्रसित निःशक्त जन को आरक्षण की सुविधा अनुमान्य नहीं होगी।

13. निःशक्त जन आरक्षण के लिए संवर्ग के लिए नियुक्ति प्राधिकार नोडल पदाधिकारी रहेंगे।

14. निःशक्त जन आरक्षण के लिए उपर्युक्त प्रावधानों के अनुपालन के लिए नोडल पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे। कार्यान्वयन में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए नियुक्ति प्राधिकार/नोडल पदाधिकारी के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई चलायी जा सकती है।

15. इस संकल्प के राजकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से पूर्व निर्गत निःशक्त जन आरक्षण से सम्बन्धित सभी अनुदेश/संकल्प एतद् द्वारा अवक्रमित समझे जायेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

4.7.16.

(निधि खरे)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–14/आ0नी0–04–05/2016 का0 5671 /राँची, दिनांक 04/07/16

प्रतिलिपि–नोडल पदाधिकारी, ई–गजट कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रांची को ई–गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

4.7.16.

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–14/आ0नी0–04–05/2016 का0 5671 /राँची, दिनांक 04/07/16

प्रतिलिपि–महालेखाकार, झारखण्ड, रांची/सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग,रांची/झारखण्ड संयुक्त प्रवेश परीक्षा पर्षद, रांची/सदस्य सचिव, पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, रांची/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, रांची/सचिव,झारखण्ड विधानसभा/सभी विश्वविद्यालय के कुलपति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रत्येक विभाग/विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि उनके अधीनस्थ सभी स्थानीय निकायों/निगमों/लोक सेवा उपक्रमों/पर्षदों को अविलम्ब सूचना करा दें।

4.7.16.

सरकार के प्रधान सचिव।

अनुबन्ध- 1

संस्थान/अस्पताल का नाम और पता

प्रमाण पत्र सं. .... तारीख ....

निःशक्तता प्रमाण पत्र

चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा विधिवत प्रमाणित उम्मीदवार का हाल का फोटो जो उम्मीदवार की निःशक्तता दर्शाता हो।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.. सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री .... आयु .... लिंग .... पहचान चिन्ह .... निम्नलिखित श्रेणी की स्थायी निःशक्तता से ग्रस्त –

क. गति विषयक (लोकोमोटर) अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (फॉलिज)

(I) दोनों टांगे (बी एल) – दोनों पैर प्रभावित किन्तु हाथ प्रभावित नहीं

(II) दोनों बाहें (बी एल) – दोनों बाहें प्रभावित (क) दुर्बल पहुँच

(ख) कमजोर पकड़

(III) दोनों टांगे और बांहे (बी एल ए) – दोनों टांगे और दोनों बाहें प्रभावित

(IV) एक टांग (ओ एल) – एक टांग प्रभावित (दायां या बायां)

(क) दुर्बल पहुँच

(ख) कमजोर पकड़

(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

(V) एक बांह (ओ ए) – एक बांह प्रभावित

(क) दुर्बल पहुँच

(ख) कमजोर पकड़

(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

(VI) पीठ और नितम्ब (बी एच) – पीठ और नितम्ब में कड़ापन (बैठ और झुक नहीं सकते)

(VII) कमजोर मांस पेशियां (एम डब्ल्यू) – मांस पेश्यिों में कमजोरी और सीमित शारीरिक सहनशक्ति।

ख. अंधापन अथवा अल्प दृष्टि

(i) बी–अंधापन

(ii) पी बी – आंशिक रूप से अंधता

ग. कम सुनाई देना

(i) डी – बधिर

(ii) पी डी – आंशिक रूप से बधिर

(उस श्रेणी को हटा दें जो लागू न हो)

2. यह स्थिति में प्रगामी है/गैर प्रगामी है/इसमें सुधार होने की संभावना है/सुधार होने की संभावना नहीं है। इस मामले का पुनर्निधारण किए जाने की अनुशंसा नहीं की जाती। .... वर्षो .... महीनों की अवधि के पश्चात् पुनर्निधारण किए जाने की अनुशंसा की जाती है।

3. उनके मामले में निःशक्तता का प्रतिशत .... है।

4. श्री/श्रीमती/कुमारी .... अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन के लिए निम्नलिखित शारीरिक अपेक्षाओं को पूरा करते/करती है :–

(i) एफ– अंगुलियों को चलाकर कार्य कर सकते/सकती है। हाँ/नहीं

(ii) पी पी – धकेलने और खींचने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। हाँ/नहीं

(iii) एल – उठाने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। हाँ/नहीं

(iv) के सी – घुटनों के बल झुकने और दबक कर कार्य कर सकते/सकती हैं। हाँ/नहीं

(v) बी – झुक कर कार्य कर सकते/सकती हैं। हाँ/नहीं

(vi) एस – बैठकर कार्य कर सकते/सकती हैं। हाँ/नहीं

(vii) एस टी – खड़े होकर कार्य कर सकते/सकती हैं। हाँ/नहीं

(viii) डब्ल्यू – चलते हुए कार्य कर सकते/सकती हैं। हाँ/नहीं

(ix) एस ई – देख कर कार्य कर सकते/सकती हैं। हाँ/नहीं

(x) एच – सुनने/बोलने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। हाँ/नहीं

(xi) आर.डब्ल्यू – पढ़ने और लिखने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। हाँ/नहीं

(डॉ ....)	(डॉ ....)	(डॉ ....)
सदस्य	सदस्य	अध्यक्ष
चिकित्सा बोर्ड	चिकित्सा बोर्ड	चिकित्सा बोर्ड

चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्साअधिकारी/
अस्पताल के मुखिया द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित,
(मुहर सहित)

❖ जो लागू न हो काट दें।

निःशक्तता से ग्रसित व्यक्तियों के लिए आरक्षण रोस्टर

अनुबन्ध-।।

भर्ती का वर्ष	साईकिल सं. और पॉइन्ट सं.	पद का नाम	क्या निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए पद उपयुक्त पाया गया			अनारक्षित अथवा आरक्षित	नियुक्त व्यक्ति का नाम और नियुक्ति की तारीख	क्या नियुक्त किया गया व्यक्ति दृ.व./व./शा.वि. अथवा इनमें से कोई नहीं	अभ्युक्तियां यदि कोई हो
			दृ.वि.	व.	शा. वि.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.

*यदि आरक्षित पहचाने गए हो तो लिखें दृ.वि./व./शा.वि. जैसा भी मामला हो, अन्यथा लिखें अनारक्षित।

**लिखें दृ.वि./व./शा.वि. अथवा इनमें से कोई नहीं, जैसा मामला हो।

***दृ.वि./व./शा.वि. का आशय दृष्टि विकलांग, बधिर और शारीरिक विकलांग से है।

पत्रांक : 7/जा0नि0–03–13/2015 का0............../

झारखण्ड सरकार

कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

रतन कुमार,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सचिव,
झारखण्ड लोक सेवा आयोग,
सर्कुलर रोड, राँची।

राँची, दिनांक..................2015

विषय :– नियोजन एवं शिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु आरक्षण की सुविधा।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–2253, दिनांक–18.09.2015 के प्रसंग में संसूचित करना है कि इस विभाग के पत्र संख्या–5682, दिनांक–22.10.2008 एवं 10007 दिनांक–29.08.2012 द्वारा परिचारित जाति प्रमाण पत्र के प्रपत्र–I एवं II क्रमशः अनु0 जाति/अजजा एवं अ0 पि0 वर्ग (I) तथा पिछड़ा वर्ग (II) के जाति प्रमाण पत्र धारकों से निवास/अधिवास विषयक प्रमाण पत्र अपेक्षित नहीं है।

विश्वासभाजन

ह0/–

(रतन कुमार)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–7/जा0नि0–03–13/2015 का0..........9948........../ राँची, दिनांक 20/11/2015

प्रतिलिपिः– सचिव, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड सेवा प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

E:\back up 12.08.2015\Letter.doc

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

विषय : **शिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु आरक्षण का प्रावधान।**

भारत संविधान के अनुच्छेद–16(4) की पृष्ठभूमि में अधिनियमित 'झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001' की धारा–4(6) (क, ख, ग एवं घ) के आलोक में राज्य स्तरीय विनिर्दिष्ट शिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु आरक्षण का प्रावधान संकल्प संख्या–5/आ0–03/2001–5800, दिनांक 10.10.2002 तथा जिला स्तरीय औद्योगिक/तकनीकी संस्थानों में नामांकन हेतु आरक्षण का प्रावधान संकल्प संख्या–7/नीति (आरक्षण)–06/2001 का॰–905, दिनांक 04.02.2002 में निरूपित है जिसकी कंडिका क्रमशः 8 एवं 4 के प्रावधान निम्न प्रकार है :–

"यदि नामांकन हेतु किसी आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो तो उस वर्ग के लिए आरक्षित सीटों को निम्नांकित रूप से विनियमित किया जाएगा:–

(क) यदि अनुसूचित जाति के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो तो अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार का नामांकन किया जायेगा और यदि अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो तो अनुसूचित जाति के उम्मीदवार का नामांकन किया जायेगा।

(ख) यदि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति दोनों ही कोटि के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो तो अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार का नामांकन किया जायेगा।

(ग) यदि इसके बाद सीटें बची रह जाती है तो उन्हें सामान्य कोटि के उम्मीदवारों से भरा जायेगा।"

2. झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) (संशोधन) अधिनियम, 2011 के द्वारा 'झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001' की धारा–4(6) (क, ख, ग एवं घ) के प्रावधान को विलोपित करते हुए नया प्रावधान प्रतिस्थापित किया जा चुका है जिसमें रिक्तियों के विनिमय की व्यवस्था समाप्त हो चुकी है। अतः संकल्प संख्या–5800, दिनांक 10.10.2002 एवं संकल्प संख्या–905 दिनांक 04.02.2002 में अंकित उपर्युक्त प्रावधान अब अप्रासंगिक है।

3. एतदर्थ उपर्युक्त दोनों संकल्पों की सन्दर्भित कंडिका को एतदद्वारा विलोपित किया जाता है।

4. उक्त दोनों संकल्प तदनुसार संशोधित समझा जायेगा। संकल्पों के शेष प्रावधान यथावत् रहेंगे।

5. यह संकल्प तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

आदेश : आदेश है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय और इसकी प्रति महालेखाकार, झारखण्ड, रांची/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

20.9.11

(फिदेलिस टोप्पो)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–7/नीति (आरक्षण)–06/2001 का॰–5886/राँची, दिनांक 21/9/11

प्रतिलिपि–अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि गजट की 200 प्रतियाँ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रांची को भेजे।

20.9.11

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–7/नीति (आरक्षण)–06/2001 का॰–5886/राँची, दिनांक 21/9/11

प्रतिलिपि–राज्यपाल सचिवालय/मुख्यमंत्री सचिवालय/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/मुख्य सचिव के सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों/सभी राज्य पब्लिक अन्डरटेकिंग/परिषदों/निगमों/निकायों/ विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/विद्यालयों को इस संकल्प से अवगत करायें।

20.9.11

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–7/नीति (आरक्षण)–06/2001 का॰–5886/राँची, दिनांक 21/9/11

प्रतिलिपि–महानिबन्धक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची/सचिव, झारखण्ड विधान सभा/झारखण्ड लोक सेवा आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20.9.11

सरकार के संयुक्त सचिव।

पत्रांक–7 / सू0अ0–05–03 / 2011 का॰–5448 /

झारखण्ड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

फिदेलिस टोप्पो,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव / सचिव / सभी विभागाध्यक्ष /
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी उपायुक्त,
झारखण्ड।

राँची, दिनांक 12/9/2011

विषय : नियुक्ति तथा शिक्षण संस्थानों में नामांकन में आरक्षण की सुविधा।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय पर विभागीय पत्र संख्या–3557, दिनांक 18.10.2005 का कृपया निदेश किया जाय जिसके द्वारा गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या–B.C.-16014/1/82-S.C. and B.C.D.-I, दिनांक 22.02.1985 की प्रति संलग्न करते हुए जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु आवश्यक अनुदेश जारी किया गया था। इस क्रम में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार से पत्र संख्या– 27/26/2006-SRS, दिनांक 29 जुलाई, 2008 प्राप्त हुआ है। पत्र में अंकित अनुदेश के अनुसार नियुक्ति तथा शिक्षण संस्थानों में नामांकन में राज्य की अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग को अनुमान्य आरक्षण की सुविधा तभी दी जा सकती है जब उम्मीदवार की जाति राज्य की अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग में वर्गीकृत हो तथा उम्मीदवार राज्य का अधिवासी (Domicile) हो।

अनुरोध है कि नियुक्ति तथा शिक्षण संस्थानों में नामांकन में आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराने के निमित्त तदनुसार कार्रवाई की जाय।

सुलभ प्रसंग हेतु भारत सरकार के उपर्युक्त पत्र की प्रति भी संलग्न है।

विश्वासभाजन,

10.9.11

(फिदेलिस टोप्पो)
सरकार के संयुक्त सचिव।

239

No.27/26/2006-SRS
Ministry of Personnel, P.G. & Pensions
(Department of Personnel & Training.)
Government of India
****

Lok Nayak Bhawan, Khan Market,
New Delhi-110003.
Dated : 28th July, 2008

To

2 n JUL 2008

29 JUL 2008

Sh. N. S. Napalchayal,
Principal Secretary,
Reorganisation,
Government of Uttrakhand,
Dehradun.

Dr. R.C. Srivastava,
Principal Secretary,
Uttar Pradesh State Re-organisation Coordination Department,
Vikas Bhavan,
Janpath, Lucknow,
Uttar Pradesh.

Subject : Consideration of representations of the employees of reservation category where their caste is listed only in one of the successor State regarding.

Sir,

I am directed to say that the reference received from the National Commission for Schedule Tribes on the above mentioned issue has been examined in consultation with the Reservation Division of this Department. The Reservation Division has stated that the benefits of reservation in the matter of appointment to post or admission in educational institutions is available only to State candidates who belong to a caste / community which is categorised as SC / ST / OBC of the State and who are the 'domicile' of the State. It has recommended for allocating such candidates to the successor State where his caste is listed in the schedule, as per his option. A

2. Keeping the advice of the Reservation Division in view, it has been decided to treat the employees, whose caste has been categorized as SC / ST / OBC only in one of the successor States, as special category, and all future allocation of these employees is to be made only to that State where their caste is listed in the schedule of the State or as per their option.

Yours faithfully,

(V. Peddanna)
Deputy Secretary to the Government of India
Tele.Fax:011 2462 3711

Receipt & Issue Section
जारी किया/ISSUED
हस्ताक्षर/Sig. ....

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ।

संकल्प

रॉची, दिनांक-14 दिसम्बर, 2002 ।

विषयः जिला स्तरीय औद्योगिक/ तकनीकी संस्थानों में नामांकन हेतु आरक्षण ।

राज्य सरकार समाज के कमजोर वर्ग के उत्थान एवं उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य से जिला स्तरीय औद्योगिक एवं तकनीकी संस्थानों में नामांकन हेतु जिलावार आरक्षण की व्यवस्था करते हुए संकल्प संख्या- 905 दिनांक-04.02.2002 निर्गत किया है ।

2. माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा विभिन्न जनहित याचिकाओं की सुनवाही के उपरान्त आरक्षण की व्यवस्था 50% सीमा के अन्तर्गत रखने का न्यायदेश दिया गया है ।इस आदेश के अनुसरण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग को एक समेकित कोटि मानकर) को संलग्न परिशिष्ट-1 के अनुसार जिला स्तरीय औद्योगिक एवं तकनीकी संस्थानों में 50% की सीमा में नामांकन अनुमान्य होगा एवं तदनुसार एतद विषयक पूर्व निर्गत संकल्प संख्या- 905 दिनांक-4.2.2002 को वर्णित हद तक संशोधित किया जाता है ।

3. आरक्षित कोटि की सीटों की रिक्तियों को भरने हेतु यदि विनिमयन की आवश्यकता होगी तो उसे ऊपर कण्डिका-2 में किये गए संशोधन को ध्यान में रखते हुए संकल्प संख्या-905 में दिनांक- 4.2.2002 में दर्शायी गई विधि से किया जायेगा ।

4. इस संकल्प के प्रावधान जिन संस्थानों में नामांकन हेतु आवेदनपत्र दिये जा चुके हैं अथवा परीक्षायें हो चुकी है परन्तु नामांकन नहीं हुआ है उन पर भी लागू होगा ।

आदेशः आदेश है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति महालेखाकार, झारखण्ड, रॉची/

सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

14-12-2002

(एस0 के0 चौधरी),
सरकार के सचिव ।

आदेशः आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति झारखण्ड राजपत्र में जनसाधारण के सूचनार्थ की जाये एवं इसकी प्रति महालेखाकार, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जायें ।

14-12-2002

(एस0 के0 चौधरी),
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक-7/नि. (आ.) 06/2001 का0 6782/ राँची, दिनांक-14 दिसम्बर, 2002 ई0 ।
प्रतिलिपि- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित । उनसे अनुरोध है कि गजट की 200(दो सौ) प्रतियॉ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को भेंजे ।

14-12-2002

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक-7/नि. (आ.) 06/2001 का0 6782/ राँची, दिनांक-14 दिसम्बर, 2002 ई0 ।
प्रतिलिपि- राज्यपाल सचिवालय/ मुख्यमंत्री सचिवालय/ सरकार के सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/ मुख्यसचिव के सचिव/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों/ सभी राज्य लोक उपक्रमों/ परिषदों/ निगमों/ निकायों/ विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों/ विद्यालयों को इस संकल्प से अवगत करायें ।

14-12-2002

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक-7/नि. (आ.) 06/2001 का0 6782/ राँची, दिनांक-14 दिसम्बर, 2002 ई0 ।
प्रतिलिपि- महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची/ सचिव, झारखण्ड विधान सभा/ झारखण्ड लोक सेवा आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

14-12-2002

सरकार के सचिव ।

परिशिष्ट - 2(1)

झारखण्ड राज्य के जिलों की रिक्तियों में सीधी नियुक्तिके लिए आरक्षण

क्रमशः	जिला का नाम	अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत	अनुसूचित जाति के लिए प्रस्तावित आरक्षण प्रतिशत	अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत	अनुसूचित जनजाति के लिए प्रस्तावित आरक्षण प्रतिशत	शेष बचा आरक्षित कोटा प्रतिशत में	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के लिए समेकित आरक्षण प्रतिशत	कुल आरक्षण प्रतिशत में
1	राँची	5.57	5	43.56	43	2	2	50
2	लोहरदग्गा	3.78	3	56.41	47	0	0	50
3	गुमला	3.62	3	69.76	47	0	0	50
4	सिमडेगा	7.99	7	72.45	43	0	0	50
5	प0 सिंहभूम	4.57	4	65.48	46	0	0	50
6	सरायकेल्ला खरसॉवा	5.67	5	38.23	38	7	7	50
7	पू0 सिंहभूम	4.79	4	28.92	28	18	18	50
8	देवघर	12.4	12	12.76	12	26	26	50
9	गोड्डा	8.46	8	25.09	25	17	17	50
10	साहेबगंज	5.44	5	38.99	38	7	7	50
11	पाकुड़	5.44	5	38.99	38	7	7	50

परिशिष्ट - 1

झारखण्ड राज्य के जिलों की रिक्तियों में सीधी नियुक्तिके लिए आरक्षण

12	दुमका	5.55	5	46.62	45	0	0	50
13	जामताड़ा	9.42	9	32.7	32	9	9	50
14	पलामु	27.41	27	8.98	8	15	15	50
15	गढ़वा	23.81	23	15.65	15	12	12	
16	लातेहार	21.3	21	45.3	29	0	0	
17	हजारीबाग	18.89	18	8.81	8	24	24	50
18	कोडरमा	18.89	18	8.81	8	24	24	50
19	चतरा	18.89	18	8.81	8	24	24	50
20	गिरिडीह	13.31	13	12.22	12	25	25	50
21	बोकारो	13.31	13	12.22	12	25	25	50
22	धनबाद	15.54	15	8.42	8	27	27	50

झारखंड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

विषयः- राज्य स्तरीय विनिर्दिष्ट शिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु आरक्षण का प्रावधान ।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(4) की पृष्ठभूमि में राज्य सरकार ने सीधी नियुक्तियों में विहित आरक्षण अनुपात को सरकारी/अर्द्धसरकारी व्यावसायिक/तकनीकी एवं सदृश शिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु आरक्षण प्रतिशत निर्धारित करने का निश्चय किया है ताकि समाज के कमजोर वर्गों को पर्याप्त संख्या में शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु सुविधा प्राप्त हो सके और जिसके फलस्वरूप राज्य सरकार के अंतर्गत व्यावसायिक/तकनीकी एवं सदृश प्रशिक्षण से संबंधित नौकरियों में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व सम्भव हो सके ।

2. इस संबंध में झारखंड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के द्वारा संकल्प संख्या-3884, दिनांक-05.11.2001 निर्गत किया गया है । राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सेवाओं एवं पदों की रिक्तियों में आरक्षण एवं विनिर्दिष्ट शिक्षण संस्थानों में नामांकन में आरक्षण को माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में याचिका संख्या-WP(PIL) 3696/2002 रजनीश मिश्रा बनाम राज्य सरकार, WP(PIL) 4706/2001 दिनेश नीरज शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य के द्वारा चुनौती दी गयी और इस संबंध में माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के 5 माननीय न्यायाधीशों के बेंच द्वारा सभी पक्षों की सुनवाई करने के पश्चात् दिनांक-22.8.2002 को एक अंतरिम आदेश पारित किया गया एवं पुनः दिनांक-30.9.2002 को उक्त अंतरिम आदेश को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए एक और आदेश पारित किया गया ।

3. माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के उक्त अंतरिम आदेश एवं संशोधित आदेश के अनुसार झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण 50 प्रतिशत तक सीमित रखी जायेगी और इसका निर्धारण करने के लिए राज्य सरकार स्वतंत्र होगा ।

उक्त आदेश में यह भी कहा गया है कि उक्त याचिकाओं के अंतिम निर्णय होने तक, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर है एस0एल0पी0

13526/1993 Voice (Consumer Council) Vrs. State of Tamil Nadu के फ़ैसले पर आधारित होगा, 23 प्रतिशत पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में गुणागुण (मेरिट) कोटि से तदर्थ/औपबंधिक रूप से नियुक्ति की जायेगी ।

शेष 27 प्रतिशत सेवाओं एवं पदों की रिक्तियों में नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा नियमित रूप से गुणागुण (मेरिट) कोटि से की जायेगी ।

4. माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा यह भी आदेश दिया गया है कि नियुक्ति में जो आरक्षण की व्यवस्था लागू रहेगी वही व्यवस्था शिक्षण संस्थानों में नामांकन में भी लागू रहेगी ।

5. अतएव माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में राज्य सरकार ने झारखंड में पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण की अंतरिम व्यवस्था की है जिससे संबंधित संकल्प संख्या-5776, दिनांक-10.10.2002 निर्गत किया गया है ।

6. राज्य सरकार ने इस संकल्प के प्रावधानों को राज्य स्तरीय विनिर्दिष्ट शिक्षण संस्थानों में नामांकन के लिए भी लागू करने का निर्णय लिया है ।

7. अतएव पूर्व में निर्गत संकल्प संख्या- 3884, दिनांक- 5.11.2001 को अवक्रमित करते हुए अब राज्य सरकार के अधीन कार्यरत विनिर्दिष्ट व्यावसायिक /तकनीकी एवं सदृश शिक्षण संस्थानों में उपलब्ध सीटों के विरूद्ध नामांकन निम्नलिखित रूप से विनियमित किया जायेगा :-

(क)खुली गुणागुण(मेरिट)कोटि से:- प्रथम 27 प्रतिशत(नियमित रूप से)
शेष 23 प्रतिशत(तदर्थ/औपबंधिक रूप से)
कुल-50 प्रतिशत

(ख)आरक्षित कोटि से :- 50 प्रतिशत

(2) आरक्षित कोटि की 50 प्रतिशत में से आरक्षित उम्मीदवारों की विभिन्न कोटियों के लिए सीटें निम्न रूप में आवंटित होंगी :-

(क) अनुसूचित जाति	-	10 प्रतिशत
(ख) अनुसूचित जनजाति	-	26 प्रतिशत
(ग) अन्य पिछड़ा वर्ग (अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग को एक समेकित कोटि मानकर)	-	14 प्रतिशत
		कुल- 50 प्रतिशत

8. यदि नामांकन हेतु किसी आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हों तो उस वर्ग के लिए आरक्षित सीटों को निम्नांकित रूप से विनियमित किया जाएगा :-

(क) यदि अनुसूचित जाति के उम्मीदवार उपलब्ध नही हो तो अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार का नामांकन किया जायेगा और यदि अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो तो अनुसूचित जाति के उम्मीदवार का नामांकन किया जायेगा ।

(ख) यदि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति दोनों ही कोटि के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हों तो अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार का नामांकन किया जायेगा ।

(ग) यदि इसके बाद सीटें बची रह जाती है तो उन्हें सामान्य कोटि के उम्मीदवारों से भरा जायेगा ।

9. जैसा कि सीधी नियुक्ति में आरक्षण का प्रावधान है कि मेरिट से चयनित उम्मीदवारों को आरक्षित सीटों के विरूद्ध सामंजित नहीं किया जायेगा बल्कि खुली गुणागुण कोटि की 50 प्रतिशत रिक्तियों के विरूद्ध सामंजित माना जायेगा, वैसी ही व्यवस्था करते हुए व्यावसायिक/तकनीकी एवं सदृश शिक्षण संस्थानों में प्रवेश/नामांकन हेतु मेरिट से चुने गये नामांकन पाने वाले उम्मीदवारों को आरक्षण कोटि के विरूद्ध सामंजित नहीं माना जायेगा तथा उन्हें खुली गुणागुण कोटि की 50 प्रतिशत रिक्तियों के अन्दर माना जायेगा ।

10. विभिन्न विभागों से प्राप्त राज्य स्तरीय व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों की सूची परिशिष्ट-1 के रूप में द्रष्टव्य है । अगर कोई राज्य स्तरीय व्यावसायिक/तकनीकी एवं सदृश शिक्षण संस्थानों की सूची इस परिशिष्ट के अन्तर्गत नहीं भी है तो उसमें भी यह प्रावधान लागू होगा । इस सूची में समय-समय पर परिस्थिति के अनुसार किसी शिक्षण संस्थान का नाम जोड़ा या विलोपित किया जा सकता है ।

इस संकल्प में दिये गये प्रावधान तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे तथा जिन व्यावसायिक/तकनीकी एवं सदृश शिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु परीक्षा/आवेदन पत्र दिये जा चुके हैं, परन्तु नामांकन नहीं हुआ हो तो उन पर भी लागू होंगे ।

टिप्पणी :- (1) खुली गुणागुन (मेरिट) कोटि में आरक्षित कोटि अर्थात् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (अत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग समेकित रूप से) के उम्मीदवार यदि सफल होते हैं तो उन्हें आरक्षित कोटि में नहीं गिने जाने का प्रावधान है । परन्तु ऐसा संभव है कि 23 प्रतिशत की खुली गुणागुण (मेरिट) कोटि के विरूद्ध जो तदर्थ/औपबंधिक नामांकन की जायेगी उनमें से

आरक्षित कोटि के समुदाय के व्यक्ति भी शामिल हों और उन्हें आरक्षित कोटि के विरूद्ध नियमित रूप से नामांकन पाने वाले उम्मीदवारों से ज्यादा अंक प्राप्त हों । ऐसी स्थिति में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार अपेक्षाकृत अधिक अंक पाने वाले उम्मीदवारों को तदर्थ/औपबंधिक रूप से नामांकन करना अथवा कम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को नियमित रूप से नामांकन करना न्यायोचित नहीं होगा । अतएव ऐसी परिस्थिति में अपेक्षाकृत कम अंक पाने वाले आरक्षित कोटि के सफल उम्मीदवारों को 23 प्रतिशत तदर्थ/औपबंधिक रूप से कोटि के अंतर्गत नामांकन किया जाय एवं अधिक अंक पाने वाले उम्मीदवार को 50 प्रतिशत आरक्षित कोटि के अंतर्गत नियमित रूप से नामांकित किया जायेगा ।

(2) तदर्थ/औपबंधिक नामांकन के संबंध में जो भी नामांकन पत्र निर्गत होगा उसमें यह स्पष्ट अंकित होगा कि वह ऊपर कंडिका-3 में वर्णित माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में दायर याचिका संख्या-WP (PIL) 3696/2002 रजनीश मिश्रा बनाम झारखंड सरकार एवं WP (PIL) 4706/2001 दिनेश नीरज शर्मा बनाम यूनियम ऑफ इन्डिया एवं अन्य में पारित होने वाले अंतिम आदेश से प्रभावित होगा ।

आदेश:- आदेश है कि सर्व साधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय और इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार/झारखंड, सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय ।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,
10-10-2002
(एस0 के0 चौधरी)
सरकार के सचिव ।

ज्ञाप संख्या-5/आ0-03/2001-5800/ राँची, दिनांक- 10/10/2002

प्रतिलिपि- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित । उनसे अनुरोध है कि गजट की 200 प्रतियाँ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड, राँची को भेजें ।

10-10-2002
सरकार के सचिव ।

ज्ञाप संख्या–5/आ0–03/2001–5800 राँची, दिनांक– 10/10/2002

प्रतिलिपि– राज्यपाल सचिवालय/मुख्य मंत्री सचिवालय/ सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/मुख्य सचिव के सचिव/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों/सभी राज्य पब्लिक अन्डरटेकिंग/परिषदों/निगमों/निकायों/विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों/ विद्यालयों को इस संकल्प से अवगत करायें ।

10.10.2002

सरकार के सचिव ।

ज्ञाप संख्या–5/आ0–03/2001–5800 राँची, दिनांक– 10/10/2002

प्रतिलिपि– महानिबन्धक, झारखंड उच्च न्यायालय, राँची/सचिव, झारखंड विधान सभा/झारखंड लोक सेवा आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

10.10.2002

सरकार के सचिव ।

परिशिष्ट-1

विभागावार सभी प्रशिक्षण/ शिक्षण संस्थानों की सूची ।

1. स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

(क) चिकित्सा महाविद्यालय
1. राजेन्द्र चिकित्सा महाविद्यालय, रॉंची
2. पाटलीपुत्र चिकित्सा महाविद्यालय, धनबाद
3. महात्मा गॉंधी मेमोरियल चिकित्सा महाविद्यालय, जमशेदपुर

(ख) फार्मेसी इन्स्टीच्यूट - रॉंची

(ग) नर्सिंग महाविद्यालय - रॉंची

(घ) ए0एन0एम0 प्रशिक्षण केन्द्र
1. दुमका, 2. हजारीबाग, 3. गिरीडीह, 4. धनबाद, 5. जमशेदपुर 6. डालटेनगंज, 7. सिमडेगा, 8. चाईबासा, 9. रॉंची, 10. देवघर ।

(ङ) नर्सिंग स्कूल - 1. रॉंची, 2. जमशेदपुर, 3. धनबाद ।

(च) एल0एच0भी0 स्कूल - सदर अस्पताल, रॉंची ।

2. विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
(क) राजकीय पोलिटेक्निक (महिला सहित)/खनन संस्थानों की सूची
1. आदित्यपुर, 2. खुटरी, 3. दुमका, 4. धनबाद, 5. रॉंची, 6. जमशेदपुर, 7. बोकारो, 8. कोडरमा, 9. भागा, 10. लातेहार ।

3. राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन अभियंत्रण महाविद्यालय
1. बिहार इन्स्टीच्यूट ओफ टेक्नोलॉजी, सिन्दरी ।

4. शेष अभियंत्रण महाविद्यालयों की सूची
1. आर0आई0टी0 - जमशेदपुर
2. बी0आई0टी0 - मेसरा (झारखण्ड सीटों के लिए) ।

5. कृषि सहकारिता/ पशुपालन एवं मत्स्य विभाग
1. बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके, रॉंची के अधीन -
(क) रॉंची कृषि महाविद्यालय, कांके, रॉंची ।
(ख) पशु चिकित्सा महाविद्यालय, कांके, रॉंची ।
(ग) वानिकी महाविद्यालय, कांके, रॉंची ।

झारखंड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ।

संकल्प

विषयः- जिलास्तरीय औद्योगिक/तकनीकी संस्थानों में नामांकन हेतु आरक्षण का प्रावधान ।

राज्य सरकार ने जिलास्तरीय पदों की रिक्तियों में नियुक्ति हेतु आरक्षण निर्धारित किया है ।

2. राज्य सरकार द्वारा जिलास्तरीय पदों में नियुक्ति में विहित आरक्षण के अनुरूप सभी जिलास्तरीय आद्योगिक/तकनीकी संस्थानों में नामांकन हेतु आरक्षण प्रतिशत निर्धारित करने का निश्चय किया है ताकि समाज के कमजोर वर्गों को पर्याप्त संख्या में औद्योगिक/तकनीकी एवं विशिष्ट प्रशिक्षण से संबंधित नौकरियों में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व संभव हो सके ।

3. जिलास्तरीय औद्योगिक/तकनीकी शिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु विभिन्न कोटियों यथा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़े वर्गों को परिशिष्ट-1 में जिलास्तरीय आरक्षण प्रतिशत के अनुसार विनियमित किया जाएगा ।

4. यदि नामांकन हेतु किसी आरक्षित कोटि के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो तो उस कोटि के लिए आरक्षित रिक्तियों को निम्नलिखित रूप से विनिमय किया जाएगा ।

(क) यदि अनुसूचित जाति के उम्मीदवार उपलब्ध न हो, तो अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार से नामांकन करने और यदि अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार उपलब्ध न हो, तो अनुसूचित जाति के उम्मीदवार से नामांकन किया जाएगा ।

(ख) यदि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति दोनों ही के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो तो, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से नामांकन किया जाएगा ।

(ग) यदि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार उपलब्ध न हो तो, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार से नामांकन किया जाएगा ।

(घ) यदि पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार उपलब्ध न हो तो, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार से नामांकन किया जाएगा ।

यदि इसके बाद भी सीटे बच जाती है तो उन्हें सामान्य वर्ग से भरा जाएगा ।

5. सीधी नियुक्ति के आरक्षण में मेरिट से चुने गए आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को आरक्षित सीटो के विरूद्ध सामंजित नहीं किया जाना है, बल्कि गुणागुण कोटि के लिए निर्धारित आरक्षण प्रतिशत रिक्तियों के विरूद्ध माना जाएगा, वैसी ही व्यवस्था करते हुए औद्योगिक/तकनीकी शिक्षण संस्थानों एवं अन्य सदृश संस्थानों में प्रवेश (नामांकन) हेतु मेरिट से चुने गए नामांकन पाने वाले आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आरक्षित कोटा के विरूद्ध सामंजित नहीं किया जाएगा, बल्कि उन्हें खुली गुणागुण कोटि के लिए निर्धारित आरक्षण प्रतिशत के अंदर माना जाएगा ।

6. इस संकल्प में दिए गए प्रावधान तत्कालिक प्रभाव से लागू होंगे तथा जिन संस्थानों में नामांकन हेतु परीक्षाएँ/आवेदन-पत्र दिए जा चुके हैं, परन्तु, नामांकन नहीं हुआ हो तो उन पर भी लागू होंगे ।

जिलास्तरीय औद्योगिक शिक्षण/तकनीकी संस्थानों की सूची परिशिष्ट-2 संकल्प के साथ संलग्न है, जिन पर आरक्षण का प्रावधान लागू किया गया है । अगर कोई संस्थान इस सूची के अंतर्गत नहीं भी हैं और संस्थान औद्योगिक/तकनीकी प्रकृति का है तो उसमें भी यह प्रावधान लागू

गा । इस सूची में समय-समय पर परिस्थिति के अनुसार किसी संस्थान का नाम जोड़ा या विलोपित किया जा सकता है ।

आदेश :- आदेश है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाए और इसकी प्रति महालेखाकार, झारखंड रांची/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा जाए ।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,
2-2-2002
(सुशील कुमार चौधरी)
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक-7/नीति(आरक्षण)-06/2001का० 905/रांची, दिनांक- 4 फरवरी,2002

प्रतिलिपि- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरंडा, रांची को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित । उनसे अनुरोध है कि गजट की 200 प्रतियॉ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखंड, रांची को भेजे ।

2-2-2002
(सुशील कुमार चौधरी)
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक-7/नीति(आरक्षण)-06/2001का० 905/रांची, दिनांक- 4 फरवरी,2002

प्रतिलिपि- महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुंख्यमंत्री के सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रांची/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/मुख्य सचिव के सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी विश्वविद्यालय/सभी संबंधित संस्थानों के प्रचार्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2.2.2002
(सुशील कुमार चौधरी)
सरकार के सचिव ।

झारखंड सरकार,
कार्मिक,प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

-: संकल्प :-

विषय:- राज्य स्तरीय शिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु आरक्षण का प्रावधान ।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अरक्षण की पृष्ठभूमि में राज्य सरकार ने सीधी नियुक्तियों में विहित आरक्षण अनुपात को सरकारी/अर्द्धसरकारी व्यवसायिक/तकनीकी एवं सदृश शिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु आरक्षण प्रतिशत निर्धारित करने का निश्चय किया है ताकि समाज के कमजोर वर्गों को पर्याप्त संख्या में शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु सुविधा प्राप्त हो सके और जिसके फलस्वरूप राज्य सरकार के अन्तर्गत व्यवसायिक/तकनीकी एवं सदृश प्रशिक्षण से संबंधित नौकरियों मे उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व सम्भव हो सके ।

2- इस संबंध मे कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के पूर्व के सभी संकल्पों, यथा:- संकल्प संख्या- 20, दिनांक 6.2.1992, एवं संकल्प संख्या- 155, दिनांक 14.2.1993, इत्यादि को अवक्रमित करते हुए इस संकल्प द्वारा प्रतिस्थापित करने का निर्णय लिया जाता है ।

3- राज्य सरकार के अधीन कार्यरत व्यवसायिक/तकनीकी एवं सदृश शिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु उपलब्ध सीटों को निम्न रूप से विनियमित किया जायेगा:-

(क) खुली गुनागुण कोटि से:- 27 प्रतिशत ।

(ख) आरक्षण कोटि से:- 73 प्रतिशत ।

आरक्षण कोटा के 73 प्रतिशत सीटों में से आररिक्षत उम्मीदवारों की विभिन्न कोटियों के लिए निम्नलिखित प्रतिशत निर्धारित किया गया है:-

(1) अनुसूचित जाति:- 14 प्रतिशत ।

(2) अनुसूचित जनजाति:- 32 प्रतिशत ।

(3) अत्यंत पिछड़ा वर्ग:- 18 प्रतिशत ।

(4) पिछड़ा वर्ग:- 9 प्रतिशत ।

कुल:- 73 प्रतिशत ।

4- यदि नामांकन हेतु किसी आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार उपलब्ध नही हो तो उस वर्ग के लिए आरक्षित रिक्तियों को निम्नांकित रूप से विनिमय किया जायेगा:-

(क) यदि अनुसूचित जाति के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हों तो अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार का नामांकन किया जायेगा और यदि अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो तो अनुसूचित जाति के उम्मीदवार का नामांकन किया जायेगा ।

(ख) यदि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति दानों ही कोटि के उम्मीदवार उपलब्ध नही हों तो अत्यंत पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार का नामांकन किया जायेगा ।

(ग) यदि अत्यंत पिछड़े वर्ग का उम्मीदवार उपलब्ध नही हों तो पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार का नामांकन किया जायेगा ।

(घ) यदि पिछड़े वर्ग का उम्मीदवार उपलब्ध नही हो तो अत्यंत पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार का नामांकन किया जायेगा ।

(च) यदि इसके बाद भी सीटें बची रह जाती हैं तो उन्हें सामान्य कोटि के उम्मीदवारों से भरा जायेगा ।

5- जैसा कि सीधी नियुक्ति में आरक्षण का प्रावधान है कि मेरिट से चयनित उम्मीदवारों को आरक्षित सीटों के विरूद्ध सामंजित नही किया जायेगा बल्कि खुली गुनागुण कोटि की 27 प्रतिशत रिक्तियों के विरूद्ध सामंजित माना जायेगा, वैसी ही व्यवस्था करते हुए व्यवसायिक/तकनीकी एवं सदृश शिक्षण संस्थानों में प्रवेश/नामांकन हेतु मेरिट से चुने गये नामांकन पाने वाले उम्मीदवारों को आरक्षण कोटि के विरूद्ध सामंजित नही माना जायेगा तथा उन्हें खुली गुणागुण कोटि की 27 प्रतिशत रिक्तियों के अन्दर माना जायेगा ।

6- विभिन्न विभागों से प्राप्त राज्यस्तरीय व्यवसायिक शिक्षण संस्थानों की सूची परिशिष्ट-1 के रूप में द्रष्टव्य है । अगर कोई राज्यस्तरीय व्यवसायिक/तकनीकी एवं सदृश शिक्षण संस्थानों की सूची इस परिशिष्ट के अन्तर्गत नहीं भी है तो उसमें भी यह प्रावधान लागू होगा । इस सूची में समय-समय पर परिस्थिति के अनुसार किसी शिक्षण संस्थान का नाम जोड़ा या विलोपित किया जा सकता है ।

इस संकल्प में दिये गये प्रावधान तात्कालिक प्रभाव से लागू होगें तथा जिन व्यवसायिक/तकनीकी एवं सदृश शिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु परीक्षा/आवेदन पत्र दिये जा चुके है, परन्तु नामांकन नहीं हुआ हो तो उन पर भी लागू होंगे ।

आदेशः- आदेश है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय और इसकी प्रति महालेखाकार, झारखंड,रांची/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा जाए ।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

(एस0 के0 चौधरी)
सरकार के सचिव ।

ज्ञाप संख्या- 7/नीति(आरक्षण)-06-2001का0 3884/रांची,दिनांक 5 नवम्बर, 2001 ।

प्रतिलिपि- अधीक्षक सचिवालय मुद्रणालय, डोरंडा, रांची को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कराने हेतु प्रेषित । उनसे अनुरोध है कि गजट की 500 प्रतियां कार्मिक,प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड, रांची को भेंजें ।

(एस0 के0 चौधरी)
सरकार के सचिव ।

ज्ञाप संख्या-7/नीति(आरक्षण)-06/2001का0-3884 / रांची,दिनांक 5 नवम्बर, 2001 ।

प्रतिलिपि- राज्यपाल सचिवालय/मुख्य मंत्री सचिवालय/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/मुख्य सचिव के सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी विश्वविद्यालय/सभी संबंधित संस्थानों के प्राचार्य इत्यादि को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के सचिव ।

परिशिष्ट -।।

विभागवार सभी प्रशिक्षण/ शिक्षण संस्थानों की सूची

(I) स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

(क) चिकित्सा महाविद्यालय
1. राजेन्द्र चिकित्सा महाविद्यालय, रांची
2. पाटलीपुत्र चिकित्सा महाविद्यालय, धनबाद
3. महात्मा गांधी मेमोरियल चिकित्सा महाविद्यालय, जमशेदपुर

(ख) फार्मेसी इन्स्टीच्यूट - रांची

(ग) नर्सिंग महाविद्यालय - रांची

(घ) ए०एन०एम० प्रशिक्षण केन्द्र
(1) दुमका (2) हजारीबाग (3) गिरीडीह (4) धनबाद (5) जमशेदपुर
(6) डाल्टेनगंज (7) सिमडेगा (8) चाईबासा (9) रांची (10) देवघर

(ङ) नर्सिंग स्कूल (1) रांची (2) जमशेदपुर (3) धनबाद

(च) एल०एच०भी० स्कूल
सदर अस्पताल, रांची

(II) विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

(क) राजकीय पोलिटेक्निक (महिला सहित)/ खनन संस्थानों की सूची
(1) आदित्यपुर (2) खुटरी (3) दुमका (4) धनबाद (5) रांची
(6) जमशेदपुर (7) बोकारो (8) कोडरमा (9) भागा (10) लातेहार

(III) राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन अभियंत्रण महाविद्यालय
1. बिहार इन्स्टीच्यूट ओफ टेक्नोलॉजी, सिन्दरी

(IV) शेष अभियंत्रण महाविद्यालयों की सूची :-
(1) आर०आई०टी० - जमशेदपुर
(2) बी०आई०टी० - मेसरा (झारखंड सीटों के लिए)

(V) <u>कृषि सहकारिता/ पशुपालन एवं मत्स्य विभाग</u>

1. बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके, रांची के अधीन :-

(क) रांची कृषि महाविद्यालय, कांके, रांची

(ख) पशु चिकित्सा महाविद्यालय, कांके, रांची

(ग) वानिकी महाविद्यालय, कांके, रांची

खण्ड–2

(भाग–'क')

अध्याय–3

(आरक्षण रोस्टर)

पत्रांक : 14/आ0नी0–04–07/2018 का0 5498

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,
सभी उपायुक्त,
झारखण्ड।

राँची, दिनांक 3.11.2020

विषय :– आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में कहना है कि कार्मिक विभागीय परिपत्र सं0–9226, दिनांक–19.12.2018 द्वारा विभागीय पत्रांक–4553, दिनांक–23.07.2008 को संशोधित करते हुए षष्ट्म पुनरीक्षित वेतनमान के ग्रेड पे0–4800/– अथवा पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन स्तर–8 से नीचे के पदों की नियुक्ति/प्रोन्नति हेतु रोस्टर क्लियरेंस विभागीय प्रधान सचिव/सचिव के स्तर से ही किये जाने का निर्णय संसूचित है।

2. तद्नुसार वेतन स्तर–8 एवं उसके ऊपर के वेतनमान वाले पदों पर नियुक्ति/प्रोन्नति में आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा किया जाना है।

3. एकीकृत बिहार सरकार के परिपत्र सं0–716, दिनांक–15.12.1982 के अनुसार प्रमंडल स्तर के पद तथा जिला स्तर के ऐसे पद, जिनके नियुक्ति प्राधिकार उपायुक्त हैं, के मामलों में प्रमंडलीय आयुक्त रोस्टर क्लीयर करेंगे। जिला एवं नीचे स्तर के ऐसे पद जिनके मामलों में उपायुक्त नियुक्ति प्राधिकार नहीं है, उपायुक्त रोस्टर क्लीयर करेंगे।

4. ऐसे मामले प्रकाश में आये हैं, जहां प्रमंडलीय आयुक्त का पद किसी कारण से रिक्त हो। ऐसी स्थिति में पदों का रोस्टर क्लीयरेंस का मामला लंबित हो जाता है, जिससे नियुक्ति/प्रोन्नति की प्रक्रिया बाधित हो जाती है। यह मामला सरकार के समक्ष विचाराधीन था।

5. उक्त मामले पर भली–भाँति विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रमंडलीय आयुक्त का पद किसी कारण से रिक्त रहने की स्थिति में प्रमंडलीय आयुक्त के स्तर से किये जाने वाले पदों का रोस्टर क्लीयरेंस ऐसे पदों से संबंधित प्रशासी विभाग कर सकेगा।

विश्वासभाजन

(अजय कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव।

165

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

विषय :— झारखण्ड सरकार की सिविल सेवाओं एवं पदों पर सीधी नियुक्तियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण।

भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के ज्ञापन संख्या–36039/1/2019–स्था (आ0), दिनांक–19.01.2019 के द्वारा सिविल पदों एवं सेवाओं में सीधी भर्ती हेतु आरक्षण स्कीम के अन्तर्गत एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0 के लिए आरक्षण में अनाच्छादित आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग को आरक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में कतिपय निदेश जारी किए गए हैं। पुनः भारत सरकार के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन दिनांक–31.01.2019 के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के लिए आरक्षण लागू करने हेतु विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं। राज्य सरकार आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के लिए आरक्षण के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों को आवश्यक अनुकूलनोपरान्त निम्नवत् अंगीकृत करती है :–

2. **आरक्षण का परिमाण** :–

आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग से संबंधित व्यक्ति जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 2) के लिए आरक्षण के स्कीम के अन्तर्गत आच्छादित नहीं हैं, उन्हें झारखण्ड सरकार के सिविल पदों एवं सेवाओं में सीधी भर्ती में 10% आरक्षण मिलेगा।

3. **आरक्षण से छूट** :–

3.1 वैज्ञानिक तथा तकनीकी पद, जो निम्नलिखित सभी शर्त्तों को पूरा करते हैं, उन्हें मंत्रालयों/विभागों द्वारा आरक्षण सम्बन्धी आदेशों के दायरे से मुक्त रखा जा सकेगा:–

(i) संबंधित सेवाओं के समूह ए में निम्नतम ग्रेड से ऊपर ग्रेड के पद होने चाहिए।

(ii) भारत सरकार मंत्रिमंडल सचिवालय (कार्यालय ज्ञापन सं0–85, दिनांक–28.12.1961) के अनुसार उन्हें "वैज्ञानिक अथवा तकनीकी" वर्गीकृत होना चाहिए, जिसके अनुसार वैज्ञानिक एवं तकनीकी पद जिसके लिए, प्राकृतिक

(164)

विज्ञान, परिशुद्ध विज्ञान, या अनुप्रयुक्त विज्ञान अथवा प्रौद्यौगिकी में योग्यता विहित हो और पदधारकों को अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में उस ज्ञान का उपयोग करना पड़ता हो।

(iii) ये पद 'अनुसंधान के संचालन' अथवा 'अनुसंधान के मार्गदर्शन, आयोजन तथा निर्देशन' से सम्बन्धित होने चाहिए।

3.2 आरक्षण स्कीम के दायरे से उपर्युक्त शर्तों को पूरा करने वाले किसी पद को छूट देने से पूर्व सरकार का आदेश प्राप्त करना आवश्यक होगा।

4. <u>आमदनी तथा सम्पति के मापदण्ड</u>

4.1 वे व्यक्ति जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 1)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 2) के आरक्षण स्कीम से आच्छादित नहीं हैं और जिनके परिवार की सकल वार्षिक आय 8,00,000 (आठ लाख) रूपये से कम है, को आरक्षण के लाभ के लिए आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के रूप में विचार किया जाएगा। आय में, आवेदन वर्ष के पूर्व के वित्तीय वर्ष के लिए सभी स्रोतों यथा वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा आदि से होने वाली आय सम्मिलित होगी।

उन व्यक्तियों को जिनके परिवार के पास निम्नलिखित सम्पत्ति हो या धारित करते हों उनकी पारिवारिक आय पर विचार किये बिना, उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग की कोटि से बाहर रखा जाएगा :–

(i) 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि योग्य भूमि,

(ii) 1000 वर्गफीट या उससे अधिक का आवासीय फ्लैट,

(iii) अधिसूचित नगरपालिका क्षेत्र में 100 वर्गगज या उससे अधिक का आवासीय भू–खण्ड,

(iv) अधिसूचित नगरपालिका क्षेत्र से भिन्न क्षेत्रों में 200 वर्गगज या उससे अधिक का आवासीय भू–खण्ड।

4.2 आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग का दर्जा निर्धारित करने के लिए एक "परिवार" द्वारा धारित विभिन्न लोकेशन अथवा विभिन्न स्थानों/शहरों में अवस्थित भूमि और सम्पति को जोड़ कर विचार किया जाएगा।

4.3 इस प्रयोजनार्थ 'परिवार' शब्द में आवेदक, उसके पति/पत्नी, उसके माता–पिता, 18 वर्ष से कम उम्र के भाई–बहन तथा अठारह वर्ष से कम उम्र की संतान सम्मिलित होंगे।

5. **आय और सम्पत्ति प्रमाण पत्र जारी करने वाला प्राधिकार तथा प्रमाण पत्र का सत्यापन**

5.1 आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के अध्यधीन आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय एवं सम्पत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर प्राप्त किया जा सकेगा। आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के सदस्य के रूप में अभ्यर्थी के दावे के प्रमाण स्वरूप, अनुसूची –I में विहित प्रपत्र में निम्नलिखित में से किसी एक प्राधिकार द्वारा जारी आय और सम्पत्ति प्रमाण पत्र मान्य होगा :–

(i) उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी/अपर जिला दण्डाधिकारी/अपर उपायुक्त/अपर समाहर्त्ता/अनुमण्डल दण्डाधिकारी/कार्यपालक दण्डाधिकारी/सहायक समाहर्त्ता एवं सहायक दण्डाधिकारी,

(ii) अंचल अधिकारी

5.2 विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए सभी आवश्यक दस्तावेजों को सावधानीपूर्वक सत्यापित करने के उपरांत आय एवं सम्पत्ति प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से निर्गत किया जाएगा।

5.3 नियुक्ति प्राधिकारी, आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग का दावा करने वाले आवेदकों की नियुक्ति के प्रस्ताव में, निम्न शर्त को अंकित करेगा :–

"यह नियुक्ति औपबंधिक तथा आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र के उचित माध्यम से सत्यापन किए जाने के अध्ययधीन होगी तथा यदि सत्यापन के क्रम में पता चलता है कि आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग से संबंधित होने का दावा गलत है तो यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी तथा फर्जी/गलत प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना भारतीय दंड संहिता के सुसंगत प्रावधानों के अधीन की जाने वाले कार्रवाई की जा सकेगी"

नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र की सत्यता की पुष्टि प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले प्राधिकारी के माध्यम से सुनिश्चित करेंगे।

5.4 उपर्युक्त निर्देशों का सभी स्तरों पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा ताकि किसी व्यक्ति के लिए गलत दावे के आधार पर नियोजन प्राप्त करना संभव न हो और यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार के मिथ्या दावे के आधार पर नियोजन प्राप्त करता है तो उसकी सेवा, नियुक्ति पत्र में अन्तर्विष्ट शर्तों के आधार पर समाप्त कर दी जायेगी।

6. आरक्षण का प्रभाव–रोस्टर का अनुरक्षण

6.1 झारखण्ड राज्य में आरक्षण आधारित रोस्टर तैयार करने और उसके संचालन के लिए सामान्य सिद्वान्त का प्रतिपादन कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के द्वारा जारी विभागीय संकल्प सं0–1072, दिनांक–17.02.2009 द्वारा किया गया है। आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के लिए आरक्षण रोस्टर उक्त संकल्प में निर्धारित सिद्वांतों के अनुसार होगा।

6.2 प्रत्येक सरकारी स्थापना अब आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के लिए 10% आरक्षण को प्रभावी बनाने के निमित्त आरक्षण रोस्टर में SC, ST तथा BC-I एवं BC-II के साथ अन्तर्वेशन (Interpolation) करते हुए यथास्थिति परिशिष्ट II (राज्य स्तरीय पदों एवं सेवा/संवर्गों/पदों पर सीधी भर्ती के लिए 1–50 बिन्दु का आदर्श रोस्टर) तथा परिशिष्ट III (सीधी भर्ती के लिए 11 पदों/स्थानों का आदर्श आरक्षण रोस्टर –छोटे संवर्गों के लिए) में दी गयी विवरणी के अनुसार सीधी भर्ती के लिए आरक्षण रोस्टर पंजी का पुनर्गठन करेंगे।

रोस्टर बिन्दु तय करते समय यदि आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग का रोस्टर बिन्दु SC/ST/BC-I/BC-II के रोस्टर बिन्दु से Coincide करता है तो अगला उपलब्ध अनारक्षित बिन्दु आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग को आबंटित किया जाएगा तथा "Squeezing" के सिद्धान्त के आधार पर रोस्टर बनाते समय संवर्ग नियंत्री प्राधिकारी निर्धारित 10% के आरक्षण को पूरा करने के लिए रोस्टर के अंतिम बिन्दु को यथा समरूप "Squeeze" कर सकते हैं।

6.3 जहाँ किसी भर्ती वर्ष में आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के लिए कर्णांकित कोई रिक्ति आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के योग्य अभ्यर्थी की अनुपलब्धता के कारण नहीं भरी जा सके, वहाँ उस रिक्ति को अगले भर्ती वर्ष के बैकलॉग के रूप में अग्रणीत नहीं किया जाएगा।

6.4 यदि आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के सदस्य का चयन बेंचमार्क निःशक्तता (Benchmark Disabilities) के लिए निर्धारित व्यक्तियों के कोटे में होता है तो उस

(161)

आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के लिए कर्णांकित रोस्टर बिन्दु पर ही रखा जाएगा।

7. <u>अनारक्षित रिक्तियों के विरूद्ध समंजन</u>

आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग से संबंधित व्यक्ति को अनारक्षित रिक्ति के विरूद्ध नियुक्ति में प्रतिस्पर्धा के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग से संबंधित व्यक्ति जो मेधा के आधार पर चुने जाते हैं, न कि आरक्षण के आधार पर, उनकी गणना आरक्षित श्रेणी में नहीं की जाएगी।

8. <u>आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के प्रतिनिधित्व का पाक्षिक/वार्षिक प्रतिवेदन</u>

दिनांक–15.02.2019 से राज्य सरकार के विभाग अपने तथा संलग्न/अधीनस्थ कार्यालयों का समेकित पाक्षिक प्रतिवेदन परिशिष्ट IV के विहित प्रपत्र में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को भेजेंगे।

9. <u>शिकायतों से संबंधित पंजी का सरकारी स्थापनाओं के द्वारा संधारण</u>

9.1 सभी सरकारी स्थापना शिकायत निवारण पदाधिकारी के रूप में विभाग के किसी वरीय पदाधिकारी को नियुक्त करेंगे।

9.2 आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के विरूद्ध नियुक्ति में भेदभाव से संबंधित किसी भी मामले में कोई भी व्यक्ति संबंधित सरकारी स्थापना के शिकायत निवारण पदाधिकारी के पास शिकायत दर्ज कर सकता है। शिकायत निवारण पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं सम्पर्क ब्यौरा को संबंधित स्थापना के वेबसाईट एवं कार्यालय में प्रमुखता से प्रदर्शित किया जायेगा।

10. <u>सम्पर्क पदाधिकारी</u>

सभी विभाग तथा संलग्न एवं अधीनस्थ कार्यालय आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग हेतु आरक्षण के कार्यान्वयन के अनुश्रवण हेतु सम्पर्क पदाधिकारी मनोनीत करेंगे।

11. उपर्युक्त आरक्षण से संबंधित प्रावधान दिनांक–15.01.2019 या उसके बाद विज्ञापित सीधी नियुक्ति के पदों की रिक्तियों के संदर्भ में प्रभावी होंगे।

12. सभी विभाग से अपेक्षित है कि उपर्युक्त निदेश अपने नियंत्रणाधीन सभी नियुक्ति प्राधिकारों के संज्ञान में लाया जायेगा। इस संकल्प के प्रावधानों के कार्यान्वयन में कोई

कठिनाई होने पर संबंधित प्राधिकारी अपने प्रशासी विभाग के माध्यम से कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग से संपर्क कर सकता है।

उपर्युक्त प्रावधानों के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों को आय एवं सम्पत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करेंगे। इस प्रकार से निर्गत आय एवं सम्पत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी सेवाओं एवं पदों पर नियुक्ति के लिए आरक्षण का लाभ झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों के लिए आरक्षण का उपबन्ध किए जाने के उपरांत अनुमान्य होगा।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक मे विभागीय संकल्प सं0–1072, दिनांक–17.02.2009 का सुसंगत अंश इस हद तक संशोधित माना जायेगा।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति झारखण्ड राजपत्र में जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(के0 के0 खण्डेलवाल)
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक–14/आ0नी0–04–03/2019 का0– 1433 /रांची, दिनांक 15/2/19

प्रतिलिपि :– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक–14/आ0नी0–04–03/2019 का0– 1433 /रांची, दिनांक 15/2/19

प्रतिलिपि :– महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, राँची/सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची/महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/मुख्य सचिव के सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/निःशक्तता आयुक्त, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों/राज्य के सभी लोक उपक्रमों/निगमों/ निकायों/परिषदों/विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/विद्यालयों को इस निर्णय से अवगत कराने की कृपा की जाय।

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

159

ज्ञापांक–14 / आ0नी0–04–03 / 2019 का॰– 1433 / रांची, दिनांक 15/2/19
प्रतिलिपि :– सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची / सचिव, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Kailash 15/2/19
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

(158)

Government of Jharkhand

(Name & Address of the authority issuing the certificate)

INCOME & ASSEST CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY ECONOMICALLY WEAKER SECTIONS

Certificate No.________________ Date:____________

VALID FOR THE YEAR_________

This is certify that Shri/Smt./Kumari____________________ son/daughter/wife of ____________________ permanent resident of ______________________ village/Street______________________ post Office ________________ District ____________________ in the State/Union Territory Economically Weaker Sections, since the gross annual income* of his/her 'family** is below Rs. 8 Lakh (Rupees Eight Lakh only) for the financial year ___________. His/her family does not own or possess any of the following assests***:

I. 5 acres of agricultural land and above;

II. Residential flat of 1000 sq. ft. and above;

III. Residential plot of 100 sq. yards and above in notified municipalities;

IV. Residential plot of 200 sq. yards and above in areas other than the notified municipalities.

2. Shri/Smt./Kumari ____________________ belongs to the __________ caste which is not recognized as a Scheduled Castes, Scheduled Tribe and OBC/ EBC-I/BC-II.

Signature with seal of office_______________

Name _______________

Designation _______________

Recent Passport size attested Photograph of the applicant

*Note1:. Income covered all sources i.e. salary, business, profession, etc.

**Note2: The term "Family" for this purpose include the person, who seeks benefit of reservation, his/her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years

***Note3: The property held by a "Family" in different places/cities have been clubbed while applying the land or property holding test to determine EWS status.

157

राज्य स्तरीय पदों एवं सेवा/संवर्गों/पदों पर सीधी भर्ती के लिए 1–50 बिन्दु का आदर्श रोस्टर

पद क्रमांक/रोस्टर बिन्दु	केटेगरी जिसके लिए पद कर्णांकित	पद क्रमांक/रोस्टर बिन्दु	केटेगरी जिसके लिए पद कर्णांकित
1	अनारक्षित	26	अनुसूचित जनजाति
2	अनुसूचित जनजाति	27	अनारक्षित
3	अनारक्षित	28	पिछड़ा वर्ग (अनु0 2)
4	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनु0 1)	29	अनारक्षित
5	अनारक्षित	30	अनुसूचित जनजाति
6	अनुसूचित जाति	31	आ0क0 वर्ग*
7	अनारक्षित	32	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनु0 1)
8	अनुसूचित जनजाति	33	अनारक्षित
9	अनारक्षित	34	अनुसूचित जनजाति
10	अनुसूचित जनजाति	35	अनारक्षित
11	आ0क0 वर्ग*	36	अनुसूचित जाति
12	पिछड़ा वर्ग (अनु0 2)	37	अनारक्षित
13	अनारक्षित	38	अनुसूचित जनजाति
14	अनुसूचित जनजाति	39	अनारक्षित
15	अनारक्षित	40	पिछड़ा वर्ग (अनु0 2)
16	अनुसूचित जाति	41	आ0क0 वर्ग*
17	अनारक्षित	42	अनुसूचित जनजाति
18	अनुसूचित जनजाति	43	अनारक्षित
19	अनारक्षित	44	अनुसूचित जनजाति
20	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनु0 1)	45	अनारक्षित
21	आ0क0 वर्ग*	46	अनुसूचित जाति
22	अनुसूचित जनजाति	47	अनारक्षित
23	अनारक्षित	48	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनु0 1)
24	अनुसूचित जाति	49	आ0क0 वर्ग*
25	अनारक्षित	50	अनुसूचित जनजाति

* आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग।

परिशिष्ट–III

50 पदों पर आरक्षण रोस्टर के आधार पर सीधी नियुक्ति हेतु एक छोटे संवर्ग अर्थात् 11 पदों का आदर्श रोस्टर :-

No seats/ post	Initial appoint ment	1st	2nd	3rd	4th	5th	6th	7th	8th	9th	10th	11th
1	UR	ST	UR	BC-I	UR	SC	UR	ST	UR	ST	EWS	BC-II
2	ST	UR	BC-I	UR	SC	UR	ST	UR	ST	EWS	BC-II	
3	UR	BC-I	UR	SC	UR	ST	UR	ST	EWS	BC-II		
4	BC-I	UR	SC	UR	ST	UR	ST	EWS	BC-II			
5	UR	SC	UR	ST	UR	ST	EWS	BC-II				
6	SC	UR	ST	UR	ST	EWS	BC-II					
7	UR	ST	UR	ST	EWS	BC-II						
8	ST	UR	ST	EWS	BC-II							
9	UR	ST	EWS	BC-II								
10	ST	EWS	BC-II									
11	EWS	BC-II										

नोट :-

1. 2 से 11 पदों के संवर्ग में रोस्टर हेतु संवर्ग बल के स्तम्भ में परिशिष्ट 1 से अन्त तक का पठन किया जाए एवं उसके पश्चात् क्षैतिज रूप से अंत का पठन "L" की आकृति में किया जाय।

2. संवर्ग के सभी पदों को प्रारंभिक नियुक्ति के स्तंभ में कोटि विशेष के लिए कर्णांकित किया जाए। प्रारंभिक भर्ती कोटि के लिए कर्णांकित उम्मीदवारों के लिए होगा एवं किसी पद का पुर्नस्थापन रोटेशन से यथा ऊपर दर्शित क्षैतिज रूप से संवर्ग में अंतिम पद तक किया जायेगा।

UR – अनारक्षित
ST – अनुसूचित जनजाति
SC – अनुसूचित जाति
BC-I – अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 1)
BC-II – पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 2)
EWS – आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग

(155)

परिशिष्ट–IV

आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग के प्रतिनिधित्व का पाक्षिक/वार्षिक प्रतिवेदन

Name of the Department:

Report for the fortnight ending	Unfilled vacancies as on 15.02.2019						Vacancies filled up during the fortnight ending						Total vacancies filled up since 15.02.2019					
	SC	ST	BC-I	BC-II	EWS	UR	SC	ST	BC-I	BC-II	EWS	UR	SC	ST	BC-I	BC-II	EWS	UR

Note 1: Single consolidated fortnightly report may be sent in respect of the Department and its attached and sub-ordinate offices

Note 2: The first report should begin from 15.02.2019

Note 3: Filled up fortnightly report may be emailed at dopjharkhand@gmail.com.

222

पत्रांक : 14/आ0नी0–04–07/2018 का0....9226../

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

एo केo सत्यजीत,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,
सभी उपायुक्त,
झारखण्ड।

राँची, दिनांक 19/12/18

विषय :– आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस के सम्बन्ध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–4553, दिनांक–23.07.2008 द्वारा यह संसूचित किया गया था कि राज्य स्तरीय सेवाओं/सवंर्गों के वेतनमान रूपये 2000–3000/– (अपुनरीक्षित), वेतनमान 6500–10500/– (पुनरीक्षित) एवं इससे उपर के वेतनमान वाले पदों पर नियुक्ति एवं प्रोन्नति में आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस का कार्य कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा किया जाता है।

इसके उपरांत दिनांक–01.01.2006 से षष्ट्म पुनरीक्षित वेतनमान तथा दिनांक–01.01.2016 से सप्तम् पुनरीक्षित वेतनमान राज्य सरकार के कर्मियों के लिए लागू किया गया है। फलस्वरूप पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन स्तर आधारित रोस्टर क्लियरेंस के लिए सक्षम स्तर का निर्धारण किए जाने का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन था।

उक्त मामले पर भली भाँति विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि विभागीय पत्रांक–4553, दिनांक–23.07.2008 को संशोधित करते हुए षष्ट्म पुनरीक्षित वेतनमान के ग्रेड पे0–4800/– से नीचे के पदों की नियुक्ति/प्रोन्नति हेतु रोस्टर क्लियरेंस विभागीय प्रधान सचिव/सचिव द्वारा किया जाएगा। इसी प्रकार सप्तम् पुनरीक्षित वेतनमान में पूर्व के ग्रेड पे0 4800/– को ही वेतन स्तर–8 माना जाएगा। तद्नुसार नियुक्ति/प्रोन्नति हेतु वेतन स्तर–8 से नीचे के पदों पर विभागीय प्रधान सचिव/सचिव द्वारा रोस्टर क्लियरेंस किया जाएगा। वेतन स्तर–8 एवं उसके ऊपर के वेतनमान वाले पदों पर नियुक्ति/प्रोन्नति में आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा किया जाएगा।

विभागीय संकल्प सं0–5162, दिनांक–25.09.2008 के द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित 14% आरक्षण को विभाजित कर अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 1) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 2) करते हुए क्रमशः 8% एवं 6% आरक्षण निर्धारिता किया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में विभागीय पत्रांक–4553, दिनांक–23.07.2008 की कंडिका 1(क)(3) संशोधित समझे जाएंगे।

विश्वासभाजन
19/12/2018
(ए0 के0 सत्यजीत)
सरकार के संयुक्त सचिव।

E:\chandan\letter 2018.docx

248 (297)

पत्र संख्या–14 / वि0वि0प0–10–07 / 2010 का0......10266...... /
झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

दिवाकर प्रसाद सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी उपायुक्त,
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,
झारखण्ड।

राँची, दिनांक– 6 दिसम्बर, 2016

विषयः– जिला स्तरीय संवर्ग के पदों पर प्रोन्नति के मामले में आरक्षण का निर्धारण एवं उसके विनियमन की प्रक्रिया।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक इस विभाग के संकल्प सं0–2020, दिनांक–09.04.2010 का कृपया निदेश किया जाय, जिसके द्वारा जिला स्तरीय संवर्ग के पदों पर नियोजन हेतु 100 पदों का जिलावार आरक्षण रोस्टर परिचारित किया गया है। उक्त आरक्षण रोस्टर का गठन झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 के प्रावधानों में संकल्प सं0–5795, दिनांक–10.10.2002 तथा 5162, दिनांक–25.09.2008 द्वारा किये गये परिवर्तन के आलोक में किया गया है।

2. झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की कंडिका 4(2) के परन्तुक के अनुसार प्रोन्नति के मामले में केवल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को यथा उपबंधित अनुपात में आरक्षण की सुविधा उपलब्ध है। इस प्रकार प्रोन्नति के मामले में अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–I) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–II) को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

3. जिला स्तरीय प्रोन्नति के पद पर किस आरक्षण रोस्टर का अनुपालन हो यह मामला राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन था। सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की कंडिका 4(2) के परन्तुक में अंकित प्रावधान के आलोक में नियुक्ति हेतु परिचारित जिला स्तरीय आरक्षण रोस्टर में से अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–I) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–II) को कर्णांकित पद अनारक्षित मानकर प्रोन्नति का रोस्टर गठित की जाय।

कृ0पृ0उ0 / –

247
296

4. तदनुसार जिला स्तरीय पदों पर प्रोन्नति के लिए आरक्षण रोस्टर के सम्बन्ध में स्थिति निम्न प्रकार से स्पष्ट की जा रही है:–

(i) प्रोन्नति के लिए जिला स्तरीय पदों का स्वीकृत बल जहाँ 100 या उससे अधिक हो वहाँ संकल्प सं0–2020, दिनांक–09.04.2010 द्वारा सम्बन्धित जिले का रोस्टर का अनुपालन किया जायेगा, जिसमें अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–II) के लिए कर्णांकित पद अनारक्षित समझे जायेगें।

(ii) जहाँ पदों की संख्या 100 से कम होगी वहाँ संकल्प सं0–2020, दिनांक–09.04.2010 के द्वारा सम्बन्धित जिला के लिए गठित आरक्षण रोस्ट को प्रत्येक 100 पद के लिए क्रमिक रूप से संचालित किया जायेगा और इसमें भी अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–II) के लिए कर्णांकित पद अनारक्षित समझे जायेंगें।

5. उपर्युक्त कंडिका–4(ii) को समझने के लिए यदि जिला स्तरीय संवर्ग में यदि मात्र 04 (चार) पद स्वीकृत हैं तो सम्बन्धित जिला के रोस्टर के अनुसार प्रोन्नति के प्रथम चरण में सम्बन्धित जिला नियुक्ति रोस्टर का पद क्रमांक 1, 2, 3, 4 द्वारा कर्णांकित आरक्षण के अनुसार प्रोन्नति दी जायेगी और भविष्य में होने वाली रिक्ति के विरूद्ध प्रोन्नति क्रमशः पद क्रमांक 5, 6, 7 एवं 8 के अनुसार दी जायेगी, जिसमें आनेवाले अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–II) को अनारक्षित कोटि के रूप में माना जायेगा। यह प्रक्रिया सम्बन्धित जिला रोस्टर के 100 पद क्रमाकों तक संचालित की जायेगी तथा उसके बाद पुनः पद क्रमांक 1 से रोस्टर का संचालन उपर्युक्त विधि के अनुसार होगा।

विश्वासभाजन,
6/12/2016
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–14/वि0वि0प0–10–07/2010 का0 10266/राँची, दिनांक– 6 दिसम्बर, 2016

प्रतिलिपिः– सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष, झारखण्ड को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/12/2016
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–14/वि0वि0प0–10–07/2010 का0 10266 राँची, दिनांक– 6 दिसम्बर, 2016

प्रतिलिपिः– श्री चन्द्रभूषण प्रसाद, उप सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इसे विभागीय बेवसाईट पर अपलोड की जाय।

6/12/2016
सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

—: **संकल्प** :— 2020
राँची, दिनांक 9 अप्रैल, 2010

विषय : झारखण्ड पदों एवं सेवाओं में जिलास्तरीय पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु जिलावार आरक्षण रोस्टर में संशोधन।

राज्य सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के द्वारा संकल्प संख्या 6704, दिनांक 10.12.2003 से जिला स्तरीय पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए 100 बिन्दु का आरक्षण रोस्टर निर्धारित किया गया था।

2. विभागीय संकल्प संख्या–5162, दिनांक 25.09.2008 द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए अनुमान्य आरक्षण को विभाजित करते हुए राज्य के अत्यन्त पिछड़े वर्ग (अनुसूची–1) तथा पिछड़े वर्ग (अनुसूची–2) की जातियों को क्रमशः 8 प्रतिशत एवं 6 प्रतिशत अलग–अलग आरक्षण की सुविधा प्रदान करने संबंधी संकल्प लिये जाने तथा रांची एवं हजारीबाग जिलों से पुनगर्ठित जिलों यथा रांची, खूंटी, हजारीबाग एवं रामगढ़ के अस्तित्व में आने के कारण, विभागीय संकल्प संख्या–6704, दिनांक 10.12.2003 में संशोधन की आवश्यकता महसूस की गयी।

विभागीय संकल्प संख्या–1072, दिनांक 17.02.2009 के द्वारा राज्य स्तरीय पदों के लिए 50 बिन्दुओं का संशोधित आरक्षण रोस्टर परिचारित किया गया है। सम्यक् विचारोपरान्त, राज्य स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु गठित आदर्श रोस्टर के आधार पर जिला स्तरीय पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु 100 बिन्दुओं का संशोधित आरक्षण रोस्टर तैयार किया गया है, जो परिशिष्ट के रूप में संलग्न है।

3. इसके साथ ही पूर्व निर्गत विभागीय संकल्प संख्या–6704, दिनांक 10.12.2003 को अवक्रमित किया जाता है।

4. यह संकल्प तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति झारखण्ड राजपत्र में जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जाये एवं इसकी प्रति महालेखाकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाय।

Aditya 9/4/2010
(आदित्य स्वरूप)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–7/आर0(जि0आ0रो0)–33/2002 का0–2020/ राँची, दिनांक– 9 अप्रैल, 2010

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को राजकीय गजट के असाधरण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित । उनसे अनुरोध है कि गजट की 200 (दो सौ) प्रतियाँ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को भेजें ।

aditya 9/4/2010

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–7/आर0(जि0आ0रो0)–33/2002 का0–2020/ राँची, दिनांक– 9 अप्रैल, 2010

प्रतिलिपि :– महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्य मंत्री के सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय, राँची/ महानिबंधक, झारखंड उच्च न्यायालय, राँची/प्रभारी सचिव, झारखंड विधान सभा सचिवालय/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/मुख्य सचिव के सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी उपायुक्त/ संयुक्त सचिव, झारखंड लोक सेवा आयोग/सभी विश्वविद्यालय/सभी संबंधित संस्थानों के प्राचार्य को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

aditya 9/4/2010

सरकार के प्रधान सचिव।

(441)

झारखण्ड सरकार

जिला स्तरीय मुफ्फसिल स्थापना के लिए आदर्श आरक्षण रोस्टर

जिला का नाम :– लातेहार

आरक्षण प्रतिशत :– अनुसूचित जाति –21 % अनुसूचित जनजाति– 29 %
अत्यन्त पिछड़ा वर्ग –00 % पिछड़ा वर्ग – 00 %
(अनुसूची–I) (अनुसूची–II)
कुल – 50 प्रतिशत।

रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि	रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि
1	अनारक्षित	26	अ0ज0जा0
2	अ0ज0जा0	27	अनारक्षित
3	अनारक्षित	28	अ0जा0
4	अ0जा0	29	अनारक्षित
5	अनारक्षित	30	अ0ज0जा0
6	अ0ज0जा0	31	अनारक्षित
7	अनारक्षित	32	अ0ज0जा0
8	अ0ज0जा0	33	अनारक्षित
9	अनारक्षित	34	अ0जा0
10	अ0ज0जा0	35	अनारक्षित
11	अनारक्षित	36	अ0ज0जा0
12	अ0ज0जा0	37	अनारक्षित
13	अनारक्षित	38	अ0जा0
14	अ0जा0	39	अनारक्षित
15	अनारक्षित	40	अ0ज0जा0
16	अ0ज0जा0	41	अनारक्षित
17	अनारक्षित	42	अ0जा0
18	अ0जा0	43	अनारक्षित
19	अनारक्षित	44	अ0ज0जा0
20	अ0ज0जा0	45	अनारक्षित
21	अनारक्षित	46	अ0जा0
22	अ0ज0जा0	47	अनारक्षित
23	अनारक्षित	48	अ0ज0जा0
24	अ0जा0	49	अनारक्षित
25	अनारक्षित	50	अ0जा0

संयुक्त सचिव
कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा
झारखण्ड, रांची

रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि	रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि
51	अनारक्षित	76	अ0ज0जा0
52	अ0ज0जा0	77	अनारक्षित
53	अनारक्षित	78	अ0जा0
54	अ0जा0	79	अनारक्षित
55	अनारक्षित	80	अ0ज0जा0
56	अ0ज0जा0	81	अनारक्षित
57	अनारक्षित	82	अ0ज0जा0
58	अ0जा0	83	अनारक्षित
59	अनारक्षित	84	अ0जा0
60	अ0ज0जा0	85	अनारक्षित
61	अनारक्षित	86	अ0ज0जा0
62	अ0जा0	87	अनारक्षित
63	अनारक्षित	88	अ0जा0
64	अ0जा0	89	अनारक्षित
65	अनारक्षित	90	अ0ज0जा0
66	अ0ज0जा0	91	अनारक्षित
67	अनारक्षित	92	अ0ज0जा0
68	अ0जा0	93	अनारक्षित
69	अनारक्षित	94	अ0जा0
70	अ0ज0जा0	95	अनारक्षित
71	अनारक्षित	96	अ0ज0जा0
72	अ0ज0जा0	97	अनारक्षित
73	अनारक्षित	98	अ0जा0
74	अ0जा0	99	अनारक्षित
75	अनारक्षित	100	अ0ज0जा0

संकेताक्षर — अ0जा0 — अनुसूचित जाति

अ0ज0जा0 — अनुसूचित जनजाति

(प्रशाखा) ह0 पदा0

संयुक्त सचिव
कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा
झारखण्ड, रांची

(439)

झारखण्ड सरकार

जिला स्तरीय मुफ्फसिल स्थापना के लिए आदर्श आरक्षण रोस्टर

जिला का नाम :– लोहरदग्गा, गुमला

आरक्षण प्रतिशत :– अनुसूचित जाति –03 % अनुसूचित जनजाति– 47 %
अत्यन्त पिछड़ा वर्ग –00 % पिछड़ा वर्ग – 00 %
(अनुसूची–I) (अनुसूची–II)
कुल – 50 प्रतिशत।

रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि	रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि
1	अनारक्षित	26	अ0ज0जा0
2	अ0ज0जा0	27	अनारक्षित
3	अनारक्षित	28	अ0ज0जा0
4	अ0ज0जा0	29	अनारक्षित
5	अनारक्षित	30	अ0ज0जा0
6	अ0ज0जा0	31	अनारक्षित
7	अनारक्षित	32	अ0ज0जा0
8	अ0ज0जा0	33	अनारक्षित
9	अनारक्षित	34	अ0ज0जा0
10	अ0ज0जा0	35	अनारक्षित
11	अनारक्षित	36	अ0ज0जा0
12	अ0ज0जा0	37	अनारक्षित
13	अनारक्षित	38	अ0ज0जा0
14	अ0ज0जा0	39	अनारक्षित
15	अनारक्षित	40	अ0ज0जा0
16	अ0ज0जा0	41	अनारक्षित
17	अनारक्षित	42	अ0ज0जा0
18	अ0ज0जा0	43	अनारक्षित
19	अनारक्षित	44	अ0ज0जा0
20	अ0ज0जा0	45	अनारक्षित
21	अनारक्षित	46	अ0ज0जा0
22	अ0ज0जा0	47	अनारक्षित
23	अनारक्षित	48	अ0ज0जा0
24	अ0जा0	49	अनारक्षित
25	अनारक्षित	50	अ0ज0जा0

संयुक्त सचिव
कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा
झारखण्ड, रांची

रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि	रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि
51	अनारक्षित	76	अ0ज0जा0
52	अ0ज0जा0	77	अनारक्षित
53	अनारक्षित	78	अ0ज0जा0
54	अ0ज0जा0	79	अनारक्षित
55	अनारक्षित	80	अ0ज0जा0
56	अ0ज0जा0	81	अनारक्षित
57	अनारक्षित	82	अ0ज0जा0
58	अ0जा0	83	अनारक्षित
59	अनारक्षित	84	अ0ज0जा0
60	अ0ज0जा0	85	अनारक्षित
61	अनारक्षित	86	अ0ज0जा0
62	अ0ज0जा0	87	अनारक्षित
63	अनारक्षित	88	अ0ज0जा0
64	अ0ज0जा0	89	अनारक्षित
65	अनारक्षित	90	अ0ज0जा0
66	अ0ज0जा0	91	अनारक्षित
67	अनारक्षित	92	अ0ज0जा0
68	अ0ज0जा0	93	अनारक्षित
69	अनारक्षित	94	अ0ज0जा0
70	अ0ज0जा0	95	अनारक्षित
71	अनारक्षित	96	अ0जा0
72	अ0ज0जा0	97	अनारक्षित
73	अनारक्षित	98	अ0ज0जा0
74	अ0ज0जा0	99	अनारक्षित
75	अनारक्षित	100	अ0ज0जा0

संकेताक्षर — अ0जा0 — अनुसूचित जाति

अ0ज0जा0 — अनुसूचित जनजाति

(सहायक)

प्र.पदा.

संयुक्त सचिव
कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा
झारखण्ड, रांची

437

झारखण्ड सरकार

जिला स्तरीय मुफ्फसिल स्थापना के लिए आदर्श आरक्षण रोस्टर

जिला का नाम :– **सिमडेगा**

आरक्षण प्रतिशत :– अनुसूचित जाति –07 % अनुसूचित जनजाति– 43 %
अत्यन्त पिछड़ा वर्ग –00 % पिछड़ा वर्ग – 00 %
(अनुसूची–I) (अनुसूची–II)
कुल – 50 प्रतिशत।

रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि	रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि
1	अनारक्षित	26	अ0ज0जा0
2	अ0ज0जा0	27	अनारक्षित
3	अनारक्षित	28	अ0ज0जा0
4	अ0ज0जा0	29	अनारक्षित
5	अनारक्षित	30	अ0ज0जा0
6	अ0ज0जा0	31	अनारक्षित
7	अनारक्षित	32	अ0ज0जा0
8	अ0ज0जा0	33	अनारक्षित
9	अनारक्षित	34	अ0ज0जा0
10	अ0जा0	35	अनारक्षित
11	अनारक्षित	36	अ0ज0जा0
12	अ0ज0जा0	37	अनारक्षित
13	अनारक्षित	38	अ0जा0
14	अ0ज0जा0	39	अनारक्षित
15	अनारक्षित	40	अ0ज0जा0
16	अ0ज0जा0	41	अनारक्षित
17	अनारक्षित	42	अ0ज0जा0
18	अ0ज0जा0	43	अनारक्षित
19	अनारक्षित	44	अ0ज0जा0
20	अ0ज0जा0	45	अनारक्षित
21	अनारक्षित	46	अ0ज0जा0
22	अ0ज0जा0	47	अनारक्षित
23	अनारक्षित	48	अ0ज0जा0
24	अ0जा0	49	अनारक्षित
25	अनारक्षित	50	अ0ज0जा0

(सहायक)

प्र0 पदा0

संयुक्त सचिव
कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा
झारखण्ड, रांची

रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि	रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि
51	अनारक्षित	76	अ0ज0जा0
52	अ0जा0	77	अनारक्षित
53	अनारक्षित	78	अ0ज0जा0
54	अ0ज0जा0	79	अनारक्षित
55	अनारक्षित	80	अ0जा0
56	अ0ज0जा0	81	अनारक्षित
57	अनारक्षित	82	अ0ज0जा0
58	अ0ज0जा0	83	अनारक्षित
59	अनारक्षित	84	अ0ज0जा0
60	अ0ज0जा0	85	अनारक्षित
61	अनारक्षित	86	अ0ज0जा0
62	अ0ज0जा0	87	अनारक्षित
63	अनारक्षित	88	अ0ज0जा0
64	अ0ज0जा0	89	अनारक्षित
65	अनारक्षित	90	अ0ज0जा0
66	अ0जा0	91	अनारक्षित
67	अनारक्षित	92	अ0ज0जा0
68	अ0ज0जा0	93	अनारक्षित
69	अनारक्षित	94	अ0जा0
70	अ0ज0जा0	95	अनारक्षित
71	अनारक्षित	96	अ0ज0जा0
72	अ0ज0जा0	97	अनारक्षित
73	अनारक्षित	98	अ0ज0जा0
74	अ0ज0जा0	99	अनारक्षित
75	अनारक्षित	100	अ0ज0जा0

संकेताक्षर — अ0जा0 — अनुसूचित जाति

अ0ज0जा0 — अनुसूचित जनजाति

संयुक्त सचिव
कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा
झारखण्ड, रांची

(435)

झारखण्ड सरकार

जिला स्तरीय मुफ्फसिल स्थापना के लिए आदर्श आरक्षण रोस्टर

जिला का नाम :– पश्चिमी सिंहभूम (चाईबासा)

आरक्षण प्रतिशत :– अनुसूचित जाति –04 % अनुसूचित जनजाति– 46 %
अत्यन्त पिछड़ा वर्ग – 00 % (अनुसूची–I) पिछड़ा वर्ग – 00 % (अनुसूची–II)
कुल – 50 प्रतिशत।

रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि
1	अनारक्षित
2	अ0ज0जा0
3	अनारक्षित
4	अ0ज0जा0
5	अनारक्षित
6	अ0ज0जा0
7	अनारक्षित
8	अ0ज0जा0
9	अनारक्षित
10	अ0ज0जा0
11	अनारक्षित
12	अ0ज0जा0
13	अनारक्षित
14	अ0ज0जा0
15	अनारक्षित
16	अ0ज0जा0
17	अनारक्षित
18	अ0जा0
19	अनारक्षित
20	अ0ज0जा0
21	अनारक्षित
22	अ0ज0जा0
23	अनारक्षित
24	अ0ज0जा0
25	अनारक्षित
26	अ0ज0जा0
27	अनारक्षित
28	अ0ज0जा0
29	अनारक्षित
30	अ0ज0जा0
31	अनारक्षित
32	अ0ज0जा0
33	अनारक्षित
34	अ0ज0जा0
35	अनारक्षित
36	अ0ज0जा0
37	अनारक्षित
38	अ0ज0जा0
39	अनारक्षित
40	अ0ज0जा0
41	अनारक्षित
42	अ0ज0जा0
43	अनारक्षित
44	अ0ज0जा0
45	अनारक्षित
46	अ0जा0
47	अनारक्षित
48	अ0ज0जा0
49	अनारक्षित

संयुक्त सचिव
कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा
झारखण्ड, रांची

50	अ0ज0जा0
51	अनारक्षित
52	अ0ज0जा0
53	अनारक्षित
54	अ0ज0जा0
55	अनारक्षित
56	अ0ज0जा0
57	अनारक्षित
58	अ0ज0जा0
59	अनारक्षित
60	अ0ज0जा0
61	अनारक्षित
62	अ0ज0जा0
63	अनारक्षित
64	अ0ज0जा0
65	अनारक्षित
66	अ0ज0जा0
67	अनारक्षित
68	अ0ज0जा0
69	अनारक्षित
70	अ0जा0
71	अनारक्षित
72	अ0ज0जा0
73	अनारक्षित
74	अ0ज0जा0
75	अनारक्षित

76	अ0ज0जा0
77	अनारक्षित
78	अ0ज0जा0
79	अनारक्षित
80	अ0ज0जा0
81	अनारक्षित
82	अ0ज0जा0
83	अनारक्षित
84	अ0ज0जा0
85	अनारक्षित
86	अ0ज0जा0
87	अनारक्षित
88	अ0ज0जा0
89	अनारक्षित
90	अ0ज0जा0
91	अनारक्षित
92	अ0ज0जा0
93	अनारक्षित
94	अ0ज0जा0
95	अनारक्षित
96	अ0ज0जा0
97	अनारक्षित
98	अ0जा0
99	अनारक्षित
100	अ0ज0जा0

संकेताक्षर — अ0जा0 — अनुसूचित जाति

अ0ज0जा0 — अनुसूचित जनजाति

संयुक्त सचिव
कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा
झारखण्ड, रांची

433

झारखण्ड सरकार

जिला स्तरीय मुफ्फसिल स्थापना के लिए आदर्श आरक्षण रोस्टर

जिला का नाम :— दुमका

आरक्षण प्रतिशत :— अनुसूचित जाति —05 % अनुसूचित जनजाति— 45 %
अत्यन्त पिछड़ा वर्ग — 00 % पिछड़ा वर्ग —00 %
(अनुसूची—I) (अनुसूची—II)
कुल — 50 प्रतिशत।

रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि	रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि
1	अनारक्षित	26	अ0ज0जा0
2	अ0ज0जा0	27	अनारक्षित
3	अनारक्षित	28	अ0ज0जा0
4	अ0ज0जा0	29	अनारक्षित
5	अनारक्षित	30	अ0ज0जा0
6	अ0ज0जा0	31	अनारक्षित
7	अनारक्षित	32	अ0ज0जा0
8	अ0ज0जा0	33	अनारक्षित
9	अनारक्षित	34	अ0ज0जा0
10	अ0ज0जा0	35	अनारक्षित
11	अनारक्षित	36	अ0जा0
12	अ0ज0जा0	37	अनारक्षित
13	अनारक्षित	38	अ0ज0जा0
14	अ0जा0	39	अनारक्षित
15	अनारक्षित	40	अ0ज0जा0
16	अ0ज0जा0	41	अनारक्षित
17	अनारक्षित	42	अ0ज0जा0
18	अ0ज0जा0	43	अनारक्षित
19	अनारक्षित	44	अ0ज0जा0
20	अ0ज0जा0	45	अनारक्षित
21	अनारक्षित	46	अ0ज0जा0
22	अ0ज0जा0	47	अनारक्षित
23	अनारक्षित	48	अ0ज0जा0
24	अ0ज0जा0	49	अनारक्षित
25	अनारक्षित	50	अ0ज0जा0

संयुक्त सचिव
कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा
झारखण्ड, रांची

रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि	रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि
51	अनारक्षित	76	अ0जा0
52	अ0ज0जा0	77	अनारक्षित
53	अनारक्षित	78	अ0ज0जा0
54	अ0ज0जा0	79	अनारक्षित
55	अनारक्षित	80	अ0ज0जा0
56	अ0ज0जा0	81	अनारक्षित
57	अनारक्षित	82	अ0ज0जा0
58	अ0ज0जा0	83	अनारक्षित
59	अनारक्षित	84	अ0ज0जा0
60	अ0जा0	85	अनारक्षित
61	अनारक्षित	86	अ0ज0जा0
62	अ0ज0जा0	87	अनारक्षित
63	अनारक्षित	88	अ0ज0जा0
64	अ0ज0जा0	89	अनारक्षित
65	अनारक्षित	90	अ0ज0जा0
66	अ0ज0जा0	91	अनारक्षित
67	अनारक्षित	92	अ0ज0जा0
68	अ0ज0जा0	93	अनारक्षित
69	अनारक्षित	94	अ0ज0जा0
70	अ0ज0जा0	95	अनारक्षित
71	अनारक्षित	96	अ0ज0जा0
72	अ0ज0जा0	97	अनारक्षित
73	अनारक्षित	98	अ0जा0
74	अ0ज0जा0	99	अनारक्षित
75	अनारक्षित	100	अ0ज0जा0

संकेताक्षर — अ0जा0 — अनुसूचित जाति

अ0ज0जा0 — अनुसूचित जनजाति

संयुक्त सचिव
कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा
झारखण्ड, रांची

झारखण्ड सरकार

जिला स्तरीय मुफ्फसिल स्थापना के लिए आदर्श आरक्षण रोस्टर

जिला का नाम :– रांची

आरक्षण प्रतिशत :– अनुसूचित जाति –05 % अनुसूचित जनजाति–37 %
अत्यन्त पिछड़ा वर्ग – 05 % पिछड़ा वर्ग – 03 %
(अनुसूची–I) (अनुसूची–II)
कुल – 50 प्रतिशत।

रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि	रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि
1	अनारक्षित	26	*अ०ज०जा०*
2	*अ०ज०जा०*	27	अनारक्षित
3	अनारक्षित	28	*अ०ज०जा०*
4	*अ०ज०जा०*	29	अनारक्षित
5	अनारक्षित	30	*अ०ज०जा०*
6	*अत्य०पि०व०*	31	अनारक्षित
7	अनारक्षित	32	*पि०व०*
8	*अ०ज०जा०*	33	अनारक्षित
9	अनारक्षित	34	*अ०जा०*
10	*अ०ज०जा०*	35	अनारक्षित
11	अनारक्षित	36	*अ०ज०जा०*
12	*अ०ज०जा०*	37	अनारक्षित
13	अनारक्षित	38	*अ०ज०जा०*
14	*अ०जा०*	39	अनारक्षित
15	अनारक्षित	40	*अ०ज०जा०*
16	*अत्य०पि०व०*	41	अनारक्षित
17	अनारक्षित	42	*अ०ज०जा०*
18	*अ०ज०जा०*	43	अनारक्षित
19	अनारक्षित	44	*अ०ज०जा०*
20	*अ०ज०जा०*	45	अनारक्षित
21	अनारक्षित	46	*अ०जा०*
22	*अ०ज०जा०*	47	अनारक्षित
23	अनारक्षित	48	*अत्य०पि०व०*
24	*अ०ज०जा०*	49	अनारक्षित
25	अनारक्षित	50	*अ०ज०जा०*

संयुक्त सचिव
कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा
झारखण्ड, रांची

रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि	रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि
51	अनारक्षित	76	अ0ज0जा0
52	अ0ज0जा0	77	अनारक्षित
53	अनारक्षित	78	अ0ज0जा0
54	अ0ज0जा0	79	अनारक्षित
55	अनारक्षित	80	अ0ज0जा0
56	पि0व0	81	अनारक्षित
57	अनारक्षित	82	पि0व0
58	अ0ज0जा0	83	अनारक्षित
59	अनारक्षित	84	अ0ज0जा0
60	अ0ज0जा0	85	अनारक्षित
61	अनारक्षित	86	अ0ज0जा0
62	अ0ज0जा0	87	अनारक्षित
63	अनारक्षित	88	अ0ज0जा0
64	अ0ज0जा0	89	अनारक्षित
65	अनारक्षित	90	अ0ज0जा0
66	अत्य0पि0व0	91	अनारक्षित
67	अनारक्षित	92	अ0जा0
68	अ0ज0जा0	93	अनारक्षित
69	अनारक्षित	94	अ0ज0जा0
70	अ0ज0जा0	95	अनारक्षित
71	अनारक्षित	96	अत्य0पि0व0
72	अ0ज0जा0	97	अनारक्षित
73	अनारक्षित	98	अ0ज0जा0
74	अ0जा0	99	अनारक्षित
75	अनारक्षित	100	अ0ज0जा0

संकेताक्षर — अ0जा0 — अनुसूचित जाति

अ0ज0जा0 — अनुसूचित जनजाति

अत्य0पि0व0 — अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–I)

पि0व0 — पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–II)

संयुक्त सचिव
कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा
झारखंड, रांची

429

झारखण्ड सरकार

जिला स्तरीय मुफ्फसिल स्थापना के लिए आदर्श आरक्षण रोस्टर

जिला का नाम :– खूंटी

आरक्षण प्रतिशत :– अनुसूचित जाति –05 % अनुसूचित जनजाति– 45 %
अत्यन्त पिछड़ा वर्ग – 00 % पिछड़ा वर्ग – 00 %
(अनुसूची–I) (अनुसूची–II)
कुल – 50 प्रतिशत।

रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि	रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि
1	अनारक्षित	26	अ0ज0जा0
2	अ0ज0जा0	27	अनारक्षित
3	अनारक्षित	28	अ0ज0जा0
4	अ0ज0जा0	29	अनारक्षित
5	अनारक्षित	30	अ0ज0जा0
6	अ0ज0जा0	31	अनारक्षित
7	अनारक्षित	32	अ0ज0जा0
8	अ0ज0जा0	33	अनारक्षित
9	अनारक्षित	34	अ0ज0जा0
10	अ0ज0जा0	35	अनारक्षित
11	अनारक्षित	36	अ0जा0
12	अ0ज0जा0	37	अनारक्षित
13	अनारक्षित	38	अ0ज0जा0
14	अ0जा0	39	अनारक्षित
15	अनारक्षित	40	अ0ज0जा0
16	अ0ज0जा0	41	अनारक्षित
17	अनारक्षित	42	अ0ज0जा0
18	अ0ज0जा0	43	अनारक्षित
19	अनारक्षित	44	अ0ज0जा0
20	अ0ज0जा0	45	अनारक्षित
21	अनारक्षित	46	अ0ज0जा0
22	अ0ज0जा0	47	अनारक्षित
23	अनारक्षित	48	अ0ज0जा0
24	अ0ज0जा0	49	अनारक्षित
25	अनारक्षित	50	अ0ज0जा0

प्र. सचि.

संयुक्त सचिव
कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा
झारखण्ड, रांची

रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि	रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि
51	अनारक्षित	76	अ0जा0
52	अ0ज0जा0	77	अनारक्षित
53	अनारक्षित	78	अ0ज0जा0
54	अ0ज0जा0	79	अनारक्षित
55	अनारक्षित	80	अ0ज0जा0
56	अ0ज0जा0	81	अनारक्षित
57	अनारक्षित	82	अ0ज0जा0
58	अ0ज0जा0	83	अनारक्षित
59	अनारक्षित	84	अ0ज0जा0
60	अ0जा0	85	अनारक्षित
61	अनारक्षित	86	अ0ज0जा0
62	अ0ज0जा0	87	अनारक्षित
63	अनारक्षित	88	अ0ज0जा0
64	अ0ज0जा0	89	अनारक्षित
65	अनारक्षित	90	अ0ज0जा0
66	अ0ज0जा0	91	अनारक्षित
67	अनारक्षित	92	अ0ज0जा0
68	अ0ज0जा0	93	अनारक्षित
69	अनारक्षित	94	अ0ज0जा0
70	अ0ज0जा0	95	अनारक्षित
71	अनारक्षित	96	अ0ज0जा0
72	अ0ज0जा0	97	अनारक्षित
73	अनारक्षित	98	अ0जा0
74	अ0ज0जा0	99	अनारक्षित
75	अनारक्षित	100	अ0ज0जा0

नोट : अ0ज0जा0 – अनुसूचित जनजाति

अ0जा0 – अनुसूचित जाति

(प्रशाखा पदाधिकारी)

प्र.पदा.

संयुक्त सचिव
कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा
झारखण्ड, रांची

झारखण्ड सरकार

जिला स्तरीय मुफ्फसिल स्थापना के लिए आदर्श आरक्षण रोस्टर

जिला का नाम :– हजारीबाग

आरक्षण प्रतिशत :– अनुसूचित जाति –21 % अनुसूचित जनजाति– 04 %

अत्यन्त पिछड़ा वर्ग – 14 % पिछड़ा वर्ग – 11 %

(अनुसूची–I) (अनुसूची–II)

कुल – 50 प्रतिशत।

रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि	रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि
1	अनारक्षित	26	अत्य0पि0व0
2	अत्य0पि0व0	27	अनारक्षित
3	अनारक्षित	28	अ0जा0
4	अ0जा0	29	अनारक्षित
5	अनारक्षित	30	पि0व0
6	पि0व0	31	अनारक्षित
7	अनारक्षित	32	अत्य0पि0व0
8	अत्य0पि0व0	33	अनारक्षित
9	अनारक्षित	34	अ0जा0
10	पि0व0	35	अनारक्षित
11	अनारक्षित	36	पि0व0
12	अत्य0पि0व0	37	अनारक्षित
13	अनारक्षित	38	अ0जा0
14	अ0जा0	39	अनारक्षित
15	अनारक्षित	40	अत्य0पि0व0
16	अत्य0पि0व0	41	अनारक्षित
17	अनारक्षित	42	अ0जा0
18	अ0जा0	43	अनारक्षित
19	अनारक्षित	44	अत्य0पि0व0
20	अ0ज0जा0	45	अनारक्षित
21	अनारक्षित	46	अ0जा0
22	पि0व0	47	अनारक्षित
23	अनारक्षित	48	अ0ज0जा0
24	अ0जा0	49	अनारक्षित
25	अनारक्षित	50	अ0जा0

प्र. वर्मा

संयुक्त सचिव
कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा
झारखण्ड, रांची

रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि	रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि
51	अनारक्षित	76	अत्य0पि0व0
52	पि0व0	77	अनारक्षित
53	अनारक्षित	78	अ0जा0
54	अ0जा0	79	अनारक्षित
55	अनारक्षित	80	पि0व0
56	अत्य0पि0व0	81	अनारक्षित
57	अनारक्षित	82	अत्य0पि0व0
58	अ0जा0	83	अनारक्षित
59	अनारक्षित	84	अ0जा0
60	पि0व0	85	अनारक्षित
61	अनारक्षित	86	पि0व0
62	अ0जा0	87	अनारक्षित
63	अनारक्षित	88	अ0जा0
64	अ0जा0	89	अनारक्षित
65	अनारक्षित	90	अत्य0पि0व0
66	अत्य0पि0व0	91	अनारक्षित
67	अनारक्षित	92	पि0व0
68	अ0जा0	93	अनारक्षित
69	अनारक्षित	94	अ0जा0
70	अ0ज0जा0	95	अनारक्षित
71	अनारक्षित	96	अत्य0पि0व0
72	पि0व0	97	अनारक्षित
73	अनारक्षित	98	अ0जा0
74	अ0जा0	99	अनारक्षित
75	अनारक्षित	100	अ0ज0जा0

संकेताक्षर — अ0जा0 — अनुसूचित जाति

अ0ज0जा0 — अनुसूचित जनजाति

अत्य0पि0व0 — अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–I)

पि0व0 — पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–II)

संयुक्त सचिव
कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा
झारखण्ड, राँची

(425)

झारखण्ड सरकार

जिला स्तरीय मुफ्फसिल स्थापना के लिए आदर्श आरक्षण रोस्टर

जिला का नाम :— रामगढ़

आरक्षण प्रतिशत :— अनुसूचित जाति —11 % अनुसूचित जनजाति— 20 %
अत्यन्त पिछड़ा वर्ग — 11 % पिछड़ा वर्ग —08 %
(अनुसूची—I) (अनुसूची—II)
कुल — 50 प्रतिशत।

रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि	रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि
1	अनारक्षित	26	अत्य0पि0व0
2	अ0ज0जा0	27	अनारक्षित
3	अनारक्षित	28	अ0ज0जा0
4	अत्य0पि0व0	29	अनारक्षित
5	अनारक्षित	30	अत्य0पि0व0
6	अ0ज0जा0	31	अनारक्षित
7	अनारक्षित	32	अ0जा0
8	अ0जा0	33	अनारक्षित
9	अनारक्षित	34	अ0ज0जा0
10	अ0ज0जा0	35	अनारक्षित
11	अनारक्षित	36	पि0व0
12	पि0व0	37	अनारक्षित
13	अनारक्षित	38	अ0ज0जा0
14	अ0ज0जा0	39	अनारक्षित
15	अनारक्षित	40	अ0जा0
16	अ0जा0	41	अनारक्षित
17	अनारक्षित	42	अत्य0पि0व0
18	अत्य0पि0व0	43	अनारक्षित
19	अनारक्षित	44	अ0ज0जा0
20	अ0ज0जा0	45	अनारक्षित
21	अनारक्षित	46	पि0व0
22	पि0व0	47	अनारक्षित
23	अनारक्षित	48	अ0ज0जा0
24	अ0जा0	49	अनारक्षित
25	अनारक्षित	50	अ0जा0

संयुक्त सचिव
कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा
झारखण्ड, रांची

रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि	रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि
51	अनारक्षित	76	अत्य0पि0व0
52	अत्य0पि0व0	77	अनारक्षित
53	अनारक्षित	78	अ0ज0जा0
54	अ0ज0जा0	79	अनारक्षित
55	अनारक्षित	80	अ0जा0
56	पि0व0	81	अनारक्षित
57	अनारक्षित	82	अ0ज0जा0
58	अ0ज0जा0	83	अनारक्षित
59	अनारक्षित	84	पि0व0
60	अ0जा0	85	अनारक्षित
61	अनारक्षित	86	अ0ज0जा0
62	अत्य0पि0व0	87	अनारक्षित
63	अनारक्षित	88	अत्य0पि0व0
64	अ0ज0जा0	89	अनारक्षित
65	अनारक्षित	90	अ0जा0
66	अत्य0पि0व0	91	अनारक्षित
67	अनारक्षित	92	अ0ज0जा0
68	अ0ज0जा0	93	अनारक्षित
69	अनारक्षित	94	अत्य0पि0व0
70	अ0जा0	95	अनारक्षित
71	अनारक्षित	96	अ0ज0जा0
72	पि0व0	97	अनारक्षित
73	अनारक्षित	98	पि0व0
74	अ0ज0जा0	99	अनारक्षित
75	अनारक्षित	100	अ0जा0

संकेताक्षर — अ0जा0 — अनुसूचित जाति

अ0ज0जा0 — अनुसूचित जनजाति

अत्य0पि0व0 — अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–I)

पि0व0 — पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–II)

(24/6/14)

प्र. पदा.

संयुक्त सचिव
कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा
झारखण्ड, रांची

(423)

झारखण्ड सरकार

जिला स्तरीय मुफ्फसिल स्थापना के लिए आदर्श आरक्षण रोस्टर

जिला का नाम :– साहेबगंज, पाकुड़, सरायकेला–खरसावां

आरक्षण प्रतिशत :– अनुसूचित जाति –05 % अनुसूचित जनजाति– 38 %
अत्यन्त पिछड़ा वर्ग – 04 % पिछड़ा वर्ग – 03 %
(अनुसूची–I) (अनुसूची–II)
कुल – 50 प्रतिशत।

रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि	रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि
1	अनारक्षित	26	अ0ज0जा0
2	अ0ज0जा0	27	अनारक्षित
3	अनारक्षित	28	अ0ज0जा0
4	अ0ज0जा0	29	अनारक्षित
5	अनारक्षित	30	अ0ज0जा0
6	अ0ज0जा0	31	अनारक्षित
7	अनारक्षित	32	अ0ज0जा0
8	अ0ज0जा0	33	अनारक्षित
9	अनारक्षित	34	अ0जा0
10	*अत्य0पि0व0*	35	अनारक्षित
11	अनारक्षित	36	अ0ज0जा0
12	अ0ज0जा0	37	अनारक्षित
13	अनारक्षित	38	*अत्य0पि0व0*
14	अ0जा0	39	अनारक्षित
15	अनारक्षित	40	अ0ज0जा0
16	अ0ज0जा0	41	अनारक्षित
17	अनारक्षित	42	अ0ज0जा0
18	अ0ज0जा0	43	अनारक्षित
19	अनारक्षित	44	अ0ज0जा0
20	अ0ज0जा0	45	अनारक्षित
21	अनारक्षित	46	अ0जा0
22	अ0ज0जा0	47	अनारक्षित
23	अनारक्षित	48	अ0ज0जा0
24	*पि0व0*	49	अनारक्षित
25	अनारक्षित	50	अ0ज0जा0

प्र. पर्या.

संयुक्त सचिव
कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा
झारखण्ड, रांची

रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि	रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि
51	अनारक्षित	76	अ0ज0जा0
52	*पि0व0*	77	अनारक्षित
53	अनारक्षित	78	अ0ज0जा0
54	अ0ज0जा0	79	अनारक्षित
55	अनारक्षित	80	*पि0व0*
56	अ0ज0जा0	81	अनारक्षित
57	अनारक्षित	82	अ0ज0जा0
58	अ0ज0जा0	83	अनारक्षित
59	अनारक्षित	84	अ0ज0जा0
60	अ0ज0जा0	85	अनारक्षित
61	अनारक्षित	86	अ0ज0जा0
62	अ0ज0जा0	87	अनारक्षित
63	अनारक्षित	88	अ0ज0जा0
64	अ0ज0जा0	89	अनारक्षित
65	अनारक्षित	90	अ0ज0जा0
66	*अत्य0पि0व0*	91	अनारक्षित
67	अनारक्षित	92	अ0जा0
68	अ0ज0जा0	93	अनारक्षित
69	अनारक्षित	94	*अत्य0पि0व0*
70	अ0ज0जा0	95	अनारक्षित
71	अनारक्षित	96	अ0ज0जा0
72	अ0ज0जा0	97	अनारक्षित
73	अनारक्षित	98	अ0ज0जा0
74	अ0जा0	99	अनारक्षित
75	अनारक्षित	100	अ0ज0जा0

संकेताक्षर — अ0जा0 — अनुसूचित जाति

अ0ज0जा0 — अनुसूचित जनजाति

अत्य0पि0व0 — अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–I)

पि0व0 — पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–II)

संयुक्त सचिव
कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा
झारखण्ड, रांची

(421)

झारखण्ड सरकार

जिला स्तरीय मुफ्फसिल स्थापना के लिए आदर्श आरक्षण रोस्टर

जिला का नाम :– पूर्वी सिंहभूम

आरक्षण प्रतिशत :– अनुसूचित जाति –04 % अनुसूचित जनजाति– 28 %
अत्यन्त पिछड़ा वर्ग – 10 % पिछड़ा वर्ग – 08 %
(अनुसूची–I) (अनुसूची–II)
कुल – 50 प्रतिशत।

रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि	रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि
1	अनारक्षित	26	अ0ज0जा0
2	अ0ज0जा0	27	अनारक्षित
3	अनारक्षित	28	अत्य0पि0व0
4	अत्य0पि0व0	29	अनारक्षित
5	अनारक्षित	30	अ0ज0जा0
6	अ0ज0जा0	31	अनारक्षित
7	अनारक्षित	32	अ0ज0जा0
8	अ0ज0जा0	33	अनारक्षित
9	अनारक्षित	34	पि0व0
10	पि0व0	35	अनारक्षित
11	अनारक्षित	36	अ0ज0जा0
12	अ0ज0जा0	37	अनारक्षित
13	अनारक्षित	38	अ0ज0जा0
14	अ0ज0जा0	39	अनारक्षित
15	अनारक्षित	40	अत्य0पि0व0
16	अत्य0पि0व0	41	अनारक्षित
17	अनारक्षित	42	अ0ज0जा0
18	अ0जा0	43	अनारक्षित
19	अनारक्षित	44	पि0व0
20	अ0ज0जा0	45	अनारक्षित
21	अनारक्षित	46	अ0जा0
22	पि0व0	47	अनारक्षित
23	अनारक्षित	48	अ0ज0जा0
24	अ0ज0जा0	49	अनारक्षित
25	अनारक्षित	50	अत्य0पि0व0

संयुक्त सचिव
कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा
झारखण्ड, रांची

रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि	रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि
51	अनारक्षित	76	अ0ज0जा0
52	अ0ज0जा0	77	अनारक्षित
53	अनारक्षित	78	*पि0व0*
54	*पि0व0*	79	अनारक्षित
55	अनारक्षित	80	अ0ज0जा0
56	अ0ज0जा0	81	अनारक्षित
57	अनारक्षित	82	अ0ज0जा0
58	अ0ज0जा0	83	अनारक्षित
59	अनारक्षित	84	*अत्य0पि0व0*
60	*अत्य0पि0व0*	85	अनारक्षित
61	अनारक्षित	86	अ0ज0जा0
62	अ0ज0जा0	87	अनारक्षित
63	अनारक्षित	88	*पि0व0*
64	अ0ज0जा0	89	अनारक्षित
65	अनारक्षित	90	अ0ज0जा0
66	*पि0व0*	91	अनारक्षित
67	अनारक्षित	92	*अत्य0पि0व0*
68	अ0ज0जा0	93	अनारक्षित
69	अनारक्षित	94	अ0ज0जा0
70	अ0जा0	95	अनारक्षित
71	अनारक्षित	96	*अत्य0पि0व0*
72	*अत्य0पि0व0*	97	अनारक्षित
73	अनारक्षित	98	अ0जा0
74	अ0ज0जा0	99	अनारक्षित
75	अनारक्षित	100	अ0ज0जा0

संकेताक्षर — अ0जा0 — अनुसूचित जाति

अ0ज0जा0 — अनुसूचित जनजाति

अत्य0पि0व0 — अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–I)

पि0व0 — पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–II)

संयुक्त सचिव

कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा

झारखण्ड, रांची

(519)

झारखण्ड सरकार

जिला स्तरीय मुफ्फसिल स्थापना के लिए आदर्श आरक्षण रोस्टर

जिला का नाम :– देवघर

आरक्षण प्रतिशत :– अनुसूचित जाति –12 % अनुसूचित जनजाति–12 %
अत्यन्त पिछड़ा वर्ग – 15 % पिछड़ा वर्ग – 11 %
(अनुसूची–I) (अनुसूची–II)
कुल – 50 प्रतिशत।

रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि	रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि
1	अनारक्षित	26	पि०व०
2	अत्य०पि०व०	27	अनारक्षित
3	अनारक्षित	28	अ०जा०
4	पि०व०	29	अनारक्षित
5	अनारक्षित	30	अ०ज०जा०
6	अ०जा०	31	अनारक्षित
7	अनारक्षित	32	अत्य०पि०व०
8	अ०ज०जा०	33	अनारक्षित
9	अनारक्षित	34	पि०व०
10	अत्य०पि०व०	35	अनारक्षित
11	अनारक्षित	36	अ०जा०
12	अ०जा०	37	अनारक्षित
13	अनारक्षित	38	अ०ज०जा०
14	अ०ज०जा०	39	अनारक्षित
15	अनारक्षित	40	अत्य०पि०व०
16	पि०व०	41	अनारक्षित
17	अनारक्षित	42	पि०व०
18	अत्य०पि०व०	43	अनारक्षित
19	अनारक्षित	44	अ०जा०
20	अ०जा०	45	अनारक्षित
21	अनारक्षित	46	अ०ज०जा०
22	अ०ज०जा०	47	अनारक्षित
23	अनारक्षित	48	अत्य०पि०व०
24	अत्य०पि०व०	49	अनारक्षित
25	अनारक्षित	50	अत्य०पि०व०

संयुक्त सचिव
कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा
झारखण्ड, रांची

रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि	रोस्टर क्रमांक	- आरक्षण कोटि
51	अनारक्षित	76	*अत्य0पि0व0*
52	*पि0व0*	77	अनारक्षित
53	अनारक्षित	78	अ0जा0
54	*अत्य0पि0व0*	79	अनारक्षित
55	अनारक्षित	80	अ0ज0जा0
56	अ0जा0	81	अनारक्षित
57	अनारक्षित	82	*पि0व0*
58	अ0ज0जा0	83	अनारक्षित
59	अनारक्षित	84	*अत्य0पि0व0*
60	*पि0व0*	85	अनारक्षित
61	अनारक्षित	86	अ0जा0
62	अ0जा0	87	अनारक्षित
63	अनारक्षित	88	अ0ज0जा0
64	अ0ज0जा0	89	अनारक्षित
65	अनारक्षित	90	*पि0व0*
66	*अत्य0पि0व0*	91	अनारक्षित
67	अनारक्षित	92	*अत्य0पि0व0*
68	*पि0व0*	93	अनारक्षित
69	अनारक्षित	94	अ0जा0
70	अ0जा0	95	अनारक्षित
71	अनारक्षित	96	अ0ज0जा0
72	अ0ज0जा0	97	अनारक्षित
73	अनारक्षित	98	*पि0व0*
74	*अत्य0पि0व0*	99	अनारक्षित
75	अनारक्षित	100	*अत्य0पि0व0*

संकेताक्षर — अ0जा0 — अनुसूचित जाति

अ0ज0जा0 — अनुसूचित जनजाति

अत्य0पि0व0 — अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–I)

पि0व0 — पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–II)

संयुक्त सचिव
कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा
झारखण्ड, रांची

(417)

झारखण्ड सरकार

जिला स्तरीय मुफ्फसिल स्थापना के लिए आदर्श आरक्षण रोस्टर

जिला का नाम :– गोड्डा

आरक्षण प्रतिशत :– अनुसूचित जाति –08 % अनुसूचित जनजाति– 25 %
अत्यन्त पिछड़ा वर्ग – 10 % पिछड़ा वर्ग – 07 %
(अनुसूची–I) (अनुसूची–II)
कुल – 50 प्रतिशत।

रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि	रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि
1	अनारक्षित	26	अ0ज0जा0
2	अ0ज0जा0	27	अनारक्षित
3	अनारक्षित	28	*अत्य0पि0व0*
4	*अत्य0पि0व0*	29	अनारक्षित
5	अनारक्षित	30	अ0ज0जा0
6	अ0जा0	31	अनारक्षित
7	अनारक्षित	32	अ0जा0
8	अ0ज0जा0	33	अनारक्षित
9	अनारक्षित	34	अ0ज0जा0
10	*पि0व0*	35	अनारक्षित
11	अनारक्षित	36	*अत्य0पि0व0*
12	अ0ज0जा0	37	अनारक्षित
13	अनारक्षित	38	अ0ज0जा0
14	अ0ज0जा0	39	अनारक्षित
15	अनारक्षित	40	*पि0व0*
16	अ0जा0	41	अनारक्षित
17	अनारक्षित	42	अ0ज0जा0
18	*अत्य0पि0व0*	43	अनारक्षित
19	अनारक्षित	44	अ0ज0जा0
20	अ0ज0जा0	45	अनारक्षित
21	अनारक्षित	46	*अत्य0पि0व0*
22	अ0ज0जा0	47	अनारक्षित
23	अनारक्षित	48	अ0जा0
24	*पि0व0*	49	अनारक्षित
25	अनारक्षित	50	अ0ज0जा0

संयुक्त सचिव
कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा
झारखण्ड, रांची

रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि	रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि
51	अनारक्षित	76	अ0ज0जा0
52	अ0ज0जा0	77	अनारक्षित
53	अनारक्षित	78	*अत्य0पि0व0*
54	*पि0व0*	79	अनारक्षित
55	अनारक्षित	80	अ0ज0जा0
56	अ0जा0	81	अनारक्षित
57	अनारक्षित	82	अ0जा0
58	अ0ज0जा0	83	अनारक्षित
59	अनारक्षित	84	अ0ज0जा0
60	*अत्य0पि0व0*	85	अनारक्षित
61	अनारक्षित	86	*पि0व0*
62	अ0ज0जा0	87	अनारक्षित
63	अनारक्षित	88	अ0ज0जा0
64	अ0ज0जा0	89	अनारक्षित
65	अनारक्षित	90	*अत्य0पि0व0*
66	अ0जा0	91	अनारक्षित
67	अनारक्षित	92	*पि0व0*
68	*पि0व0*	93	अनारक्षित
69	अनारक्षित	94	अ0ज0जा0
70	अ0ज0जा0	95	अनारक्षित
71	अनारक्षित	96	अ0जा0
72	अ0ज0जा0	97	अनारक्षित
73	अनारक्षित	98	अ0ज0जा0
74	*अत्य0पि0व0*	99	अनारक्षित
75	अनारक्षित	100	*अत्य0पि0व0*

संकेताक्षर – अ0जा0 – अनुसूचित जाति

अ0ज0जा0 – अनुसूचित जनजाति

अत्य0पि0व0 – अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–I)

पि0व0 – पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–II)

संयुक्त सचिव
कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा
झारखण्ड, राँची

झारखण्ड सरकार

जिला स्तरीय मुफ्फसिल स्थापना के लिए आदर्श आरक्षण रोस्टर

जिला का नाम :– जामताड़ा

आरक्षण प्रतिशत :– अनुसूचित जाति –09 % अनुसूचित जनजाति– 32 %
अत्यन्त पिछड़ा वर्ग –05 % पिछड़ा वर्ग – 04 %
(अनुसूची–I) (अनुसूची–II)
कुल – 50 प्रतिशत।

रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि	रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि
1	अनारक्षित	26	अ0जा0
2	अ0ज0जा0	27	अनारक्षित
3	अनारक्षित	28	अ0ज0जा0
4	अ0ज0जा0	29	अनारक्षित
5	अनारक्षित	30	अत्य0पि0व0
6	अ0जा0	31	अनारक्षित
7	अनारक्षित	32	अ0ज0जा0
8	अत्य0पि0व0	33	अनारक्षित
9	अनारक्षित	34	अ0ज0जा0
10	अ0ज0जा0	35	अनारक्षित
11	अनारक्षित	36	अ0ज0जा0
12	अ0ज0जा0	37	अनारक्षित
13	अनारक्षित	38	अ0जा0
14	पि0व0	39	अनारक्षित
15	अनारक्षित	40	अ0ज0जा0
16	अ0जा0	41	अनारक्षित
17	अनारक्षित	42	पि0व0
18	अ0ज0जा0	43	अनारक्षित
19	अनारक्षित	44	अ0ज0जा0
20	अ0ज0जा0	45	अनारक्षित
21	अनारक्षित	46	अ0जा0
22	अ0ज0जा0	47	अनारक्षित
23	अनारक्षित	48	अ0ज0जा0
24	अ0ज0जा0	49	अनारक्षित
25	अनारक्षित	50	अ0ज0जा0

संयुक्त सचिव
कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा
झारखण्ड, रांची

रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि	रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि
51	अनारक्षित	76	*अत्य0पि0व0*
52	*अत्य0पि0व0*	77	अनारक्षित
53	अनारक्षित	78	अ0ज0जा0
54	अ0ज0जा0	79	अनारक्षित
55	अनारक्षित	80	अ0ज0जा0
56	अ0जा0	81	अनारक्षित
57	अनारक्षित	82	अ0ज0जा0
58	अ0ज0जा0	83	अनारक्षित
59	अनारक्षित	84	अ0जा0
60	अ0ज0जा0	85	अनारक्षित
61	अनारक्षित	86	अ0ज0जा0
62	अ0ज0जा0	87	अनारक्षित
63	अनारक्षित	88	*पि0व0*
64	अ0ज0जा0	89	अनारक्षित
65	अनारक्षित	90	अ0ज0जा0
66	*पि0व0*	91	अनारक्षित
67	अनारक्षित	92	अ0ज0जा0
68	अ0ज0जा0	93	अनारक्षित
69	अनारक्षित	94	अ0ज0जा0
70	अ0ज0जा0	95	अनारक्षित
71	अनारक्षित	96	अ0जा0
72	अ0ज0जा0	97	अनारक्षित
73	अनारक्षित	98	*अत्य0पि0व0*
74	अ0जा0	99	अनारक्षित
75	अनारक्षित	100	अ0ज0जा0

संकेताक्षर — अ0जा0 — अनुसूचित जाति

अ0ज0जा0 — अनुसूचित जनजाति

अत्य0पि0व0 — अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–I)

पि0व0 — पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–II)

संयुक्त सचिव
कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा
झारखण्ड, रांची

झारखण्ड सरकार

जिला स्तरीय मुफ्फसिल स्थापना के लिए आदर्श आरक्षण रोस्टर

जिला का नाम :– पलामू

आरक्षण प्रतिशत :– अनुसूचित जाति –27 % अनुसूचित जनजाति– 08 %
अत्यन्त पिछड़ा वर्ग – 09 % पिछड़ा वर्ग – 06 %
(अनुसूची–I) (अनुसूची–II)
कुल – 50 प्रतिशत।

रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि	रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि
1	अनारक्षित	26	अ0जा0
2	अ0जा0	27	अनारक्षित
3	अनारक्षित	28	*अत्य0पि0व0*
4	अ0जा0	29	अनारक्षित
5	अनारक्षित	30	अ0जा0
6	*अत्य0पि0व0*	31	अनारक्षित
7	अनारक्षित	32	अ0ज0जा0
8	अ0ज0जा0	33	अनारक्षित
9	अनारक्षित	34	अ0जा0
10	अ0जा0	35	अनारक्षित
11	अनारक्षित	36	अ0जा0
12	*पि0व0*	37	अनारक्षित
13	अनारक्षित	38	*अत्य0पि0व0*
14	अ0जा0	39	अनारक्षित
15	अनारक्षित	40	अ0जा0
16	अ0ज0जा0	41	अनारक्षित
17	अनारक्षित	42	अ0जा0
18	अ0जा0	43	अनारक्षित
19	अनारक्षित	44	*पि0व0*
20	*अत्य0पि0व0*	45	अनारक्षित
21	अनारक्षित	46	अ0जा0
22	अ0जा0	47	अनारक्षित
23	अनारक्षित	48	अ0ज0जा0
24	*पि0व0*	49	अनारक्षित
25	अनारक्षित	50	अ0जा0

संयुक्त सचिव
कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा
झारखण्ड, रांची

रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि	रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि
51	अनारक्षित	76	अ0जा0
52	*अत्य0पि0व0*	77	अनारक्षित
53	अनारक्षित	78	*अत्य0पि0व0*
54	अ0जा0	79	अनारक्षित
55	अनारक्षित	80	अ0जा0
56	अ0ज0जा0	81	अनारक्षित
57	अनारक्षित	82	अ0ज0जा0
58	*पि0व0*	83	अनारक्षित
59	अनारक्षित	84	अ0जा0
60	अ0जा0	85	अनारक्षित
61	अनारक्षित	86	*अत्य0पि0व0*
62	अ0जा0	87	अनारक्षित
63	अनारक्षित	88	अ0जा0
64	अ0जा0	89	अनारक्षित
65	अनारक्षित	90	*पि0व0*
66	अ0ज0जा0	91	अनारक्षित
67	अनारक्षित	92	अ0जा0
68	*अत्य0पि0व0*	93	अनारक्षित
69	अनारक्षित	94	अ0जा0
70	अ0जा0	95	अनारक्षित
71	अनारक्षित	96	अ0ज0जा0
72	*पि0व0*	97	अनारक्षित
73	अनारक्षित	98	*अत्य0पि0व0*
74	अ0जा0	99	अनारक्षित
75	अनारक्षित	100	अ0जा0

संकेताक्षर — अ0जा0 — अनुसूचित जाति

अ0ज0जा0 — अनुसूचित जनजाति

अत्य0पि0व0 — अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–I)

पि0व0 — पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–II)

संयुक्त सचिव
कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा
झारखण्ड, राँची

५११

झारखण्ड सरकार

जिला स्तरीय मुफ्फसिल स्थापना के लिए आदर्श आरक्षण रोस्टर

जिला का नाम :- गढ़वा

आरक्षण प्रतिशत :- अनुसूचित जाति -23 % अनुसूचित जनजाति- 15 %
अत्यन्त पिछड़ा वर्ग - 07 % पिछड़ा वर्ग - 05 %
(अनुसूची-I) (अनुसूची-II)
कुल - 50 प्रतिशत।

रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि	रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि
1	अनारक्षित	26	अ0जा0
2	अ0जा0	27	अनारक्षित
3	अनारक्षित	28	अ0ज0जा0
4	अ0जा0	29	अनारक्षित
5	अनारक्षित	30	*पि0व0*
6	अ0ज0जा0	31	अनारक्षित
7	अनारक्षित	32	अ0जा0
8	*अत्य0पि0व0*	33	अनारक्षित
9	अनारक्षित	34	अ0जा0
10	अ0जा0	35	अनारक्षित
11	अनारक्षित	36	*अत्य0पि0व0*
12	अ0ज0जा0	37	अनारक्षित
13	अनारक्षित	38	अ0ज0जा0
14	*पि0व0*	39	अनारक्षित
15	अनारक्षित	40	अ0जा0
16	अ0जा0	41	अनारक्षित
17	अनारक्षित	42	अ0जा0
18	अ0जा0	43	अनारक्षित
19	अनारक्षित	44	अ0ज0जा0
20	अ0ज0जा0	45	अनारक्षित
21	अनारक्षित	46	*अत्य0पि0व0*
22	*अत्य0पि0व0*	47	अनारक्षित
23	अनारक्षित	48	अ0जा0
24	अ0ज0जा0	49	अनारक्षित
25	अनारक्षित	50	अ0जा0

संयुक्त सचिव
कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा
झारखण्ड, रांची

रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि	रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि
51	अनारक्षित	76	अ0जा0
52	अ0ज0जा0	77	अनारक्षित
53	अनारक्षित	78	अ0ज0जा0
54	अ0जा0	79	अनारक्षित
55	अनारक्षित	80	*पि0व0*
56	*पि0व0*	81	अनारक्षित
57	अनारक्षित	82	अ0जा0
58	अ0ज0जा0	83	अनारक्षित
59	अनारक्षित	84	अ0जा0
60	अ0जा0	85	अनारक्षित
61	अनारक्षित	86	अ0ज0जा0
62	*अत्य0पि0व0*	87	अनारक्षित
63	अनारक्षित	88	*अत्य0पि0व0*
64	अ0जा0	89	अनारक्षित
65	अनारक्षित	90	अ0ज0जा0
66	अ0जा0	91	अनारक्षित
67	अनारक्षित	92	अ0जा0
68	अ0ज0जा0	93	अनारक्षित
69	अनारक्षित	94	अ0जा0
70	*अत्य0पि0व0*	95	अनारक्षित
71	अनारक्षित	96	*पि0व0*
72	अ0ज0जा0	97	अनारक्षित
73	अनारक्षित	98	अ0ज0जा0
74	अ0जा0	99	अनारक्षित
75	अनारक्षित	100	अ0जा0

संकेताक्षर — अ0जा0 — अनुसूचित जाति

अ0ज0जा0 — अनुसूचित जनजाति

अत्य0पि0व0 — अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–I)

पि0व0 — पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–II)

संयुक्त सचिव
कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा
झारखण्ड, रांची

(409)

झारखण्ड सरकार

जिला स्तरीय मुफ़्फसिल स्थापना के लिए आदर्श आरक्षण रोस्टर

जिला का नाम :— कोडरमा, चतरा

आरक्षण प्रतिशत :— अनुसूचित जाति – 18 % अनुसूचित जनजाति– 08 %
अत्यन्त पिछड़ा वर्ग – 14 % पिछड़ा वर्ग – 10 %
(अनुसूची–I) (अनुसूची–II)
कुल – 50 प्रतिशत।

रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि	रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि
1	अनारक्षित	26	*पि०व०*
2	*अत्य०पि०व०*	27	अनारक्षित
3	अनारक्षित	28	अ०जा०
4	अ०जा०	29	अनारक्षित
5	अनारक्षित	30	*अत्य०पि०व०*
6	*पि०व०*	31	अनारक्षित
7	अनारक्षित	32	अ०ज०जा०
8	अ०ज०जा०	33	अनारक्षित
9	अनारक्षित	34	अ०जा०
10	अ०जा०	35	अनारक्षित
11	अनारक्षित	36	*पि०व०*
12	*अत्य०पि०व०*	37	अनारक्षित
13	अनारक्षित	38	*अत्य०पि०व०*
14	*पि०व०*	39	अनारक्षित
15	अनारक्षित	40	अ०जा०
16	अ०ज०जा०	41	अनारक्षित
17	अनारक्षित	42	*पि०व०*
18	अ०जा०	43	अनारक्षित
19	अनारक्षित	44	अ०जा०
20	*अत्य०पि०व०*	45	अनारक्षित
21	अनारक्षित	46	*अत्य०पि०व०*
22	अ०जा०	47	अनारक्षित
23	अनारक्षित	48	अ०ज०जा०
24	*अत्य०पि०व०*	49	अनारक्षित
25	अनारक्षित	50	अ०जा०

संयुक्त सचिव
कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा
झारखण्ड, राँची

रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि	रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि
51	अनारक्षित	76	*अत्य0पि0व0*
52	*पि0व0*	77	अनारक्षित
53	अनारक्षित	78	अ0जा0
54	अ0जा0	79	अनारक्षित
55	अनारक्षित	80	*पि0व0*
56	अ0ज0जा0	81	अनारक्षित
57	अनारक्षित	82	अ0ज0जा0
58	*अत्य0पि0व0*	83	अनारक्षित
59	अनारक्षित	84	अ0जा0
60	अ0जा0	85	अनारक्षित
61	अनारक्षित	86	*अत्य0पि0व0*
62	*अत्य0पि0व0*	87	अनारक्षित
63	अनारक्षित	88	अ0जा0
64	*पि0व0*	89	अनारक्षित
65	अनारक्षित	90	*अत्य0पि0व0*
66	अ0ज0जा0	91	अनारक्षित
67	अनारक्षित	92	अ0जा0
68	अ0जा0	93	अनारक्षित
69	अनारक्षित	94	अ0ज0जा0
70	*अत्य0पि0व0*	95	अनारक्षित
71	अनारक्षित	96	अ0जा0
72	अ0जा0	97	अनारक्षित
73	अनारक्षित	98	*पि0व0*
74	*पि0व0*	99	अनारक्षित
75	अनारक्षित	100	*अत्य0पि0व0*

संकेताक्षर — अ0जा0 — अनुसूचित जाति

अ0ज0जा0 — अनुसूचित जनजाति

अत्य0पि0व0 — अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–I)

पि0व0 — पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–II)

संयुक्त सचिव
कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा
झारखण्ड, राँची

(407)

झारखण्ड सरकार

जिला स्तरीय मुफ्फसिल स्थापना के लिए आदर्श आरक्षण रोस्टर

जिला का नाम :— गिरिडीह, बोकारो

आरक्षण प्रतिशत :— अनुसूचित जाति –13 % अनुसूचित जनजाति– 12 %
अत्यन्त पिछड़ा वर्ग – 14 % पिछड़ा वर्ग – 11 %
(अनुसूची–I) (अनुसूची–II)
कुल – 50 प्रतिशत।

रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि	रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि
1	अनारक्षित	26	*अत्य0पि0व0*
2	*अत्य0पि0व0*	27	अनारक्षित
3	अनारक्षित	28	*पि0व0*
4	*पि0व0*	29	अनारक्षित
5	अनारक्षित	30	*अ0ज0जा0*
6	अ0जा0	31	अनारक्षित
7	अनारक्षित	32	*अत्य0पि0व0*
8	अ0ज0जा0	33	अनारक्षित
9	अनारक्षित	34	*पि0व0*
10	*अत्य0पि0व0*	35	अनारक्षित
11	अनारक्षित	36	अ0ज0जा0
12	*पि0व0*	37	अनारक्षित
13	अनारक्षित	38	अ0जा0
14	अ0जा0	39	अनारक्षित
15	अनारक्षित	40	*अत्य0पि0व0*
16	अ0ज0जा0	41	अनारक्षित
17	अनारक्षित	42	अ0ज0जा0
18	*अत्य0पि0व0*	43	अनारक्षित
19	अनारक्षित	44	*पि0व0*
20	अ0जा0	45	अनारक्षित
21	अनारक्षित	46	अ0जा0
22	अ0ज0जा0	47	अनारक्षित
23	अनारक्षित	48	*अत्य0पि0व0*
24	अ0जा0	49	अनारक्षित
25	अनारक्षित	50	अ0जा0

संयुक्त सचिव
कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा
झारखण्ड, रांची

रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि	रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि
51	अनारक्षित	76	पि0व0
52	अत्य0पि0व0	77	अनारक्षित
53	अनारक्षित	78	अत्य0पि0व0
54	पि0व0	79	अनारक्षित
55	अनारक्षित	80	अ0ज0जा0
56	अ0जा0	81	अनारक्षित
57	अनारक्षित	82	अत्य0पि0व0
58	अ0ज0जा0	83	अनारक्षित
59	अनारक्षित	84	पि0व0
60	अत्य0पि0व0	85	अनारक्षित
61	अनारक्षित	86	अ0ज0जा0
62	पि0व0	87	अनारक्षित
63	अनारक्षित	88	अ0जा0
64	अ0जा0	89	अनारक्षित
65	अनारक्षित	90	अत्य0पि0व0
66	अ0ज0जा0	91	अनारक्षित
67	अनारक्षित	92	पि0व0
68	अत्य0पि0व0	93	अनारक्षित
69	अनारक्षित	94	अत्य0पि0व0
70	अ0जा0	95	अनारक्षित
71	अनारक्षित	96	अ0जा0
72	अ0ज0जा0	97	अनारक्षित
73	अनारक्षित	98	अ0ज0जा0
74	अ0जा0	99	अनारक्षित
75	अनारक्षित	100	पि0व0

संकेताक्षर — अ0जा0 — अनुसूचित जाति

अ0ज0जा0 — अनुसूचित जनजाति

अत्य0पि0व0 — अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–I)

पि0व0 — पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–II)

संयुक्त सचिव
कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा
झारखण्ड, रांची

झारखण्ड सरकार

जिला स्तरीय मुफ्फसिल स्थापना के लिए आदर्श आरक्षण रोस्टर

जिला का नाम :— धनबाद

आरक्षण प्रतिशत :— अनुसूचित जाति –15 % अनुसूचित जनजाति– 08 %
अत्यन्त पिछड़ा वर्ग – 15 % पिछड़ा वर्ग – 12 %
(अनुसूची–I) (अनुसूची–II)
कुल – 50 प्रतिशत।

रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि	रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि
1	अनारक्षित	26	*अत्य0पि0व0*
2	*अत्य0पि0व0*	27	अनारक्षित
3	अनारक्षित	28	अ0जा0
4	*पि0व0*	29	अनारक्षित
5	अनारक्षित	30	*अत्य0पि0व0*
6	अ0जा0	31	अनारक्षित
7	अनारक्षित	32	अ0ज0जा0
8	अ0ज0जा0	33	अनारक्षित
9	अनारक्षित	34	*पि0व0*
10	*अत्य0पि0व0*	35	अनारक्षित
11	अनारक्षित	36	*अत्य0पि0व0*
12	अ0जा0	37	अनारक्षित
13	अनारक्षित	38	अ0जा0
14	*पि0व0*	39	अनारक्षित
15	अनारक्षित	40	*पि0व0*
16	अ0ज0जा0	41	अनारक्षित
17	अनारक्षित	42	*अत्य0पि0व0*
18	*अत्य0पि0व0*	43	अनारक्षित
19	अनारक्षित	44	अ0जा0
20	अ0जा0	45	अनारक्षित
21	अनारक्षित	46	*पि0व0*
22	*पि0व0*	47	अनारक्षित
23	अनारक्षित	48	अ0ज0जा0
24	अ0जा0	49	अनारक्षित
25	अनारक्षित	50	*अत्य0पि0व0*

संयुक्त सचिव
कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा
झारखण्ड, रांची

रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि	रोस्टर क्रमांक	आरक्षण कोटि
51	अनारक्षित	76	*अत्य0पि0व0*
52	अ0जा0	77	अनारक्षित
53	अनारक्षित	78	अ0जा0
54	*पि0व0*	79	अनारक्षित
55	अनारक्षित	80	*पि0व0*
56	अ0ज0जा0	81	अनारक्षित
57	अनारक्षित	82	अ0ज0जा0
58	अ0जा0	83	अनारक्षित
59	अनारक्षित	84	*अत्य0पि0व0*
60	*अत्य0पि0व0*	85	अनारक्षित
61	अनारक्षित	86	अ0जा0
62	*अत्य0पि0व0*	87	अनारक्षित
63	अनारक्षित	88	*पि0व0*
64	*पि0व0*	89	अनारक्षित
65	अनारक्षित	90	अ0जा0
66	अ0ज0जा0	91	अनारक्षित
67	अनारक्षित	92	*अत्य0पि0व0*
68	अ0जा0	93	अनारक्षित
69	अनारक्षित	94	*अत्य0पि0व0*
70	*अत्य0पि0व0*	95	अनारक्षित
71	अनारक्षित	96	अ0ज0जा0
72	अ0जा0	97	अनारक्षित
73	अनारक्षित	98	अ0जा0
74	*पि0व0*	99	अनारक्षित
75	अनारक्षित	100	*पि0व0*

संकेताक्षर — अ0जा0 — अनुसूचित जाति

अ0ज0जा0 — अनुसूचित जनजाति

अत्य0पि0व0 — अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–I)

पि0व0 — पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–II)

संयुक्त सचिव
कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा
झारखण्ड, रांची

59

[illegible] 1206

झारखण्ड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक

जे०बी० तुबिद,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव / सभी सचिव
सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष
सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी आयुक्त

रांची, दिनांक 26 फरवरी, 2009

विषय : झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत राज्य स्तरीय पदों पर सीधी भर्त्ती, प्रोन्नति एवं शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में आरक्षण के संबंध में आदर्श रोस्टर।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रांची के संकल्प संख्या–1072 दिनांक 17.02.2009 के द्वारा झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत राज्यस्तरीय पदों पर सीधी भर्त्ती, प्रोन्नति एवं शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में आरक्षण के संबंध में आदर्श रोस्टर गठित किया गया है।

2. इस संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय भी लिया गया है कि आदर्श रोस्टर के अनुसार संबंधित सेवा / संवर्ग / पदों पर सीधी भर्त्ती / प्रोन्नति के लिए सक्षम संवर्ग नियंत्री प्राधिकार / विभागें (Competent Cadre Controlling Authority Department) का दायित्व होगा कि प्रत्येक तीन वर्षों में हुई सीधी भर्त्ती / प्रोन्नति की समीक्षा करेंगे तथा समीक्षा में यदि यह पाया गया कि किसी आरक्षित वर्ग विशेष में आरक्षण की अनुमान्यता से अधिक अथवा कम प्रतिनिधित्व मिला हो, तो इस अधिक अथवा कम प्रतिनिधित्व को विशेष रूप से अगले समव्यवहार (Next Transaction) में समायोजित / पूरी कर ली जायेगी।

विश्वासभाजन,

(जे०बी० तुबिद)
सरकार के सचिव।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प – 1072 / 17/02/2009

विषय : झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत राज्य स्तरीय पदों पर सीधी भर्ती, प्रोन्नति एवं शैक्षणिक संस्थानो में नामांकन में आरक्षण के संबंध में आदर्श रोस्टर ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या–5776 दिनांक 10.10.2002 के द्वारा झारखण्ड में राज्य स्तरीय पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों मे आरक्षण हेतु विभिन्न आरक्षित कोटि के लिए निम्न रूप में आरक्षण प्रतिशत निर्धारित था :–

(क) अनुसूचित जाति	–	10 प्रतिशत
(ख) अनुसूचित जनजाति	–	26 प्रतिशत
(ग) अन्य पिछडा वर्ग	–	14 प्रतिशत

(अत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग को
एक समेकित कोटि मानकर)

2. राज्य सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यथा निर्धारित 14 प्रतिशत आरक्षण को संकल्प संख्या–5162 दिनांक 25.09.2008 द्वारा विभाजित कर अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1) के लिए 8 प्रतिशत तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2) के लिए 6 प्रतिशत पदों को आरक्षित करने का निर्णय लिया गया है।

तदनुसार वर्तमान में राज्य की राज्य स्तर पर सभी सेवाओं / संवर्गों एवं पदों पर नियुक्ति तथा शैक्षणिक संस्थानो में नामांकन के लिए निम्न रूप से आरक्षण अनुमान्य है:–

(क) अनुसूचित जाति	–	10 प्रतिशत
(ख) अनुसूचित जनजाति	–	26 प्रतिशत
(ग) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1)	–	08 प्रतिशत
(घ) पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2)	–	06 प्रतिशत
कुल	–	50 प्रतिशत

राज्य स्तर पर सभी सेवाओं / संवर्गों एवं पदों पर प्रोन्नति में निम्न रूप से आरक्षण की व्यवस्था है :–

(क) अनुसूचित जाति	–	10 प्रतिशत
(ख) अनुसूचित जनजाति	–	26 प्रतिशत
कुल	–	36 प्रतिशत

3. संकल्प संख्या–6329 दिनांक 20.11.2003 द्वारा सीधी नियुक्ति एवं संकल्प संख्या–2650 दिनांक 19.05.2004 द्वारा प्रोन्नति हेतु 100 बिन्दुओं का तथा परिपत्र संख्या–986, दिनांक 30.03.2005 द्वारा पांच पदों के छोटे संवर्ग के लिए सीधी नियुक्ति एवं प्रोन्नति हेतु पांच बिन्दुओं का आदर्श आरक्षण रोस्टर गठित है जिसे संकल्प संख्या 5162, दिनांक 25.09.2008 के आलोक में परिमार्जित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन था।

4. सम्यक् विचारोपरोन्त राज्य सरकार ने निम्न रूप में आदर्श आरक्षण रोस्टर गठित करने का निर्णय लिया है :–

(क) सीधी भर्त्ती/शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन के लिए 50 पदों/स्थानों का आदर्श आरक्षण रोस्टर। **(परिशिष्ट–I)**

(ख) सीधी भर्त्ती /शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन के लिए 11 पदों/स्थानों का आदर्श आरक्षण रोस्टर (छोटे संवर्गों के लिए)। **(परिशिष्ट–II)**

(ग) प्रोन्नति के लिए 50 पदो का आदर्श आरक्षण रोस्टर। (परिशिष्ट–III)

(घ) चूंकि प्रोन्नति के मामले में अत्यन्त पिछड़ा वर्ग अनुसूची–1 एव पिछड़ा वर्ग अनुसूची–2 को आरक्षण अनुमत नहीं है इसलिए प्रोन्नति के संदर्भ मे छोटे संवर्ग के लिए परिपत्र संख्या 986 दिनांक 31.03.2005 द्वारा पूर्व निर्धारित 5 पदों का आदर्श आरक्षण रोस्टर लागू रहेगा। **(परिशिष्ट–IV)**

4. एतद् विषयक पूर्व निर्गत संकल्प/परिपत्र इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

5. यह संकल्प तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

आदेश : आदेश है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय और इसकी प्रति महालेखाकार, झारखण्ड, रांची/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

17.2.09

(जे०बी० तुबिद)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–7/आ0(रो0)–30/2002 का.– 1072 /रांची, दिनांक 17/02/2009

प्रतिलिपि–अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि गजट की 200 प्रतियाँ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रांची को भेजे।

17.2.09.

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–7/आ0(रो0)–30/2002 का.– 1072 /रांची, दिनांक 17/02/2009

प्रतिलिपि–महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री सचिवालय, रांची/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/मुख्य सचिव के सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17.2.09.

सरकार के सचिव।

परिशिष्ट–I

राज्य स्तरीय सेवा/संवर्गों/पदों पर सीधी भर्त्ती एवं शिक्षण संस्थानों में नामांकन के लिए आदर्श रोस्टर

(1 से 50 विन्दु)

पद का क्रमांक/ रोस्टर बिन्दु	केटेगरी जिसके लिए पद कर्णांकित	पद का क्रमांक/ रोस्टर बिन्दु	केटेगरी जिसके लिए पद कर्णांकित
1	2	1	2
1	अनारक्षित	26	अनुसूचित जनजाति
2	अनुसूचित जनजाति	27	अनारक्षित
3	अनारक्षित	28	पिछड़ा वर्ग (अनु0-2)
4	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनु0-1)	29	अनारक्षित
5	अनारक्षित	30	अनुसूचित जनजाति
6	अनुसूचित जाति	31	अनारक्षित
7	अनारक्षित	32	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनु0-1)
8	अनुसूचित जनजाति	33	अनारक्षित
9	अनारक्षित	34	अनुसूचित जनजाति
10	अनुसूचित जनजाति	35	अनारक्षित
11	अनारक्षित	36	अनुसूचित जाति
12	पिछड़ा वर्ग (अनु0-2)	37	अनारक्षित
13	अनारक्षित	38	अनुसूचित जनजाति
14	अनुसूचित जनजाति	39	अनारक्षित
15	अनारक्षित	40	पिछड़ा वर्ग (अनु0-2)
16	अनुसूचित जाति	41	अनारक्षित
17	अनारक्षित	42	अनुसूचित जनजाति
18	अनुसूचित जनजाति	43	अनारक्षित
19	अनारक्षित	44	अनुसूचित जनजाति
20	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनु0-1)	45	अनारक्षित
21	अनारक्षित	46	अनुसूचित जाति
22	अनुसूचित जनजाति	47	अनारक्षित
23	अनारक्षित	48	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनु0-1)
24	अनुसूचित जाति	49	अनारक्षित
25	अनारक्षित	50	अनुसूचित जनजाति

17.2.09

(जे0बी0 तुबिद)

सरकार के सचिव।

राज्य स्तरीय सेवा/संवर्गों/पदों पर सीधी भर्त्ती एवं शिक्षण संस्थानों में नामांकन के लिए 50 पदों बिन्दुओं वाले आदर्श रोस्टर का रोस्टर ब्रेक अप।

अनारक्षित	–	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45,47,49	= 25
अनुसूचित जाति	–	6, 16, 24, 36, 46	= 05
अनुसूचित जनजाति	–	2, 8, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 44, 50	= 13
अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1)	–	4, 20, 32, 48	= 04
पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2)	–	12, 28, 40	= 03

परिशिष्ट–II

1 50 पदो पर आरक्षण रोस्टर के आधार पर सीधी नियुक्ति हेतु एक छोटे सवर्ग अर्थात 11 पदो का आदर्श रोस्टर –

No seats/ Post	Initial Appointment	1st	2nd	3rd	4th	5th	6th	7th	8th	9th	10th	11th
1	UR	ST	UR	BC-I	UR	SC	UR	ST	UR	ST	UR	BC-II
2	ST	UR	BC-I	UR	SC	UR	ST	UR	ST	UR	BC-II	
3	UR	BC-I	UR	SC	UR	ST	UR	ST	UR	BC-II		
4	BC-I	UR	SC	UR	ST	UR	ST	UR	BC-II			
5	UR	SC	UR	ST	UR	ST	UR	BC-II				
6	SC	UR	ST	UR	ST	UR	BC-II					
7	UR	ST	UR	ST	UR	BC-II						
8	ST	UR	ST	UR	BC-II							
9	UR	ST	UR	BC-II								
10	ST	UR	BC-II									
11	UR	BC-II										

नोट

1 2 से 11 पदो के सवर्ग मे रोस्टर हेतु सवर्ग बल के स्तम्भ मे परिशिष्ट 1 से अन्त तक का पठन किया जाए एवं उसके पश्चात क्षैतिज रूप से अंत का पठन "L" की आकृति मे किया जाय।

2 सवर्ग के सभी पदो को प्रारम्भिक नियुक्ति के स्तम्भ मे कोटि विशेष के लिए कर्णांकित किया जाए। प्रारम्भिक भर्ती कोटि विशेष के लिए कर्णांकित उम्मीदवारो के लिए होगा एवं किसी पद का पुर्नस्थापन रोटेशन से यथा ऊपर दर्शित क्षैतिज रूप से सवर्ग मे अंतिम पद तक किया जायेगा।

3 अगर आरक्षित कोटा के उम्मीदवारो को 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण हो जाता है तो सदर्भित रोटेशन मे आरक्षण बिंदु के पार जाकर कार्रवाई अनुमान्य होगी।

UR अनारक्षित
ST - अनुसूचित जन जाति
SC - अनुसूचित जाति
BC-I - अन्य पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 1)
BC-II - पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 2)

(जे0बी0 तुबिद)
सरकार के सचिव।

परिशिष्ट–III
राज्य स्तरीय सेवा/संवर्गों/पदों पर प्रोन्नति के लिए आदर्श रोस्टर
(1 से 50 विन्दु)

पद का क्रमांक/ रोस्टर बिन्दु	केटेगरी जिसके लिए पद कर्णांकित		केटेगरी जिसके लिए पद कर्णांकित
1	2	1	2
1	अनारक्षित	26	अनुसूचित जनजाति
2	अनुसूचित जनजाति	27	अनारक्षित
3	अनारक्षित	28	अनारक्षित
4	अनारक्षित	29	अनारक्षित
5	अनारक्षित	30	अनुसूचित जनजाति
6	अनुसूचित जाति	31	अनारक्षित
7	अनारक्षित	32	अनारक्षित
8	अनुसूचित जनजाति	33	अनारक्षित
9	अनारक्षित	34	अनुसूचित जनजाति
10	अनुसूचित जनजाति	35	अनारक्षित
11	अनारक्षित	36	अनुसूचित जाति
12	अनारक्षित	37	अनारक्षित
13	अनारक्षित	38	अनुसूचित जनजाति
14	अनुसूचित जनजाति	39	अनारक्षित
15	अनारक्षित	40	अनारक्षित
16	अनुसूचित जाति	41	अनारक्षित
17	अनारक्षित	42	अनुसूचित जनजाति
18	अनुसूचित जनजाति	43	अनारक्षित
19	अनारक्षित	44	अनुसूचित जनजाति
20	अनारक्षित	45	अनारक्षित
21	अनारक्षित	46	अनुसूचित जाति
22	अनुसूचित जनजाति	47	अनारक्षित
23	अनारक्षित	48	अनारक्षित
24	अनुसूचित जाति	49	अनारक्षित
25	अनारक्षित	50	अनुसूचित जनजाति

(जे0बी0 तुबिद)
सरकार के सचिव।

राज्य स्तरीय सेवा/संवर्गों/पदों पर प्रोन्नति के लिए 50 पदों बिन्दुओं वाले आदर्श रोस्टर का रोस्टर ब्रेक अप।

अनारक्षित –	1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 48, 49	= 32
अनुसूचित जाति –	6, 16, 24, 36, 46	= 05
अनुसूचित जनजाति –	2, 8, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 44, 50	= 13

परिशिष्ट–IV

राज्य स्तरीय सेवा/संवर्गों/पदों पर प्रोन्नति के लिए पांच बिन्दु वाला (छोटे संवर्ग के लिए) आदर्श आरक्षण रोस्टर

संवर्ग बल	प्रारंभिक नियुक्ति	1st	2nd	3rd	4th	5th
1	UR	ST	UR	UR	UR	SC
2	ST	UR	UR	UR	SC	
3	UR	UR	UR	SC		
4	UR	UR	SC			
5	UR	SC				

नोट :–

(2) 2 से 5 पदों के संवर्ग में रोस्टर हेतु संवर्ग बल के स्तम्भ में परिशिष्ट में संख्या 1 से अन्त तक का पठन किया जाए एवं उसके पश्चात क्षैतिज रूप से अंत का पठन "L" की आकृति में किया जाय।

(3) संवर्ग के सभी पदों को प्रारंभिक नियुक्ति के स्तंभ में कोटि विशेष के लिए कर्णांकित किया जाए। प्रारंभिक भर्ती कोटि विशेष के लिए कर्णांकित उम्मीदवारों के लिए होगा एवं किसी पद का पुर्नस्थापन रोटेशन से यथा ऊपर दर्शित क्षैतिज रूप से संवर्ग में अंतिम पद तक किया जायेगा।

(4) अगर आरक्षित कोटा के उम्मीदवारों को 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण हो जाता है तो सदर्भित रोटेशन में आरक्षण बिंदु के पार जाकर कार्रवाई अनुमान्य होगी।

UR – अनारक्षित
ST – अनुसूचित जन जाति
SC – अनुसूचित जाति

(जे०बी० तुबिद)
सरकार के सचिव।

पत्रांक–7/आर0नीति0–18–01/2008 का.–4553

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

आर0एस0 शर्मा,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी विभाग
सभी विभागीय प्रधान सचिव
सभी सचिव
सभी विभागाध्यक्ष।

रांची, दिनांक 23 जुलाई, 2008

विषय : आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–716 दिनांक 15.12.1982 तथा परिपत्र संख्या–113 दिनांक 25.07.1997 के संदर्भ में स्पष्ट करना है कि राज्य स्तरीय सेवाओं/संवर्गों के वेतनमान रुपये 2000–3000/– (अपुनरीक्षित), वेतनमान 6500–10500/– (पुनरीक्षित) एवं उससे ऊपर के वेतनमान वाले पदों पर नियुक्ति एवं प्रोन्नति में आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस का कार्य कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा किया जाता है। विभिन्न विभागों से आरक्षण रोस्टर अनुमोदन हेतु प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा के दौरान प्रस्ताव में कई त्रुटियाँ तथा कई प्रकार की सूचनाओं का अभाव पाया जाता है, फलतः आरक्षण रोस्टर से संबंधी प्रस्तावों में कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग को अनुमोदन में कठिनाई होती है।

आरक्षण रोस्टर अनुमोदन संबंधी प्रस्तावों के गठन तथा मामले का ससमय निष्पादन के लिए सम्बद्ध प्रशासी विभाग के स्तर से निम्न कार्रवाई अपेक्षित है :–

(1) झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 के प्रावधानों के तहत् झारखण्ड राज्य में नियुक्ति/प्रोन्नति के मामले में निम्न प्रतिशत तक आरक्षण निर्धारित है :–

(क) नियुक्ति में आरक्षण

1.	अ.ज.जा.	– 26 प्रतिशत
2.	अनु. जाति	– 10 प्रतिशत
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	– 14 प्रतिशत
	कुल	– 50 प्रतिशत

(ख) प्रोन्नति में आरक्षण

अ.ज.जा.	– 26 प्रतिशत
अ.ज.	– 10 प्रतिशत
कुल	– 36 प्रतिशत

इसके अतिरिक्त कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या 7281 दिनांक 01.11.2007 द्वारा विकलांगों को 3 प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण प्रदान किये जाने का प्रावधान है।

इस हेतु राज्य स्तरीय पदों पर सीधी भर्त्ती तथा प्रोन्नति के लिए 100 बिन्दुओं वाली आदर्श रोस्टर के साथ–साथ 5 पदों वाली नियुक्ति/प्रोन्नति का आदर्श रोस्टर बिन्दु निर्धारित की गई है। नियुक्ति/प्रोन्नति में निर्धारित प्रतिशत तक आरक्षण कोटिवार प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रशासी विभाग को उपर्युक्त निर्धारित रोस्टर के आलोक में प्रस्ताव गठन किये जाने की अपेक्षा है।

(2) आरक्षण रोस्टर प्रस्तावों से संबंधित संचिका में निम्न वांछित सूचनाएँ अंकित की जानी है:–

i. आरक्षण रोस्टर :– नियुक्ति/प्रोन्नति (जो अनापेक्षित हो उसे काट दें)

ii. सेवा/संवर्ग का नाम :–

iii. कोटि का पदनाम/वेतनमान :–

iv. पदों की कुल संख्या :–

v. पदों पर कार्यरत कर्मियों की संख्या :–

vi. कुल रिक्त पदों की संख्या :–

vii. आरक्षण कोटिवार अनुमान्यता की गणना :–

	कुल	अनारक्षित	अनु.जन.जाति	अनु. जाति	अ.पि. वर्ग (केवल नियुक्ति में)
कुल पदों की आरक्षण कोटिवार अनुमान्यता					
आरक्षण कोटिवार कार्यरत पदों का वर्गीकरण					
कुल रिक्ति का आरक्षण कोटिवार वर्गीकरण					

viii. तुलनात्मक विवरणी :— नियुक्ति/प्रोन्नति हेतु रोस्टर क्लियरेंस संबंधी रिक्तियों की समेकित गणना तालिका :—

(जो अनापेक्षित हो उसे रिक्त छोड़ दें)

	अनु0 जाति	अनु0जन जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनारक्षित	कुल
कर्णांकित पदों की संख्या (No. of post earmaked)					
कार्यरत बल/पदों की संख्या (No. in position)					
अधिक्ता (Excess)					
कमी (Shortfall)					

(3) नियुक्ति/प्रोन्नति के अलग–अलग मामलों में इस पत्र के साथ संलग्न विहित प्रपत्र में संधारित एवं सक्षम स्तर से प्रमाणित आरक्षण रोस्टर पंजी (तीन प्रतियां) तैयार कर प्रस्ताव के संचिका के साथ संलग्न किया जायेगा।

(4) प्रस्ताव में संगत भर्त्ती/प्रोन्नति नियमावली/परिपत्र में निर्धारित कालावधि का उल्लेख आवश्यक रूप से किया जाय।

(5) सेवाओं में नियुक्ति/प्रोन्नति के मामलों में रोस्टर क्लियरेंस के लिए इस विभाग के पत्र संख्या–378 दिनांक 27.06.2002 के आलोक में पूर्णतः अंकित एवं सक्षम प्राधिकार द्वारा हस्ताक्षरित जांच पत्र संचिका के पत्राचार भाग पर रखे जाय।

(6) प्रोन्नति के मामले में आवश्यकता पर आधारित पद (Need based post) चिन्हित करने के संबंध में अधिसूचना की प्रति संचिका पर रखी जाय। यदि सेवा नियमावली में प्रोन्नति के लिए पद चिन्हित किये गये हों, तो उसकी प्रति संचिका पर रखी जाय।

(7) प्रस्ताव के साथ छाया संचिका संधारित करते हुए संलग्न की जाय।

(8) आरक्षण रोस्टर संबंधी सभी संचिकाएं फाईल ट्रेकर के माध्यम से ही स्वीकार किये जायेंगे।

नोट :— इस पत्र को विभाग के वेबसाईट www.jharkhand.gov.in के अन्तर्गत कार्मिक विभाग के कॉलम में रख दिया गया है।

विश्वासभाजन,

(आर0एस0 शर्मा)
सरकार के प्रधान सचिव।

letter

पत्रांक–7/आ0रो0–30/2002 का० 986

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

श्री मुखत्यार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव
सभी विभागीय सचिव
सभी विभागाध्यक्ष
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
सभी उपायुक्त।

रांची, दिनांक 31 मार्च, 2005

विषय : एक छोटे संवर्ग अर्थात 5 पदों के लिए नियुक्ति एवं प्रोन्नति में आरक्षण रोस्टर।

महाशय,

निदेशानुसार उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि एक छोटे संवर्ग में जिसमें 10 से कम पद हों, उसमें सभी आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों का प्रतिनिधित्व एक साथ संभव नहीं होने के कारण राज्य सरकार ने 2 से 9 पदों के लिए नियुक्ति एवं प्रोन्नति हेतु विभागीय पत्रांक 6770 दिनांक 13.12.2002 द्वारा रोस्टर व्यवस्था के लिए परिशिष्ट 'क' एवं 'ख' के अनुरूप दिशा निर्देश जारी किया गया था।

तत्पश्चात् सीधी नियुक्ति एवं प्रोन्नति के लिए रोस्टर व्यवस्था क्रमशः 100 विन्दुओं का विभागीय संकल्प संख्या 6329 दिनांक 20.11.03 एवं संकल्प संख्या 2650 दिनांक 19.05.2004 द्वारा संशोधित की जा चुकी है। फलतः विभागीय पत्रांक 6770 दिनांक 13.12.2002 का कोई औचित्य नहीं रह गया है।

अतः सरकार ने विभागीय पत्रांक **6770** दिनांक **13.12.2002** को **अवक्रमित** करते हुए 2 से 5 पदों के लिए नियुक्ति एवं प्रोन्नति के संबंध में संलग्न परिशिष्ट 'क' एवं 'ख' के अनुरूप रोस्टर व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है।

अनुरोध करना है कि जहां कहीं संवर्ग का कुल पद 6 से कम हो, वहां संलग्न परिशिष्ट 'क' एवं 'ख' में दर्शायी गयी विधि से रोस्टर संचालित की जाय।

अतः [illegible] प्रकाशित किया जाय।

विश्वासभाजन,

(मुख्तार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-2/आ0स0 30/2002 का0 [illegible] /राँची, दिनांक 11 मार्च, 2005

प्रतिलिपि : महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/महानिबंधक झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची/लोकायुक्त झारखण्ड राँची एवं सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

परिशिष्ट–"ख"

2. विभागीय संकल्प संख्या–2650 दिनांक 19.05.2004 के आलोक में 100 पदों पर आरक्षण रोस्टर के आधार पर प्रोन्नति हेतु एक छोटे संवर्ग अर्थात् 05 पदों का आदर्श रोस्टर :–

संवर्ग बल	प्रारंभिक नियुक्ति	1st	2nd	3rd	4th	5th
1	UR	ST	UR	UR	UR	SC
2	ST	UR	UR	UR	SC	-
3	UR	UR	UR	SC	-	-
4	UR	UR	SC	-	-	-
5	UR	SC	-	-	-	-

नोट :–

4. 2 से 5 पदों के संवर्ग में रोस्टर हेतु संवर्ग बल के स्तीा में परिशिष्ट 1 से अन्त तक का पठन किया जाए एवं उसके पश्चात क्षैतिज रूप से अंत का पठन "L" की आकृति में किया जाय।
5. संवर्ग के सभी पदों को प्रारंभिक नियुक्ति के स्तंभ में कोटि विशेष के लिए कर्णांकित किया जाए। प्रारंभिक भर्ती कोटि विशेष के लिए कर्णांकित उम्मीदवारों के लिए होगा एवं किसी पद का पुर्नस्थापन रोटेशन से यथा ऊपर दर्शित क्षैतिज रूप से संवर्ग में अंतिम पद तक किया जायेगा।
6. अगर आरक्षित कोटा के उम्मीदवारों को 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण हो जाता है तो संदर्भित रोटेशन में आरक्षण बिंदु के पार जाकर कार्रवाई अनुमान्य होगी।

UR – अनारक्षित

ST – अनुसूचित जन जाति

SC – अनुसूचित जाति

(241)

परिशिष्ट–"क"

1. विभागीय संकल्प संख्या–6329 दिनांक 20.11.2003 के आलोक में 100 पदों पर आरक्षण रोस्टर के आधार पर सीधी नियुक्ति हेतु एक छोटे संवर्ग अर्थात् 05 पदों का आदर्श रोस्टर :–

संवर्ग बल	प्रारंभिक नियुक्ति	1st	2nd	3rd	4th	5th
1	UR	ST	UR	OBC	UR	SC
2	ST	UR	OBC	UR	SC	–
3	UR	OBC	UR	SC	–	–
4	OBC	UR	SC	–	–	–
5	UR	SC	–	–	–	–

नोट :–

1. 2 से 5 पदों के संवर्ग में रोस्टर हेतु संवर्ग बल के स्तंा में परिशिष्ट 1 से अन्त तक का पठन किया जाए एवं उसके पश्चात क्षैतिज रूप से अंत का पठन "L" की आकृति में किया जाय।
2. संवर्ग के सभी पदों को प्रारंभिक नियुक्ति के स्तंभ में कोटि विशेष के लिए कर्णांकित किया जाए। प्रारंभिक भर्ती कोटि विशेष के लिए कर्णांकित उम्मीदवारों के लिए होगा एवं किसी पद का पुर्नस्थापन रोटेशन से यथा ऊपर दर्शित क्षैतिज रूप से संवर्ग में अंतिम पद तक किया जायेगा।
3. अगर आरक्षित कोटा के उम्मीदवारों को 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण हो जाता है तो संदर्भित रोटेशन में आरक्षण बिंदु के पार जाकर कार्रवाई अनुमान्य होगी।

UR – अनारक्षित

ST – अनुसूचित जन जाति

SC – अनुसूचित जाति

OBC – अन्य पिछड़ा वर्ग

झारखंड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

विषय : सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण रोस्टर।

सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर आरक्षण रोस्टर संकल्प संख्या–7/आ॰(रो॰)30/2002 का॰–6192 दिनांक–9.11.2002 के द्वारा निर्गत किया गया था।

2. राज्य सरकार की सरकारी सेवाओं में सीधी नियुक्ति हेतु पूर्व निर्गत संकल्प सं॰–6191 दिनांक 9.11.2002 एवं सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों से संबंधित रोस्टर जो संकल्प संख्या–6192 दिनांक 9.11.2002 निर्गत है, के विरूद्ध कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए।

3. राज्य सरकार के द्वारा प्राप्त अभ्यावेदनों के आलोक में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया।

4. उच्च स्तरीय समिति के विचारोपरांत राज्य स्तरीय पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु निर्गत रोस्टर से संबंधित संकल्प संख्या–6191 दिनांक–09.11.2002 को अवक्रमित करते हुए संकल्प संख्या–6329 दिनांक 20.11.2003 निर्गत किया गया।

5. राज्य स्तरीय पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु रोस्टर निर्गत करने के संबंध में जिन सिद्धान्तों का अनुकरण किया गया, उन्हीं सिद्धान्तों का अनुकरण करते हुए मात्र अन्य पिछड़ा वर्ग के स्थान पर अनारक्षित वर्ग को रोस्टर में दर्शाते हुए (क्योंकि प्रोन्नति में अन्य पिछड़े वर्ग का आरक्षण नहीं है) सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों का आरक्षण रोस्टर निर्धारित किया गया है। जो इस संकल्प के साथ संलग्न है। - पृ॰ 7/8

6. पूर्व निर्गत विभागीय संकल्प संख्या–6192 दिनांक–9.11.2002 इस संकल्प के द्वारा अवक्रमित किया जाता है।

7. यह संकल्प तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति झारखण्ड राजपत्र में जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जाये एवं इसकी प्रति महालेखाकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाय।

(मुखत्यार सिंह)
सरकार के आयुक्त एवं सचिव।

ज्ञापांक–7/आ॰(रो॰)30/2002 का॰ 2650/राँची, दिनांक – 19/5/04

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरंडा, रांची को आसाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि गजट की 200 (दो सौ) प्रतियां कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथ राजभाषा विभाग को भेजें।

सरकार के आयुक्त एवं सचिव

ज्ञापांक–7/आ॰(रो॰)30/2002 का॰ 2650/राँची, दिनांक – 19 मई, 2004

प्रतिलिपि :– राज्यपाल सचिवालय/मुख्यमंत्री सचिवालय/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/मुख्य सचिव के सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ सभी पदाधिकारियों/सभी राज्य लोक उपक्रमों/परिषदों/निगमों/निकायों/विश्वविद्यालयों/विद्यालयों को इस संकल्प से अवगत करायें।

सरकार के आयुक्त एवं सचिव

ज्ञापांक–7/आ॰(रो॰)30/2002 का॰ 2650/राँची, दिनांक – 19 मई, 2004

प्रतिलिपि :– महानिबन्धक, झारखंड उच्च न्यायालय, रांची/सचिव, झारखण्ड विधान सभा/झारखण्ड लोक सेवा आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के आयुक्त एवं सचिव

राज्य स्तरीय पदों पर प्रोन्नति के द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए आर्दश रोस्टर

पद का क्रमांक रोस्टर बिन्दु	केटेगरी जिसके लिए पद कर्णांकित
1	अनारक्षित
2	अनुसूचित जनजाति
3	अनारक्षित
4	अनारक्षित
5	अनारक्षित
6	अनुसूचित जाति
7	अनारक्षित
8	अनुसूचित जनजाति
9	अनारक्षित
10	अनुसूचित जनजाति
11	अनारक्षित
12	अनारक्षित
13	अनारक्षित
14	अनुसूचित जनजाति
15	अनारक्षित
16	अनुसूचित जाति
17	अनारक्षित
18	अनुसूचित जनजाति
19	अनारक्षित
20	अनारक्षित
21	अनारक्षित
22	अनुसूचित जनजाति
23	अनारक्षित
24	अनुसूचित जाति
25	अनारक्षित
26	अनुसूचित जनजाति
27	अनारक्षित
28	अनारक्षित
29	अनारक्षित
30	अनुसूचित जनजाति
31	अनारक्षित
32	अनारक्षित
33	अनारक्षित
34	अनुसूचित जनजाति
35	अनारक्षित
36	अनुसूचित जाति
37	अनारक्षित
38	अनुसूचित जनजाति
39	अनारक्षित
40	अनारक्षित
41	अनारक्षित
42	अनुसूचित जनजाति
43	अनारक्षित
44	अनुसूचित जनजाति
45	अनारक्षित
46	अनुसूचित जाति
47	अनारक्षित
48	अनारक्षित
49	अनारक्षित
50	अनुसूचित जनजाति
51	अनारक्षित

52	अनुसूचित जनजाति
53	अनारक्षित
54	अनारक्षित
55	अनारक्षित
56	अनुसूचित जाति
57	अनारक्षित
58	अनुसूचित जनजाति
59	अनारक्षित
60	अनुसूचित जनजाति
61	अनारक्षित
62	अनारक्षित
63	अनारक्षित
64	अनुसूचित जनजाति
65	अनारक्षित
66	अनुसूचित जाति
67	अनारक्षित
68	अनुसूचित जनजाति
69	अनारक्षित
70	अनारक्षित
71	अनारक्षित
72	अनुसूचित जनजाति
73	अनारक्षित
74	अनुसूचित जाति
75	अनारक्षित
76	अनुसूचित जनजाति
77	अनारक्षित
78	अनारक्षित
79	अनारक्षित
80	अनुसूचित जनजाति
81	अनारक्षित
82	अनारक्षित
83	अनारक्षित
84	अनुसूचित जनजाति
85	अनारक्षित
86	अनुसूचित जाति
87	अनारक्षित
88	अनुसूचित जनजाति
89	अनारक्षित
90	अनारक्षित
91	अनारक्षित
92	अनुसूचित जनजाति
93	अनारक्षित
94	अनुसूचित जनजाति
95	अनारक्षित
96	अनुसूचित जाति
97	अनारक्षित
98	अनारक्षित
99	अनारक्षित
100	अनुसूचित जनजाति

झारखण्ड- सरकार

<u>कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ।</u>

:: संकल्प ::

विषय : झारखण्ड राज्य अन्तर्गत राज्य स्तरीय पदों पर सीधी भर्त्ती हेतु आदर्श रोस्टर ।

1. राज्य सरकार ने संकल्प संख्या–6191, दिनांक–09.11.2002 के द्वारा राज्य स्तरीय पदों पर सीधी भर्त्ती के लिए जो आदर्श रोस्टर गठित किया गया था, के विरुद्ध कई अभ्यावेदन/ प्रस्ताव/ सुझाव प्राप्त हुए थे, जिनके आलोक में सरकार द्वारा रोस्टर की समीक्षा हेतु एक समिति का गठन किया ।

2. इस समिति द्वारा समीक्षा के पश्चात राज्य स्तरीय पदों पर सीधी भर्त्ती हेतु एक संशोधित रोस्टर सरकार को सौंपा ।

3. सरकार ने इस संशोधित आदर्श रोस्टर को अपनाने का निर्णय लिया है ।

4. संशोधित आदर्श रोस्टर के आधार पर 100 बिन्दुओं का आरक्षण रोस्टर परिशिष्ट के रूप में संलग्न है । — पृ० 183-185 प०

5. पूर्व निर्गत विभागीय संकल्प संख्या–6191, दिनांक–09.11.2002 अवक्रमित किया जाता है ।

6. यह संकल्प तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति झारखण्ड राजपत्र में जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जाये एवं इसकी प्रति महालेखाकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाये ।

(कुमस्वार सिंह),
आयुक्त एवं सचिव ।

ज्ञापांक–7/आ0(रो0)–30/2002का0–6329/ राँची, दिनांक 20 नवम्बर, 2003 ई0 ।

प्रतिलिपि– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित । उनसे अनुरोध है कि गजट की 200(दो सौ) प्रतियाँ/ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखण्ड को भेजें ।

आयुक्त एवं सचिव ।

(22)

ज्ञापांक–7/आ0(रो0)–30/2002का0–...6329.../ राँची, दिनांक–20 नवम्बर, 2003 ई0 ।

प्रतिलिपि– राज्यपाल सचिवालय/ मुख्यमंत्री सचिवालय/सरकार के सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/ मुख्य सचिव के सचिव/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियेां/ सभी राज्य लोक उपक्रमों/ परिषदों/ निगमों/ निकायों/ विश्वविद्यालयों/ विद्यालयों को इस संकल्प से अवगत करायें ।

आयुक्त एवं सचिव ।

ज्ञापांक–7/आ0(रो0)–30/2002का0–...6329.../ राँची, दिनांक–20 नवम्बर, 2003 ई0 ।

प्रतिलिपि– महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची/ सचिव, झारखण्ड विधान सभा/ झारखण्ड लोक सेवा आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

आयुक्त एवं सचिव ।

राज्य स्तरीय पदों पर सीधी भर्ती के लिए आदर्श रोस्टर

पद का क्रमांक	अनुसूचित जाति 10 प्रतिशत	अनुसूचित जनजाति 26 प्रतिशत	अन्य पिछड़ा वर्ग 14 प्रतिशत	केटेगोरी जिसके लिए पद कर्णांकित	अभ्युक्ति
1	0.1	0.26	0.14	अनारक्षित	अनुमान्यता 10 पद अ0ज0जा0-3 अ0पि0व0-1 अनु0जाति-1 5
2	0.2	0.52	0.28	अनु0ज0जा0	
3	0.3	0.78	0.42	अनारक्षित	
4	0.4	1.04	0.56	अ0पि0व0	
5	0.5	1.30	0.70	अनारक्षित	
6	0.6	1.56	0.84	अनु0जाति	
7	0.7	1.82	0.98	अनारक्षित	
8	0.8	2.08	1.12	अ0ज0जा0	
9	0.9	2.34	1.26	अनारक्षित	
10	1.0	2.60	1.40	अ0ज0जा0	
11	1.1	2.86	1.54	अनारक्षित	अनुमान्यता 10 पद अ0ज0जा0-2 अ0पि0व0-2 अनु0जाति-1 5 20 पद अ0ज0जा0-5 अ0पि0वर्ग-3 अ0जाति-2
12	1.2	3.12	1.68	अ0पि0व0	
13	1.3	3.38	1.82	अनारक्षित	
14	1.4	3.64	1.96	अ0ज0जा0	
15	1.5	3.90	2.10	अनारक्षित	
16	1.6	4.16	2.24	अनु0जाति	
17	1.7	4.42	2.38	अनारक्षित	
18	1.8	4.68	2.52	अ0ज0जा0	
19	1.9	4.94	2.66	अनारक्षित	
20	2.0	5.20	2.80	अ0पि0व0	

Personnel Department

पद का क्रमांक	अनुसूचित जाति 10 प्रतिशत	अनुसूचित जनजाति 26 प्रतिशत	अन्य पिछड़ा वर्ग 14 प्रतिशत	केटेगोरी जिसके लिए पद कर्णांकित	अभ्युक्ति
21	2.1	5.46	2.94	अनारक्षित	अनुमान्यता
22	2.2	5.72	3.08	अ0ज0जा0	10 पद
23	2.3	5.98	3.22	अनारक्षित	अ0ज0जा0-3 अ0पि0व0-1
24	2.4	6.24	3.36	अनु0 जाति	अनु0जाति-1
25	2.5	6.50	3.50	अनारक्षित	
26	2.6	6.76	3.64	अ0ज0जा0	30 पद
27	2.7	7.02	3.78	अनारक्षित	अ०ज०जा०-8
28	2.8	7.28	3.92	अ0पि0व0	अ०पि०वर्ग-4 अ०जाति-3
29	2.9	7.54	4.06	अनारक्षित	
30	3.0	7.80	4.20	अ0ज0जा0	
31	3.1	8.06	4.34	अनारक्षित	अनुमान्यता
32	3.2	8.32	4.48	अ0पि0व0	10 पद
33	3.3	8.58	4.62	अनारक्षित	अ0ज0जा0-2 अ0पि0व0-2
34	3.4	8.84	4.76	अ0ज0जा0	अनु0जाति-1
35	3.5	9.10	4.90	अनारक्षित	
36	3.6	9.36	5.04	अनु0 जाति	40 पद
37	3.7	9.62	5.18	अनारक्षित	अ०ज०जा०-10
38	3.8	9.88	5.32	अ0ज0जा0	अ०पि०वर्ग-6 अ०जाति-4
39	3.9	10.14	5.46	अनारक्षित	
40	4.0	10.40	5.60	अ0पि0व0	

6/21/2003

पद का क्रमांक	अनुसूचित जाति 10 प्रतिशत	अनुसूचित जनजाति 26 प्रतिशत	अन्य पिछड़ा वर्ग 14 प्रतिशत	केटेगोरी जिसके लिए पद कर्णांकित	अभ्युक्ति
41	4.1	10.66	5.74	अनारक्षित	अनुमान्यता 10 पद
42	4.2	10.92	5.88	अ0ज0जा0	अ0ज0जा0-3
43	4.3	11.18	6.02	अनारक्षित	अ0पि0व0-1
44	4.4	11.44	6.16	अ0ज0जा0	अनु0जाति-1
45	4.5	11.70	6.30	अनारक्षित	
46	4.6	11.96	6.44	अनु0 जाति	50 पद अ०ज०जा०-13
47	4.7	12.22	6.58	अनारक्षित	अ०पि०वर्ग-7
48	4.8	12.48	6.72	अ0पि0व0	अ०जाति 5
49	4.9	12.74	6.86	अनारक्षित	
50	5.0	13.00	7.00	अ0ज0जा0	
51	5.1	13.26	7.14	अनारक्षित	अनुमान्यता 10 पद
52	5.2	13.52	7.28	अ0ज0जा0	अ0ज0जा0-3
53	5.3	13.78	7.42	अनारक्षित	अ0पि0व0-1
54	5.4	14.04	7.56	अ0पि0व0	अनु0जाति-1
55	5.5	14.30	7.70	अनारक्षित	60 पद
56	5.6	14.56	7.84	अनु0 जाति	अ०ज०जा०-16
57	5.7	14.82	7.98	अनारक्षित	अ०पि०वर्ग-8
58	5.8	15.08	8.12	अ0ज0जा0	अ०जाति 6
59	5.9	15.34	8.26	अनारक्षित	
60	6.0	15.60	8.40	अ0ज0जा0	

Mousumi

?21/2003

पद का क्रमांक	अनुसूचित जाति 10 प्रतिशत	अनुसूचित जनजाति 26 प्रतिशत	अन्य पिछड़ा वर्ग 14 प्रतिशत	केटेगोरी जिसके लिए पद कर्णांकित	अभ्युक्ति
61	6.1	15.86	8.54	अनारक्षित	अनुमान्यता
62	6.2	16.12	8.68	अ0पि0व0	10 पद
63	6.3	16.38	8.82	अनारक्षित	अ0ज0जा0-2 अ0पि0व0-2
64	6.4	16.64	8.96	अ0ज0जा0	अनु0जाति-1
65	6.5	16.90	9.10	अनारक्षित	
66	6.6	17.16	9.24	अनु0 जाति	[illegible] पद
67	6.7	17.42	9.38	अनारक्षित	अ०ज०जा०-18 अ०पि०वर्ग-10
68	6.8	17.68	9.52	अ0ज0जा0	अ०जाति 7
69	6.9	17.94	9.66	अनारक्षित	
70	7.0	18.20	9.80	अ0पि0व0	
71	7.1	18.46	9.94	अनारक्षित	अनुमान्यता
72	7.2	18.72	10.08	अ0ज0जा0	[illegible] पद अ0ज0जा0-3
73	7.3	18.98	10.22	अनारक्षित	अ0पि0व0-1
74	7.4	19.24	10.36	अनु0 जाति	अनु0जाति-1
75	7.5	19.50	10.50	अनारक्षित	
76	7.6	19.76	10.64	अ0ज0जा0	[illegible] पद अ०ज०जा०-21
77	7.7	20.02	10.78	अनारक्षित	अ०पि०वर्ग-11
78	7.8	20.28	10.92	अ0पि0व0	अ०जाति 8
79	7.9	20.54	11.06	अनारक्षित	
80	8.0	20.80	11.20	अ0ज0जा0	

Bimla

Personnel Department

Mousumi

पद का क्रमांक	अनुसूचित जाति 10 प्रतिशत	अनुसूचित जनजाति 26 प्रतिशत	अन्य पिछड़ा वर्ग 14 प्रतिशत	केटेगोरी जिसके लिए पद कर्णांकित	अभ्युक्ति
81	8.1	21.06	11.34	अनारक्षित	अनुमान्यता 10 पद अ0ज0जा0-2 अ0पि0व0-2 अनु0जाति-1 90 पद अ०ज०जा०-23 अ०पि०वर्ग-13 अ०जाति 9
82	8.2	21.32	11.48	अ0पि0व0	
83	8.3	21.58	11.62	अनारक्षित	
84	8.4	21.84	11.76	अ0ज0जा0	
85	8.5	22.10	11.90	अनारक्षित	
86	8.6	22.36	12.04	अनु0 जाति	
87	8.7	22.62	12.18	अनारक्षित	
88	8.8	22.88	12.32	अ0ज0जा0	
89	8.9	23.14	12.46	अनारक्षित	
90	9.0	23.40	12.60	अ0पि0व0	
91	9.1	23.66	12.74	अनारक्षित	अनुमान्यता 10 पद अ0ज0जा0-3 अ0पि0व0-1 अनु0जाति-1 100 पद अ०ज०जा०-26 अ०पि०वर्ग-14 अ०जाति 10
92	9.2	23.92	12.88	अ0ज0जा0	
93	9.3	24.18	13.02	अनारक्षित	
94	9.4	24.44	13.16	अ0ज0जा0	
95	9.5	24.70	13.30	अनारक्षित	
96	9.6	24.96	13.44	अनु0 जाति	
97	9.7	25.22	13.58	अनारक्षित	
98	9.8	25.48	13.72	अ0पि0व0	
99	9.9	25.74	13.86	अनारक्षित	
100	10.0	26.00	14.00	अ0ज0जा0	

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ।

-:: संकल्प ::-

राँची, दिनांक-10दिसम्बर, 2003ई0 ।

विषय : झारखण्ड पदों एवं सेवाओं में जिलास्तरीय पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु जिलावार आरक्षण रोस्टर में संशोधन ।

राज्य सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के द्वारा संकल्प संख्या-6193, दिनांक-09.11.2002 सह पत्रांक-121, दिनांक-11.01.2003 से जिला स्तरीय पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए 100 बिन्दु का आरक्षण रोस्टर निर्धारित किया गया था ।

2. सीधी भर्त्ती में जिलास्तरीय आरक्षण रोस्टर में राज्य स्तरीय आरक्षण रोस्टर के द्वारा निरूपित सिद्धान्त के अनुरूप संशोधन की आवश्यकता है अतएव राज्यस्तरीय संशाधित आदर्श रोस्टर के आधार पर जिला स्तरीय पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु 100 विन्दुओं का संशाधित आरक्षण रोस्टर तैयार किया गया है जो परिशिष्ट के रूप में संलग्न है ।

3. इसके साथ ही पूर्व निर्गत विभागीय संकल्प संख्या-6193, दिनांक-09.11.2002 एवं पत्रांक-121, दिनांक-11.01.2003 अवक्रमित किया जाता है ।

4. यह संकल्प तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति झारखण्ड राजपत्र में जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जायें एवं इसकी प्रति महालेखाकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाये ।

(मुख्त्यार सिंह),
आयुक्त एवं सचिव ।

ज्ञापांक–7/आ0(जि0आ0रो0)–33/2002का0–6704/राँची, दिनांक–10 दिसम्बर, 2003 ई0 ।

प्रतिलिपि– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित । उनसे अनुरोध है कि गजट की 200(दो सौ) प्रतियाँ/ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखण्ड को भेजें ।

आयुक्त एवं सचिव ।

ज्ञापांक–7/आ0(जि0आ0रो0)–33/2002का0–6704/राँची, दिनांक–10 दिसम्बर, 2003 ई0 ।

प्रतिलिपि– राज्यपाल सचिवालय/ मुख्यमंत्री सचिवालय/सरकार के सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/ मुख्य सचिव के सचिव/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों/ सभी राज्य लोक उपक्रमों/ परिषदों/ निगमों/ निकायों/ विश्वविद्यालयों/ विद्यालयों को इस संकल्प से अवगत करायें ।

आयुक्त एवं सचिव ।

ज्ञापांक–7/आ0(जि0आ0रो0)–33/2002का0–6704/राँची, दिनांक–10 दिसम्बर, 2003 ई0 ।

प्रतिलिपि– महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची/ सचिव, झारखण्ड विधान सभा/ झारखण्ड लोक सेवा आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

आयुक्त एवं सचिव ।

मुफ्फासिल स्थापना के लिए जिलावार आरक्षण रोस्टर

	साहेबगंज पाकुड़ (38+5+7)	देवघर (12+12+26)	गोड्डा (25+8+17)	जामताड़ा (32+9+9)	दुमका (45+5+0)	राँची (43+5+2)	लोहरदगा (47+3+0)	गुमला (47+3+0)	सिमडेगा (43+7+0)
	ST.SC.OBC	ST.SC.OBC	ST.SC.OBC	ST.SC.OBC	ST.SC.OBC	ST.SC.OBC	ST.SC.OBC	ST.SC.OBC	ST.SC.OBC
1	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित
2	अ0ज0जा	अ0पि0व0	अ0ज0जा	अ0ज0जा	अ0ज0जा	अ0ज0जा	अ0ज0जा	अ0ज0जा	अ0ज0जा
3	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित
4	अ0ज0जा0	अ0पि0व0	अ0पि0व0	अ0ज0जा0	अ0ज0जा0	अ0ज0जा0	अ0ज0जा0	अ0ज0जा0	अ0ज0जा0
5	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित
6	अ0ज0जा	अनु0जति	अनु0जति	अनु0जति	अ0ज0जा	अ0ज0जा	अ0ज0जा	अ0ज0जा	अ0ज0जा
7	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित
8	अ0ज0जा	अ0ज0जा	अ0ज0जा	अ0पि0व0	अ0ज0जा	अ0ज0जा	अ0ज0जा	अ0ज0जा	अ0ज0जा
9	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित
10	अ0पि0व	अ0पि0व	अ0पि0व	अ0ज0जा	अ0ज0जा	अ0ज0जा	अ0ज0जा	अ0ज0जा	अनु0जाति
11	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित
12	अ0ज0जा	अनु0जति	अ0ज0जा	अ0ज0जा	अ0ज0जा	अ0ज0जा	अ0ज0जा	अ0ज0जा	अ0ज0जा
13	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित
14	अनु॰जाति ✓	अ॰ज॰जा॰	अ॰ज॰जाति	अ॰पि॰वर्ग	अनु॰जाति ✓	अ॰ज॰जाति	अ॰ज॰जाति	अ॰ज॰जाति	अ॰ज॰जाति
15	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित
16	अ॰ज॰जाति	अ॰पि॰वर्ग	अनु॰जाति	अनु॰जाति	अ॰ज॰जाति	अनु॰जाति	अ॰ज॰जाति	अ॰ज॰जाति	अ॰ज॰जाति
17	अनारक्षित	अनारक्षित	[illegible]	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित

personnel Department

Mousumi

12/13/2003

मुफ्फासिल स्थापना के लिए जिलावार आरक्षण रोस्टर

प0 सिंहभूम (46+4+0)	सरायकेला-खरसॉवा (38+5+7)	पू0 सिंहभूम (28+4+18)	पलामू (8+27+15)	गढ़वा (15+23+12)	लातेहार (29+21+0)	कोडरमा हजारीबाग, चतरा (8+18+24)	गिरिडीह, बोकारो (12+13+25)	धनबाद (8+15+27)	
ST.SC.OBC	ST.SC.OBC	ST.SC.OBC	ST.SC.OBC	ST.SC.OBC	ST.SC.OBC	ST.SC.OBC	ST.SC.OBC	ST.SC.OBC	
अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	1
अ0ज0जा	अ0ज0जा	अ0ज0जा	अनु0जाति	अनु0जाति	अ0ज0जा0	अ0पि0व0	अ0पि0व0	अ0पि0व0	2
अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	3
अ0ज0जा0	अ0ज0जा0	अ0पि0व0	अनु0जाति	अनु0जाति	अनु0जाति	अनु0जाति	अ0पि0व0	अ0पि0व0	4
अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	5
अ0ज0जा	अ0ज0जा	अ0ज0जा	अ0पि0व0	अ0ज0जा	अ0ज0जा	अ0पि0व0	अनु0जाति	अनु0जाति	6
अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	7
अ0ज0जा	अ0ज0जा	अ0ज0जा	अ0ज0जा	अ0पि0व0	अ0ज0जा	अ0ज0जा	अ0ज0जा	अ0ज0जा	8
अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	9
अ0ज0जा	अ0पि0व	अ0पि0व	अनु0जाति	अनु0जाति	अ0ज0जा0	अनु0जाति	अ0पि0व0	अ0पि0व0	10
अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	11
अ0ज0जा	अ0ज0जा	अ0ज0जा	अ0पि0व0	अ0ज0जा	अ0ज0जा	अ0पि0व0	अ0पि0व0	अनु0जाति	12
अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	13
अ०ज०जाति	अनु०जाति	अ०ज०जाति	अनु०जाति	अ०पि०वर्ग	अनु०जाति	अ०पि०वर्ग	अनु०जाति	अ०पि०वर्ग	14
अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	15
अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०पि०वर्ग	अ०ज०जाति	अनु०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	16
अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	17

Mousi...i

मुफ्फासिल स्थापना के लिए जिलावार आरक्षण रोस्टर

	साहेबगंज पाकुड़ (38+5+7)	देवघर (12+12+26)	गोड्डा (25+8+17)	जामताड़ा (32+9+9)	दुमका (45+5+0)	राँची (43+5+2)	लोहरदगा (47+3+0)	गुमला (47+3+0)	सिमडेगा (43+7+0)
	ST.SC.OBC	ST.SC.OBC	ST.SC.OBC	ST.SC.OBC	ST.SC.OBC	ST.SC.OBC	ST.SC.OBC	ST.SC.OBC	ST.SC.OBC
18	अ०ज०जाति	अ०पि०वर्ग	अ०पि०वर्ग	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति
19	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित
20	अ०ज०जाति	अनु०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति
21	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित
22	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति
23	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित
24	अ०पि०वर्ग	अ०पि०वर्ग	अ०पि०वर्ग	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अनु०जाति	अनु०जाति	अनु०जाति
25	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित
26	अ०ज०जाति	अ०पि०वर्ग	अ०ज०जाति	अनु०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति
27	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित
28	अ०ज०जाति	अनु०जाति	अ०पि०वर्ग	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति
29	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित
30	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०पि०वर्ग	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति
31	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित
32	अ०ज०जाति	अ०पि०वर्ग	अनु०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति
33	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित

Mousumi

मुफस्सिल स्थापना के लिए जिलावार आरक्षण रोस्टर

प० सिंहभूम (46+4+0)	सरायकेला-खरसाँवा (38+5+7)	पू० सिंहभूम (28+4+18)	पलामू (8+27+15)	गढ़वा (15+23+12)	लातेहार (29+21+0)	कोडरमा हजारीबाग, चतरा (8+18+24)	गिरिडीह, बोकारो (12+13+25)	धनबाद (8+15+27)	
ST.SC.OBC	ST.SC.OBC	ST.SC.OBC	ST.SC.OBC	ST.SC.OBC	ST.SC.OBC	ST.SC.OBC	ST.SC.OBC	ST.SC.OBC	
अनु०जाति	अ०ज०जाति	अनु०जाति	अनु०जाति	अनु०जाति	अनु०जाति	अनु०जाति	अ०पि०वर्ग	अ०पि०वर्ग	18
अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	19
अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०पि०वर्ग	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०पि०वर्ग	अनु०जाति	अनु०जाति	20
अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	21
अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०पि०वर्ग	अनु०जाति	अ०पि०वर्ग	अ०ज०जाति	अनु०जाति	अ०ज०जाति	अ०पि०वर्ग	22
अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	23
अ०ज०जाति	अ०पि०वर्ग	अ०ज०जाति	अ०पि०वर्ग	अ०ज०जाति	अनु०जाति	अ०पि०वर्ग	अनु०जाति	अनु०जाति	24
अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	25
अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अनु०जाति	अनु०जाति	अ०ज०जाति	अ०पि०वर्ग	अ०पि०वर्ग	अ०पि०वर्ग	26
अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	27
अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०पि०वर्ग	अ०पि०वर्ग	अ०ज०जाति	अनु०जाति	अनु०जाति	अ०पि०वर्ग	अनु०जाति	28
अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	29
अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अनु०जाति	अ०पि०वर्ग	अ०ज०जाति	अ०पि०वर्ग	अ०ज०जाति	अ०पि०वर्ग	30
अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	31
अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अनु०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०पि०वर्ग	अ०ज०जाति	32
अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	33

मुफस्सिल स्थापना के लिए जिलावार आरक्षण रोस्टर

	साहेबगंज पाकुड़ (38+5+7)	देवघर (12+12+26)	गोड्डा (25+8+17)	जामताड़ा (32+9+9)	दुमका (45+5+0)	राँची (43+5+2)	लोहरदग्गा (47+3+0)	गुमला (47+3+0)	सिमडेगा (43+7+0)
	ST.SC.OBC	ST.SC.OBC	ST.SC.OBC	ST.SC.OBC	ST.SC.OBC	ST.SC.OBC	ST.SC.OBC	ST.SC.OBC	ST.SC.OBC
34	अनु॰जाति	अ॰पि॰वर्ग	अ॰ज॰जाति	अ॰ज॰जाति	अ॰ज॰जाति	अ॰ज॰जाति	अ॰ज॰जाति	अ॰ज॰जाति	अ॰ज॰जाति
35	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित
36	अ॰ज॰जाति	अनु॰जाति	अ॰पि॰वर्ग	अ॰ज॰जाति	अनु॰जाति	अनु॰जाति	अ॰ज॰जाति	अ॰ज॰जाति	अ॰ज॰जाति
37	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित
38	अ॰पि॰वर्ग	अ॰ज॰जाति	अ॰ज॰जाति	अनु॰जाति	अ॰ज॰जाति	अ॰ज॰जाति	अ॰ज॰जाति	अ॰ज॰जाति	अनु॰जाति
39	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित
40	अ॰ज॰जाति	अ॰पि॰वर्ग	अ॰पि॰वर्ग	अ॰ज॰जाति	अ॰ज॰जाति	अ॰ज॰जाति	अ॰ज॰जाति	अ॰ज॰जाति	अ॰ज॰जाति
41	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित
42	अ॰ज॰जाति	अ॰पि॰वर्ग	अ॰ज॰जाति	अ॰पि॰वर्ग	अ॰ज॰जाति	अ॰पि॰वर्ग	अ॰ज॰जाति	अ॰ज॰जाति	अ॰ज॰जाति
43	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित
44	अ॰ज॰जाति	अनु॰जाति	अ॰ज॰जाति	अ॰ज॰जाति	अ॰ज॰जाति	अ॰ज॰जाति	अ॰ज॰जाति	अ॰ज॰जाति	अ॰ज॰जाति
45	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित
46	अनु॰जाति	अ॰ज॰जाति	अ॰पि॰वर्ग	अनु॰जाति	अ॰ज॰जाति	अ॰ज॰जाति	अ॰ज॰जाति	अ॰ज॰जाति	अ॰ज॰जाति
47	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित
48	अ॰ज॰जाति	अ॰पि॰वर्ग	अनु॰जाति	अ॰ज॰जाति	अ॰ज॰जाति	अ॰ज॰जाति	अ॰ज॰जाति	अ॰ज॰जाति	अ॰ज॰जाति
49	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित

मुफ्फासिल स्थापना के लिए जिलावार आरक्षण रोस्टर

प0 सिंहभूम (46+4+0)	सरायकेला-खरसाँवा (38+5+7)	पू0 सिंहभूम (28+4+18)	पलामू (8+27+15)	गढ़वा (15+23+12)	लातेहार (29+21+0)	कोडरमा हजारीबाग, चतरा (8+18+24)	गिरिडीह, बोकारो (12+13+25)	धनबाद (8+15+27)	
ST.SC.OBC	ST.SC.OBC	ST.SC.OBC	ST.SC.OBC	ST.SC.OBC	ST.SC.OBC	ST.SC.OBC	ST.SC.OBC	ST.SC.OBC	
अ०ज०जाति	अनु०जाति	अ०पि०वर्ग	अनु०जाति	अनु०जाति	अनु०जाति	अनु०जाति	अ०पि०वर्ग	अ०पि०वर्ग	34
अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	35
अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अनु०जाति	अ०पि०वर्ग	अ०ज०जाति	अ०पि०वर्ग	अ०ज०जाति	अ०पि०वर्ग	36
अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	37
अ०ज०जाति	अ०पि०वर्ग	अ०ज०जाति	अ०पि०वर्ग	अ०ज०जाति	अनु०जाति	अ०पि०वर्ग	अनु०जाति	अनु०जाति	38
अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	39
अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०पि०वर्ग	अनु०जाति	अनु०जाति	अ०ज०जाति	अनु०जाति	अ०पि०वर्ग	अ०पि०वर्ग	40
अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	41
अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अनु०जाति	अनु०जाति	अनु०जाति	अ०पि०वर्ग	अ०ज०जाति	अ०पि०वर्ग	42
अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	43
अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०पि०वर्ग	अ०पि०वर्ग	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अनु०जाति	अ०पि०वर्ग	अनु०जाति	44
अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	45
अनु०जाति	अनु०जाति	अनु०जाति	अनु०जाति	अ०पि०वर्ग	अनु०जाति	अ०पि०वर्ग	अनु०जाति	अ०पि०वर्ग	46
अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	47
अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अनु०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०पि०वर्ग	अ०ज०जाति	48
अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	49

मुफ्फासिल स्थापना के लिए जिलावार आरक्षण रोस्टर

	साहेबगंज पाकुड़ (38+5+7)	देवघर (12+12+26)	गोड्डा (25+8+17)	जामताड़ा (32+9+9)	दुमका (45+5+0)	राँची (43+5+2)	लोहरदग्गा (47+3+0)	गुमला (47+3+0)	सिमडेगा (43+7+0)
	ST.SC.OBC	ST.SC.OBC	ST.SC.OBC	ST.SC.OBC	ST.SC.OBC	ST.SC.OBC	ST.SC.OBC	ST.SC.OBC	ST.SC.OBC
50	अ०ज०जाति	अ०पि०वर्ग	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति
51	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित
52	अ०पि०वर्ग	अ०पि०वर्ग	अ०ज०जाति	अ०पि०वर्ग	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अनु०जाति
53	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित
54	अ0ज0जा0	अ०पि०वर्ग	अ०पि०वर्ग	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति
55	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित
56	अ०ज०जाति	अनु०जाति	अनु०जाति	अनु०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति
57	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित
58	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अनु०जाति	अनु०जाति	अ०ज०जाति
59	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित
60	अ०ज०जाति	अ०पि०वर्ग	अ०पि०वर्ग	अ०ज०जाति	अनु०जाति	अनु०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति
61	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित
62	अ०ज०जाति	अनु०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति
63	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित
64	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति
65	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित
66	अ०पि०वर्ग	अ०पि०वर्ग	अनु०जाति	अ०पि०वर्ग	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अनु०जाति

मुफ्फासिल स्थापना के लिए जिलावार आरक्षण रोस्टर

प0 सिंहभूम (46+4+0)	सरायकेला-खरसॉवा (38+5+7)	पू0 सिंहभूम (28+4+18)	पलामू (8+27+15)	गढ़वा (15+23+12)	लातेहार (29+21+0)	कोडरमा हजारीबाग, चतरा (8+18+24)	गिरिडीह, बोकारो (12+13+25)	धनबाद (8+15+27)	
ST.SC.OBC	ST.SC.OBC	ST.SC.OBC	ST.SC.OBC	ST.SC.OBC	ST.SC.OBC	ST.SC.OBC	ST.SC.OBC	ST.SC.OBC	
अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०पि०वर्ग	अनु०जाति	अनु०जाति	अनु०जाति	अनु०जाति	अनु०जाति	अ०पि०वर्ग	50
अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	51
अ०ज०जाति	अ०पि०वर्ग	अ०ज०जाति	अ०पि०वर्ग	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०पि०वर्ग	अ०पि०वर्ग	अनु०जाति	52
अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	53
अ०ज०जाति	अ0ज0जा0	अ०पि०वर्ग	अनु०जाति	अनु०जाति	अनु०जाति	अनु०जाति	अ०पि०वर्ग	अ०पि०वर्ग	54
अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	55
अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०पि०वर्ग	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अनु०जाति	अ०ज०जाति	56
अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	57
अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०पि०वर्ग	अ०ज०जाति	अनु०जाति	अ०पि०वर्ग	अ०ज०जाति	अनु०जाति	58
अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	59
अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०पि०वर्ग	अनु०जाति	अनु०जाति	अ०ज०जाति	अनु०जाति	अ०पि०वर्ग	अ०पि०वर्ग	60
अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	61
अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अनु०जाति	अ०पि०वर्ग	अ०ज०जाति	अ०पि०वर्ग	अ०पि०वर्ग	अ०पि०वर्ग	62
अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	63
अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अनु०जाति	अनु०जाति	अनु०जाति	अ०पि०वर्ग	अनु०जाति	अ०पि०वर्ग	64
अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	65
अ०ज०जाति	अ०पि०वर्ग	अ०पि०वर्ग	अ०ज०जाति	अनु०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	66

मुफस्सिल स्थापना के लिए जिलावार आरक्षण रोस्टर

	साहेबगंज पाकुड़ (38+5+7)	देवघर (12+12+26)	गोड्डा (25+8+17)	जामताड़ा (32+9+9)	दुमका (45+5+0)	राँची (43+5+2)	लोहरदग्गा (47+3+0)	गुमला (47+3+0)	सिमडेगा (43+7+0)
	ST.SC.OBC	ST.SC.OBC	ST.SC.OBC	ST.SC.OBC	ST.SC.OBC	ST.SC.OBC	ST.SC.OBC	ST.SC.OBC	ST.SC.OBC
67	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित
68	अ०ज०जाति	अ०पि०वर्ग	अ०पि०वर्ग	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति
69	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित
70	अ०ज०जाति	अनु०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति
71	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित
72	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति
73	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित
74	अनु०जाति	अ०पि०वर्ग	अ०पि०वर्ग	अनु०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति
75	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित
76	अ०ज०जाति	अ०पि०वर्ग	अ०ज०जाति	अ०पि०वर्ग	अनु०जाति	अनु०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति
77	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित
78	अ०ज०जाति	अनु०जाति	अ०पि०वर्ग	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति
79	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित
80	अ०पि०वर्ग	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अनु०जाति
81	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित
82	अ०ज०जाति	अ०पि०वर्ग	अनु०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति

मुफ्फासिल स्थापना के लिए जिलावार आरक्षण रोस्टर

प० सिंहभूम (46+4+0)	सरायकेला-खरसाँवा (38+5+7)	पू० सिंहभूम (28+4+18)	पलामू (8+27+15)	गढ़वा (15+23+12)	लातेहार (29+21+0)	कोडरमा हजारीबाग, चतरा (8+18+24)	गिरिडीह, बोकारो (12+13+25)	धनबाद (8+15+27)	
ST.SC.OBC	ST.SC.OBC	ST.SC.OBC	ST.SC.OBC	ST.SC.OBC	ST.SC.OBC	ST.SC.OBC	ST.SC.OBC	ST.SC.OBC	
अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	67
अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०पि०वर्ग	अ०ज०जाति	अनु०जाति	अनु०जाति	अ०पि०वर्ग	अनु०जाति	68
अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	69
अनु०जाति	अ०ज०जाति	अनु०जाति	अनु०जाति	अ०पि०वर्ग	अ०ज०जाति	अ०पि०वर्ग	अनु०जाति	अ०पि०वर्ग	70
अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	71
अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०पि०वर्ग	अ०पि०वर्ग	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अनु०जाति	अ०ज०जाति	अनु०जाति	72
अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	73
अ०ज०जाति	अनु०जाति	अ०ज०जाति	अनु०जाति	अनु०जाति	अनु०जाति	अ०पि०वर्ग	अनु०जाति	अ०पि०वर्ग	74
अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	75
अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अनु०जाति	अनु०जाति	अ०ज०जाति	अ०पि०वर्ग	अ०पि०वर्ग	अ०पि०वर्ग	76
अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	77
अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०पि०वर्ग	अ०पि०वर्ग	अ०ज०जाति	अनु०जाति	अनु०जाति	अ०पि०वर्ग	अनु०जाति	78
अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	79
अ०ज०जाति	अ०पि०वर्ग	अ०ज०जाति	अनु०जाति	अ०पि०वर्ग	अ०ज०जाति	अ०पि०वर्ग	अ०ज०जाति	अ०पि०वर्ग	80
अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	81
अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अनु०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०पि०वर्ग	अ०ज०जाति	82

Mousu...d

मुफ्फासिल स्थापना के लिए जिलावार आरक्षण रोस्टर

	साहेबगंज पाकुड़ (38+5+7)	देवघर (12+12+26)	गोड्डा (25+8+17)	जामताड़ा (32+9+9)	दुमका (45+5+0)	राँची (43+5+2)	लोहरदग्गा (47+3+0)	गुमला (47+3+0)	सिमडेगा (43+7+0)
.	ST.SC.OBC	ST.SC.OBC	ST.SC.OBC	ST.SC.OBC	ST.SC.OBC	ST.SC.OBC	ST.SC.OBC	ST.SC.OBC	ST.SC.OBC
83	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित
84	अ०ज०जाति	अ०पि०वर्ग	अ०ज०जाति	अनु०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति
85	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित
86	अ०ज०जाति	अनु०जाति	अ०पि०वर्ग	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति
87	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित
88	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०पि०वर्ग	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति
89	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित
90	अ०ज०जाति	अ०पि०वर्ग	अ०पि०वर्ग	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति
91	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित
92	अनु०जाति	अ०पि०वर्ग	अ०पि०वर्ग	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति
93	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित
94	अ०पि०वर्ग	अनु०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०पि०वर्ग	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अनु०जाति
95	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित
96	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अनु०जाति	अनु०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अनु०जाति	अनु०जाति	अ०ज०जाति
97	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित
98	अ०ज०जाति	अ०पि०वर्ग	अ०ज०जाति	अ०पि०वर्ग	अनु०जाति	अनु०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति

मुफ्फसिल स्थापना के लिए जिलावार आरक्षण रोस्टर

प० सिंहभूम (46+4+0)	सरायकेला-खरसाँवा (38+5+7)	पू० सिंहभूम (28+4+18)	पलामू (8+27+15)	गढ़वा (15+23+12)	लातेहार (29+21+0)	कोडरमा हजारीबाग, चतरा (8+18+24)	गिरिडीह, बोकारो (12+13+25)	धनबाद (8+15+27)	
ST.SC.OBC	ST.SC.OBC	ST.SC.OBC	ST.SC.OBC	ST.SC.OBC	ST.SC.OBC	ST.SC.OBC	ST.SC.OBC	ST.SC.OBC	
अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	83
अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०पि०वर्ग	अनु०जाति	अनु०जाति	अनु०जाति	अनु०जाति	अ०पि०वर्ग	अ०पि०वर्ग	84
अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	85
अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०पि०वर्ग	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०पि०वर्ग	अ०ज०जाति	अनु०जाति	86
अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	87
अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०पि०वर्ग	अनु०जाति	अ०पि०वर्ग	अनु०जाति	अनु०जाति	अनु०जाति	अ०पि०वर्ग	88
अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	89
अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०पि०वर्ग	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०पि०वर्ग	अ०पि०वर्ग	अनु०जाति	90
अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	91
अ०ज०जाति	अनु०जाति	अ०पि०वर्ग	अनु०जाति	अनु०जाति	अ०ज०जाति	अनु०जाति	अ०पि०वर्ग	अ०पि०वर्ग	92
अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	93
अ०ज०जाति	अ०पि०वर्ग	अ०ज०जाति	अनु०जाति	अनु०जाति	अनु०जाति	अ०ज०जाति	अ०पि०वर्ग	अ०पि०वर्ग	94
अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	95
अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०पि०वर्ग	अ०ज०जाति	अ०पि०वर्ग	अ०ज०जाति	अनु०जाति	अनु०जाति	अ०ज०जाति	96
अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	97
अनु०जाति	अ०ज०जाति	अनु०जाति	अ०पि०वर्ग	अ०ज०जाति	अनु०जाति	अ०पि०वर्ग	अ०ज०जाति	अनु०जाति	98

मुफ्फासिल स्थापना के लिए जिलावार आरक्षण रोस्टर

	साहेबगंज पाकुड़ (38+5+7)	देवघर (12+12+26)	गोड्डा (25+8+17)	जामताड़ा (32+9+9)	दुमका (45+5+0)	राँची (43+5+2)	लोहरदग्गा (47+3+0)	गुमला (47+3+0)	सिमडेगा (43+7+0)
	ST.SC.OBC	ST.SC.OBC	ST.SC.OBC	ST.SC.OBC	ST.SC.OBC	ST.SC.OBC	ST.SC.OBC	ST.SC.OBC	ST.SC.OBC
99	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित
100	अ०ज०जाति	अ०पि०वर्ग	अ०पि०वर्ग	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति

355

मुफ्फासिल स्थापना के लिए जिलावार आरक्षण रोस्टर

प0 सिंहभूम (46+4+0)	सरायकेला-खरसाँवा (38+5+7)	पू0 सिंहभूम (28+4+18)	पलामू (8+27+15)	गढ़वा (15+23+12)	लातेहार (29+21+0)	कोडरमा हजारीबाग, चतरा (8+18+24)	गिरिडीह, बोकारो (12+13+25)	धनबाद (8+15+27)	
ST.SC.OBC	ST.SC.OBC	ST.SC.OBC	ST.SC.OBC	ST.SC.OBC	ST.SC.OBC	ST.SC.OBC	ST.SC.OBC	ST.SC.OBC	
अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	99
अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अ०ज०जाति	अनु०जाति	अनु०जाति	अ०ज०जाति	अ०पि०वर्ग	अ०पि०वर्ग	अ०पि०वर्ग	100

पत्र संख्या-7/आ0रो0-30/ 2002का0 6770/
झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ।

प्रेषक,

श्री सुशील कुमार चौधरी,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी विभागीय आयुक्त एवं सचिव
सभी विभागीय सचिव
सभी विभागाध्यक्ष
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
सभी उपायुक्त

रॉची, दिनांक-13 दिसम्बर 2002 ।

विषयः एक छोटे संवर्ग अर्थात 9 पदों के लिए नियुक्ति एवं प्रोन्नति में आरक्षण रोस्टर ।

महाशय,

निदेशानुसार उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि छोटे संवर्ग में जिसमें 10 से कम पद हों, उसमें सभी आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों का प्रतिनिधित्व एक साथ होना संभव नहीं है । राज्य सरकार ने इस बिन्दु पर सम्यक विचारोपरान्त ऐसे छोटे संवर्ग के लिए रोस्टर संचालन हेतु सर्वप्रथम एकल पद पर आरक्षण लागू नहीं होने संबंधी परिपत्र ज्ञाप संख्या-4423 दिनांक-05.08.2002 परिचारित किया है ।

इसके अतिरिक्त सरकार ने 2 से 9 पदों के लिए नियुक्ति एंव प्रोन्नति के संबंध में संलग्न परिशिष्ट "क" एवं "ख" के अनुरूप रोस्टर व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है ।

अनुरोध करना है कि जहाँ-कही भी संवर्ग का कुल पद 10 से कम हो वहाँ संलग्न परिशिष्ट में दर्शायी गई विधि से रोस्टर संचालित किया जाय ।

कृपया आवश्यकतानुसार इस परिपत्र में निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

विश्वासभाजन,

13.12.2002

(सुशील कुमार चौधरी)
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक-7/आ0रो0-30/ 2002का0 6770/ राँची, दिनांक-13 दिसम्बर 2002 ।

प्रतिलिपि- महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/ महाधिवक्ता, झारखण्ड उच्च न्यायालय एवं सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

13.12.2002

सरकार के सचिव ।

09 पदों पर नियुक्ति हेतु आदर्श रोस्टर का संचालन

संवर्ग बल	प्रारंभिक नियुक्ति	1st	2nd	3rd	4th	5th	6th	7th	8th	9th
1.	UR	UR	UR	ST	UR	UR	UR	OBC	ST	SC
2.	UR	UR	ST	UR	UR	UR	OBC	ST	SC	-
3.	UR	ST	UR	UR	UR	OBC	ST	SC	-	-
4.	ST	UR	UR	UR	OBC	ST	SC	-	-	-
5.	UR	UR	UR	OBC	ST	SC	-	-	-	-
6.	UR	UR	OBC	ST	SC	-	-	-	-	-
7.	UR	OBC	ST	SC	-	-	-	-	-	-
8.	OBC	ST	SC	-	-	-	-	-	-	-
9.	ST	SC	-	-	-	-	-	-	-	-

नोट :– 1. 2 से 9 पदों के संवर्ग में रोस्टर हेतु संवर्ग बल के स्तम्भ में प्रविष्टि 1 से अन्त तक का पठन किया जाय एवं उसके पश्चात् क्षैतिज रूप से अन्त तक का पठन "L" की आकृति में किया जाय ।

2. संवर्ग के सभी पदों को प्रारंभिक नियुक्ति के स्तम्भ में कोटि विशेष के लिए कर्णांकित किया जाय । प्रारंभिक भर्त्ती कोटि विशेष के लिए कर्णांकित उम्मीदवारों के लिए होगा एवं किसी पद का पुनर्स्थापन रोटेशन से यथा ऊपर दर्शित क्षैतिज रूप से संवर्ग में अंतिम पद तक किया जायेगा ।

3. अगर आरक्षित कोटा के उम्मीदवारों को 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण हो जाता है तो संदर्भित रोटेशन में आरक्षण बिन्दु के पार जाकर कार्रवाई अनुमान्य होगी ।

UR- अनारक्षित

OBC – अन्य पिछड़ा वर्ग

SC- अनुसूचित जाति

ST- अनुसूचित जनजाति

प्रोन्नति के लिए 09 पदों पर आदर्श रोस्टर

संवर्ग बल	प्रारंभिक नियुक्ति	1st	2nd	3rd	4th	5th	6th	7th	8th	9th
1.	UR	UR	UR	ST	UR	UR	UR	ST	UR	SC
2.	UR	UR	ST	UR	UR	UR	ST	UR	SC	-
3.	UR	ST	UR	UR	UR	ST	UR	SC	-	-
4.	ST	UR	UR	UR	ST	UR	SC	-	-	-
5.	UR	UR	UR	ST	UR	SC	-	-	-	-
6.	UR	UR	ST	UR	SC	-	-	-	-	-
7.	UR	ST	UR	SC	-	-	-	-	-	-
8.	ST	UR	SC	-	-	-	-	-	-	-
9.	UR	SC	-	-	-	-	-	-	-	-

नोट :- 1. 2 से 9 पदों के संवर्ग में रोस्टर हेतु संवर्ग बल के स्तम्भ में प्रविष्टि 1 से अन्त तक का पठन किया जाय एवं उसके पश्चात् क्षैतिज रूप से अन्त तक का पठन "L" की आकृति में किया जाय ।

2. संवर्ग के सभी पदों को प्रारंभिक नियुक्ति के स्तम्भ में कोटि विशेष के लिए कर्णांकित किया जाय । प्रारंभिक भर्त्ती कोटि विशेष के लिए कर्णांकित उम्मीदवारों के लिए होगा एवं किसी पद का पुनर्स्थापन रोटेशन से यथा ऊपर दर्शित क्षैतिज रूप से संवर्ग में अंतिम पद तक किया जायेगा ।

3. अगर आरक्षित कोटा के उम्मीदवारों को 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण हो जाता है तो संदर्भित रोटेशन में आरक्षण बिन्दु के पार जाकर कार्रवाई अनुमान्य होगी ।

UR- अनारक्षित

SC- अनुसूचित जाति

ST- अनुसूचित जनजाति

75

09 पदों पर नियुक्ति हेतु आदर्श रोस्टर का संचालन

संवर्ग बल	प्रारंभिक नियुक्ति	1st	2nd	3rd	4th	5th	6th	7th	8th	9th
1.	UR	UR	UR	ST	UR	UR	UR	OBC	ST	SC
2.	UR	UR	ST	UR	UR	UR	OBC	ST	SC	-
3.	UR	ST	UR	UR	UR	OBC	ST	SC	-	-
4.	ST	UR	UR	UR	OBC	ST	SC	-	-	-
5.	UR	UR	UR	OBC	ST	SC	-	-	-	-
6.	UR	UR	OBC	ST	SC	-	-	-	-	-
7.	UR	OBC	ST	SC	-	-	-	-	-	-
8.	OBC	ST	SC	-	-	-	-	-	-	-
9.	ST	SC	-	-	-	-	-	-	-	-

Note:- 1. For cadres of 2 to 9 posts the roster is to be read from entry 1 and column cadre strength till the last post and then horizontally till the last entry in the horizontal row i.e. like "L".

2. All the posts of a cadre are to be earmarked for the categories shown under column initial Appointment. While initial filling up will be by the earmarked category, the replacement against any of the post in the cadre shall be by rotation as shown horizontally against the last post of the cadre.

3. The relevant rotation by the indicated reserved category could be skipped over if it leads to more than 50% representation of reserved category.

झारखंड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

.....

<u>संकल्प</u>

विषयः- सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण रोस्टर ।

झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत तक रखने संबंधी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या-WP(PIL)-3696/2002 एवं WP(PIL)-4707/2001 में पारित अन्तरिम आदेश के अनुसरण में राज्य सरकार के द्वारा संकल्प ज्ञाप सं0-5776 दिनांक-10/10/2002 निर्गत है जिसमें राज्य स्तर पर की जाने वाली सीधी नियुक्तियों में आरक्षित उम्मीद्वारों की विभिन्न कोटियों की रिक्तियां निम्नरूपेण निर्धारित की गई है -

(क) अनुसूचित जाति	-	10 प्रतिशत
(ख) अनुसूचित जनजाति	-	26 प्रतिशत
(ग) अन्य पिछड़ा वर्ग (अत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग को एक समेकित कोटि मानकर)	-	14 प्रतिशत
कुल	-	50 प्रतिशत

2- सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर उपरोक्त व्यवस्था के आलोक में मात्र अनुसूचित जाति को 10 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति को 26 प्रतिशत आरक्षण अनुमान्य है जिससे संबंधित प्रोन्नति द्वारा भरे जाने वाले रिक्तियों में 100 बिन्दुओं का रोस्टर संकल्प के साथ संलग्न है ।

3- राज्य सेवाओं में प्रोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये राज्य सरकार के संकल्प संख्या-994 दिनांक 8 फरवरी, 2002 से पूर्व निर्गत आदर्श रोस्टर को अवक्रमित किया जाता है ।

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति झारखंड राजपत्र में जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जाये एवं

इसकी प्रति महालेखाकार, झारखंड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाये ।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

(एस०के०चौधरी)
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक–7/आ०(रो0)–30/2002का0–6192/रांची,दिनांक 09 नवम्बर, 2002ई०।

प्रतिलिपि–अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित । उनसे अनुरोध है कि गजट की 200(दो सौ) प्रतियां कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखंड, रांची को भेजें ।

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक–7/आ०(रो0)–30/2002.का0–6192/रांची,दिनांक 09नवम्बर, 2002ई०।

प्रतिलिपि–राज्यपाल सचिवालय/ मुख्यमंत्री सचिवालय/ सरकार के सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/ मुख्य सचिव के सचिव/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों/सभी राज्य लोक उपकमों/ परिषदों/ निगमों/निकायों/ विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/विद्यालयों को इस संकल्प से अवगत करायें ।

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक–7/आ०(रो0)–30/2002का0–6192/रांची,दिनांक 09 नवम्बर, 2002ई०।

प्रतिलिपि– महानिबंधक,झारखंड उच्च न्यायालय, रांची/सचिव, झारखंड विधान सभा/झारखंड लोक सेवा आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के सचिव ।

प्रोन्नति क आधार पर भरे जाने वाले पदों हेतु आदर्श रोस्टर

1	अनारक्षित	36	अनारक्षित	71	अनु0जाति-7
2	अनारक्षित	37	अनारक्षित	72	अनारक्षित
3	अनारक्षित	38	अनारक्षित	73	अनारक्षित
4	अनुसूचित जनजाति-1	39	अनु0ज0जा0-10	74	अनु0ज0जा0-19
5	अनारक्षित	40	अनु0 जाति-4	75	अनारक्षित
6	अनारक्षित	41	अनारक्षित	76	अनारक्षित
7	अनारक्षित	42	अनारक्षित	77	अनु0ज0जा0-20
8	अनुसूचित जनजाति-2	43	अनु0ज0जा0-11	78	अनारक्षित
9	अनारक्षित	44	अनारक्षित	79	अनारक्षित
10	अनुसूचित जाति-1	45	अनारक्षित	80	अनु0 जाति-8
11	अनारक्षित	46	अनारक्षित	81	अनु0ज0जा0-21
12	अनुसूचित जनजाति-3	47	अनु0ज0जा0-12	82	अनारक्षित
13	अनारक्षित	48	अनारक्षित	83	अनारक्षित
14	अनारक्षित	49	अनु0 जाति-5	84	अनारक्षित
15	अनारक्षित	50	अनु0ज0जा0-13	85	अनु0ज0जा0-22
16	अनुसूचित जनजाति-4	51	अनारक्षित	86	अनारक्षित
17	अनारक्षित	52	अनारक्षित	87	अनारक्षित
18	अनारक्षित	53	अनारक्षित	88	अनारक्षित
19	अनारक्षित	54	अनु0ज0जा0-14	89	अनु0ज0जा0-23
20	अनुसूचित जनजाति-5	55	अनारक्षित	90	अनु0 जाति-9
21	अनुसूचित जाति-2	56	अनारक्षित	91	अनारक्षित
22	अनारक्षित	57	अनारक्षित	92	अनारक्षित
23	अनारक्षित	58	अनु0ज0जा0-15	93	अनु0ज0जा0-24
24	अनुसूचित जनजाति-6	59	अनारक्षित	94	अनारक्षित
25	अनारक्षित	60	अनु0 जाति-6	95	अनारक्षित
26	अनारक्षित	61	अनारक्षित	96	अनारक्षित
27	अनु0ज0जा0-7	62	अनु0ज0जा0-16	97	अनु0ज0जा0-25
28	अनारक्षित	63	अनारक्षित	98	अनारक्षित
29	अनारक्षित	64	अनारक्षित	99	अनु0जाति-10
30	अनु0जाति-3	65	अनारक्षित	100	अनु0ज0जा0-26
31	अनु0ज0जा0-8	66	अनु0ज0जा0-17		
32	अनारक्षित	67	अनारक्षित		
33	अनारक्षित	68	अनारक्षित		
34	अनारक्षित	69	अनारक्षित		
35	अनु0ज0जा0-9	70	अनु0ज0जा0-18		

6193
9.11.02

झारखंड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

.....

संकल्प

विषयः- झारखंड पदों एवं सेवाओं में जिला स्तरीय पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु जिलावार आरक्षण रोस्टर ।

झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत तक रखने संबंधी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या-WP(PIL)-3696/2002 एवं WP(PIL)-4706/2001 में पारित अन्तरिम आदेश के अनुसरण में राज्य सरकार के संकल्प संख्या-5795 दिनांक 10.10.2002 से विभिन्न जिलों के लिए सीधी नियुक्ति हेतु पूर्व निर्गत संकल्प संख्या-572 दिनांक 24.1.2002 को अवक्रमित कर नये सिरे से जिलावार आरक्षण निधारित किया गया है ।

(2) उपरोक्त संकल्प संख्या-5795 दिनांक 10.10.2002 द्वारा निधारित जिलावार आरक्षण प्रतिशत के अनुसार झारखंड में पड़ने वाले 22 जिलों के लिये निर्धारित रोस्टर, संकल्प के साथ संलग्न है ।

(3) इसके साथ ही जिला स्तर पर सीधी नियुक्ति हेतु संकल्प संख्या- 2815 दिनांक 7 मई, 2002 से पूर्व निर्गत जिलावार आरक्षण रोस्टर सह पठित परिपत्र संख्या-3753 दिनांक 27.6.2002 को अवक्रमित किया जाता है ।

आदेशः- आदेश है कि सर्व साधारण की जानकारी हेतु इस संकल्प को राज्य के शासकीय गजट में प्रकाशित किया जाय एवं उसकी प्रति महालेखाकार, झारखंड, रांची को सूचनार्थ भेजी जाय ।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,
9.11.2002
(एस०के०चौधरी)
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक-7/आ०(जि0आ0रो0)-33/2002का0-6193/रांची,दि0-9 नवम्बर,2002ई०।

प्रतिलिपि-अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित । उनसे अनुरोध है कि गजट

की 200(दो सौ) प्रतियां कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखंड, रांची को भेजें ।

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक–7/आ०(जि0आ0रो0)–33/2002का0–6193/रांची,दि0–9 नवम्बर,2002ई०।

प्रतिलिपि–राज्यपाल सचिवालय/ मुख्यमंत्री सचिवालय/ सरकार के सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/ मुख्य सचिव के सचिव/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों/सभी राज्य लोक उपक्रमों/ परिषदों/ निगमों/निकायों/ विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/विद्यालयों को इस संकल्प से अवगत करायें ।

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक–7/आ०(जि0आ0रो0)–33/2002का0–6193/रांची,दि0–9 नवम्बर,2002ई०।

प्रतिलिपि– महानिबंधक,झारखंड उच्च न्यायालय, रांची/सचिव, झारखंड विधान सभा/झारखंड लोक सेवा आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के सचिव ।

झारखंड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

.....

संकल्प

विषयः- राज्य स्तरीय पदों पर सीधी भर्त्ती हेतु आदर्श रोस्टर ।

झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा याचिका संख्या-WP(PIL)-3696/2002 एवं WP(PIL)-4707/2001 में दिये गये अन्तरिम आदेश के अनुसरण में, आरक्षण 50 प्रतिशत तक सीमित रखते हुए संकल्प ज्ञाप सं0-5776 दिनांक-10/10/2002 निर्गत है । इसके अनुसार राज्य स्तर पर की जाने वाली सीधी नियुक्तियों में आरक्षित उम्मीद्वारों की विभिन्न कोटियों की रिक्तियां निम्नरूपेण निर्धारित की गई है -

(क) अनुसूचित जाति	-	10 प्रतिशत
(ख) अनुसूचित जनजाति	-	26 प्रतिशत
(ग) अन्य पिछड़ा वर्ग (अत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग को एक समेकित कोटि मानकर)	-	14 प्रतिशत
कुल	-	50 प्रतिशत

(2) उपरोक्त व्यवस्था के अनुरूप राज्य स्तरीय पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु 100 बिन्दु का आदर्श रोस्टर संकल्प के साथ संलग्न है, जिसके अनुसार 1-100 बिन्दु में अनुसूचित जाति को 10, अनुसूचित जनजाति को 26 एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को 14 पद अनुमान्य है ।

(3) राज्य स्तर पर सीधी भर्ती हेतु संकल्प सं0 4206 दिनांक- 27 नवम्बर, 2001 से पूर्व निर्गत आदर्श रोस्टर को अवक्रमित किया जाता है ।

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति झारखंड राजपत्र में जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जाये एवं इसकी प्रति महालेखाकार, झारखंड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जाये ।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,
Bhulhe 9.11.2002
(एस०के०चौधरी)
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक-7/आ०(रो0)-30/2002का0-..6191../रांची,दिनांक 09 नवम्बर, 2002
2002ई०।

प्रतिलिपि-अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित । उनसे अनुरोध है कि गजट की 200(दो सौ) प्रतियां कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखंड, रांची को भेजें ।

9-11-2002
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक-7/आ०(रो0)-30/2002.का0-..6191../रांची,दिनांक 09नवम्बर, 2002ई०।

प्रतिलिपि-राज्यपाल सचिवालय/ मुख्यमंत्री सचिवालय/ सरकार के सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/ मुख्य सचिव के सचिव/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों/सभी राज्य लोक उपकमों/ परिषदों/ निगमों/निकायों/ विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/विद्यालयों को इस संकल्प से अवगत करायें ।

9-11-2002
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक-7/आ०(रो0)-30/2002का0-..6191../रांची,दिनांक 09नवम्बर, 2002ई०।

प्रतिलिपि- महानिबंधक,झारखंड उच्च न्यायालय, रांची/सचिव, झारखंड विधान सभा/झारखंड लोक सेवा आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

9-11-2002
सरकार के सचिव ।

राज्य स्तरीय पदों पर सीधी भर्ती के लिए आदर्श रोस्टर

1	अनारक्षित	36	अन्य पिछड़ा वर्ग	71	अनु0 जाति
2	अनारक्षित	37	अनारक्षित	72	अन्य पिछड़ा वर्ग
3	अनारक्षित	38	अनारक्षित	73	अनारक्षित
4	अ0ज0जा0	39	अ0ज0जा0	74	अ0ज0जा0
5	अनारक्षित	40	अनु0 जाति	75	अनारक्षित
6	अनारक्षित	41	अनारक्षित	76	अनारक्षित
7	अनारक्षित	42	अनारक्षित	77	अ0ज0जा0
8	अन्य पिछड़ा वर्ग	43	अ0ज0जा0	78	अनारक्षित
9	अ0ज0जा0	44	अन्य पिछड़ा वर्ग	79	अन्य पिछड़ा वर्ग
10	अनु0 जाति	45	अनारक्षित	80	अनु0 जाति
11	अनारक्षित	46	अनारक्षित	81	अ0ज0जा0
12	अ0ज0जा0	47	अ0ज0जा0	82	अनारक्षित
13	अनारक्षित	48	अनु0 जाति	83	अनारक्षित
14	अनारक्षित	49	अन्य पिछड़ा वर्ग	84	अनारक्षित
15	अन्य पिछड़ा वर्ग	50	अ0ज0जा0	85	अ0ज0जा0
16	अ0ज0जा0	51	अनारक्षित	86	अन्य पिछड़ा वर्ग
17	अनारक्षित	52	अनारक्षित	87	अनारक्षित
18	अनारक्षित	53	अनारक्षित	88	अनारक्षित
19	अनारक्षित	54	अ0ज0जा0	89	अ0ज0जा0
20	अ0ज0जा0	55	अनारक्षित	90	अनु0 जाति
21	अनु0 जाति	56	अनारक्षित	91	अनारक्षित
22	अन्य पिछड़ा वर्ग	57	अनारक्षित	92	अनारक्षित
23	अनारक्षित	58	अन्य पिछड़ा वर्ग	93	अ0ज0जा0
24	अ0ज0जा0	59	अ0ज0जा0	94	अन्य पिछड़ा वर्ग
25	अनारक्षित	60	अनु0 जाति	95	अनारक्षित
26	अनारक्षित	61	अनारक्षित	96	अनारक्षित
27	अ0ज0जा0	62	अ0ज0जा0	97	अ0ज0जा0
28	अनारक्षित	63	अनारक्षित	98	अनु0 जाति
29	अन्य पिछड़ा वर्ग	64	अनारक्षित	99	अन्य पिछड़ा वर्ग
30	अनु0 जाति	65	अन्य पिछड़ा वर्ग	100	अ0ज0जा0
31	अ0ज0जा0	66	अ0ज0जा0		
32	अनारक्षित	67	अनारक्षित		
33	अनारक्षित	68	अनारक्षित		
34	अनारक्षित	69	अनारक्षित		
35	अ0ज0जा0	70	अ0ज0जा0		

4

277

पत्र संख्या-7/आ0 नि0 25/2000 का0 4422

झारखण्ड सरकार

कार्मिक,प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ।

****

प्रेषक,

श्री सुशील कुमार चौधरी,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी,आयुक्त एवं सचिव
सभी, सचिव
सभी, विभागाध्यक्ष
सभी, विभाग
सभी, प्रमण्डलीय आयुक्त
सभी, उपायुक्त

रॉची,दिनांकः 5 अगस्त 2002 ई0 ।

विषयः सरकारी सेवाओं में नियुक्ति अथवा प्रोन्नोति द्वारा भरे जाने वाले संवर्गीय एकल पदों पर आरक्षण रोष्टर के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार,उपर्युक्त विषय के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Post Graduate Institute of Medical Education & Research - Vrs – Faculty Association (1998 Lic 1582 AIR 1998 SC(1769) तथा S.R.Murty – vrs – State of Karnataka (2000 ic 247) में पारित न्यायादेश के आलोक में राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि संवर्गीय एकल पद में आरक्षण लागू नहीं रहेगा, अर्थात जहाँ पर एकल पद हो वहाँ पर आरक्षण रोष्टर के आधार पर पद नहीं भरा जायेगा।

विश्वासभाजन,

(हस्ताक्षर) 5.8.2002

सरकार के सचिव ।

पत्र संख्या-7/आ0नि0 /1/2002का0 378(अ/3)

झारखंड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

प्रेषक,

श्री स्वर्णादित्य सहाय,
सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

सरकार के सभी आयुक्त एवं सचिव
सभी विभागाध्यक्ष

रांची, दिनांक 27 जून, 2002.

विषय:- सेवाओं में नियुक्ति/प्रोन्नति के मामले में रोस्टर क्लीयरेन्स कराने के संबंध में जाँच -पत्र ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में सरकारी सेवाओं में सीधी नियुक्ति/प्रोन्नति के मामले में रोस्टर क्लीयरेन्स हेतु संचिका कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग में भेजने के पूर्व संचिका के साथ जाँच पत्र का संलग्न रहना आवश्यक है ।

अतः जाँच पत्र की प्रति के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है ।

विश्वासभाजन,

(स्वर्णादित्य सहाय)
सरकार के उप सचिव ।

नरेश/

जाँच-पत्र (क)

झारखंड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

सेवाओं में आरक्षण हेतु "सीधी नियुक्ति" के मामले में रोस्टर क्लियरेन्स का "जाँच-पत्र" (चेक स्लीप)

(1) विभाग का नाम :-

(2) विषय :-

(3) जिस पद पर सीधी नियुक्ति करनी है उस पद का पदनाम तथा वेतनमान (पद राजपत्रित है या अराजपत्रित)।

(4) प्रस्तावित पदों की संख्या तथा ये पद रोस्टर पंजी में किस बिन्दु से किस बिन्दु पर पड़ेंगे स्पष्ट अंकित किया जाय :-

(क) 1953 से अब तक कुल कितने पदों पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति हुई है तथा वे किस रोस्टर बिन्दु से किस रोस्टर बिन्दु तक हैं ?

(ख) अब तक की गई नियुक्तियों में अनु0 जाति/जन जाति/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग का अलग-अलग कुल कितने पद नियमानुसार अनुमान्य थे तथा उसके विरुद्ध इन वर्गों के कितने को नियुक्त किया गया या वर्गवार कितने पद गैर-आरक्षित वर्ग के व्यक्तियों को दिया गया।

(5) प्रस्तावित सीधी नियुक्ति के पदों का "नियुक्ति नियमावली" या "संकल्प" की मूल प्रति संचिका पर रखी जाय।

(6) यदि आरक्षित पदों को गैर आरक्षित को देने के पहले निर्धारित प्रक्रिया से पदों को अनारक्षित करा लिया गया हो, तो आदेश की प्रतिलिपि संलग्न करें। यदि आरक्षित पदों को बिना विधिवत् अनारक्षित कराये गैर-आरक्षित को दिया गया हो तो उसका कारण तथा औचित्य स्पष्ट करें।

(7) विहित प्रपत्र (फारम) में अद्यतन रोस्टर पंजी (तीन प्रतियों में) विभागाध्यक्ष/संयुक्त सचिव द्वारा सत्यापित संधारित संचिका पर है या नहीं ? (सीधी भर्ती) के मामले में सन् 1953 से रोस्टर पंजी में प्रविष्टियां अंकित होनी चाहिए। यदि प्रविष्टियाँ इन तिथियों के बाद की हैं तो रोस्टर की अभ्युक्ति कंडिका में समुचित कारण का "प्रमाण-पत्र" अंकित कर सत्यापित की जाय। (संकल्प सं0-716 दिनांक 15 दिसम्बर, 1982.)

(8) क्या प्रस्तावित रिक्तियों के पूर्व सभी आरक्षित पद को कार्मिक विभाग अब आरक्षण आयुक्त, मंत्रिमंडल सचिवालय के संकल्प सं0-449, दि0 2 फरवरी, 1982 के माध्यम से मुख्य मंत्री का आदेश से अनारक्षित करा के भरा गया है, यदि नहीं तो संबंधित पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई का प्रस्ताव भी संचिका पर रखी जाय (पत्रांक-11519, दिनांक 10 जुलाई, 1976)

पृष्ठांकित पदाधिकारी का ह0/मुहर

उप सचिव स्तर के पदाधिकारी हैं।

जांच-पत्र (ख)

झारखंड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

सेवाओं में आरक्षण हेतु "प्रोन्नति" के मामले में रोस्टर क्लीयरेन्स का "जांच-पत्र" (चेक स्लीप)

---

(1) विभाग का नाम :-

(2) विषय :-

(3) प्रोन्नति के निम्नस्तर पद का नाम तथा वेतनमान :-

(4) प्रोन्नति के उच्चतर पद का नाम तथा वेतनमान :-

(5) क्या निम्नस्तर पद तथा उच्चतर पद के बीच में भी कोई अन्य वेतनमान का पद विभाग में है, जो प्रोन्नति की इस श्रृंखला में पड़ता हो ?
(यह जानने के लिये कि प्रस्ताव में लेफ्ट-जम्पींग का मामला तो नहीं है)

(6) प्रस्तावित पदों की संख्या तथा किस रोस्टर बिन्दु से किस बिन्दु तक रिक्तियाँ पड़ती है ?
(क) पूर्व में कितने पद भरे गये हैं, किस रोस्टर बिन्दु से किस रोस्टर बिन्दु तक ? उसमें अनुसूचित जाति/जन जाति को कितने पद अनुमान्य थे, उन पर कितने की नियुक्तियाँ हुई, अलग-अलग कितने आरक्षित पद गैर-आरक्षित को दिये गये तथा पहले निर्धारित प्रक्रिया से पदों को अनारक्षित करा लिया है या नहीं ?

(7) प्रोन्नति का प्रस्ताव सम्वर्गीय (काडर) या गैर-सम्वर्गीय (एक्स काडर) पद पर है ? यदि गैर सम्वर्गीय पद पर है तो अन्य विभागों से नामोदिष्ट (नोमिनेशन) या सीधी भर्त्ती द्वारा पद भरने में क्या आपत्ति है, स्पष्ट करें।

(8) प्रस्तावित प्रोन्नति के सम्वर्ग पद का "नियुक्ति नियमावली" या "संकल्प" की प्रति संचिका पर रखी जाय।

(9) विहित प्रपत्र (फारम) में अद्यतन रोस्टर पंजी तीन प्रतियों में विभागाध्यक्ष द्वारा सत्यापित संचिका पर है या नहीं ? (प्रोन्नति के मामले में दिनांक 15 जून, 1971 से रोस्टर पंजी में प्रविष्टियां अंकित होनी चाहिए) यदि प्रविष्टियां इन तिथियों के बाद की हों तो रोस्टर की अभ्युक्ति कंडिका में समुचित कारण का "प्रमाण-पत्र" अंकित कर सत्यापित की जाय। (संकल्प सं0-716 दिनांक 15 दिसम्बर 1982)।

(10) प्रोन्नति हेतु कार्मिक विभाग द्वारा कालावधि निर्धारित है, तो इससे संबंधित पत्र संचिका पर रखी जाय, अन्यथा कालावधि निर्धारित करने हेतु विभाग द्वारा वेतन के विवरण सहित अनुशंसा भेजी जाय।

(11) प्रोन्नति के मामले में निम्नस्तर संवर्ग पद का मूल अद्यतन "वरीयता-सूची" संचिका पर रखी जाय। अनुसूचित जाति/जन जाति के नामों के सामने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति अंकित किया जाय।

(12) क्या प्रस्तावित रिक्तियों के पूर्व सभी आरक्षित पदों को कार्मिक विभाग अ० आरक्षण आयुक्त, मंत्रिमंडल सचिवालय के माध्यम से मुख्यमंत्री का आदेश से अनारक्षित कराया गया है ? यदि नहीं तो संबंधित पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई का प्रस्ताव की प्रति संचिका पर रखी जाय ।
(नियुक्ति विभाग का पत्रांक-11519 दिनांक 10 जुलाई, 1970) ।

पृष्ठांकन पदाधिकारी क्र. ह0/ह0

उप सचिव स्तर के पदाधिकारी हों

132

झारखंड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ।

संकल्प

विषयः– राज्य स्तर पर की जाने वाली सीधी नियुक्तियों के लिए आदर्श रोस्टर ।

झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की धारा–4 में राज्य स्तर पर की जाने वाली सीधी नियुक्तियों के लिए आरक्षण की निम्नवत् व्यवस्था है :–

(i) अनुसूचित जाति	14 प्रतिशत
(ii) अनुसूचित जनजाति	32 प्रतिशत
(iii) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	18 प्रतिशत
(iv) पिछड़ा वर्ग	9 प्रतिशत
कुल :–	73 प्रतिशत

उपर्युक्त आरक्षण अधिनियम की धारा 6(i) के अनुपालन में राज्यस्तरीय पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु 100 बिन्दुओं का आदर्श रोस्टर संकल्प के साथ संलग्न है ।

2- झारखंड राज्य की जनसंख्या पर आधारित आदर्श रोस्टर के 1-100 बिन्दुओं में अनुसूचित जनजाति को 32, अनुसूचित जाति को 14, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग को 18 एवं पिछड़ा वर्ग को 9 पद अनुमान्य है ।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में इस संकल्प की प्रति झारखंड राजपत्र में जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जाए तथा इसकी प्रति महालेखाकार, झारखंड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रषित किया जाए ।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

Shukla 27.11.2001

(एस० के० चौधरी)
सरकार के सचिव ।

ज्ञाप सं०-5/आ०-(रोस्टर) 03/2001का०.4206../दिनांक-27 नवम्बर,2001ई०

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, सचिवालय मुद्राणालय, डोरण्डा, रांची को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रषित । उनसे अनुरोध है कि गजट की 200 प्रतियाँ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखंड, रांची को भेंजें ।

27.11.2001

(एस० के० चौधरी)
सरकार के सचिव ।

ज्ञाप सं०-5/आ०-(रोस्टर) 03/2001का०.4206../दिनांक-27 नवम्बर,2001ई०

प्रतिलिपि :– महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रांची/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/मुख्य सचिव के सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । उनसे अनुरोध है कि अपने अधिनस्थ अधिकारियों/सभी राज्य पब्लिक अन्डरटकिंग/परिषदों/निकायों/विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/विद्यालयों को इस संकल्प से अवगत करायें ।

27.11.2001

(एस० के० चौधरी)
सरकार के सचिव ।

ज्ञाप सं०-5/आ०-(रोस्टर) 03/2001का०.4206../दिनांक-27 नवम्बर,2001ई०

प्रतिलिपि :– महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, झारखंड, रांची/सचिव, विधान सभा सचिवालय/झारखंड लोक सेवा आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

27.11.2001

(एस० के० चौधरी)
सरकार के सचिव ।

(परिशिष्ट–II)

राज्य स्तर पर की जाने वाली नियुक्ति के लिए रोस्टर (श्रेणी– 1, 2, 3 एवं 4 की सेवाओं के लिए)

1. अनारक्षित
2. अनुसूचित जनजाति
3. अनुसूचित जाति
4. अनारक्षित
5. अनुसूचित जनजाति
6. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
7. पिछड़ा वर्ग
8. अनुसूचित जनजाति
9. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
10. अनारक्षित
11. अनारक्षित
12. अनुसूचित जनजाति
13. अनुसूचित जाति
14. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
15. अनुसूचित जनजाति
16. अनारक्षित
17. अनुसूचित जनजाति
18. अनुसूचित जाति
19. अत्यंत पिछड़ा वर्ग
20. पिछड़ा वर्ग
21. अनारक्षित
22. अनुसूचित जनजाति
23. अनारक्षित
24. अनुसूचित जाति
25. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
26. अनुसूचित जनजाति
27. अनारक्षित
28. अनुसूचित जनजाति
29. पिछड़ा वर्ग
30. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
31. अनारक्षित

32. अनुसूचित जनजाति
33. अनुसूचित जाति
34. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
35. अनारक्षित
36. अनुसूचित जनजाति
37. अनुसूचित जनजाति
38. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
39. अनारक्षित
40. अनुसूचित जनजाति
41. अनारक्षित
42. अनुसूचित जनजाति
43. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
44. अनुसूचित जनजाति
45. अनुसूचित जाति
46. अनुसूचित जनजाति
47. अनारक्षित
48. अनुसूचित जाति
49. पिछड़ा वर्ग
50. अनारक्षित
51. अनारक्षित
52. अनुसूचित जनजाति
53. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
54. अनारक्षित
55. अनुसूचित जाति
56. अनुसूचित जनजाति
57. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
58. अनारक्षित
59. अनुसूचित जनजाति
60. पिछड़ा वर्ग
61. अनुसूचित जनजाति
62. अनुसूचित जाति
63. अत्यंत पिछड़ा वर्ग
64. अनारक्षित
65. अनुसूचित जनजाति
66. अत्यंत पिछड़ा वर्ग

67. अनारक्षित
68. पिछड़ा वर्ग
69. अनुसूचित जनजाति
70. अनारक्षित
71. अनुसूचित जनजाति
72. अनुसूचित जाति
73. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
74. पिछड़ा वर्ग
75. अनुसूचित जनजाति
76. अनारक्षित
77. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
78. अनुसूचित जनजाति
79. अनारक्षित
80. अनारक्षित
81. अनुसूचित जनजाति
82. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
83. अनुसूचित जनजाति
84. अनुसूचित जाति
85. पिछड़ा वर्ग
86. अनुसूचित जनजाति
87. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
88. अनारक्षित
89. अनुसूचित जनजाति
90. अनारक्षित
91. अनुसूचित जाति
92. अनुसूचित जनजाति
93. अनारक्षित
94. अनुसूचित जाति
95. पिछड़ा वर्ग
96. अनुसूचित जनजाति
97. अत्यंत पिछड़ा वर्ग
98. अनुसूचित जाति
99. अनुसूचित जनजाति
100. अनारक्षित

झा०रा०मु०राँची (कार्मिक) 6--200--22-12-2022 ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची
द्वारा मुद्रित ।

Printed By
Jharkhand Government Press, Ranchi.

© Copyright 2022 Finance Department, Government of Jharkhand.